खण्ड-375, अंक-7
शुक्रवार, 9 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(28 फरवरी, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 375 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1—2
प्रश्नोत्तर	..	3—66
ग्राम नौकाही, तहसील नानपारा, बस्ती के पट्टेदारों की भूमि पर नाजायज कब्जा होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	66
देवरिया जनपद में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के अवशेष वेतन के भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	66
बरनावा, मेरठ में कृष्णा व हिन्डन नदियों पर जगह-जगह पर बांध बनवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	66—67
ब्लाक नरैनी, बांदा के ग्रामीण अंचलों में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	67
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ में इन्दिरानगर विस्तार योजना द्वारा किसानों की अधिग्रहीत भूमि पर कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	67
भगवन्त नगर, उन्नाव में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा सिंचाई की नाजायज वसूली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	67—68
आगरा नगर के निकटवर्ती गांवों के पालतू पशुओं द्वारा किसानों की फसलों को क्षति पहुंचाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	68
दिनांक 20-2-86 के स्थगित प्रश्नों को दिनांक 27-2-86 को सायंकाल लिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	..	68—69
प्रेषित श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल द्वारा धन्यवाद	..	69
उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री एलेविन की टीम तथा नेता विरोधी दल एलेविन की टीम के बीच होने वाले क्रिकेट मैच की सूचना	..	70

लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल में प्रयोग किये जाने वाले दूषित ग्लूकोज से अनेकों लोगों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य .. 70—76

दिनांक 7-2-86 को पूछे गये तारांकित प्रश्न 6 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संबंध में राज्य मंत्री, राजस्व द्वारा शोधन वक्तव्य .. .. .. 76—77

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें .. .. 77—91

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-
अनुदान संख्या 22—खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) .. 92—131
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. 131—132

जनपद बाराबंकी के राजकीय दीक्षा विद्यालय के हाई स्कूल परीक्षा केन्द्र 1985-86 में सम्मिलित 140 परीक्षार्थियों को अनुपस्थित दिखला कर अनुत्तीर्ण कर दिये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 132—134

गन्ना किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा .. 134—148
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) 148

नत्थियां .. 149—156

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अच्युतानन्द तिवारी, डाक्टर	गोरखपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक सेहरा, श्री	आगरा
एहतिशाम वली खां, श्री	बहराइच
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़
काशी सिंह एरेरी, श्री	पिथौरागढ़
किशन सिंह तड़ागी, श्री	नैनीताल
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा
कृष्ण कुमार, श्री	फैजाबाद
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ
जागन सिंह, श्री	रामपुर
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
निरोत्तम सिंह, श्री	बदायूं
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
परागी लाल, चौधरी	सीतापुर
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
महाराज सिंह, चौधरी	इटावा
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मोती राम सांगुड़ी, श्री	नैनीताल
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	चमोली
संकटा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया

सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सैय्यद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली		

नोट—श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मंत्री श्री निसार अहमद अंसारी, लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 28 फरवरी, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राष्ट्रीय जल नीति के सदस्य के पद पर माननीय मुख्य मंत्री का मनोनयन

****1—कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जल नीति के सदस्य मनोनीत किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रदेश इस सम्बन्ध में क्या नीति अपनायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी हां, अभी राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की उप समिति द्वारा राष्ट्रीय जल-नीति का अभिलेख तैयार किया जाना है जो राष्ट्र के हितों को ध्यान में रख कर तैयार किया जायेगा ।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् के समक्ष प्रदेश के प्रगतिशील विकासोन्मुख दृष्टिकोण से उपलब्ध जल संसाधनों के समन्वित व समुचित विकास पर बल दिया गया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही (कुंवर मानवेन्द्र सिंह के अनुपस्थित न रहने पर)—

मान्यवर, रुचि है ।

इलाहाबाद दरभंगा में शरणार्थी परिवारों के पुनर्वास की योजना

****2—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित इलाहाबाद में 120 दरभंगा में निवासित 60 पूर्वी बंगाल के शरणार्थी परिवारों के पुनर्वासन संबंधी पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब तक उनको पुनर्वासित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

जी हां, प्रश्नकर्ता का उक्त पत्र शासन को प्राप्त हुआ । पत्र में 60 शरणार्थी परिवारों के पुनर्वासन का उल्लेख है किन्तु वास्तव में अभिलेखों के अनुसार उक्त परिवारों की संख्या-17 ही है । उक्त 17 विधवा महिलाओं के परिवारों को पहले ही पुनर्वासन सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

उनके पुनः पुनर्वासन का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि उनको पुनर्वासित किया जा चुका है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पूर्वी पाकिस्तान की 17 शरणार्थी महिलाएं हैं उनको कब और कहां पुनर्वासित किया गया और उनको क्या सुविधाएं प्रदान की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह जो 17 शरणार्थी महिलाएं हैं उनको गवर्नमेन्ट प्रेस में नौकरी दे दी गयी है और वहां उनको 120, दरभंगा कौंसिल भवन में रहने का स्थान दिया गया है । यह वहां रहती हैं वहीं पुनर्वासित हो गयी है, उनको निःशुल्क

मकान दिया गया है । वह नौकरी वहीं करती है और वही रहती है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी हमारे प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में कहा गया कि 120, दरभंगा कौंसिल में मकान दिया गया है और नि:शुल्क मकान दिया गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई अधिकार पत्र उनको इसके सम्बन्ध में जारी किया गया है कि आप इस मकान में नि:शुल्क रहिए, कोई आपको निकालेगा नहीं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, वे गवर्नमेन्ट प्रिंटिंग प्रेस के मकान में रहती है । उनसे उसका किराया नहीं लिया जाता । यह आवास, यह भूमि और भवन उद्योग विभाग का है और प्रिंटिंग प्रेस भी उद्योग विभाग का ही है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जिलाधिकारी इलाहाबाद ने 25-1-81 को उनके स्थाई पुनर्वासन के लिए शासन को लिखा था । मान्यवर, वस्तुस्थिति आप समझ लें, जहां पर महिलाएं रह रही हैं, वह जमीन राजा दरभंगा की जमीन थी और उस जमीन को इन्होंने सहकारी समिति को बेच दिया है । वह सहकारी समिति वाले लोग अपने गुण्डों को लाकर उनको परेशान करते हैं कि यह जमीन आप खाली करिये, मकान खाली करिये बहुत ही आतंक की स्थिति है, कोई अधिकार पत्र उनको नहीं दिया गया है । एक बहुत ही विषम स्थिति हो गयी है तो, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी इलाहाबाद के द्वारा जो आपके यहां पत्रावली भेजी गयी है, उनके स्थायी पुनर्वासन के सम्बन्ध में, उस पर आप क्या कहते हैं ? आपने जिलाधिकारी को स्थायी पुनर्वासन के संबंध में क्या कोई आदेश दिए हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जिस भूमि में यह भवन स्थित है, उस भूमि को खरीदने के संबंध में, उद्योग विभाग ने पुनर्वासन विभाग को दिए जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार को 8 जनवरी, 1981 और 16 अक्तूबर, 1981 को लिखा । भारत सरकार का कहना यह है कि 1964 से पूर्व जो शरणार्थी यहां आ गये, उनको पुनर्वासित मान लिया गया है । अब इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया कि इस भूमि को खरीदकर उनको पुनर्वासित कर दिया जायेगा । लेकिन इतना अवश्य है कि जो 17 विधवायें हैं जहां उनको काम दिया गया है और जिस भवन में रखी गई हैं, वे बराबर उसमें रहेंगी । लेकिन उन 17 परिवारों में से दो परिवार चले गये हैं और 15 परिवार ही उसमें रह रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो संदर्भित महिलायें वहां रह रही हैं पुनर्वासन के लिये, वे उस भवन में किस अधिकार और किन शर्तों के आधार पर रह रही हैं ? क्या जिलाधिकारी ने यह भी आश्वस्त कराया है कि उनके नाम उस जमीन का पट्टा भी कराया जा रहा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ऐसा कोई एग्रीमेन्ट नहीं है लेकिन जबसे उनको वहां रखा गया है, तब से उनसे कोई किराया नहीं लिया जाता है । वे बराबर उसमें रह रही हैं और गवर्नमेन्ट प्रेस में काम कर रही हैं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी काल जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें समाज

कल्याण की मद में 13 लाख 13 हजार पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये.....

श्री अध्यक्ष—

इससे कोई सम्बन्ध नहीं है (व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

चूंकि यह जमीन उद्योग विभाग से दी जानी है .....

श्री अध्यक्ष—

कल के बजट की आज चर्चा करना (व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

चर्चा नहीं मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के समय कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है । प्रश्न कर लें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के पुनर्वासन के सम्बन्ध में उद्योग विभाग से जमीन लेकर आपको देनी है । आपने कल अपने बजट भाषण में कहा था कि 13 लाख 13 हजार रुपये पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के पुनर्वासन पर खर्च करनी है । तो इस कालोनी में जो उद्योग विभाग की जमीन है उसे पुनर्वासन विभाग को स्थायी पट्टा देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

अगर उद्योग विभाग का उसमें इस तरह का प्राविधान है तो उसको देख लिया जायेगा ।

(नत्थी (ख), प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अल्पसूचित प्रश्न को ले लें । उसमें 20 मिनट का समय होता है । माननीय सदस्यों ने रुचि भी प्रकट की थी ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[छठें शुक्रवार के लिए स्थगित]

प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिये बिजली की दरें

*2—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् द्वारा उत्पादित तापीय विद्युत की उत्पादन लागत उत्तर प्रदेश में उत्पादित जलीय विद्युत से प्रति यूनिट 3 गुने से भी अधिक है तथा प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें इसलिए बहुत अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना कार्यान्वित करेगी कि प्रदेश के कुल विद्युत उत्पादन में जलीय विद्युत के उत्पादन का भाग एक निश्चित समय में दो तिहाई तक पहुंच जाय और उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें घटाई जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

जी हां । विद्युत दरें औसत विद्युत लागत तथा अन्य मानकों के आधार पर विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी के लिये निर्धारित की गयी है । विद्युत नियोजन करते समय निकट भविष्य की रणनीति के रूप में तापीय इकाइयों को लगाया जाना एवं लम्बी अवधि की रण-नीति में जल-विद्युत परियोजनाओं को लगाया जाना विशेष रूप से समायोजित किया गया है । इसका मूल कारण यह है कि जहां जल-विद्युत परियोजनाओं के फलीभूत होने की अवधि काफी अधिक है, वहीं तापीय परियोजनायें लगभग

5 वर्ष में फलीभूत हो जाती है । इसी परिप्रेक्ष्य में जिन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनके फलीभूत होने पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में जलीय विद्युत इकाईयों का भाग वर्तमान समय से अधिक हो जायेगा ।

जल-विद्युत क्षमता में बढ़ोत्तरी श्रेणी बद्ध क्रम में सम्भव है और इसके लिए काफी लम्बी अवधि लगेगी । इसी परिप्रेक्ष्य में भविष्य के लिये विद्युत नियोजन तथा योजना बनाई जाती है । अत- इन वर्तमान परिस्थितियों में विद्युत की दरों को घटाया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विगत बजट सत्र में जब माननीय ऊर्जा मंत्री अपना बजट भाषण दे रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था और बहुत से अन्य प्रदेशों की विद्युत् दरों का हवाला देते हुए जिक्र किया था कि वहां पर वे इसलिये सस्ती बिजली की दरें दे रहे हैं क्योंकि वहां पर जल विद्युत् का उत्पादन काफी हो रहा है और तापीय विद्युत का उत्पादन कम है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आपने अपने उत्तर में दो रणनीतियां लिखी हैं । एक तापीय विद्युत जो कि जल्दी फलीभूत हो जाती है, इसे आपने स्वयं स्वीकार किया है । दूसरे जल विद्युत एक लम्बे अर्से में फलीभूत होती है तो क्या कारण है कि ऊर्जा मंत्रालय ने जल विद्युत के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम निश्चित अवधि के लिए नहीं बनाया है, जिससे 2/3 जल विद्युत का उत्पादन हो जाय ? क्या यही कारण है कि विद्युत उपभोक्ताओं को मंहगी बिजली मिल रही है ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह कारण नहीं है । जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा होने में 5 से 8 वर्ष का समय लग जाता है और तापीय विद्युत परियोजनायें जल्दी तैयार हो जाती है । प्रदेश इस समय ऊर्जा संकट से गुजर रहा है । तो हमें यह देखना है कि जो मौजूदा संकट है वह टले तथा दूसरी ओर यह भी देखना है कि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिले । ऐसी स्थिति में हम दोनों योजनाओं को साथ-साथ लेकर चल रहे हैं । जहां लम्बी अवधि की जल विद्युत परियोजना से सस्ती बिजली मिलने लगेगी, वहीं आज की संकट की स्थिति का सामना करने के लिए तापीय विद्युत परियोजनाओं का हम विकास कर रहे हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान तत्कालीन सिंचाई मंत्री और जो आज शासन के मुख्य मंत्री हैं, के बयान की ओर ले जाना चाहता हूं । जिसमें उन्होंने स्वयं कहा था कि प्रदेश में अधिक से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकता है । जिससे सिंचाई के साधन भी अधिक उपलब्ध हो सकेंगे और विद्युत भी सस्ती उपलब्ध होगी । उन्होंने स्वयं बताया कि बहुत सी हमारी जल विद्युत परियोजनायें ऐसी हैं जिनका कास्ट आफ प्रोडक्शन डिप्रिसियेशन के बाद जीरो पर आ गया है अर्थात् बिजली मुफ्त मिल रही है । तो क्या कारण है कि तत्कालीन सिंचाई मंत्री जो आज मुख्य मंत्री हैं के द्वारा घोषित नीति का पालन नहीं हो रहा है ? क्यों नहीं उसको निश्चित कार्यक्रम दिया जा रहा है कि इतने समय के अन्दर 10, 15 साल के अन्दर जल विद्युत क्षमता को तापीय विद्युत क्षमता से इतना अधिक कर लेंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत अच्छा है । जिसका उद्देश्य और भावना यह है कि किस तरह से जल विद्युत के माध्यम से विद्युत उत्पादन बढ़े और

उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध हो सके । जैसा कि हमारे साथी मंत्री जी ने बताया कि जल विद्युत परियोजना को पूरा होने में ज्यादा समय लगता है और तापीय योजना का निर्माण कार्य जल्दी होता है । कम समय में अधिक विद्युत उत्पादन कर सकें । जहां तक जल बिद्युत का प्रश्न है वह पूर्णरूप से पानी पर निर्भर करता है और दूसरी ओर तापीय विद्युत के लिए कोयले की उपलब्धि सुनिश्चित है । जल विद्युत में, वर्षा से कभी ऐसा होता है कि पानी कम मिलता है । जैसे गत वर्ष बर्फ कम पड़ने से पानी कम मिला, उसके कारण जल विद्युत गृह पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं कर सके । यह संकट उत्पन्न न हो इसको ध्यान में रखते हुए हम तापीय विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करते हैं । जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, उसमें हमने 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का एक लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके द्वारा जल विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ायेंगे ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में । माननीय मंत्री जी ने दो तरह के अपने टारगेट बताये हैं । एक लांग टर्म का, जिसके जरिये जल विद्युत परियोजनायें चलायेंगे । तो क्या उन्होंने 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं का टारगेट फिक्स कर लिया है ? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या है और कब तक पूरा हो जायेगा ? दूसरा शार्ट टर्म तापीय परियोजनाओं से आवश्यकता पूरी करना चाहते हैं उसमें कौन-कौन सी परियोजनायें प्राथमिकता के आधार पर दो साल के अंदर पूरी करने जा रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना का सवाल है तो मनेरी माली योजना का द्वितीय चरण, जिसमें 76 मेगावाट की चार मशीनें लगायेंगे और उसका लक्ष्य पूरा करेंगे । साथ ही श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की क्षमता 200 मेगावाट है जिसको 300 मेगावाट करने का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो 300 मेगावाट प्राप्त होगी और जो खारा परियोजना है उसमें 72 मेगावाट की मशीन है उसे इसी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगा कि तापीय विद्युत में आनपारा में 630 मेगावाट, टांडा में 440 मेगावाट और फिरोजगांधी उंचाहार में 420 मेगावाट का लक्ष्य है ।

श्री ओसान सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया है कि तापीय परियोजना में अधिक व्यय और जलीय योजना में कम खर्च होता है लेकिन समय ज्यादा लगता है । तो क्या जलीय योजना स्माल स्केल पर, जिसमें समय कम लगेगा, बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जहां तक जल विद्युत परियोजना का सवाल है उसमें काफी धन लगता है और समय भी अधिक लगता है और तापीय विद्युत योजना में समय और धन कम लगता है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि जलीय विद्युत परियोजना को बनाने में काफी समय और धन लगता है, तो इसी संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में कुल अधिष्ठापित क्षमता का लक्ष्य जो है विभाग का, तापीय विद्युत गृहों से और जलीय विद्युत गृहों से उत्पादन क्षमता कितनी होगी ? उत्तर अभी दिया गया है कि उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जलीय विद्युत का, तो क्या वह उसके लक्ष्य के अनुरूप होगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तय हो गया है और उसके बाद क्या होगा, उसके सम्बन्ध में आपने जो प्रस्ताव बनाकर रखा है उसके मुताबिक प्रयास किया जा रहा है कि जल विद्युत परियोजना जिन पर काम शुरू कर दिया है, सर्वेक्षण कराया है, उनको हम 5 वर्षों में या अगले 5 वर्षों में पूरा करें । मान्यवर, जो जिज्ञासा माननीय सदस्य की है तो तापीय विद्युत गृहों का भी निर्माणकार्य कर रहे हैं । जिससे तापीय विद्युत गृहों की क्षमता जल विद्युत गृहों की क्षमता से अधिक रहेगी ।

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि जल विद्युत परियोजना खारा और श्रीनगर की बनाने की बात कही है, तो क्या लखवार-व्यासी परियोजना का परित्याग कर दिया है या उसको भी बना रहे हैं ।

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, लखवार-व्यासी योजना भी विचाराधीन है ।

प्रदेश में उद्योगों पर विद्युत बोर्ड का बकाया

*3—श्री हर्ष वर्धन (अनुपस्थित)—

द्वितीय सत्र 1983 के चौथे शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 15 के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन दस उद्योगों पर 5 लाख से अधिक विद्युत बोर्ड का बकाया था उन पर 31 दिसम्बर, 1985 को कितना बकाया था तथा उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जिन दस उद्योगों पर 5 लाख रुपये से अधिक विद्युत बोर्ड का बकाया था उन पर 31 दिसबर, 1985 को बकाये की स्थिति तथा वसूली के लिए किये जा रहे प्रयत्नों की सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ... पर)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न] ।

नैनीताल जनपद में स्नो व्यू पहाड़ी के भू-स्खलन की समस्या

*1—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जनपद में स्नो व्यू पहाड़ी के भू-स्खलन का गम्भीर संकट पैदा हो गया है ? यदि हां, तो वहां के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

इसमें मंत्री जी ने कहा है कि जी नहीं, जबकि इसमें सुनिश्चित जानकारी है । वहां के तमाम निवासी हम लोगों को बता रहे हैं और प्रार्थना-पत्र भी दिए हैं, विभाग को भेजा है, लेकिन वह कहते हैं कि भूस्खलन का कोई खतरा नहीं है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने किस एजेन्सी के द्वारा इसका सर्वे कराया है, सर्वे कब हुआ और किस अधिकारी ने यह कार्य किया है ?

श्री गौरी शंकर—

माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसकी सूचना के तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि मल्लीताल से स्नो-व्यू पहाड़ी तक कुमायूं मंडल ने रोप-वे का निर्माण कराया था, उसके कारण उसके दूसरे खम्भे के कारण बरसात में समीप के कुछ मकानों में और उनकी फर्श पर दरारें देखी

गई थीं । अधिशासी अभियन्ता, पी0 डब्लू0डी0 का कार्यालय भी ऊपर है और उनका आना जाना भी इस मार्ग से लगा रहता है, तो अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि उससे भी इस क्षेत्र में असर पड़ा है और उसकी रोकथाम के लिए एक सुरक्षात्मक दीवाल बनाने के लिए कुमायूं मंडल को लिखा गया है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मैंने यह जानना चाहा था कि यह सर्वे उन्होंने कब कराया, किस अधिकारी से कराया ? क्योंकि पूरी स्नो व्यू पहाड़ी नीचे घसक रही है और वहां के निवासियों के लिए खतरा पैदा हो गया है ?

श्री गौरी शंकर—

मैंने प्रारम्भ में कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, फिर भी अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड ने जब इस चीज को देखा कि रोप-वे दूसरे खम्भे के पास कुछ जगह दरारें पड़ रही हैं, तो उन्होंने उसे भरा दिया है, और उसके सुदृढ़ीकरण के लिए दीवाल भी खड़ी करा दी गई है और उस अधिकारी ने बताया है कि भूस्खलन का कोई खतरा नहीं है । वहां ऐसी कोई बात नहीं थी, केवल प्रिवेन्टिव मेजर के तौर पर यह सुरक्षात्मक दीवाल का कार्य कराया गया है ।

डा0 दिनेश जौहरी—

नैनीताल में स्नो व्यू पहाड़ी ही नहीं रामगढ़ के लिए भी खतरा पैदा हो गया है । जिसके लिए वहां के निवासियों ने नैनीताल-बन्द का भी आयोजन किया है और मांग की थी कि वहां पर पेड़ों का कटान बन्द कर दिया जाए और नये मकान बनने पर रोक लगाई जाए, इसको देखते हुए वह क्या कोई ऐसे आदेश देंगे कि आगे नैनीताल में पेड़ न काटे जायं, जिससे वहां पर भूस्खलन का खतरा न रहे ?

श्री गौरी शंकर—

ऐसी व्यवस्था पहले से ही है कि बहुत अपरिहार्य कारणों से पेड़ों का कटान किया जाए और बहुत ही आवश्यक स्थिति में मकान वहां बनाए जाएं । तो जो माननीय सदस्यों की चिन्ता है, उससे शासन स्वयं चिंतित है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए शासन ने नीति भी बनाई है जिससे अनावश्यक रूप से वनों का कटान न हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरी और माननीय सदस्यों की सूचना को सही मानकर कि वहां पर भूस्खलन का मामला है, इसकी जांच किसी भूस्खलन विशेषज्ञ से न कराये जाने का कारण क्या है ? और अब इस सम्बन्ध में इसकी जांच वह क्या किसी भूस्खलन विशेषज्ञ के माध्यम से कराकर उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने या हम सदस्यों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि इस तरह का कोई गम्भीर संकट या खतरा पैदा होने की कोई बात ही नहीं थी, फिर भी कोई बात भविष्य में न हो जाए, इसके लिए सुरक्षात्मक दीवाल खड़ी करा दी गई और अब वहां के भू संरक्षण अधिकारी ने भी सूचित किया है कि नगरपालिका, नैनीताल और वन विभाग को वृक्षारोपण के लिए कहा गया है ।

फिर भी संबंधित क्षेत्र में संभावित भूस्खलन से सुरक्षा प्रदान करने हेतु भूमि संरक्षण अधिकारी, नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है । मान्यवर, ऐसी स्थिति में वृक्षारोपण की नीति और दूसरे तरीके अपनाये जा रहे हैं । इसमें किसी तरह के खतरे की संभावना नहीं है । फिर भी माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि आगामी समय में खतरा न हो तो उनकी भावना का

आदर करते हुए शासन इसको दिखवा लेगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का खतरा उत्पन्न न हो और भू-स्खलन होकर रज्जु मार्ग खराब न हो और किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो ।

उन्नाव जनपद में बाढ़/अतिवृष्टि/जल प्लावन से क्षति

*2—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह जानकारी देने का कष्ट करेंगे कि माह अगस्त, सितम्बर, व अक्टूबर, 85 में आई हुई बाढ़ से उन्नाव जनपद में कितने रुपये की क्षति हुई है ? क्या जून, जुलाई, अगस्त व सितम्बर की 14 तारीख तक अनावृष्टि व सूखे से जिले की 60 फीसदी फसल पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थी ? क्या यह भी सही है कि जनपद के पुरवां व हिलौली मौरावां व असोहा परगना क्षेत्रों में बाढ़ से फसल की क्षति 90 फीसदी तक हुई है ? यदि हां, तो सरकार किसानों की सहायतार्थ क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री गौरी शंकर—

जनपद उन्नाव में अगस्त से अक्टूबर, 1985 तक बाढ़/अतिवृष्टि/जलप्लावन से अनुमानित क्षति कुल 24,53, 84, 094 रु0 की हुई ।

जी हां, परन्तु दिनांक 14-9-85 के बाद की वर्षा के कारण सूखे की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ ।

जी हां ।

निःशुल्क सहायता के अलावा गृह अनुदान, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से प्राप्त धनराशि का मृतकों के परिवारों को वितरण, लघु/सीमान्त कृषकों को उर्वरक तथा बीजो के लिए अनुदान तथा रोजगार कार्यक्रमो को लागू किया गया है । मालगुजारी/लगान में छूट के प्रस्ताव जिले स्तर पर तैयार किये जा रहे हैं ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने 60 फीसदी क्षति सूखे से स्वीकार कर लिया है और बाढ़ से 90 फीसदी की क्षति स्वीकार कर लिया है। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर शतप्रतिशत फसल नष्ट हो गयी है और कुछ नहीं बचा है ? अगर यह सही है तो वहां पर सरकारी देयों की वसूली का स्थगन क्यों नहीं हुआ है और सरकारी वसूलियों के मामले में जोर जबरदस्ती और अत्याचार क्यों हो रहा है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय सदस्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि जनपद उन्नाव में सूखे से, बाढ़ से और जल-प्लावन से लगभग 75 से लेकर 100 प्रतिशत तक क्षति हुई है । ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था है कि जिलाधिकारी अपने स्तर से 3 महीने तक के लिए वसूली स्थगित कर सकते हैं । यदि वह संतुष्ट हैं कि बिल्कुल छूट देनी है तो वह एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजते हैं । वह प्रस्ताव जिले से आता है । होता यह है कि बाढ़ इत्यादि जब निपट जाती है तब प्रस्ताव भेजा जाता है । तो तीन महीने तक की वसूली की छूट जिलाधिकारी स्तर पर दी जाती है और पूरी तरह से छूट देने का प्रस्ताव जब जिलाधिकारी के स्तर से आता है तब हम कार्यवाही करते हैं ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास इस समय उन गांवों की सूची आ गयी है, जहां पर 60 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक क्षति हुई है ? दूसरा सवाल मान्यवर मेरा यह है कि जिन गांवों के बारे में क्षति की जानकारी हो गयी थी, उन गांवों में

जिलाधिकारी द्वारा मालगुजारी लगान न माफ करने के क्या कारण हैं?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने गांवों के हिसाब से जानकारी चाही है । इस हिसाब से यदि सूचना दी जाएगी तो बहुत लम्बी हो जायेगी मेरे पास स्थिति तहसील-वार मौजूद है, उसे मैं बताता हूं, एक एक करके । तहसील उन्नाव में 1, 93, 61, 230 रु0, तहसील हसनगंज में रु0 9,47,28,932 से प्रभावित हुयी है, तहसील पुरवा में रु0 9,06, 06, 432 और सफीपुर में रु0 4, 06, 87, 500 की क्षति हुयी और इस प्रकार टोटल अनुमानित क्षति जो पूरे जनपद में हुयी है वह रु0 24, 53, 84, 094 है । इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने अपने मूल उत्तर में भी कहा है कि निःशुल्क सहायता के अलावा, गृह अनुदान, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से प्राप्त धनराशि का मृतकों के परिवारों को वितरण, लघु सीमांत कृषकों को भी अन्य अनुदान आदि दिए गये हैं ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि उन्नाव जनपद एक साथ दो विपदाओं से प्रभावित हुआ है । एक तो बाढ़ से और दूसरा सूखे से । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पहली बात यह जानना चाहूंगा कि जब पूरा प्रदेश बुरी तरह से सूखे से प्रभावित हुआ और काफी लोगों के नुकसान हुए, जिससे शासन स्वयं परिचित था तो फिर उसे सूखा क्षेत्र क्यों नहीं घोषित किया गया ? दूसरे मेरी जानकारी को सही मानते हुए कि जो भी इस संबंध में लोगों को अनुदान दिये जा रहे हैं या दिए गये परिवार कल्याण के नाम पर दिए गए, जिन्होंने अपनी नसबंदी कराई , क्या यह सच है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, नियमानुसार किसी भी जनपद या स्थान को सूखा क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता है । शासन के पास जब मान्यवर, जिलाधिकारी की रिपोर्ट आती है कि फलां-फलां जनपद या स्थान में 50 फीसदी या इससे भी ऊपर क्षति अनुमानित है, तो उसी हिसाब से सहायता प्रदान की जाती है और तदनुसार राहत के कार्य शुरु कराये जाते हैं । मान्यवर, मैं मानता हूं कि यह पूरा जनपद सूखे से प्रभावित रहा माह जून, जुलाई, अगस्त और 13 सितम्बर तक । फिर 14 सितम्बर को मान्यवर, वर्षा हुयी और खूब वर्षा हुयी तो इससे सूखे की स्थिति में तो सुधार हुआ लेकिन कहीं-कहीं पर इतनी वर्षा हो गयी कि बाढ़ की शक्ल नजर आने लगी । परन्तु मान्यवर, इस बाढ़ से निपटने के लिए भी 87.95 लाख रु0 की धनराशि आवंटित की गयी । जिसके विपरीत मान्यवर, 80.99 लाख रु0 के व्यय हो जाने की संभावना है क्योंकि यह जनपद दोनों विपदाओं से प्रभावित था । इसलिए इतनी व्यवस्था वहां शासन ने की ।

[शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राजकीय महिला संरक्षण गृह, लखनऊ में व्याप्त कुप्रबन्ध, अव्यवस्था तथा शोषण के विरुद्ध जांच

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित राजकीय महिला संरक्षण गृह में व्याप्त कुप्रबन्ध, अव्यवस्था तथा शोषण के खिलाफ जून, 85 के प्रथम पखवारे में जो जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (नगर) लखनऊ (श्री त्यागी) द्वारा की गयी, उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

लखनऊ स्थित राजकीय संरक्षण गृह (महिला) में व्याप्त कुप्रबन्ध अव्यवस्था

तथा शोषण के विरुद्ध अपर मजिस्ट्रेट प्रथम (नगर लखनऊ) श्री नजमूल हसन जैदी ने जांच की है (न कि श्री त्यागी ने) जांच आख्या में निम्नलिखित मुख्य बिन्दु प्रकाश में आये—

1—खाने, पीने आदि की तकलीफ का होना ।

2—सफाई की पर्याप्त व्यवस्था का न होना ।

3—संस्था में योगमाया नाम की संवासिनी जिसका चरित्र संदिग्ध था, संस्था में आ गयी थी जिसने संवासिनियों का ग्रुप बनाकर तथा फुसलाकर पलायन की स्थिति उत्पन्न कराई ।

4—समय से संवासिनियों को पुनवार्सित न किया जाना ।

5—संवासिनियों के पलायन का कारण उनमें व्याप्त असंतोष था, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णरूप से संरक्षण गृह में नियुक्त सभी अधिकारियों कर्मचारियों की होती है ।

6—संवासिनियों के बयान के अनुसार संरक्षण गृह में किसी प्रकार का गलत, गंदा, बुरा काम उनसे नहीं कराया जाता और न ही कोई बाहरी आदमी आता है ।

संवासिनियों की उपरोक्त सभी समस्याओं का समाधान किया गया और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री का उत्तर सुना । उसके संदर्भ में मैं दो बातें जानना चाहता हूं । यद्यपि माननीय मंत्री ने स्वयं बताया है कि खाने, पीने आदि की कठिनाई थी, सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और संस्था में योगमाया नाम की संवासिनी जिसका चरित्र संदिग्ध था, संस्था में आ गयी थी । जिसने संवासिनियों का ग्रुप बनाकर तथा फुसलाकर पलायन की स्थिति उत्पन्न करायी थी । संवासिनियों की सभी समस्याओं का समाधान किया गया और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उपरोक्त सभी समस्याओं का क्या-क्या समाधान किया गया है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, नम्बर 1—वहां पर जो असंतोष का कारण था, वह यह था कि वहां पर भवन अपर्याप्त था और नहाने-धोने की समुचित व्यवस्था नहीं थी । मान्यवर, मुझे आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताने में हर्ष है कि आज वह हमारी संवासिनियां एक बहुत सुन्दर, नए बने हुए भवन में ट्रान्सफर कर दी गयी हैं । मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को इनवाइट करती हूं कि वह मेरे साथ चलें, किसी दिन भी, बिना बताये हुए। मेरे यहां 7 बजे सुबह आ जायं, मैं उनको ले चलूंगी । मान्यवर, वहां पर जो भी एम0एल0ए0 देख लेगा, तो वह भी कहेगा कि हमारे लिए भी हाली डे होम बना दिया जाय । मान्यवर, जैसे वे बेटियां, वैसे हमारी बेटियां और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने उनके संबंध में प्रश्न उठाया । उन्होंने हमारी बेटियों के बारे में महसूस किया, उनके दिल में दर्द हुआ और उन्होंने यह प्रश्न किया । मुझे मालूम था कि वह प्रश्न पूछेंगे और वह मेरे उत्तर से खुश भी हुए होंगे । मान्यवर, दूसरा प्रश्न था सफाई के संबंध में, तो मान्यवर, मैं बताना चाहती हूं कि सफाई की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है । मान्यवर, जिन्होंने बिस्तर चाहा, उनको बिस्तर का प्रबन्ध किया गया । जिन्होंने साड़ी चाही, उनको साड़ी का प्रबन्ध कि या

गया । मान्यवर, जिन्होंने कहा कि सलवार-कुर्त्ता पहनूंगी, उनके लिए सलवार-कुर्त्ते का प्रबन्ध किया गया । मैं खुद वहां पर 11-1-86 को गयी थी । वहां पर जिनकी शादी थी, उनकी शादी हो गयी और शादी होकर वह विदा भी हो गईं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मंत्री जी ने यह लम्बा भाषण सुना दिया, लेकिन जो मैंने प्रश्न किया, उसका तो उत्तर नहीं दिया कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जब लम्बी लिस्ट होगी प्रश्नों की, तो लम्बी लिस्ट होगी उत्तर की । जहां तक दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का संबंध है, चाहे पक्ष का कोई माननीय सदस्य हो, चाहे विपक्ष का कोई माननीय सदस्य हो, दोषी कर्मचारियों को माफ करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री ने ऐसे गंभीर मामले को हंसी में उड़ा दिया। मान्यवर, जिन कर्मचारियों ने उनको परेशान किया, उन दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी कि नहीं ? यदि कार्यवाही की गयी, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो जांच आख्या आई, तो तुरन्त ही मैंने कहा कि वहां के कर्मचारी और अधिकारी दोषी हैं । मैंने वहां की संरक्षण गृह की अधीक्षिका को निलम्बित कर दिया और 3-9-85 को आरोप-पत्र भी उनको दिया गया । खाने पीने से संबंधित जो प्रश्न था, उसमें स्टोर कीपर को 18-7-85 को आरोप-पत्र सहित निलम्बित कर दिया गया है। चौकीदार की 8-7-85 को सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं । एक कम्पाउन्डर को 3-7-85 को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

जनपद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में विद्युत संकट

*2—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ में 90 प्रतिशत शीतगृह दो रेजीमेन्ट केन्द्र, दो फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां और एक दूर दर्शन प्रसारण केन्द्र है किन्तु विद्युत आपूर्ति के अभाव में दूरदर्शन प्रसारण अधिकतर बन्द रहता है और प्रसारण का पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पाता है ? क्या ऐसी स्थिति में जनपद इटावा कानपुर, आदि की भांति जनपद फर्रुखाबाद में भी प्रतिदिन न्यूनतम 8 एम0 डब्लू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश लागू करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुनील शास्त्री—

राज्य विद्युत परिषद् की नीति के अनुसार फतेहगढ़ जनपद के मुख्यालय के अन्तर्गत आता है । इसको आजकल निरन्तर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है परन्तु कभी-कभी तापीय उत्पादन में अचानक कमी तथा अधिक मांग के कारण आपात् कालीन कटौती करना अनिवार्य हो जाता है, जिसके कारण नगर में स्थित शीत-गृहों, रेजीमेन्ट केन्द्र, फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां तथा दूरदर्शन केन्द्र इत्यादि को विद्युत आपूर्ति में कमी होना स्वाभाविक है । यहां भी अन्य नगरों तथा उद्योगों की भांति कटौती करनी पड़ती है ।

यद्यपि कानपुर में आपात्कालीन कटौती के समय न्यूनतम विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है किन्तु एक नगर-महापालिका होने के कारण कटौती कम की जाती है । पेयजल की आपूर्ति के लिए इटावा में आपात्कालीन कटौती के समय अस्थाई रूप से 31-3-86 तक प्रातःकाल 6 से 9 बजे तक 3 मे0वा0 तथा सायंकाल 5 से 9 बजे तक 5 मे0 वा0 विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है । विद्युत

प्रणाली को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था हर नगर में कर पाना सम्भव नहीं है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मेरे मूल प्रश्न का जो उत्तर माननीय जी ने दिया है उसमें कई स्थानों पर विरोधाभास है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा । वह फर्रुखाबाद में रहे हैं और फर्रुखाबाद की स्थिति की उन्हें जानकारी होगी । फर्रुखाबाद में दो रेजीमेन्ट 90 शीतगृह और फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां हैं, लेकिन वहां विद्युत आपूर्ति की इतनी दिक्कत है कि पेयजल तक का संकट है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दूसरे जनपदों के लिए तो इन्होंने विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी है, फर्रुखाबाद के लिए कह दिया संभव नहीं है । मान्यवर, जौहरीमल जैन कमीशन बैठी थी उसने अपनी संस्तुति में बताया था कि विद्युत आपूर्ति न होने की वजह से क्राइम बढ़ते हैं, तो उसको संस्तुति को ध्यान में रखते हुए विद्युत आपूर्ति न होने के क्या कारण है ? विद्युत आपूर्ति न होने के कारण जो आलू कोल्ड स्टोरेज में होता है वह बरबाद होता है, तो क्या माननीय मंत्री जी इन बातों को ध्यान में रखकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जहां तक शीतगृहों का प्रश्न है, हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि 16 से 18 घंटे विद्युत, जिनको आवश्यकता है उनको दी जाए । जहां तक पेयजल की समस्या के बारे में कहा गया है । श्रीमन्, इसका सर्वेक्षण करा लिया जाएगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा आप जो न्यूनतम बिजली आपूर्ति कुछ जनपदों की सुनिश्चित किए है, उसका मापदण्ड क्या है । आप इसका मानक बता दें ।

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो श्रेणी बनाई गई है वहां नगरमहापालिका के शहर आठ हैं उनको हम कार्पोरेशन टाउन की श्रेणी में रखते हैं । उसके पश्चात् श्रेणी-1 के वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या और उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए उन्हें बनाया गया है । तीसरे में जिला मुख्यालय आते हैं । चौथे में कस्बे आते हैं । पांचवें में वे कस्बे आते हैं जिनकी जनसंख्या 15 हजार से अधिक है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि "ए" क्लास के जो शहर हैं तो मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद पूरे इलाहाबाद मण्डल में 1962 से "ए" श्रेणी की नगरपालिका है । तो आपके मानक के अनुसार "ए" श्रेणी की नगरपालिका होते हुए भी फर्रुखाबाद को उसमें शामिल न करने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, इसको दिखवा लूंगा और मा0 सदस्य को अवगत करा दूंगा ।

प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कोचिंग केन्द्र

*3—श्री सरदार सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री की जानकारी में है कि प्रति वर्ष लाखों रुपया व्यय करने के बावजूद भी वर्ष 1979 से प्रति वर्ष राज्य सिविल सेवा हेतु पूर्व कोचिंग प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों का परीक्षाफल शून्य रहता चला आ रहा है और जिसके कारण प्रवेशित अभ्यर्थियों की संख्या भी प्रवेश क्षमता से कम रहती है ? यदि हां, तो क्या शासन राजकीय कोचिंग केन्द्रों को समाप्त करने की कृपा करेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । वर्ष 1981 में एक प्रशिक्षार्थी प्रान्तीय पुलिस सेवा में तथा वर्ष 1984 में एक प्रशिक्षार्थी पी0सी0 एस0 (एलाइड) में चयनित हुआ। प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं ।

जी नहीं । कोचिंग व्यवस्था से प्रशिक्षणार्थियों को बराबर लाभ मिलता रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, क्या मा0 मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जो प्रशिक्षार्थी 1981 में प्रान्तीय पुलिस सेवा में और 1984 में पी0सी0एस0 (एलाइड) में चयनित किये गये, उनके नाम व पद क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं इस समय क्षमा चाहती हूं कि नाम मेरे पास नहीं हैं । लेकिन आपकी आज्ञा होगी तो आपके माध्यम से माननीय सदस्य को पहुंचा दूंगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि मा0 सरदार सिंह जी के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 में बताया था कि 1985 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित किया गया था, 1981 में एक भी अभ्यर्थी चयनित नहीं किया गया और 1984 में एक भी अभ्यर्थी चयनित नहीं किया गया । क्या यह उत्तर मा0 मंत्री जी ने इसी सदन में पहले भी दिया था?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे पास जिले से जो सूचना आयी है, वह मैंने आपके सामने रख दी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरे पास प्रतिलिपि है, आपको भेज दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी कह रही हैं कि अभी उनके पास नहीं हैं ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, क्या मा0 मंत्री जी की जानकारी में है कि भारत के महालेखाकार ने यह देखते हुए कि 1979 से 1985 तक इस कोचिंग सेन्टर का परीक्षाफल शून्य रहा है, अतएव इस पर पैसा व्यय करना व्यर्थ है, इस प्रकार की रिपोर्ट शासन को दी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, शिक्षा के उत्थान के लिए जितना भी पैसा खर्च किया जाय, कम है । प्रकाश जलता रहता है, रोशनी आती रहती है, कोई लाभ ले या न ले। इसका मतलब यह नहीं है कि बत्ती बुझा दी जाय । ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं हुआ है । कोशिश हो रही है । आपने यह बात सही कही कि अपनी ओर से जितना लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है । इसको मैं मान रही हूं । मैं चाहती हूं कि शत प्रतिशत बच्चे पास हों, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है । लेकिन कोचिंग सेन्टर में जो प्रशिक्षण बच्चे ले रहे हैं, तो उनको किसी न किसी रूप में लाभ जरूर पहुंच रहा है । जो आंकड़े, हैं, आप कहें तो मैं प्रस्तुत कर दूं कि कितने बच्चे हमारी और सर्विसेज में सफलता प्राप्त कर चुके हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि महालेखाकार ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें इस कोचिंग को बन्द करने के लिए कहा है । यदि नहीं, तो इस कोचिंग में कितने लड़के हैं और प्रति बालक कितना खर्च आता है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, छात्रों की संख्या इस प्रकार रही—1979 में 30, 1980 में 30, 1981 में 27, 1982 में 28, 1983 में 32 और 1984 में 88 छात्र रहे । 200 रुपए प्रति माह प्रति बालक खर्च आता है ।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानते हुए कि 1981 से 1984 तक कोई भी बालक इस कोचिंग से पुलिस सेवा ज प्रशासनिक सेवा में नहीं आया है । क्या माननीय मंत्री जी इस पर जांच करायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जहां तक जांच का सम्बन्ध है, हम जांच से डरते नहीं हैं । हम जांच अवश्य करायेंगे । इसी जांच के बहाने एक संस्थान का इम्प्रूवमेन्ट भी हो जायेगा । जो बालक आज तक चयनित हुए हैं वे इस प्रकार हैं—1979 में एक सी0डी0पी0ओ0 में, एक सहायक कोआपरेटिव जिला प्रबन्धक और एक एस0 आई0 के पद पर चयनित हुआ। 1980 में 2 लेक्चरर, 2 सहायक जिला प्रबन्धक, 1 बैंक में और एक ए0 जी0 के आफिस में चयनित हुआ । 1981 में 1 डी0वाई0एसपी0 के पद पर, 2 बैंक में फील्ड आफिसर के पद पर, एक रिजर्व बैंक में ब्रांच मैनेजर के पद पर चयनित हुआ । 1982 में 2 प्रवक्ता के पद पर, 1 एस0 आई0 के पद पर और तीन बैंक में चयनित हुए । 1983 में—1 फील्ड आफिसर के पद पर, दो मण्डी परिषद् में, दो डेरी सुपरवाइजर के पद पर, एक प्रवक्ता के पद पर और दो बैंक में चयनित हुए । 1984 में एक पी0सी0एस0, एलाइड में, एक फारेस्ट रेंजर में, एक जंगल में, एक टेलीफोन आपरेटर के पद पर, एक डेरी विभाग में और एक मंडी परिषद् में इन्सपेक्टर के पद पर चयनित हुआ ।

यह बात सही है और मैं भी इससे संतुष्ट नहीं हूं । हम इसे रि-आर्गनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं ।

प्रदेश के तापीय विद्युत् गृहों के प्लांड लोड फैक्टर बढ़ाने की योजना

*4—**श्री जयदीप सिंह बरार—**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के तापीय विद्युत् गृहों का प्लांट लोड फैक्टर पिछले 6 महीनों में 40 प्रतिशत से भी कम है ? यदि हां, तो इस प्रदेश में स्थित नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के विद्युत् गृहों के बराबर लाने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

प्रदेश के तापीय विद्युत् गृहों के प्लांड लोड फैक्टर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं :—

1—सभी तापीय इकाइयों के "नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण" हेतु एक वृहद् योजना ।

2—कोयले की सही गुणवत्ता में आपूर्ति हेतु उच्च स्तर पर निरन्तर प्रयास ।

3—ओबरा "ब" की कोल हैंडलिंग क्षमता जो कि निम्न स्तर के कोयले की आपूर्ति के कारण अपर्याप्त हो गयी है, का बढ़ाया जाना ।

तापीय इकाइयों का प्लांड लोड फैक्टर राष्ट्रीय औसत के निकट लाने में हम उपरोक्त योजनाओं द्वारा सफल हो सकेंगे परन्तु नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के बराबर प्लांड लोड फैक्टर लाने में निम्न कठिनाइयां हैं :—

1—नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को अच्छी खदान/गुणवत्ता का कोयला प्राप्त होता है ।

2—परिषद् की तापीय इकाइयां पुरानी हो गयी है तथा इनके संयंत्र काफी घिस गये हैं ।

3—परिषद् की देश में ही निर्मित 200, 110 तथा 100 मेगावाट की इकाइयां पहले बनी होने के कारण कई परिकल्पन एवं परिचालन दोषों से युक्त हैं जबकि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को आपूर्ति की गयी इकाइयों में यह दोष दूर कर दिये गये हैं ।

4—परिषद् में कई छोटी इकाइयां पुराने डिजाइन की हैं जबकि कारपोरेशन की सभी इकाइयां बड़ी (210 मेगावाट) हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कुछ उपायों का उल्लेख किया है, जिनसे वह थर्मल पावर प्लांटों की कार्यक्षमता को बढ़ा सकें । इन्हीं उपायों का गत-वर्ष भी माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया था । बेटरमेंट और रिनोवेसन का उल्लेख गत वर्ष भी मंत्री जी ने किया था और एक योजना भी बनाई थी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक इस योजना पर कितना खर्च हुआ है और खर्च करने के बाद प्लांड लोड फैक्टर में कितना इम्प्रूवमेन्ट हुआ है ? दूसरा, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि कोयले की गुणवत्ता ठीक नहीं है और साथ ही साथ मशीनों के बारे में भी कहा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मशीनों और कोयले के अलावा परिषद् के जो उच्च अधिकारियों की जो गुणवत्ता है, उसमें आप बेटरमेन्ट और रिनोवेशन करने पर विचार करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, इस समय जो 27 इकाइयों के नवीनीकरण और आधुनिकोकरण की योजना बनाई गयी है, उसमें 147 करोड़ रुपये लगेंगे और जिसे 3 वर्ष में पूरा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ इकाइयों पर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है । हम आशा करते हैं कि इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक हम उन पर नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का काम पूरा कर लेंगे । पूरी योजना में 3 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है । 3 वर्ष के पश्चात् ही हमने जो प्लांड लोड फैक्टर का लक्ष्य निर्धारित किया है, कि हम 10 से 15 प्रतिशत तक की उसमें वृद्धि करेंगे, उसे पूरा कर पायेंगे ।

जैसा कि माननीय सदस्य ने चाहा है कि हमने कितना इम्प्रूवमेन्ट किया है। हमारी जो टोटल क्षमता 2662 मेगावाट थी, उसका हमने जनवरी माह तक 47 प्रतिशत उत्पादन किया है । फरवरी माह में भी इस बात का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है कि हम प्लांड लोड फैक्टर को 40 प्रतिशत से ऊपर रखें और अधिक से अधिक विद्युत् उत्पादन करें । इसी संदर्भ में श्रीमन्, यह निर्णय लिया गया है कि हम मार्च के अन्त तक प्लांड लोड फैक्टर को 50 प्रतिशत से ऊपर करें । वैसे जो लक्ष्य इस समय रखा गया था, उसमें हमको कुछ सफलता मिली है ।

कोयले की गुणवत्ता के संबंध में कहा गया । इस पर विचार किया जा रहा है कि किसी तरह से भी हो, कोयला खदानों से अच्छा कोयला हम विदयत् गहों को भेजें । इस संबंध में ज्वाइंट सेम्पलिंग पर विचार किया जा रहा है । हमारे अधिकारी और कोयला खदानों के अधिकारी कोयले को साथ-साथ

ज्वाइन्ट सेम्पिलिंग करेंगे और अच्छा कोयला विद्युत् गृहों को भेजने का प्रयास करेंगे ।

विद्युत् परिषद् के अधिकारियों के बारे में कहा गया । मैं बताना चाहूंगा कि रि-आर्गनाइजेशन द्वारा विद्युत् परिषद् का जो स्ट्रक्चर है, उसमें हम अधिक इफीसिएन्सी लायें और इस बात को सुनिश्चित करें कि जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी गयी है, वह अपने उत्तरदायित्वों का पूर्णरूप से निर्वहन करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के दूसरे भाग को देखें, जिसमें कठिनाइयों का जिक्र किया गया है । कठिनाइयों में बताया गया है कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के बराबर प्लांट लोड फैक्टर लाने में निम्न कठिनाइयां होंगी ।

छोटी इकाइयों और पुरानी इकाइयों को छोड़कर, इसके अतिरिक्त जो बड़ी इकाइयां हैं, उनके बारे में बताया गया है कि इनमें परिकल्पन और परिचालन का दोष है । कारपोरेशन की इकाइयों में दोष नहीं है । माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परिकल्पन और परिचालन के जो दोष हैं, उनको ठीक करने के लिये भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स से कोई प्रयास किया है ? क्या कारण है कि थर्मल पावर कारपोरेशन की इकाइयों को तो अच्छी गुणवत्ता का कोयला उपलब्ध हो जाता है लेकिन आपको नहीं होता है ? क्या भारत सरकार से कोई प्रयास करेंगे कि दोनों को एक ही गुणवत्ता का कोयला प्राप्त हो ?

श्री सुनील शास्त्री—

माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि जो पुरानी छोटी इकाइयां हैं 50 मेगावाट तक की या उससे भी कम, उनको भी छोड़ा नहीं है, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की योजना में । जिसके बारे में बताया कि 147 करोड़ रु0 की है, इसमें 27 इकाइयां सम्मिलित हैं । इसी योजना के माध्यम से जो कमियां थीं, चाहे 100 मेगावाट का मशीन हो, 110 मेगावाट का हो या 200 मेगावाट की मशीन हो, उसमें बी0 एच0 एल0 के सहयोग से नवीनीकरण का काम करेंगे और जो आज आवश्यकता है मशीनों की, उसी प्रकार की मशीन को लगाने का प्रयास करेंगे । जहां तक कहा है 210 मेगावाट की मशीनों के बारे में और कोयले के बारे में, इस संबंध में बताना चाहता हूं कि कोयले को लिंक किया जाता है । जो लिंक एन0 टी0 पी0 सी0 का सिंगरौली तापीय विद्युत् गृह से किया गया था । जब योजना बनायी जाती है तो उसमें कोयले का लिंकेज कर दिया जाता है । उस समय जानकारी नहीं होती है कि कैसा कोयला होगा । जो मशीनें लगी हैं, वे अच्छे कोयले के लिये डिजाइन की गयी हैं । 'ए' ग्रेड और 'बी' ग्रेड के कोयले के लिये लेकिन कोयला प्राप्त होता है 'डी' और 'ई' ग्रेड का । कोयलरी में कोयला इससे अच्छा नहीं है, वहीं मिलेगा, उसी के द्वारा विद्युत् का उत्पादन करना होगा ।

देवरिया जनपद के तरकुलवा विद्युत् उपगृह में चोरी

*5—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के तरकुलवा विद्युत् उपगृह से वर्ष 1981-83 के बीच अल्युमिनियम के चार ड्रम विद्युत् के तार चोरी चले गये ? क्या उक्त घटना की प्रथम सूचना थाने में अंकित कराई गयी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री प्रमोद कुमार—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, सरकार की आदत बहेलिय के तोते की तरह से हो गयी है । एक ही रट सिखा दी गयी है कि, ''जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता'' । चाहे वित्तीय संसाधन की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो । देवरिया जनपद में विद्युत् तार की चोरियों का सिलसिला चल रहा है । यह घटना मेरे ही क्षेत्र की है और मेरी निजी जानकारी है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस घटना में उनके ही विभाग के अधिकारियों की साजिश रही है, जिसके कारण एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं की गयी ? (इस समय 12 बजकर 3 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए) लगभग 80 हजार रु0 का विद्युत् का तार चोरी चला गया । क्या इस सूचना को सही मानते हुए अपने विभाग की विजिलेन्स से इस पूरी घटना की जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, माननीय सदस्य की जानकारी मुझे कहते हुए दुख है, कि सत्य से परे है । उन्होंने जिस साल का हवाला दिया है, उसमें ऐसी कोई घटना नहीं हुई है । कैसे उत्तर दे सकता हूं ? अगर अपनी जानकारी सही करके पूछें तो उत्तर दे दूंगा और जानकारी सही न हो तो मुझसे पूछ लें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से लगता है कि उनको घटना की जानकारी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तरकुलवा विद्युत उपगृह से अल्युमिनियम के तारों की चोरी हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की है ?

श्री प्रमोद कुमार—

पहले यह मान लें कि इनको जानकारी पूरी नहीं है । मान्यवर, आप इनका प्रश्न देख लें । उसमें है कि क्या देवरिया जनपद के तरकुलवा विद्युत् उपगृह से वर्ष 1981-83 के बीच अल्यु मिनियम के चार ड्रम विद्युत् के तार चोरी चले गये ?

आपकी आज्ञा हो तो मैं सूचना को पूरी पढ़ दूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यदि बहुत लम्बी है । तो उसे रहने दें, सारांश बतला दें ।

श्री प्रमोद कुमार—

इन्होंने 1981-83 के बीच के समय के बारे में प्रश्न किया है, जबकि वहां पर तारों की चोरी 1979 में हुई थी ।

प्रदेश के राज्य विद्युत् परिषद् में अधिकारियों की नियुक्ति

*6—श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के रेगुलेशन संख्या-7 रेगुलेशन सेल 1 एस0 ई0 बी0-84-20-रेग0 सेल/83, दिनांक 19-3-1984 के पैराग्राफ संख्या-7 (8) एवं (9) के अन्तर्गत कन्ट्रोलर आफ फाइनेन्स एण्ड (आर0 एकाउण्ट एण्ड) आर0 आडिट तथा चीफ कन्ट्रोलर आफ फाइनेन्स एण्ड (आर0 एकाउण्ट एण्ड) आर0 आडिट के 50 प्रतिशत पद विभागीय अधिकारियों से तथा 50 प्रतिशत लाहरी व्यक्तियों से सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने थे लेकिन परिषद् ने सीधी भर्ती वाले पदों को अब तक नहीं भरा है ? इस समय जो मौजदा कन्ट्रोलर आफ फाइनेन्स एकाउण्ट एवं आडिट हैं, वे चीफ के पद पर पदोन्नति की अर्हताएं पूरी भी नहीं करते, लेकिन क्या इनको पदोन्नति देने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीधी भर्ती

अभी तक क्यों नहीं की गयी और वर्तमान कन्ट्रोलर आफ आडिट एवं एकाउन्ट में क्या विशेष शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं हैं कि उनकी योग्यता को न रखते हुए भी पदोन्नति के लिए परिषद् के रेगुलेशन के उक्त नियमों को तोड़ा जा रहा है ? सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों को कब तक भरा जायेगा, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के रेगुलेशन संख्या 7-रेगु0 सेल/एस0 ई0 बी0-84-20 रेगु0 सेल/83, दिनांक 19-3-84 के पैराग्राफ संख्या 7 (8) एवं (9) के अन्तर्गत 50 प्रतिशत पद विभागीय अधिकारियों से तथा 50 प्रतिशत पद बाहरी व्यक्तियों से भरे जाने का प्राविधान है । पैराग्राफ संख्या 12 (vi) के नीचे अंकित टिप्पणी में निहित प्राविधान के अनुसार सीधी भर्ती से कन्ट्रोलर का एक पद परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारी द्वारा भरा गया है जो कि भारतीय रेलवे लेखा सेवा के हैं । एक पद पर विभाग के एक वरिष्ठतम अधिकारी की नियुक्ति उपरोक्त रेगुलेशन के अन्तर्गत विभागीय चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर की गयी है ।

यह सही नहीं है कि वर्तमान नियंत्रक वित्त एवं लेखा को प्रोन्नत करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है ।

विद्युत् की कमी को दूर करने हेतु अतिरिक्त विद्युत् क्षमता के सृजन का लक्ष्य

*7—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक कितनी विद्युत् कमी इस प्रदेश में रहेगी और उसे दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

सप्तम् पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विद्युत् मांग एवं आपूर्ति में 1,043 मिलियन यूनिट एवं विद्युत् की पीक मांग में 1,722 मेगावाट की कमी संभावित है । विद्युत् की कमी को दूर करने हेतु सप्तम् पंचवर्षीय योजना काल में राज्य सेक्टर में 1,562 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् क्षमता के सृजन का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सेक्टर में सृजित क्षमता में से राज्य का हिस्सा 1160 मेगावाट है साथ ही साथ पुराने विद्युत् गृहों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अनुसार चालू विद्युत् गृहों से अधिक विद्युत् उत्पादन की आशा है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि विद्युत् की कुल कितनी कमी रहेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्ष 1989-90 में 1043 मिलियन यूनिट की कमी रहेगी लेकिन इसमें सप्तम् पंचवर्षीय योजना काल में राज्य सेक्टर में 1,562 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् क्षमता के सृजन का लक्ष्य है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

आने वाली सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो विद्युत् की कमी रहेगी, उसको पूरा करने के लिये क्या सरकार के पास कोई योजना है ? यदि नहीं है, तो किसी और क्षेत्र से क्या इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहूंगा कि 1043 मिलियन यूनिट की कमी तो रहेगी ही । मैंने यह भी अवगत कराया है कि हम 1,562 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता को बढ़ाने

का प्रयास करेंगे । आशा है कि हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे । 1,160 मेगावाट केन्द्रीय परियोजना के द्वारा भी इस कमी को पूरा किया जायेगा, लेकिन इसकी कमी को कैसे दूर किया जाये इस संबंध में केन्द्र सरकार से निरन्तर हम लोग बातचीत कर रहे हैं । जो अनअवेटेड शेयर्स रहते हैं, उसको वे प्रदेश सरकार को दें, जिससे कि हम अपने यहां विद्युत् की कमी को पूरा कर सकें । लेकिन फिर भी मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा यह कमी तो बनी ही रहेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे कि अबकी गर्मियों में बिजली की कटौती नहीं की जायेगी ?

(हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

मेरठ के अधिशासी अभियन्ता श्री सी0 जे0 मित्तल के विरुद्ध पारित आदेश

*8—श्री भोपाल सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे क्या विद्युत् खण्ड 2 मेरठ के अधिशासी अभियन्ता श्री सी0 जे0 मित्तल के भ्रष्टाचार के संबंध में विद्युत् परिषद् द्वारा दिनांक 1-10-85 को कोई आदेश पारित हुआ था ? क्या वह आदेश बाद में रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस अधिकारी ने 10 लाख रुपये की लागत से कोई कोठी भी बना ली है ?

श्री प्रमोद कुमार—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसी कोई सूचना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में उपलब्ध श्री मित्तल के व्यक्तिगत अभिलेखों में नहीं है ।

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने 'जी नहीं' कह कर टाल दिया है और तथ्यों को छिपा लिया है । वहां मोरीपुरम् में 7 ट्रांसफार्मर लगाये हैं जो कि पांच-पांच एम0 बी0 ए0 के होने चाहिये थे । इन्होंने डेढ़ एम0 बी0 ए0 वाले ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़-कर तीन एम0 बी0 ए0 का कर दिया है । उससे दो फैक्टरी चल रही है मोदीपुरम् में ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय भोपाल सिंह जी, आप अपना प्रश्न करें ।

श्री भोपाल सिंह—

मैं सवाल करने के लिये अपना आधार ही बना रहा हूं कि मैंने जो प्रश्न किया था तो उसके तथ्यों का उत्तर देने में इन्होंने छिपाया है । मान्यवर, वहां पर दो ट्रान्सफार्मर सेमर और मोर-गडिस तीन-तीन एम0 बी0 ए0 के बना-कर उन्हें चला दिया गया और अगर इसकी स्वीकृति ली जाती तो विद्युत् परिषद् को कम से कम 3 लाख का फायदा होता । बिजली मोदीपुरम् कालोनी से दे दी, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ट्रान्सफार्मर कटवाने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल को ठीक से रख दें ।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा है कि मोदीपुरम् का ट्रान्सफार्मर डेढ़ एम0 बी0 ए0 का था और उसे 3 एम0 बी0 ए0 का कर दिया गया और इसके लिए विद्युत् परिषद् से कोई अनुमति नहीं ली गयी और इसके लिये मित्तल साहब दोषी पाये गये तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, न इस प्रकार की कोई शिकायत हुई है और न कोई जांच

ही हुई है । माननीय सदस्य ने कहा है तो मैं इसको दिखला लूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय सदस्य का स्पष्ट प्रश्न है कि क्या मंत्री जी जांच करायेंगे ? लेकिन मंत्रीजी ने कह दिया कि इसको दिखवा लिया जायेगा । तो दिखवाना तो अलग बात है, क्या वह जांच करायेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैंने कहा कि दिखवा लूंगा । अगर और भी कोई आरोप हों तो वह लिखित दे दें और उन सभी तथ्यों की पूरी जांच करा ली जायेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, डेढ़ एम0 बी0 ए0 के स्थान पर 3 एम0 बी0 ए0 का ट्रान्सफार्मर लगा लिया गया तो क्या इस तथ्य की विद्युत् विभाग के विजिलेन्स सेल से जांच करायेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं इस सवाल का उत्तर अभी दे चुका हूं कि इसकी जांच करा लूंगा और इसके अलावा भी अगर कुछ तथ्य उनके पास हों तो उनको भी लिखकर दे दें, उनकी भी जांच करा ली जायेगी ।

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, 10 लाख रुपये से कोठी बना ली है, उनकी सास का मकान है, तो क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका सवाल से कोई वास्ता नहीं है ।

डाक्टर बंगाली सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि श्री मित्तल ने कोई कोठी बनायी है, उसकी जांच करायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

जनपद नैनीताल के तराई क्षेत्र में थारू जाति के जमीन पर अनधिकृत कब्जा

*9—श्री किरनपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद नैनीताल के तराई क्षेत्र में थारू जाति (पिछड़ी/परिगणित जाति) की अधिकांश कृषि योग्य भूमि उच्च जातियों के बड़े-बड़े जमींदारों ने अनियमित रूप से कब्जे में ले रखी है ? यदि हां, तो उक्त भूमि को अनियमित कब्जे से मुक्त कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर—

जी हां । उक्त जनजाति के व्यक्तियो की भूमि को वापस दिलाये जाने हेतु शासन द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अध्यादेश, 1981, जो उ0 प्र0 भूमि विधि संशोधन अधिनियम, 1982 (अधिनियम सं0 20 सन् 82) से प्रतिस्थापित किया गया है, के द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 211 में अनुसूचित जनजाति के खातेदारों की भूमि पर हुए अनधिकृत कब्जे हटाये जाने तथा उन्हें पुनः कब्जा दिलाये जाने का प्राविधान किया गया और उसके अनुसार कार्यवाही की गयी । कार्यवाही से क्षुब्ध होकर उक्त धारा की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए अनधिकृत कब्जेदारों द्वारा संयुक्त रूप से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट याचिका संख्या 11804/81 श्री स्वर्ण सिंह आदि बनाम उ0 प्र0 सरकार दायर करके दिनांक 23-9-81 को अपने पक्ष में स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया है । इस स्थगनादेश के अनुपालन में जनजाति के व्यक्तियों की भूमि से अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखली तथा उनको कब्जा वापस दिलाये जाने की कार्यवाही स्थगित है । स्थगनादेश

को निरस्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कितनी भूमि है और कितने परिवारों की है, जिस पर बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है, और कब से कब्जा कर रखा है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, प्रश्नगत स्थिति यह है कि यहां पर कुछ लोग पंजाब से आये थे और वह 2,286 लोग थे । कुछ पूर्वी पाकिस्तान से आये थे, जो बांगला देश है । वह 7 परिवार थे और दूसरे प्रदेशों से आये हुए व्यक्ति 343 परिवार हैं और उत्तर प्रदेश के जो व्यक्ति हैं, वह हैं 5,225 । इस तरह से कुल 7,861 लोग हैं, जो विशेष रूप से इसमें हैं । मान्यवर, मैं कृपा पूर्वक बताना चाहता हूं, मान्यवर, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि पूरे तराई क्षेत्र में लोग कब्जा करते थे । अनुसूचित जनजाति के खातेदारों की भूमि पर, जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत धारा 210 और धारा 211 में यह प्राविधान कर दिया गया कि धारा 210 के अन्तर्गत चाहे कोई भी कितने ही दिनों से अनधिकृत कब्जा कर ले, उसको भौमिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा और दूसरी धारा 211 के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया कि यदि कोई अनुसूचित आदिम जाति के खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लेता है, सूचना मिलने पर असिस्टेन्ट कलेक्टर पहले कब्जा हटा देगा । यदि दुबारा वह व्यक्ति अनधिकृत रूप से कब्जा कर लेता है तो उसे 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक के कारावास की सजा होगी तथा 1,000 से लेकर 3,000 हजार तक का अर्थदण्ड देना होगा । पूरे तराई क्षेत्र में रट के कारण कार्यवाही रुकी हुई है । मामला सब जुडिश है और जब हाई कोर्ट से इस पर कोई फैसला हो जायेगा तो कार्यवाही की जायेगी । चूंकि नयी जोड़ी गयी धारा 211 को संवैधानिकता को चुनौती दी गयी है इसलिए कार्यवाही पूरे क्षेत्र में रुकी हुई है ।

श्री विजय सिंह राणा—

यह स्थगन आदेश 23-9-81 को दिया गया है तब से आज तक इस बीच में सरकार ने उस स्थगनादेश को वापिस क्यों नहीं कराया ? उसमें आज तक कितनी तारीखें पड़ चुकी हैं और क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा संदर्भित स्थगनादेश को रिक्त कराने के लिए सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास हुआ है । इस सम्बन्ध में न्याय तथा राजस्व विभाग द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय को लगभग 33 पत्र एवं अनुस्मारक भेजे गये । मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार लिस्टिंग को 7 पत्र लिखे गये । इसके अलावा समय-समय पर शासन के संयुक्त सचिव/अनुभाग अधिकारी ने भी मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं डिप्टी रजिस्ट्रार लिस्टिंग, उच्च न्यायालय से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर मामले की शीघ्र सुनवाई हेतु निर्धारित कराये जाने का प्रयास किया । उक्त प्रयासों से सफलता प्राप्त होने पर न्याय विभाग ने 13 नवम्बर, 1984 के पत्र द्वारा महाधिवक्ता, उ0 प्र0 का ध्यान इस मामले की ओर आकृष्ट करते हुए प्रश्नगत मामले में प्रभावी स्थगनादेश को रिक्त कराये जाने/मामले की अंतिम सुनवाई हेतु निर्धारित कराने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय से सम्पर्क करने का अनुरोध किया था । न्याय विभाग द्वारा महाधिवक्ता को पुनः 24-1-85 को लिखा गया इसके पश्चात्

भी न्याय सचिव का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए इस मामले को शीघ्र सुनवाई हेतु निर्धारित किये जाने के लिए समय-समय पर आदेश मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को भेजे गये हैं । शासन के अनुरोध पर हाई कोर्ट ने प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के दो प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिये हैं । उच्च न्यायालय ने इसमें निर्देश दिया है कि फिर से शीघ्रता से सुनवाई हेतु अप्ली-केशन दें । जब इसमें कुछ होगा तभी हम तराई क्षेत्र की समस्या का निदान कर सकेंगे ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी आपने अधिनियम बतायें कि जो हरिजनों की भूमि पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा करेगा, उसको आपके यहां प्राविधान है कि सजा देंगे, दंडित करेंगे । यह स्थगन आदेश है इसमें कब्जा हटाने के लिए कोई रोक नहीं लगायी गयी है तो क्या गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ कोई प्रक्रिया चाल की है?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, कदाचित माननीय सदस्य को मैं स्पष्ट नहीं कर सका हूं कि पार्टी रिट में गयी है । जो रिट करने वाले हैं, वे 15 लोग हैं । यदि इंडिविजुअल्स को स्थगनादेश मिला होता तो सभी 15 लोगों को मिला होता । इसमें तो धारा 211 की संवैधानिकता को चुनौती दी गयी है । इसलिए उसके अन्तर्गत जितने भी मामले आते हैं, उसमें कार्यवाही नहीं हो सकती है । जब हाई कोर्ट द्वारा यह स्थगन आदेश निरस्त कर दिया जायेगा तब उसी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

ग्राम तुलसीपुर माझा, तहसील तरबगंज, जनपद गोण्डा में चकबन्दी

*10—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तुलसीपुर माझा, तह0 तरबगंज जिला गोण्डा की चकबन्दी गत 13 वर्षों से चल रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस गांव के चक अभी नहीं कटे हैं ? यदि हां, तो यह गांव किस स्टेज पर है और अब तक चक न कटने के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार है ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

ग्राम चक निर्माण कार्य के स्टेज पर है ।

अब तक चक न कटने के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

ग्राम तुलसीपुर मांझा परगना नवाबगंज तहसील तरबगंज, जिला गोण्डा का जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4 (1) का दिनांक 6-1-73, धारा 4 (2) का दिनांक 12-3-73 तथा धारा 10 का नवम्बर 1979 को प्रकाशन किया गया । ग्राम की दलगत राजनीति चक निर्माण कार्य में बाधक रही । 1985-86 में चक निर्माण का कार्य आरम्भ ही किया गया था कि श्री सुबेदार सिंह द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका में उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा चक निर्माण, सीमांकन तथा कब्जा परिवर्तन का कार्य अपने आदेश दिनांक 15-1-86 द्वारा रोक दिया है । इस रिट का विरोध किया जा रहा है तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद को साधन सहकारी समिति करकौली अन्दरपुर के प्रशासक, सचिव तथा सेल्समैन द्वारा गबन

*11—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या सह0 मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद को साधन सहकारी समिति करकौली अन्दरपुर के प्रशासक ने गत वर्ष दुकान में

गबन किया जिससे समिति दीवालिया बनी और सचिव व सेल्समैन भी गबन करते पकड़े गये ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या समिति की दुकान के बन्द हो जाने पर कार्ड धारक मिट्टी के तेल व चीनी से वंचित रहकर अन्धकार में डूब रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

जी नहीं, अपितु दिनांक 17-12 1983 को पूर्ति निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार फिरोजाबाद द्वारा समिति की दुकान सील की गई । परगनाधिकारी के आदेश पर दिनांक 19-12-83 को दुकान के स्टाक की जांच की गयी । एक कन्टल 82 किलोग्राम चीनी का स्टाक कम पाये जाने पर पूर्ति निरीक्षक द्वारा दिनांक 19-12-83 को पुलिस में सचिव तथा प्रशासक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई ।

समिति के प्रशासक को दिनांक 2-1 84 को हटा दिया गया था तथा सचिव को 14-1-84 को निलम्बित कर दिया गया था । विक्रेता व लेखाकार की सेवायें भी समाप्त कर दी गई थीं ।

दिनांक 19-12-83 से दिनांक 7-7-84 तक समिति के बजाय निजी कोटेदारों द्वारा चीनी व मिट्टी के तेल का वितरण किया गया । परगनाधिकारी द्वारा दुकान बहाल करने के आदेश दिये जाने पर समिति द्वारा दिनांक 8-7-84 से पुनः वितरण प्रारम्भ कर दिया गया ।

किसानों के अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का निर्धारण

*12—**श्री महेन्द्र सिंह भाटी—**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों से अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा किस्म जमीन के आधार पर निर्धारित किया जाता है किन्तु अधिग्रहण के बाद वही भूमि जब सरकार स्वयं अथवा उससे सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक आवास अथवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्रय की जाती है तो समस्त भूमि का विक्रय मूल्य समान हो जाता है ? इसका क्या कारण है ? क्या मात्र विकास से किस्म जमीन का नियम समाप्त हो जाता है ? यदि नहीं, तो किसानों को अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा समान रेट पर क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा-4(1) की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिन प्रचलित बाजार दर पर निर्धारित किया जाता है । अधिग्रहीत भूमि को राज्य सरकार व अध्याप्ति निकाय द्वारा समान रूप से विकसित कर आवासीय अथवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ आबंटित किया जाता है । इसलिए विकसित भूमि के मूल्य में एक रूपता रखी जाती है । कृषकों को एक जमीन का प्रतिकर समान रेट से ही दिए जाने का प्राविधान है ।

मऊनाथ भंजन, ग्राम ठठियांव विद्युत् सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर की क्षमता

*13—**श्री इकबाल अहमद—**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथ भंजन विद्युत् वितरण खण्ड के अन्तर्गत ठठियांव सब-स्टेशन (एस0 टी0) के औद्योगिक नगर क्षेत्र में कुल विद्युत् खर्च के अनुसार ट्रान्सफार्मरों की क्षमता है ? यदि नहीं, तो कण विभाग विद्युत् खर्च के मुताबिक ट्रांसफार्मर लगाने का प्रबन्ध कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

मऊनाथभंजन विद्युत वितरण खण्ड के अन्तर्गत ठठियांव में 2×1.5 एस0

वी0 ए0 क्षमता का 33/11 के0 वी0 का सब-स्टेशन है । इससे टाउन एरिया कोपागंज (औद्योयिक) को भी विद्युत् आपूर्ति की जाती है । इस टाउन एरिया का कुल विद्युत् भार लगभग 1328 हार्स पावर है जिसके लिए 1430 के0 वी0 ए0 क्षमता के 6 अदद वितरण ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त है ।

जनपद उन्नाव में बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षति

*14—श्री मनोहर लाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में बाढ़ व अतिवृष्टि से इस वर्ष कितना नुकसान हुआ और यदि 60 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ तो उसे बाढ़ग्रस्त घोषित क्यों नहीं किया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद उन्नाव में बाढ़ व अतिवृष्टि से वर्ष 1985 में निम्नलिखित नुकसान हुआ :—

1—प्रभावित ग्राम	1312
2—प्रभावित जनसंख्या	9,28,408
3—प्रभावित क्षेत्रफल हे0 में	277586
4—प्रभावित फसल क्षेत्रफल हे0 में	113315
5—क्षतिग्रस्त मकान	24265
6—मनुष्य जीवन-हानि	56
7—पशु जीवन-हानि	251
8—सार्वजनिक सम्पत्ति	82.53 लाख रुपया

फसलों को 60 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ था । शासन द्वारा किसी भी जिले या क्षेत्र विशेष को औपचारिक रूप से बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है । जिलाधिकारी द्वारा क्षति की सूचना देने पर उसे तदनुसार मान लिया जाता है। इसी मापदण्ड के अन्तर्गत उन्नाव जिले को बाढ़ग्रस्त माना गया ।

शाहजहांपुर के आर0 बी0 एम0 इन्टर कालेज, तिलहर में हरिजन छात्रों को फर्जी नकद भुगतान

*15—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के आर0 बी0 एम0 इन्टर कालेज, तिलहर में वर्ष 1980-81, 1981-82 1982-83 एवं 1983-84 में हरिजन छात्रों का बोर्ड परीक्षा शुल्क हरिजन समाज कल्याण विभाग, शाहजहांपुर से लेकर धनराशि का छात्रों को फर्जी नकद भुगतान दिखाकर हरिजन छात्रों का शोषण एवं शासन तथा विभाग को इस फर्जी नकद भुगतान के माध्यम से धोखा दिया गया है ? यदि हां, तो शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जिले को दो भागों में विभाजन का प्रस्ताव

*16—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले को दो जिलों में विभाजित करने के लिए मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को, उनके वाराणसी आगमन के अवसर पर दिनांक 14-8-85 को वाराणसी भा0 ज0 पा0 के जिला महामंत्री श्री रमाशंकर दुबे तथा अन्य द्वारा कोई ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

इस विषय में राजस्व परिषद् की आख्या मांगी गई है जिसके प्राप्त होने पर शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

राज्य विद्युत परिषद् में घाटा

*17—श्री राम चन्द्र बख्शत् सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् का घाटा 31 मार्च, 85 तक कितना था ? क्या यह सही है कि विद्युत परिषद् अपनी उत्पादन क्षमता से कम विद्युत् उत्पादन कर रही है तथा जितनी बिजली का उत्पादन होता है उसका पूरा पैसा वसूल नहीं होता ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा इस पूरी गड़-बड़ी की छानबीन के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

ग्रामीण विद्युतीकरण से होने वाली क्षतिपूर्ति को लेखों में समायोजित करने के उपरान्त मार्च, 1985 के अन्त तक कुल घाटा 804.55 करोड़ रुपए था । जी हां ।

जी हां, इस ओर कई प्रयास किये जा रहे हैं :—

1—ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों पर वर्ष 1979-80 व उसके बाद हुई क्षति की पूर्ति किया जाना ।

2—प्रशासनिक एवं परिचालन व्यय में कटौती करने के निर्देश ।

3—उपलब्ध क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु पुरानी तापीय इकाइयों का ''रेनोवेशन तथा मोडर्नाइजेशन'' कार्यक्रम ।

4—लाइन हानियां कम करने हेतु पारेषण तथा वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण ।

5—विद्युत् चोरी रोकने हेतु विशेष अध्यादेश ।

6—बकाये की वसूली हेतु कनेक्शन काटने रिकवरी भेजने तथा शासन स्तर पर सरकारी बकायों के भुगतान हेतु प्रयास ।

बलिया जनपद के बांसडीह विधान सभा क्षेत्र में विधवाओं, वृद्धों तथा विकलांगों द्वारा पेंशन प्राप्त करने हेतु दिया गया आवेदन-पत्र

*18—श्रीमती विजय लक्ष्मी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के बांसडीह विधान सभा क्षेत्र से विधवाओं, वृद्धों तथा विकलांगों ने कितनी संख्या में पेन्शन प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बलिया जनपद के बांसडीह विधान सभा क्षेत्र की 312 विधवाओं तथा 93 विकलांगों के आवेदन-पत्र अनुदान हेतु प्राप्त हुए थे । इनमें से 287 विधवाओं तथा 59 विकलांगों के आवेदन-पत्र नियमानुकूल पाये गये और उन्हें अनुदान स्वीकृत कर भुगतान कर दिया गया । शेष आवेदन-पत्र नियमानुकूल न पाये जाने के कारण निरस्त कर दिये गये ।

जिला मुजफ्फरनगर में गढ़ी पोखता स्थान पर विद्युत् उपकेन्द्र बनाने का प्रश्न

*19—श्री अमीर आलम खां—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया गढ़ी पोखता, जिला मुजफ्फरनगर में एक बिजलीघर पास हुआ था, जिसकी जगह भी छूटी हुई थी जिसका कार्य आरम्भ करने हेतु अधिशासी अभियंता शामली, श्री सुरेन्द्र मोहन मौके पर आये थे और उन्होंने कहा था कि 10 या 15 दिन में कार्य

शुरू हो जायेगा, लेकिन वह बिजली घर सुरेन्द्र मोहन, अधिशासी अभियंता विद्युत् शामली रुपये लेकर दूसरी जगह ले गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, जिला मुजफ्फरनगर में गढ़ी पोखता स्थान पर एक नये 33/11 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र बनाने के प्रस्ताव का क्षेत्रीय समिति ने वर्ष 1980 में अनुमोदन किया था । इस विषय में अभिलेखों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । श्री सुरेन्द्र मोहन इस समय शामली में नियुक्त नहीं है ।

गढ़ी पोखता में आने-जाने के लिये पक्का रास्ता उपलब्ध नहीं था । अतः क्षेत्रीय समिति को इस स्थान के बजाय ग्राम बनत सिक्का व मलेन्डी में उपरोक्त उपकेन्द्र बनाने का प्रस्ताव किया गया । क्षेत्रीय समिति ने मलेन्डी में उपकेन्द्र बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ओबरा थर्मल पावर स्टेशन का बैंक ड्राफ्ट गाय द्वारा खा जाने के विरुद्ध कार्यवाही

*20—श्री कौशिक रमाशंकर, श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री वीरेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्टूबर, 1985 में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन पर 80 लाख रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट गाय खा गई ? यदि हां, तो उक्त ड्राफ्ट के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसका था तथा इस अनुत्तरदायित्वपूर्ण कृत्य के लिए किसको दण्डित किया गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । घटना का विवरण निम्न प्रकार है :—

भुगतान एवं लेखाखण्ड, ओबरा के चपरासी द्वारा डाक पैड दिनांक 14-10-85 को कार्यालय ले जाते समय रास्ते में ही उसकी साइकिल की बस से दुर्घटना होते-होते बची । साइकिल के असंतुलित हो जाने के कारण डाक पैड, जो साइकिल के पीछे लगा था, गिरकर खुल गया और कागज बिखर गये । इसी डाक पैड में बैंक ड्राफ्ट नं0 ए-147675, दिनांक 12-10-85, रकम 80,00,000 रुपया था वह भी डाक पैड से बाहर गिर गया । चपरासी द्वारा कागजों के समेटने के पूर्व ही उपरोक्त बैंक ड्राफ्ट गाय द्वारा, जो कि पास में ही चर रही थी, खा लिया गया । इस बैंक ड्राफ्ट की द्वितीय प्रतिलिपि तुरन्त प्राप्त कर ली गयी थी और ड्राफ्ट बैंक में राज्य विद्युत् परिषद् के खाते में जमा भी हो चुका है । इस प्रकार राज्य विद्युत् परिषद् को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है । संबंधित चपरासी को चेतावनी दी जा चुकी है ।

अतारांकित प्रश्न

बाराबंकी में जिला सहकारी बैंक के भवन निर्माण हेतु मोहल्ला सुभाषनगर में खरीदी गयी भूमि

1—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के नगर बाराबंकी में जिला सहकारी बैंक के भवन निर्माण हेतु मो0 सुभाषनगर में भूमि खरीदी गई है जिसमें मोहल्ले के लोगों का बीसों वर्ष से चला आ रहा मार्ग भी शामिल है ? क्या यह भी सही है कि भवन निर्माण का नक्शा जो पास कराया गया है उसमें उक्त सार्वजनिक मार्ग भवन की बाउन्ड्री के अन्दर दिखाया गया है ?

इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-7-85, क्या मंत्री जी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां, बाराबंकी में जिला सहकारी बैंक के भवन निर्माण हेतु मोहल्ला सुभाषनगर में भूमि खरीदी गयी है । खरीदी गयी भूमि में मोहल्ले वालों का मार्ग सम्मिलित नहीं है । अत: मार्ग को नक्शे में बाउन्ड्री के अन्दर दिखाने का प्रश्न नहीं उठता । प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 10-7-85 को उप निबंधक फैजाबाद को आवश्यक छानबीन हेनु भेज दिया गया है ।

2—सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

सिकन्दरामऊ तहसील के भवन का निर्माण

3श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अलीगढ़ की सिकन्दरामऊ तहसील के निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? क्या आधा भाग निर्मित हो जाने के बाद गत तीन वर्षों से निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसे शीघ्र पूरा कराया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

तहसील का भवन निर्माणाधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद अलीगढ़ में ग्रामीण विद्युतीकरण का निर्धारित लक्ष्य

4—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में ग्रामीण विद्युतीकरण के निर्धारित लक्ष्य आवश्यक सामान व वित्तीय संसाधनों की कमी से वर्ष 1984-85 में 50 प्रतिशत भी पूरे नहीं किये गये ? क्या आवश्यक सामान शीघ्र उपलब्ध कराके ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतीकरण में आ रहे गतिरोध को दूर कर उन सभी ग्रामों में विद्युतीकरण कराने की कृपा करेंगे जिनकी कि योजना पूर्व स्वीकृत है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं वर्ष 1984-85 में जनपद अलीगढ़ में 50 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य पूरे किये गये हैं । शेष कार्य वर्ष 1985-86 में पूर्ण होने की आशा है ।

स्व0 श्री वेद सिंह, लेखपाल निवासी गांगूपुरा पोस्ट धुमरी, जिला एटा की सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान संबंधी कार्यवाही

5—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वेद सिंह लेखपाल निवासी गांगूपुरा, पोस्ट धुमरी, जिला एटा के सामूहिक बीमा के पैसा संबंधी पत्रावली संख्या 17355/एफ0 1706/IV कब से लम्बित है ? यदि हां, तो विलम्ब होने का कारण क्या है ? अब कब तक उन्हें भुगतान हो जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

स्व0 श्री वेद सिंह लोधाल, निवासी गांगूपुरा, पोस्ट धुमरी, जिला एटा के सामूहिक बीमा की धनराशि के अंतिम भुगतान हेतु दावा बीमा निदेशालय भेजा गया था। निदेशालय ने यह दावा आपत्तियों सहित कलेक्टर को वापस भेजा। आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त दिनांक 13-2-86 को उक्त दावा पुनः संयुक्त निदेशक, उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी बीमा निदेशालय, उ0 प्र0 को भेजा जा चुका है।

6—श्री मूल चन्द—

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

7—श्री मूल चन्द—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

8—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राम बदन एडवोकेट—

[दि0 27-2-86 को अता0 प्र0 सं0 68 द्वारा उत्तरित]

9—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राम बदन एडवोकेट—

[दि0 27-2-86 को अता0 प्र0 सं0 69 द्वारा उत्तरित।]

10—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राम बदन एडवोकेट—

[दि0 27-2-86 को अता0 प्र0 सं0 70 द्वारा उत्तरित।]

11—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राम बदन एडवोकेट—

[27-2-86 को अता0 प्र0 सं0 71 द्वारा उत्तरित।]

जनपद एटा विधान सभाई क्षेत्र जलेसर के गांवों का विद्युतीकरण

12—श्री प्रेम पाल सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा विधान सभाई क्षेत्र जलेसर के 1500 आबादी वाले सभी गांवों में विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक हो जावेगा ?

श्री सुनीस शास्त्री—

जी हां।

जलेसर विधान सभा क्षेत्र में 1500 आबादी वाले 36 गांव हैं जिसमें से 10 गांवों का विद्युतीकरण अब तक किया जा चुका है। शेष गांवों का विद्युतीकरण सप्तम् एवं अष्टम् पंचवर्षीय योजना में करने का प्रयास किया जायेगा।

आगरा जनपद में भूमि विकास बैंक खन्दौली में किसानों से ऋण की अदायगी की अतिरिक्त वसूली

13—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सहकारिता मंत्री के अभिसंज्ञान में है कि आगरा जनपद में भूमि विकास बैंक, खन्दौली ने बाईस ऐसे किसानों से सात प्रतिशत खर्चा वसूल कर लिया है जिन्होंने अपने ऋण की अदायगी 95-क की कार्यवाही से पूर्व ही कर दी थी, क्योंकि 95-क की कार्यवाही दिनांक 25-6-85 को अपर जिलाधिकारी (वित्त) ने स्वीकृत की है किन्तु किसान मई माह में ही अपने ऋण की अदायगी कर चुके थे? यदि हां, तो उक्त बैंक के शाखा प्रबन्धक के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बताने

की कृपा करेंगे कि जिन किसानों से सात प्रतिशत की अतिरिक्त वसूली की गयी है क्या किसानों की यह अतिरिक्त धनराशि उन्हें वापस की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

भूमि विकास बैंक, खन्दौली में 18 ऐसे किसानों से संग्रह शुल्क वसूल कर लिया गया जिनके विरुद्ध उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 95 (क) के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही करने की स्वीकृति बाद में प्राप्त हुयी ।

शाखा प्रबंधक को दिनांक 7 फरवरी, 1986 को स्थानान्तरित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ कर दी गयी है ।

जी हां, संबंधित किसानों से की गयी अतिरिक्त वसूली को कृषकों के खाते में ही वसूली की तिथि से जमा कर दिया गया है ।

14—श्री राजेन्द्र सिंह—

[6 वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

किचौरा फोर्ट, तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ की सुरक्षा हेतु कथित पत्र

15—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किचौरा फोर्ट, तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ की सुरक्षा के लिए प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-7-85 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पट्टों को निरस्त कर किले को सुरक्षित स्थान की मान्यता दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम ठिरिया खुर्द, जिला बरेली का श्रीमती विद्यावती की भूमि को फर्जी वसीयत किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

16—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि श्रीमती विद्यावती पत्नी स्व0 श्री सुखदेव स्वरूप की मृत्यु दिखाकर उनकी ग्राम ठिरिया खुर्द, परगना सिरौली, जिला बरेली स्थित 60 बीघा जमीन चकबन्दी अधिकारियों ने एक फर्जी वसीयत के आधार पर श्री ज्ञानदेव आदि के नाम कर दी, जबकि वह जीवित है और अवकाश प्राप्त कर पेंशन ले रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी एवं श्रीमती विद्यावती को उनकी जमीन वापिस करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम ठिरिया खुर्द, परगना सिरौली, जिला बरेली की आधार वर्ष की खतौनी में खाता सं0—86 श्रीमती विद्यावती विधवा सुखदेव स्वरूप के नाम 14-17-3 जमीन अंकित है। ज्ञानदेव, रामदेव, सूर्यदेव, लक्ष्मनदेव, पुत्रगण हरदयाल सिंह ने जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 9-क (2) के अन्तर्गत आपत्ति दायर की कि श्रीमती विद्यावती विधवा सुखदेव स्वरूप ने अपने जीवन काल में दिनांक 16-1-82 को उनके हक में एक वसीयतनामा रजिस्टर्ड किया है । मु0 विद्यावती मर चुकी है इसलिये उनके नाम वसीयतनामा के आधार पर अंकित कर दिए जायें । श्रीमती विद्यावती ने आपत्ति की और अपने को जीवित बताते हुये वसीयतनामा को फर्जी बताया । चकबन्दी अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 8-11-85 के अन्तर्गत श्रीमती विद्यावती को मतक

मानकर वसीयतनामा के आधार पर ज्ञानदेव आदि का नाम श्रीमती विद्यावती मृतक के स्थान पर बतौर वारिस अंकित करने का आदेश पारित किया है ।

चकबन्दी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध श्रीमती विद्यावती की अपील बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के न्यायालय में विचाराधीन है । यह न्यायिक मामला है जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा । न्यायिक प्रक्रिया में पारित आदेशों के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं है ।

श्री बी0 एस0 नेगी, सहायक अभियन्ता विद्युत परिषद् के विरुद्ध मुकदमें

17—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 एस0 नेगी सहायक अभियन्ता विद्युत परिषद् नोएडा (गाजियाबाद) कार्यालय के विरुद्ध वर्ष 1983 एवं 1985 के बीच कुल लगभग 6 मुकदमें भारतीय दण्ड विधान की धारा 420/409/418/120-बी0 इत्यादि के दर्ज हैं जिनमें चार्जशीट भी न्यायालय को प्रेषित हो चुकी है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । यह 6 मुकदमें राज्य विद्युत परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा चलाये गये हैं तथा मामले न्यायालय में लम्बित है । न्यायालय के निर्णय प्राप्त होने पर ही श्री नेगी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना उचित होगा ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बरसठी एवं रामनगर में गांवों का विद्युतीकरण

18—श्री पारस नाथ यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बरसठी एवं विकास खण्ड रामनगर में शासन द्वारा सम्पूर्ण गांवों में विद्युतीकरण कराने हेतु आदेश हुआ था ? यदि हां, तो अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा कितने गांवों का शेष है ? क्या शीघ्र शेष गांवों का विद्युतीकरण कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अतिवृष्टि एवं बाढ़ द्वारा हरदोई जनपद के क्षतिग्रस्त एवं प्रभावित परिवार एवं अनुमानित क्षति

19—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 85 में हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ द्वारा हरदोई जनपद के कितने परिवार क्षतिग्रस्त एवं प्रभावित हुए हैं तथा अनुमानित क्षति क्या हुई ? तथा क्षति पूर्ति के रूप में कितने धनराशि जनपद में वितरित की गयी ? यदि नहीं, तो क्षतिपूर्ति कब तक वितरित करा दी जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1985 में हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हरदोई जनपद निम्न प्रकार प्रभावित हुआ :—

1—प्रभावित गांव	1,884
2—प्रभावित जनसंख्या	14,95,738
3—प्रभावित क्षेत्रफल हे0 में	4,49,284

4—प्रभावित फसल क्षेत्रफल हे0 में	2,44,732
5—क्षतिग्रस्त मकान	1,04,601
6—मनुष्य जीवन हानि	65
7—पशु जीवन हानि	2,264

शासन द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है । राहत सहायता कार्यों के लिये जनपद को उपलब्ध करायी गयी धनराशि रु0 182.30 लाख रु0 में से निम्नलिखित धनराशियां व्यय की जा चुकी हैं :—

	रु0 मे
1—अहेतुक सहायता	12,38,234.77
2—नि:शुल्क खाद्यान्न	30,000.00
3—गृह अनुदान	12,80,400.00
1—अनुग्रह अनुदान	62,000.00
योग—	26,10,634.77

5— तकावी की मद में जनपद को उपलब्ध करायी गयी धनराशि 1,00,000 रु0 में से 63,000.00 रु0 वितरित किया जा चुका है ।

6—लघु/सीमान्त कृषकों को 50 प्रतिशत छूट पर उर्वरक एवं बीज उपलब्ध कराया गया ।

7—दिनांक 27-9-85 से 31-12-85 तक राजकीय देयों की वसूली स्थगित रही ।

8—प्रति मृत मनुष्य 3700 रु0 की दर से 2,40,500 रु0 की सहायता, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से प्राप्त हुई है, वितरित की जा रही है ।

9—प्रभावित गांवों में मालगुजारी की छूट के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं ।

ग्राम कमालपुर ,जिला सुल्तानपुर की खाता संख्या 48—भूमि पर श्री गया बक्स सिंह का अंकित नाम के विरुद्ध अपील

20—श्री सत्यपाल सिंह

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कमालपुर, परगना गौराजामों, तहसील गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर के खाता संख्या 48 की जमीन जो श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह के मरने के बाद मुसम्मात पांचों को मिलनी चाहिये थी को स्थानीय अधिकारियों ने मिलकर श्री गया बक्श सिंह सुत श्री राम आसरे सिंह के नाम दर्ज कर दिया ? यदि हां, तो जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत भूमि पर श्री गया बक्स सिंह का नाम नायब तहसीलदार के आदेशानुसार अंकित किया गया है ।

इसके लिये उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध क्षुब्ध पक्ष द्वारा ही उच्चतर न्यायालय में अपील की जा सकती है ।

21—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कमालपुर, परगना गौराजामों, तहसील गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर में गाटा संख्या 445 रकबा 2बीघा भूमि ग्राम समाज की थी जिसमें से एक बीघा जमीन श्री गया बक्स सिंह सुत राम आसरे ने फर्जी तौर पर अपने नाम दर्ज करा लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं, प्रश्नगत भू-भाग पर श्री गया बक्स सिंह का नाम चकबन्दी

अधिकारी के आदेशानुसार संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित किया गया है जिसके विरुद्ध अपील बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

22—श्री सत्यपाल सिंह—

[6 वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र में विद्यानाथ विद्यालय समिति के विरुद्ध कार्यवाही

23—श्री शारदा प्रताप—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र में विद्यानाथ विद्यालय समिति मवई पड़ियाना, पोस्ट ईंट गांव, लखनऊ कागज पर फर्जी चलाई जा रही है तथा इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 दिसम्बर, 1985 का प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अभी तक दोषी व्यक्तियों तथा हरिजन समाज कल्याण बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

विद्यानाथ विद्यालय के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 दिसम्बर, 1985 नहीं अपितु पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1985 प्राप्त हुआ । जब संस्था चल रही है तो किसी को दोषारोपण करने का प्रश्न नहीं है ।

लखनऊ जनपद के सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र में खोले गये आंगनबाड़ी केन्द्र, कार्यरत कार्यकत्री एवं सहायिकाएं

24—श्री शारदा प्रताप—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जा चुके हैं तथा यह किन-किन गांवों में है तथा प्रत्येक केन्द्र पर किन-किन पदों पर महिला/पुरुष कार्यरत हैं तथा इनके निवासीय पते क्या हैं और इस योजना में प्रत्येक केन्द्र के लिए प्रति माह कितना धन व्यय करने का प्राविधान है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

लखनऊ जनपद के सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र में अब तक 148 आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गए हैं प्रत्येक केन्द्र पर एक आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं एक सहायिका नियुक्त होती है । हाई स्कूल उत्तीर्ण कार्यकत्री को 250 रु0 तथा जूनियर हाई स्कूल को 200 रु0 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है एवं सहायिकाओं को समान रूप से 90 रु0 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है ।

(कार्यकत्रियों, सहायिकाओं की सूची गांव के नाम सहित संलग्न* है)

इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से पूरक पोषाहार के अन्तर्गत प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र पर 6 वर्ष तक की आयु के अति कुपोषित बच्चों को 60 पैसे, कुपोषित बच्चों को 25 पैसे एवं गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 50 पैसे के हिसाब से प्रतिदिन पूरक पोषाहार वर्ष में 300 दिन दिये जाने की व्यवस्था है ।

*छापी नहीं गई ।

जनपद हरदोई के कोथावां एवं भरावन ब्लाक में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

25—श्री रामपाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के कोथावां एवं भरावन ब्लाक में कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है ? इन ब्लाकों में कौन-कौन से ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण होना शेष है और यह कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

प्रश्नगत ब्लाकों में माह जून, 1985 तक 25 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा 142 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण होना शेष है, जिनकी सूची संलग्न† है ।

इन अवशेष हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण वर्ष 1995 तक पूर्ण होने की आशा है ।

ग्राम पूठा हुसेनपुर, तहसील हापुड़ की गांव सभा भूमि पर अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

26—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसीलदार हापुड़, जिला गाजियाबाद द्वारा ग्राम पूठा हुसैनपुर तहसील हापुड़ के निवासी लगभग 100 हरिजनों पर जमींदारी उन्मूलन कानून के अंतर्गत धारा 122 (बी) की नोटिसें जारी कर मुकदमा दायर किया गया है ? यदि हां, तो भूमिहीन हरिजनों को उत्पीड़न से बचाने हेतु शासन द्वारा मुकदमों को वापस किया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम पूठा हुसैनपुर, तहसील हापुड़ की गांव सभा भूमि पर वर्ष 1985 में अनधिकृत कब्जा करने वाले 101 व्यक्तियों पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा-122 बी के अन्तर्गत वाद तहसीलदार के न्यायालय में दायर किये गये हैं । इनमें से 82 वाद निर्णीत हो चुके हैं शेष 19 वाद अभी विचाराधीन हैं । ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करना पूर्णतः अवैधानिक है चाहे वह किसी जाति द्वारा किया गया हो । अतः वाद को वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

27—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पूठा हूसैनपुर, हापुड़ तहसील जिला गाजियाबाद में पिछले सालों चकबन्दी के फलस्वरूप निकली अतिरिक्त जमीन पर गांव के सामन्तों और प्रभावशाली लोगों ने लेखपाल और ग्राम प्रधान की साजिश से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो इस फालतू जमीन को ग्राम के हरिजनों और भूमिहीनों में वितरण कराने हेतु शासन द्वारा क्या उच्च स्तरीय जांच पड़ताल की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियाओं के बाद जिन व्यक्तियों ने गांव सभा भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया था उन्हें बेदखल कर दिया गया है । यह सत्य नहीं है कि अनधिकृत कब्जा प्रधान तथा लेखपाल की साजिश से किया गया । उपलब्ध भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है । अतः उसे पुनः आवंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । आवंटियों को उनकी भूमि पर नाप कराके कब्जा दे दिया गया है ।

†छापी नहीं गई ।

तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद में हरिजनों के मकान निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

28—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील हापुड़ जिला गाजियाबाद में वित्तीय वर्ष 82-83, 83-84 और 84-85 में हरिजनों को मकान बनाने के लिए तथा हरिजन कल्याण की अन्य मदों में शासन द्वारा कुल कितना धन आवंटित किया गया था और इस आवंटित धन से हरिजनों के कितने माकान बनाए गए तथा हरिजन कल्याण की किन-किन योजनाओं पर कितना-कितना रुपया खर्च किया गया ? क्या शासन द्वारा पूरी आवंटित धनराशि खर्च नहीं की गयी ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम पूठा, हुसैनपुर जिला गाजियाबाद में हरिजनों को मकान बनाने के लिये दिया गया अनुदान

29—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पूठा हुसैनपुर तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद के हरिजनों को मकान बनाने के लिए शासन द्वारा कोई अनुदान दिया गया अथवा शासन द्वारा मकान बनाकर दिये गए ? यदि नही, तो इस गांव के गरीब हरिजनों को पक्के मकान बनाने के लिए कोई कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फुलपुर तहसील के ग्राम सभा कसई, सरांवा शाहगंज की फतेहपुर तथा लाडपुर जोखू में चकबन्दी के पूर्व तथा बाद में बंजर तथा कब्रिस्तान की भूमि अवैध कब्जा भूमिहीन हरिजन व आदिवासी अन्य लोगों को भूमि का विवरण

30—श्री भीखा राम—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राम सभा कसई, सरावां शाहगंज की फतेहपुर तथा लाड़पुर जोखू में चकबंदी के पूर्व बंजर तथा कब्रिस्तान की अलग-अलग कितनी भूमि थी और चकबन्दी के बाद अब कितनी भूमि है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्राप्त सूचनानुसार स्थिति निम्नवत् है :

ग्राम	चकबन्दी के पूर्व की स्थिति		चकबन्दी के बाद की स्थिति	
	बंजर (एकड़ में)	कब्रिस्तान (एकड़ में)	बंजर (एकड़ में)	कब्रिस्तान (एकड़ में)
1—करूई	49.941	8-642	19.325	8.642
2—लाडपुर जोखू	12.303		10.378	.340
3—सरांवा	17.779	5.340	12.439	5.517
4—फतेहपुर	66.660	—	40.235	3.167

31—श्री भीखा राम—

क्या मंत्री यह भी बताने को कृपा करेंगे कि इन गांव सभाओं की बंजर भूमि तथा कब्रिस्तान की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो किन लोगों ने और कितनी-कितनी भूमि पर ? इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम करूई में 105 कड़ो बंजर भूमि पर श्री विश्राम पुत्र झगड़ू द्वारा किये गए अतिक्रमण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122 बी के अंतर्गत कार्यवाही चल रही है । ग्राम लाडपुर जोखू में 340 कड़ी बंजर भूमि पर श्री बनारसी पुत्र झिल्लर द्वारा किये गये अतिक्रमण के विरुद्ध धारा-122 बी के अंतर्गत कार्यवाही चल रही है । ग्राम सरावा में 2.800 एकड़ कब्रिस्तान भूमि पर ग्राम समाज बनाम जुलफेकार का वाद दीवानी न्यायालय में चल रहा है । ग्राम फतेहपुर में कोई अतिक्रमण नहीं है ।

ग्राम	भूमिहीन हरिजन
1—करूई	--
2—लाडपुर जोखू	--
3—सरावा	5
4—फत्तेहपुर	8

ग्राम करूई चकबन्दी प्रक्रिया के अंतर्गत है इसलिये आवंटन की कार्यवाही नहीं हो पायी । धारा-52 के प्रकाशन के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी ।

ग्राम लाडपुर जोखू में 3.891 एकड़ भूमि आवंटन के लिये अवशेष है । अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति आवंटन करने की कार्यवाही कर रहे हैं ।

ग्राम सरावां में 2.255 एकड़ भूमि आवंटन के लिये अवशेष है जिसके आवंटन की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कर दी जायेगी ।

ग्राम फत्तेहपुर में 40.235 एकड़ भूमि आवंटन के लिये अवशेष है । आवंटन न

32—श्री भीखा राम—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बतायेंगे कि इन गांव सभाओं में कितने भूमिहीन हरिजन आदिवासी या अन्य लोग हैं और इस भूमि का वितरण इन लोगों में न करने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

आदिवासी	अन्य लोग
—	—
—	—
—	—
--	12

होने का कारण यह है कि भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों में विवाद चल रहा था । इसलिये आवंटन की कार्यवाही में विलम्ब हुआ । अब अध्यक्ष एवं सदस्य सहमत हैं । शीघ्र आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न करा दी जायेगी ।

समस्त कलेक्ट्रेट्स में स्टाफिंग पैटर्न प्रथा लागू करने हेतु शासनादेश

33—श्री औसान सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 के समस्त कलेक्ट्रेट्स में स्टाफिंग पैटर्न प्रथा लागू करने हेतु जून 84, में कोई शासनादेश निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसमें जिलाधिकारी/ए0डी0एम0 के आशुलिपिकों

के निमित्त कोई सुविधा नहीं दी गयी है ? इन स्टाफिंग पैटर्न में उक्त आशु-लिपिकों को प्रोन्नति सेलेक्शन ग्रेड एवं समयबद्ध वेतनमान की कोई सुविधा नहीं है ? क्या सरकार इन्हें उक्त सुविधाएं दिलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

"जी हां, परन्तु वह वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित नहीं है वरन् प्रोन्नति के अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से विभिन्न लिपिकीय पदों को विभाजित किया गया है । यह सही है कि उसमें आशुलिपिकों को सम्मिलित नहीं किया गया है । आशुलिपिकों को उक्त सुविधा प्रदान करने पर कोई विचार अपेक्षित नहीं है क्योंकि उन्हें पहले ही उच्च वेतनमान तथा पदोन्नति के पद की सुविधा उपलब्ध है और समयमान वेतनमान भी प्रदान किया जा चुका है ।

ग्राम भेंड़िया, बकरुआ थाना कोठीनगर, गोरखपुर के निवासी सोहन लाल राम बिलास की बिजली के तार टूटने से मृत्यु

34—श्री औसान सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14-8-84 को ग्राम भेंड़िया बकरूआ थाना कोठीनगर गोरखपुर के निवासी सोहन लाल राम बिलास की मृत्यु बिजली के तार टूटने के कारण स्पर्शाघात से हुई है ? यदि हां, तो सरकार मृतक परिवार को मुआवजा देगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

मृतकों के परिवार को रु0 1,000 की अंतरिम अनुग्रह धनराशि अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, गोरखपुर के पत्रांक 1524-वि0 वि0 खं0 प्र0 (गो)/ए-19, दिनांक 27-5-85 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है तथा जिसे प्राप्त करने हेतु भी उनके परिवार वालों को लिखा जा चुका है परन्तु अभी तक कोई भी आश्रित उक्त धनराशि को प्राप्त करने नहीं आया । अतः उसका भुगतान नहीं हो सका । परिषदीय नियमानुसार देय शेष अनुग्रह धनराशि का भुगतान क्षेत्रीय समिति की संस्तुति, पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट पंचायतनामा सहित प्राप्त होने पर किया जाता है ।

श्री वी0 वी0 सिंह, नायब सहसीलदार तहसील पुवायां के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच

35—श्री विनेद कुमार तथा श्री चंतराम—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 बी0 सिंह नायब तहसीलदार तहसील पुवायां (शाहजहांपुर) का आगमन इस जनपद में किस तिथि को तथा किस पद पर हुआ था ? यह उक्त तहसील में कब से कार्यरत है ? इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें विगत दो वर्षों में जिलाधिकारी, आयुक्त एवं राजस्व परिषद् व राजस्व मंत्री जी को प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो उन पर अभी तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ऐसे भ्रष्ट नायब तहसीलदार को तहसीलदार का चार्ज देने से जनता में शासन की छवि धूमिल नहीं होगी ? यदि हां, तो क्या शासन जनहित में इसे किसी अन्य जनपद में स्थानान्तरण कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री बी0 बी0 सिंह, नायब तहसीलदार ने जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 8-7-81 को योगदान दिया था तथा तहसील पुवायां में दिनांक 15-7-81 से कार्यरत है । इनके विरुद्ध जिलाधिकारी, आयुक्त, राजस्व परिषद् एवं राजस्व मंत्री को विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुयी है । इनमें से कतिपय शिकायतें जांचोपरांत निराधार पायी गयीं तथा एक मामले में अभी जांच

पूरी नहीं हुयी है । इनके विरुद्ध अभी हाल ही में पुनः कुछ शिकायतें प्राप्त हुयी हैं, जिनकी जांच शासन के उप सचिव द्वारा कराने के आदेश कर दिए गये हैं । जांचोपरान्त दोष सिद्ध होने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी । श्री बी0 बी0 सिंह, नायब तहसीलदार से जिला प्रशासन द्वारा तहसील स्तरीय ज्येष्ठता के आधार पर नितान्त अस्थायी एवं वैकल्पिक व्यवस्था में उनके पद के कार्य के साथ-साथ कार्यवाहक तहसीलदार के रूप में कार्य लिया गया था । तहसीलदार के योगदान देने पर श्री सिंह अब केवल नायब तहसीलदार पद का कार्य देख रहे हैं । शासन द्वारा श्री बी0 बी0 सिंह, नायब तहसीलदार, पुवायां को तुरन्त जनपद शाहजहांपुर से बाहर स्थानांतरित करने के आदेश राजस्व परिषद् को भेज दिये गये हैं ।

36—श्री विनोद कुमार—

[6वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 151 के अंतर्गत स्थानांतरित]

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक खुटार के ग्राम हसपुर में चकबन्दी प्रक्रियायें

37—श्री चेत राम—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक खुटार के ग्राम हंसपुर में चकबन्दी प्रक्रियायें अभी तक पूरी नहीं की गयी हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन शीघ्र उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया को पूर्ण कराने का कष्ट करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दो रिट याचिकाओं पर दिए गए स्थगन आदेशों के कारण ग्राम में चकबंदी की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी है ।

उक्त दोनों रिट याचिकाओं के निस्तारण के बाद ग्राम में चकबंदी प्रक्रियायें पूर्ण करा दी जायेगी ।

चकबन्दी अधिकारी सीरिख जनपद फर्रुखाबाद के न्यायालय में लम्बित वाद

38—श्री औसान सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिकारी सीरिख जनपद फर्रुखाबाद के यहां हजारों वाद विगत कई वर्षों से लम्बित हैं ? यदि हां, तो सरकार इनके शीघ्र निस्तारण हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

चकबन्दी अधिकारी, सीरिख जनपद फर्रुखाबाद के न्यायालय में 1733 वाद निस्तारण हेतु अवशेष हैं जिनमें वर्ष 1982-83 के 60 वाद, 1983-84 के 1110 वाद, 1984-85 के 318 वाद तथा 1985-86 के 245 वाद हैं । इन वादों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण कराये जाने हेतु शासन द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

ग्राम उड़ौना, तहसील छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद की चक अपीलों का निस्तारण

39—श्री औसान सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि ग्राम उड़ौना तहसील छिबरामऊ जनपद फर्रुखाबाद की चक अपीलें बंदोबस्त अधिकारी फर्रुखाबाद के यहां 1983 से लम्बित हैं ? यदि हां, तो चक अपीलों का निस्तारण कब तक हो जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं । अपीलें जून 1985 के बाद प्रस्तुत की गई हैं जिनके निस्तारण के

लिये 17-2-86 से 28-2-86 तक का प्रोग्राम निर्धारित है ।

ग्राम सभा पकरडीहा में ग्राम समाज की सम्पत्ति कब्जा करने की कथित शिकायती-पत्र

40—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर तथा राजधानी के ग्राम सभा पकरडीहा के ग्राम प्रधान श्री बाबू लाल निषाद ने आराजी नं0 69 रकबा-17 डि0 ग्राम समाज की सम्पत्ति एक व्यक्ति द्वारा कब्जा करने की शिकायत दिनांक 23-8-85 को शासन में की थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

41—श्री अशोक वाजपेयी तथा श्री रणजीत [दिनांक 7-2-86 को अता0 प्र0 सं0 147 द्वारा उत्तरित]

42—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 14-2-86 को अता0 प्र0 सं0 135 द्वारा उत्तरित]

रामनगर, एशबाग, लखनऊ में राजकीय कर्मचारियों के आवासों में बिजली के कनेक्शन

43—श्री योगेन्द्र कुमार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित राम नगर एशबाग, लखनऊ में नव-निर्मित कालोनी में जून, 1985 से सितम्बर, 1985 तक कितने राजकीय कर्मचारियों के आवासों में बिजली के कनेक्शन प्रदान किये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त कालोनी के आवासों पर पूर्व अध्यासियों के पूर्व आवंटित अभी भी उनके नामों से बिजली के मीटर लगे हुए हैं और उन पर हजारों रुपये की धनराशि बकाया है ? यदि हां, तो उन्हें किस आधार पर एक ही नाम से दो कनेक्शन प्रदान किये गये हैं ? क्या मंत्री जी इस प्रकार के अवैध कनेक्शनों को समाप्त करने तथा बकाया धनराशि की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

कोई प्रार्थना-पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के ग्राम पल्टा में बिजली काटे जाने का कारण

44—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के वि0 खं0 देवां के ग्राम पल्टा में सन् 77 में बिजली दी गई थी जो बराबर दिसम्बर, 84 तक रही तथा इसके बाद अकारण गांव की बिजली काट दी गई? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, प्रश्नगत ग्राम में एल0 टी0 लाइन बिछाकर वर्ष 1981 में विद्युतीकरण किया गया था । इस ग्राम में घरेलू पंखा व बत्ती के 7 कनेक्शन हैं । इन सभी उपभोक्ताओं पर विद्युत देयों का बकाया होने के कारण मार्च, 1985 में बिजली काट दी गयी ।

चकबन्दी कार्यालय को महराजगंज से गोरखपुर में स्थानांतरण

45—श्री धनराज यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में महाराजगंज तह0 के निचलौल-ठूंठीबारी-बागपार-धनेबा-धनेई-चिउरहा सहित 18 गांवों की चकबन्दी विभाग ने फर्जी धारा 52 दिखाकर चकबन्दी कार्यालय को महराजगंज से गोरख-

पुर स्थानान्तरित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या किसानों के हित में पुनः चकबंदी कार्यालय को महराजगंज में पूर्ववत् बना रहने दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं । महराजगंज तहसील के गिचलौल, ठूंठीबारी, बागापार, धनेवा-धनेई व बिउरहा के ग्रामों का धारा 52 का प्रकाशन अभी तक नहीं किया गया है । शेष ग्रामों का प्रश्न में नाम उल्लिखित नहीं किये गये हैं । ऐसे सभी ग्राम जिनका धारा 52 का प्रकाशन इस क्षेत्र में हुआ है की जांच कराने के आदेश चकबन्दी आयुक्त को दे दिए गये हैं ।

केवल अंतिम अभिलेख बनाने का कार्य अवशेष रहने के कारण एवं प्रशासन के हित में चकबन्दी अधिकारी कार्यालय महराजगंज को गोरखपुर स्थानांतरित कर दिया गया है जिसे पुनः महराजगंज स्थानान्तरित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

बस्ती जिले में ग्राम गायघाट तथा सतहरा महुली पूर्व में चकबंदी के तहत प्राइमरी पाठशाला के बच्चों के खेलकूद एवं बागवानी हेतु सुरक्षित भूमि

46—श्री धनराज यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में ग्राम गायघाट तथा सतहरा महुली पूर्व तह0 खलीलाबाद में हो रही चकबन्दी के तहत प्राइमरी पाठशाला के बच्चों के खेलकूद एवं बागवानी हेतु भूमि सुरक्षित की गई है ? क्या यह भी सही है कि ग्रामवासियों और ग्राम प्रधान ने 2-10-85 को संयुक्त संचालक चकबंदी, बस्ती के पास प्रार्थना-पत्र देकर प्राइमरी पाठशाला एवं कन्या पाठशाला के खेलकूद एवं बागवानी के जमीन की मांग की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जी हां । दिनांक 2-10-85 को ग्रामवासियों और प्रधान की ओर गाटा सं0 707/3 को प्राइमरी पाठशाला एवं कन्या पाठशाला के लिए खेल कूद एवं बागवानी की मांग संयुक्त संचालक चकबंदी को प्रार्थना-पत्र देकर की गई थी । इस प्रकरण से सम्बन्धित सन्दर्भ सहायक संचालक चकबन्दी, बस्ती के न्यायालय में विचाराधीन है ।

गोरखपुर जनपद के महराजगंज तहसील के हल्का नं0 10 के लेखपाल के विरुद्ध ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई शिकायत पर कृत कार्यवाही

श्री धनराज यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के महराजगंज तह0 के हल्का नं0 10 के लेखपाल के विरुद्ध कितने ग्रामीणों और जन प्रतिनिधियों ने शिकायत की है ? क्या यह भी सही है कि भूमि प्रबन्ध समिति बूढ़ाडीह खुर्द के अध्यक्ष के अधिकार को एकतरफा कार्यवाही के तहत परगनाधिकारी, महराजगंज ने छीन लिया जिसके विरुद्ध ग्राम प्रधान की अपील पर जिलाधिकारी, गोरखपुर ने पुनर्विचार के लिए कोई आदेश पारित किया था ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

गोरखपुर जनपद के महराजगंज तहसील के हल्का नं0 10 के लेखपाल के विरुद्ध 118 ग्रामीणों, 2 प्रधान एवं 2 सदस्य विधान सभा ने शिकायतें की हैं । यह सत्य नहीं है कि भूमि प्रबन्धक समिति बूढ़ाडीह खुर्द के अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र को एकतरफा कार्यवाही के तहत परगना अधिकारी, महराजगंज ने छीन लिया किन्तु यह सही है कि ग्राम प्रधान के प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी, गोरखपुर ने आवे-

दक को सुनकर आदेश पारित करने का निर्देश दिया था । जिलाधिकारी द्वारा नियत तिथि या उसके उपरांत, प्रधान, तहसीलदार महराजगंज के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए ।

किसान सेवा सहकारी समिति भवन बहादुरनगर बुलन्दशहर का उर्वरक वितरण लाइसेन्स

48—श्री कनक सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सेवा सहकारी समिति भवन बहादुर नगर, बुलन्दशहर पर एक फर्टीलाइजर कन्ट्रोल आर्डर, 1957 के तहत खाद्य वितरण का लाइसेंस नहीं है ? यदि हां, तो इस मामले में अधिकारियों एवं निरीक्षण कर्ता द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

किसान सेवा सहकारी समिति लि0, भवन बहादुर नगर, बुलन्दशहर के पास फर्टीलाइजर कंट्रोल आर्डर 1957 के तहत खाद (उर्वरक) वितरण लाइसेंस है । अत: किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बुलन्दशहर जनपद में ए0 डी0 ओ0 से पदोन्नत ए0डी0सी0ओ0 की तैनाती

49—श्री कनक सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में कितने ए0डी0सी0ओ0 ऐसे हैं जिन्हें ए0डी0ओ0 के पद से प्रोन्नत करके वहीं रखा गया है ? क्या उनके विरुद्ध शिकायतें हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जनपद बुलन्दशहर में केवल एक ए0 डी0सी0ओ0 ऐसे हैं जिन्हें ए0डी0ओ0 के पद से पदोन्नत करके वहीं रखा गया है ।

जी हां ।

शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

सहकारी संघ लि0, कुचेसर, बुलन्दशहर के बैलेन्स शीट की जांच

50—श्री कनक सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ कुचेसर, जिला गाजियाबाद के लाभ-हानि प्रपत्र में 97000 सिंभावली शुगर फैक्ट्री 42000 सहकारी संघ पीठा 8000 नामालूम 7000 राम पाल सिंह लिपिक के नाम से धनराशि श्री तोताराम त्यागी सचिव द्वारा प्रदर्शित की गयी है उक्त धनराशियों के बारे में क्या विभाग द्वारा आज तक कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

सहकारी संघ लि0, कुचेसर में जनपद बुलन्दशहर में है के सहकारी वर्ष 1983-84 (1-7-83 से 30-6-84) के संतुलन पत्र के अनुसार सिंभावली शुगर फैक्ट्री से 30-6-84 को रु0 96,707.65 पाना दिखाया गया है जो सितम्बर, 1985 में वसूल हो चुका है । सहकारी संघ पीठा नाम की कोई संस्था नहीं है परन्तु पीठा कबूलपुर साधन सहकारी समिति जनपद बुलन्दशहर में स्थित है । सहकारी संघ, कुचेसर के वर्ष 1983-84 के संतुलन-पत्र में पीठा कबूलपुर साधन सहकारी समिति से रु0 69,730.01 पाना दिखाया गया है । सहकारी संघ कुचेसर से वर्ष 1983-84 के संतुलन पत्र में "नामालूम" नाम से रु 8,000 की धनराशि दर्शित नहीं है परन्तु संतुलन पत्र में केशोपुर सठला से भूल सुधार "नामालूम" नाम से रु0 4477.00 दर्शित है । श्री रामपाल सिंह भू0 पू0 अंकिक के नाम से संघ के संतलन पत्र में रु0 4860 स्व0 श्री जगवीर सिंह, भू0 पू0 सुपरवाइजर द्वारा डाली गयी

है, जिसे उन्होंने पाने से इन्कार किया है। संघ की वर्ष 1984-85 की बैलन्स शीट बनवाई जा रही है एवं वर्ष 1983-84 की संदर्भित प्रविष्टियों की सही स्थिति जानने के लिए जांच एवं अवशेष धन की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

शामली, मुजफ्फरनगर समिति से गबन के आरोप में श्री तोता राम त्यागी को जेल भेजा जाना

51—श्री कनक सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तोता राम त्यागी, शामली मुजफ्फरनगर समिति से एक लाख रुपये के गबन में जेल गये थे ? यदि हां, तो श्री तोता राम त्यागी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां, श्री तोताराम त्यागी जेल जाने के उपरांत दिनांक 7-2-84 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेरठ के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा हुए। इस अभियोग की विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा (सह0), मेरठ द्वारा की जा रही है।

हापुड़, जिला गाजियाबाद में राज्य विद्युत् परिषद् सतर्कता शाखा द्वारा छापा तथा श्री एस0 एम0 अग्रवाल, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जांच

52—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जुगल किशोर (हापुड़ जिला गाजियाबाद) द्वारा शिकायत किये जाने पर आपके आदेश दि0 14-8-85 को हापुड़ में छापा डाला गया था तथा बिजली की चोरी पकडी गयी ? फिर दिनांक 29-8-85 को छापा डाला गया एवं सहायक अभियन्ता श्री एस0 एम0 अग्रवाल द्वारा दोनों छापों के दौरान मीटर वापिस करने के तथा अन्य मामले भी पकड़े गए हैं ? सतर्कता विभाग हाईडिल ने 5 सितम्बर, 85 को अनियमितताओं के संबंध में एक पत्र लिखकर उपरोक्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध उदासीन होने का आरोप भी लगाया था ? क्या श्री एस0 एम0 अग्रवाल के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही हुई ? यदि हुई तो कब और यदि नहीं हुई तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्री जुगुल किशोर, हापुड़ जिला गाजियाबाद की शिकायत पर दिनांक 14-8-85 व 29-8-85 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की सतर्कता शाखा द्वारा छापे डाले गये थे किन्तु इसमें विद्युत चोरी का कोई अभियोग नहीं पकड़ा गया। दिनांक 14-8-85 को 6 उपभोक्ताओं के परिसर में अधिक भार की अनियमितता पाई गयी। दिनांक 29-8-85 को 3 उपभोक्ताओं के यहां पीक आवर्स में राज्य विद्युत् परिषद् की सप्लाई से चलने की अनियमितता पायी गयी। उक्त छापों में श्री एस0 एम0 अग्रवाल, सहायक अभियन्ता द्वारा मीटर वापस करने का या अन्य कोई मामला नहीं पकडा गया। श्री अग्रवाल के क्षेत्र में अनियमितायें पकड़े जाने के सम्बन्ध में श्री अग्रवाल का उदासीन होना प्रतीत होने के बारे में उनके विरुद्ध जांच की जा रही है। जांच के उपरान्त ही आवश्यक कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

गाजियाबाद जनपद में पीक आवर्स में चलती हुई औद्योगिक इकाइयों पर विद्युत् परिषद् की सतर्कता शाखा द्वारा छापे तथा दोषी सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

53—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 84-85 में विद्युत सतर्कता विभाग ने जिला गाजियाबाद में पीक आवर्स में चलती हुई कितनी औद्योगिक इकाइयों पर छापे डाले और उनसे कितनी रकम वसूल हुई ? क्या इस प्रकार के छापे मोहन मिकिन्स लि0 मोहन नगर, मोदी इण्डस्ट्रीज मोदीनगर, यू0 पी0 सिरेमिक्स लि0 गाजियाबाद तथा नोएडा स्थित

इकाइयों में भी डाले गये थे ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को विद्युत सतर्कता शाखा द्वारा वर्ष 84-85 में जिला गाजियाबाद में पीक आवर्स में छब्बीस चलती हुई इकाइयों पर छापे डाले गए । उपरोक्त छापों के फल-स्वरूप कुल रु0 2,93,040 (रुपए दो लाख तिरानवे हजार चालीस) वसूल हुए ।

मोहन मीकिन्स लिमिटेड, मोहन नगर मोदी इण्डस्ट्रीज मोदीनगर तथा यू0 पी0 सिरेमिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद कन्टीन्युअस प्रोसेस के अन्तर्गत आती है, इसलिये पीक आवर्स प्रतिबन्ध इन पर लागू नहीं होता है । मोदीनगर में मोदी स्टील्स पीक आवर्स में सतर्कता विभाग द्वारा चेक करने पर तारीख 20-2-85 को चलती पाई गई थीं । नोएडा में चार औद्योगिक इकाइयां पीक आवर्स में छापों में चलती पाई गई । उपरोक्त इकाईयां मोहन मीकिन्स मोहन-नगर, मोदी इण्डस्ट्रीज मोदीनगर तथा यू0 पी0 सिरेमिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद कन्टीन्युअस प्रासेस के अंतर्गत आती है । अतएव इन पर पीक आवर्स प्रतिबन्ध लागू नहीं होता । मोदी स्टील्स लिमिटेड मोदीनगर जिला गाजियाबाद में 20-2-1985 को छापा डाला गया था, नोएडा स्थित चार औद्योगिक ईकाइयों में 19-3-85 को छापे डाले गये ।

54—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजियाबाद में विद्युत सतर्कता विभाग ने पीक आवर्स में चलने वाली औद्योगिक इकाइयों में वर्ष 85 में कोई छापा डाला है ? यदि हां, तो इन इकाइयों में पड़े छापों के दौरान किन-किन सहायक अभियन्ताओं को दोषी पाया गया है ? तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । इन छापों के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी (वितरण) तथा उपखंड अधिकारी (पारेषण) मोदीनगर को तुरन्त स्थानांतरित कर दिया गया है तथा निश्चित आरोप सिद्ध हो जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

गाजियाबाद जनपद की तहसील दादरी के ग्रामों में विद्युत् कनेक्शन

55—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि तह0 दादरी जिला गाजियाबाद के ऐसे कितने ग्राम हैं जिन्होंने 71-85 तक 25 रु0 (पच्चीस रुपया) प्रति परिवार अग्रिम धनराशि विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु विभाग में जमा की है और उन्हें अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं मिला ? इस विलम्ब के क्या कारण है ? इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

56—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[4थे मंगल को अता0 प्र0 सं0 168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फर्रुखाबाद जनपद में श्री श्याम मोहन त्रिपाठी के संग्रह अमीन के कार्यकाल का अवशेष वेतन का भुगतान

57—श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद की तह0 छिबरामऊ में भूमि भवन कर अमीन के पद पर नियुक्त श्री श्याम मोहन त्रिपाठी जिनका वर्ष 1985 में ही सदर (फर्रुखाबाद) तह0 के लिए स्थानांतरण हो गया था और यह पद वर्ष 1968 में राजस्व संग्रह अमीन के रूप में परिवर्तित हो गया था को वर्ष 1965 से 1970 तक के कार्यकाल में उनके वेतन में वार्षिक (वैतनिक) प्रोन्नतियां अंकित की गईं और तद्नुरूप प्रोन्नतियोंनुसार संशोधित वेतन प्रदान किया

गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन श्री त्रिपाठी को प्रदत्त वेतन व संशोधित देय वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली धनराशि के अंतर की धनराशि को प्रदान करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री श्याम मोहन त्रिपाठी ने भूमि भवन कर अमीन के पद पर 23-2-65 से 31-7-68 तक कार्य किया परन्तु भूमि भवन कर विभाग समाप्त होने पर इनकी सेवाएं दिनांक 31-7-68 को समाप्त हो गई थी इसके पश्चात् इनकी नियुक्ति अस्थाई रूप पर संग्रह अमीन के पद पर दिनांक 1-8-68 से कर दी गई । इन्होंने दिनांक 3-6-70 तक कार्य किया । अमीन द्वारा बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए तथा चाही गई अनुमति निरस्त हो जाने के बाद भी एम0ए0 की परीक्षा में सम्मिलित होने के अभियोग में जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 24-5-70 के अन्तर्गत इनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी ।

अभिलेखों के आधार पर भूमि भवन कर अमीन का पद राजस्व संग्रह अमीन के पद में परिवर्तित नहीं किया गया था । अभिलेखों में प्रोन्नतियों का कोई उल्लेख नहीं है और सेवा पुस्तिका में भी इनकी प्रोन्नतियों की कोई प्रविष्टियां अंकित नहीं है ।

जब श्री श्याम मोहन संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत थे । उनको वार्षिक वेतन वृद्धियां दी गई थी जिसका अवशेष वेतन भुगतान नहीं किया जा सका । अब दावा पुराना होने के कारण राजस्व परिषद् द्वारा प्री-आडिट होने के पश्चात भुगतान कर दिया जायगा ।

बांदा जनपद के ग्राम खवटिहा में ग्राम सभा की भूमि का पट्टा तथा अनधिकृत अध्यासियों की बेदखली

58—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भैरो प्रसाद हरिजन (चमार) ग्राम खवटिहा तह0 मऊ जिला बांदा के हरिजनों को गांव समाज की जमीनों के पट्टे न देकर गांव प्रधान ने अपने परिवारजनों अथवा अपने समर्थक बड़े भूस्वामियों को पट्टे देकर अपने पद का दुरुपयोग किया है तथा गांव समाज की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई है ? क्या इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जायेगी और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जायेगा ? क्या अवैध कब्जे की जमीनों को भूस्वामियों से निकाल कर भूमिहीन हरिजनों और खेत मजदूरों में वितरित किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं । प्रश्नगत ग्राम सभा भूमि का आवंटन हरिजनों को ही किया गया है । ग्राम प्रधान ने अपने परिवार या अपने समर्थक बड़े भू-स्वामियों को कोई पट्टा नहीं किया है और न ही गांव सभा की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाई है । अतः किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है । इस गांव की कुल 4-4-0 बीघा भूमि अनधिकृत अध्यासन में है । जिसमें से 1-5-0 भूमि से अनधिकृत अध्यासियों को बेदखल कर दिया गया है । शेष भूमि के विषय में लम्बित वादों में बेदखली की कार्यवाही हो जाने पर उक्त भूमि का आवंटन पात्र व्यक्तियों को कर दिया जायगा ।

बांदा जनपद के ग्राम सभा इटावां के प्रधान द्वारा श्री राम प्रसाद की भूमि अपने नाम कराया जाना

59—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा इटावां तह0 मऊ जिला बांदा के प्रधान श्री रामनरेश पुत्र राजाभइया ने तह0 अधिकारियों से सांठगांठ करके श्री राम प्रसाद गुप्त मेडा हरिजन ग्राम इटवां, के पट्टे की जमीन खतौनी में अपने नाम दर्ज करा ली है और क्या इस वर्ष उक्त जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो श्री राम प्रसाद पुत्र मेंडा की शिकायत पर कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गल्देव सिंह आर्य—

भूतपूर्व लेखपाल श्री आदित्य प्रकाश ने खाता नम्बर 709 में श्री राम प्रसाद पुत्र मेडा का नाम अनधिकृत रूप से काट कर राजा भइया पुत्र राम नरेश का नाम दर्ज कर दिया था । किन्तु इस जमीन पर राजा भइया द्वारा जबरदस्ती कब्जा नहीं किया गया है । राम प्रसाद की शिकायत पर जांच कराकर अनधिकृत रूप से की गई प्रविष्टि को निरस्त कर अभिलेख संशोधित कर दिये गये हैं ।

श्री राजा राम सिंह, अधिशासी अभियन्ता फैजाबाद के विरुद्ध राज्य विद्युत् परिषद् में विचाराधीन सतर्कता जांच आख्या पर कार्यवाही

60--श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजा राम सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, फैजाबाद के विरुद्ध सतर्कता जांच आख्या शासन को वर्ष 80 में प्राप्त हो गयी थी परन्तु सतर्कता निदेशक की संस्तुतियों पर आधारित शासन के आदेशों का राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा इस विषय में कतिपय बिन्दुओं पर पुनर्विचार करके उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही पर शासन की सहमति मांगी गई थी । शासन द्वारा परिषद् को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं और तद्नुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

61—श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या यह सही है कि श्री सिंह के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच आख्या एवं अन्य अभिलेख राज्य विद्युत परिषद् के अभिलेखों के अनुसार, ऊर्जा अनु0-2 के अवर वर्ग सहायक द्वारा दि0 15-9-83 को वापस लाये गये तथा इसके बाद यह गोपनीय अभिलेख गायब हो गये ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित अवर वर्ग सहायक को तत्काल सिंचाई एवं ऊर्जा शाखा से स्थानांतरित कर सम्पूर्ण गोपनीय अभिलेखों के गायब किये जाने की सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं । राज्य विद्युत परिषद्, प्रश्नगत अभिलेख ऊर्जा अनुभाग-2 के किसी अवर वर्ग सहायक द्वारा परिषद् से वापस ले जाये जाने के सम्बन्ध में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं करा सके । अतः किसी सहायक के विरुद्ध इस संबंध में किसी कार्यवाही अथवा जांच की आवश्यकता नहीं है । संबंधित अभिलेखों की प्रतियां राज्य विद्युत् परिषद् को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जा चुकी हैं ।

आवास विकास परिषद् की शेखूपुरा कालोनी (अलीगंज) लखनऊ के एक मकान पर विद्युत् देय का बकाया

62—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आवास विकास परिषद् की सेखूपुर (अलीगंज) लखनऊ स्थित कालोनी के मकान सं0 एम0 आई0 जी0 13 में विद्युत कनेक्शन (संख्या 014592 मीटर नं0 एल 02762) कब दिया गया था और कब मीटर रीडिंग हुई और रीडिंग क्या थी ? मीटर पर दि0 31 दिसम्बर, 85 तक कितने मूल्य की विद्युत का उपयोग किया गया और कितना विद्युत मूल्य बकाया है ? बकाया विद्युत मूल्य का भुगतान न होने के कारण विद्युत कनेक्शन अब तक न काटे जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

आवास विकास परिषद् की शेखूपुरा कालोनी (अलीगंज) लखनऊ स्थित कालोनी के मकान संख्या एम0आई0जी0 13 में विद्युत कनेक्शन सं0 014592 मीटर नं0 एल0सी0 02762 दिनांक 24-3-84 को दिया गया था तब रीडिंग 7 थी । उपभोक्ता का मकान खुला न मिलने के कारण रीडिंग नहीं हो सकी । दिनांक 30-11-85 तक जो विद्युत का उपभोग किया गया उसका कुल रु0 280 का बिल दिया गया जो कि न्यूनतम धनराशि के आधार पर है बिल की देय तिथि 28-1-86 थी, भुगतान प्राप्त हो गया है इसलिये कनेक्शन नहीं काटा गया ।

नवम्बर 85 के बाद के बिल भेजे जाने के मामले प्रोसेस में है ।

जौनपुर जनपद के ग्रामों में विद्युतीकरण के लिये ग्रामवासियों द्वारा तार व खम्मों की ढुलाई

63--श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ग्रामों में विद्युत् आपूर्ति के लिए विद्युतीकरण के लिए ग्रामवासियों को अपनी तरफ से तार व खम्भा की ढुलाई व गड्ढा आदि का कार्य करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना, फैजाबाद द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति के सम्बन्ध में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग

64—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास परियोजना मिर्जापुर द्वारा वर्ष 1984-85 में खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता से साठ-गांठ करके घोर अनियमितता की गई है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त अधिकारी ने भारी गोलमाल के तहत ठेकेदार द्वारा फर्जी आपूर्ति करने पर पकड़े जाने पर राबर्ट्सगंज में स्वयं चना की आपूर्ति को प्राप्त किया है जिसका केस अभी लम्बित है ? क्या उक्त घपले और धांधलेबाजी के खिलाफ जांच होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

जिस ट्रक से चना म्योरपुर परियोजना के लिये लाया जा रहा था उसके पास गेट पास तथा अन्य अभिलेख न होने के कारण हाट निरीक्षक द्वारा उसका चालान किया गया था जिसके कारण न्यायालय के आदेश से कार्यक्रम अधिकारी ने चना की सुपुर्दगी ली थी और इसे म्योरपुर परियोजना भिजवाया था । चूंकि खाद्यान्न लदा ट्रक का चालान किया गया था अतः केस चल रहा है और न्यायालय का अन्तिम निर्णय अभी लम्बित है ।

65—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत वर्ष 85—86 में खाद्यान्न आपूर्ति सहकारी उपभोक्ता भण्डार, मिर्जापुर से न प्राप्त कर स्थानीय फर्म शिवनाथ दास सन्तोष कुमार से आपूर्ति का आदेश दिया था तथा सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान दिखा दिया गया है परन्तु आपूर्ति अक्तूबर 85 तक नहीं ली गयी है ? यदि हां, तो क्या इस संदर्भ में जांच कराकर सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

खाद्यान्न की आपूर्ति का आदेश देकर के आधार पर स्थानीय फर्म शिवनाथ दास

सन्तोष कुमार तथा केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि0, मिजापुर दोनों को दिया गया था, जिसका भुगतान आपूर्ति के अनुसार किया गया था । अक्टूबर, 85 तक केवल 2,02,350 रु0 का भुगतान आपूर्ति के आधार पर किया गया और नवम्बर, 85 से फरवरी, 86 तक आपूर्ति के आधार पर अलग-अलग तिथियों में कुल 9,31,150 रु0 का भुगतान किया गया है । अभी भी 51,500 रु0 का भुगतान आपूर्ति के अभाव में अवशेष है । ऐसी स्थिति में किसी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

66—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[दिनांक 14-2-86 को अता0 प्र0 सं0 108 द्वारा उत्तरित]

67—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

साधन सहकारी समिति गुलरहिया, उन्नाव द्वारा वस्तु वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में जांच

68—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति, गुलरहिया, उन्नाव द्वारा आवश्यक वस्तु के वितरण में अनियमितता किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र सं0 254 दिनांक 20-12-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां, शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायत की जांच कराई गयी । शिकायत निराधार पाई गई ।

69-70—श्री हरेन्द्र सिंह—

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 169-170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

71—श्री मित्रसेन—

[6ठवें शुक्रवार के लिए स्थगित]

सोहावल ताप विद्युत् गृह, फैजाबाद को बन्द किया जाना तथा प्रदेश के स्थायी रूप से बन्द किये गये तापीय विद्युत् गृह

72—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित सोहावल विद्युत् गृह कितने दिनों से बन्द पड़ा है ? बन्द होने का कारण क्या है ? बन्द होने के बाद प्रति माह वहां के मजदूरों, कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन पर कितना रुपया खर्च हो रहा है ? प्रदेश में कुल कितने विद्युत् गृह बन्द है ? मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर स्थित विद्युत् गृह जो काफी पुराना है, उसको मरम्मत कराने के लिए पिछले दो वर्षों में कितने लाख रुपये आवंटित किये गये और जनपद फैजाबाद स्थित सोहावल पावर हाउस, जो गोरखपुर स्थित विद्युत् गृह के मुकाबले अच्छी हालत में था उसकी मरम्मत के लिए शासन द्वारा धन क्यों नहीं आवंटित किया गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

सोहावल ताप विद्युत् गृह दिनांक 30 जून, 1985 से बन्द कर दिया गया है । संयंत्रों की दशा में उत्तरोत्तर ह्रास, ऊंची लागत, कम उत्पादन तथा उपयुक्त कोयले की आपूर्ति न होने की दशा में इस विद्युत् गृह को बन्द करना पड़ा । वर्तमान स्थिति में सोहावल तापीय विद्युत् गृह पर नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मिलित मासिक वेतन लगभग 2,67,000 रुपये है । सोहावल तापीय विद्युत् गृह के अतिरिक्त ऐशबाग (लखनऊ), चंदौसी, बलरामपुर, मैनपुरी तथा मऊ (आजमगढ़) में स्थित लघु तापीय विद्युत गृह स्थायी तौर पर बन्द कर दिये गये है ।

वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में अब तक सामान्य मरम्मत तथा नवीनीकरण हेतु गोरखपुर तापीय विद्युत्गृह के लिये क्रमशः रु0 7.77 लाख रु0 एवं रु0 24.32 लाख की धनराशि आवंटित की गयी । सोहावल तापीय विद्युत्गृह को स्थायी तौर पर बन्द किये जाने का निर्णय पूर्व में ही ले लिये जाने की स्थिति में सोहावल तापीय विद्युत्गृह को मरम्मत हेतु कोई धनराशि वर्ष 1984-85 अथवा 1985-86 में आवंटित नहीं की गयी ।

73—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री अमरनाथ सिंह, निवासी ग्राम सांडा बरौना, जिला इलाहाबाद के चक संख्या 80 व 81 पर लगे पेड़ तथा कुएं को क्षतिग्रस्त किये जाने के विरुद्ध जांच

74—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 124 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी के द्वारा की गयी और जांच के क्या परिणाम रहे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां । जांच पूर्ण हो गयी है । जांच श्री जयराम मिश्र, नायब तहसीलदार द्वारा की गयी थी । जांच आख्या दिनांक 4-6-85 के अनुसार शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए । स्थल पर आंवला, कटहल तथा अमरूद का पेड़ होना नहीं पाया गया तथा कुआं अपने स्थान पर सुरक्षित है ।

गोण्डा के हरिजन अधिकारी श्री नोहर प्रसाद का निलम्बन तथा उनका कार्यभार

75—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि गोण्डा के हरिजन अधिकारी श्री नोहर प्रसाद को शासन ने 9-8-84 को निलम्बित करके मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया था ? यदि हां, तब मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जाते समय श्री प्रसाद ने अपना चार्ज दिया था और कैश की चाभी दी थी ? यदि नहीं, तब क्यों ? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तब क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमार बख्शी—

श्री नोहर प्रसाद तत्कालीन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी गोण्डा को शासनादेश दिनांक 8-8-84 के द्वारा निलम्बित करके कार्यालय उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद से सम्बद्ध किया गया था ।

श्री नोहर प्रसाद निलम्बन आदेश दिनांक 9-8-84 में प्राप्त कर अपने पद का चार्ज तथा कैश चेस्ट की चाभी किसी को दिये बिना अनुपस्थित हो गये ।

श्री प्रसाद के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली नगर गोण्डा में दर्ज करा दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

76—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

[6ठें शुक्रवार के लिए स्थगित]

77—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

[दि0 21-2-86 को अता0 प्र0 सं0 85 द्वारा उत्तरित]

राज्य विद्युत् परिषद् के विद्युत पोल निर्माण खण्ड के आडिट में पायी गयी आपत्तियां

78—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् के द्वारा सीमेन्ट पोल बनाने की जो 5 फैक्ट्रियां कार्यरत हैं उनका आडिट 1983-84 व 1984-85 तथा 1985-86 का हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य आडिट नोट क्या है कितने रुपये का प्रत्येक वर्षों में राज्य विद्युत् परिषद् की हानि हुई ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

विद्युत् पोल निर्माण खण्ड लखनऊ के अन्तर्गत 5 उपखण्डों जो कि साहूपुरी, नैनी, आगरा, गोरखपुर व सरोजनी नगर (लखनऊ) में स्थित हैं, में सीमेन्ट पोल बनाने का कार्य होता है । वर्ष 1983-84 व 1984-85 तथा वर्ष 1985-86 के दौरान उक्त खण्ड में राज्य विद्युत् परिषद् की आंतरिक सम्प्रेक्षा शाखा द्वारा दिनांक 6-1-83 से 7-6-83 तक एक विशेष सम्परीक्षा एवं एक साधारण संपरीक्षा दिनांक 21-1-85 से 1-2-85 तक किया गया । विशेष सम्परीक्षा द्वारा पाई गई मुख्य आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

1—सम्भावित अनुचित/अनावश्यक कार्य के निष्पादन में 2·03 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान/अनावश्यक अधिक भुगतान व अनियमित व्यय ।

2—उपखण्डीय अधिकारियों द्वारा निजाए से पोल सेन्टर तक आने-जाने के लिए चार्ज किये गये अनियमित यात्रा भत्ते ।

3—मरम्मत कार्यों पर कार्यादेशों द्वारा किया गया अतिरिक्त व्यय ।

4—6 मि0 मा0 राउन्ड स्टील बार के अनुचित खरीद पर सम्भावित हानि ।

5—आर0 सी0 सी0 तथा पी0 सी0 सी0 पोल के अलाभप्रद निर्माण पर 71·77 लाख रुपये की सम्भावित हानि ।

6—आगरा व रुड़की पोल उपखण्डों में तैनात किये गये कर्मचारियों के वेतन/यात्रा भत्तों पर 2·17 लाख रुपये का सम्भावित अनावश्यक व्यय ।

7—24·85 लाख रुपये का सामान बिना किसी प्रयोग के परिषद् भंडार में जमा ।

8—कैश बुक व पी0 आई0/टी0 आई0 के रखरखाव में पाई गईं त्रुटियां ।

साधारण आन्तरिक सम्प्रेक्षा में पाई गईं महत्वपूर्ण आपत्तियां निम्न हैं :

1—सीमेण्ट फैक्ट्रियों को अग्रिम भुगतान के रूप में 40,51,566·32 रुपये पर उपार्जित ब्याज के रूप में 2,83,640 रुपये की सम्भावित हानि ।

2—ठेकेदारों से वसूलने योग्य दण्डित राशि 38,431·40 रुपये तथा 5,4161·00 रुपये ।

3—दोषी ठेकेदारों से वसूलने योग्य दण्डित राशि 28,353·00 रुपये ।

4—1,13,034·48 रुपये के मूल्य की सामग्री ठेकेदारों को अधिक निर्गत ।

5—(अ) भण्डार गृह में 2461 रुपये की सामग्री कम पाई गई ।

(ब) 56 बोरी सीमेण्ट का मूल्य 4592 रुपये कम वसूला गया ।

6—ठेकेदारों से समाप्ति क्षति के रूप में वसूलने योग्य 21775 रुपये (कार्या-

न्वित अनुबन्ध संख्या 5 दिनांक 18-7-84) ।

सम्बंधित अधिकारी से इन आपत्तियों का उत्तर अभी आना है उसके बाद ही अन्तिम रूप से अनियमितताओं का विश्लेषण हो सकेगा ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की सीमेन्ट पोल बनाने की फैक्ट्रियों का उत्पादन लक्ष्य तथा कुल उत्पादन का विवरण

79—सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या ऊर्जा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ के पास सीमेन्ट की पोल बनाने की 5 फैक्ट्री कार्यरत हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक फैक्ट्री में कितना खर्चा प्रति वर्ष में होता है कितना पोल बनाने का प्रत्येक वर्ष में लक्ष्य है और 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 में कुल कितने पोल (सीमेन्ट का) प्रत्येक फैक्ट्री ने बनाये ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में, इस समय छः फैक्ट्री सीमेन्ट के पोल बनाने का कार्य कर रही हैं । इनका प्रश्नगत विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 153 पर)

बस्ती जनपद में मखौड़ा विकास क्षेत्र परसरामपुर में विद्युत् सबस्टेशन का निर्माण

80—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य क्षेत्र मखौड़ा विकास क्षेत्र परसरामपुर, जिला बस्ती में 1977 में 33 के0 वी0 विद्युत सब स्टेशन बनाने के लिये 9 लाख 90 हजार रुपया स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उक्त विद्युत सब स्टेशन न बनने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ? उक्त सब स्टेशन का निर्माण कब तक करा दिया जायगा ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । पहले यह कार्य राज्य विद्युत परिषद् के प्रेषण द्वारा किया जाता था और अब वितरण द्वारा किया जा रहा है। बस्ती जिला पहले गोण्डा सर्किल के अधीन था और अब गोरखपुर सर्किल के अधीन है । तकनीकी जरूरत न होने और सीमित संसाधनों की वजह से यह कार्य वरीयता के आधार पर न हो सका । अस्तु इसमें कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है । अब वर्ष 1986-87 में इस कार्य हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को सीमेन्ट पोल की आवश्यकता तथा प्राइवेट फैक्ट्रियों से खरीद

81—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 में कुल कितने पोल सीमेन्ट की आवश्यकता पड़ी और कितना पोल प्राइवेट फैक्ट्री से लिये गये ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा वर्ष 1983-84 तथा 1984-85

तथा 1985-86 (14-2-1986) तक में क्रमशः 2,21,815 तथा 2,59,068 तथा 2,59,195 सीमेंट के पोलों की आवश्यकता पड़ी, तथा इस आवश्यकता के विपरीत उक्त वर्षों में क्रमशः 1,93,451 तथा 2,21,885 तथा 2,43,568 पोल प्राइवेट फैक्ट्रियों से खरीदे गये ।

बस्ती जनपद में हरैया तथा डुमरियागंज में विद्युत उपस्थानों का निर्माण

82—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 132 के0 वी0 हाईडिल सब स्टेशन हरैया तथा डुमरियागंज जिला बस्ती को छठवीं पंचवर्षीय योजना में सेन्टर प्लानिंग कमीशन नई दिल्ली के द्वारा कितने रुपये स्वीकृत हुआ था ? उक्त दोनों सब स्टेशन का बनकर कब तक तैयार होने का लक्ष्य निर्धारित था ? उक्त सब स्टेशनों का निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ तथा इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने के लिए सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद बस्ती के अन्तर्गत हरैया और डुमरियागंज में 132 के0 वी0 विद्युत उपस्थानों का निर्माण, वर्तमान विद्युत लोड एवं भविष्य में अनुमानित लोड बढ़ोत्तरी के परिप्रेक्ष्य में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित है । जिनकी अनुमानित लागत निम्न है :—

	लाख रुपये
1—हरैया उपस्थान	154.49
2—डुमरियागंज उपस्थान	165.05

इनके बनकर तैयार होने का लक्ष्य निर्धारित नहीं था ।

132 के0 वी0 उपस्थान हरैया का कार्य वर्ष 1986-87 से प्रारम्भ कर दिया जायेगा एवं इस कार्य को मार्च 1988 तक पूर्ण कराने का प्रयास किया जायेगा ।

डुमरियागंज क्षेत्र में पर्याप्त विद्युत की मांग बढ़ने पर धन की समुचित उपलब्धता होने पर 132 के0 वी0 उपस्थान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित करके तदनुसार कार्यवाही की जायेगी । सूचनीय है कि योजना आयोग से ट्रान्समिशन कार्यों के लिये समुचित धनराशि स्वीकृत न होने के कारण उपरोक्त उपस्थानों पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका अतएव उपरोक्त कार्य के प्रारम्भ न होने के लिये कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है ।

83—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

84—श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

[5वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उन्नाव जनपद के ग्राम बैगांव की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

85—श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड असोहा के ग्राम बैगांव के निवासी श्री विन्दा प्रसाद ग्राम प्रधान एवं ग्राम के आस पास के प्रधानों द्वारा हस्ताक्षरित हरिजन बस्ती (चमारों, पासी, जमादारों एवं पिछड़ी जातियों) के मोहल्लों का विद्युतीकरण हेतु प्रार्थना पत्र को श्री बुनियाद हुसैन अंसारी विधायक की संस्तुति सहित जो नेता विरोधी दल विधान सभा ने

अपने पत्र संख्या 3020/ने0 वि0 द0/85, दिनांक 10-9-85 को तत्कालीन राज्य मंत्री विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भेजा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

ग्रामीण विद्युतीकरण अथवा हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु लक्ष्य का निर्धारण चालू वित्तीय वर्ष के जुलाई माह तक विद्युत सलाहकार समिति के अनुमोदन पर कर दिया जाता है । चूंकि ग्राम बैगांव विकास खण्ड असोहा जनपद उन्नाव को विद्युत सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 1985-86 के लिये अनुमोदित नहीं किया गया था, इस लिये इस ग्राम की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका ।

86—श्री काजी कलीमुर रहमान—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

87—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

पी0 सी0 एफ0 के लाभ-हानि के विवरण की मांग

88—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1985 में सस्ते कपड़े के व्यवसाय में पी0 सी0 एफ0 को लगभग 50 लाख का घाटा हुआ ? इसके अतिरिक्त अन्य किन-किन मदों से पी0 सी0 एफ0 को घाटा हुआ है ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

सहकारी वर्ष 1985-86 का संतुलन पत्र 30-6-86 के बाद तैयार किया जायेगा । तब ही उक्त वर्ष की लाभ/हानि की स्थिति ज्ञात हो सकेगी ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में प्रचलित स्थानान्तरण नीति तथा श्री बी0 डी0 सिंह अवर अभियन्ता मिर्जापुर का स्थानान्तरण

89—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 85 में जू0 इन्जीनियरों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया क्या थी ? क्या यह सत्य है कि श्री बी0 डी0 सिंह अवर अभियंता, विद्युत् वितरण खण्ड प्रथम मिर्जापुर उप खण्ड चुनार का स्थानान्तरण 11-6-85 को हुआ था जो दिनांक 9-8-85 को स्थगित कर दिया गया था तथा पुनः 11-9-85 को अन्यत्र कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? जबकि इनकी पत्नी इसी सत्र में रा0 बा0 इण्टर कालेज चुनार मिर्जापुर में स्थानान्तरित हुई ? शासन ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि पति-पत्नी एक ही स्थान पर सरकारी सेवा में रहकर कार्य कर सकते हैं ? यदि हां, तो इन लोगों को दूर क्यों रखा गया है ? क्या इसकी जांच करायेंगे ? नहीं तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सन् 1985 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में प्रचलित स्थानांतरण नीति के अनुसार सामान्यतया एक अवर अभियन्ता को एक स्थान पर तीन वर्ष रखने के उपरान्त स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया थी जो अभी भी लागू है । प्रशासनिक आधार पर उनका स्थानान्तरण किसी समय भी किया जा सकता है ।

जी हां, प्रशासनिक आधार पर श्री बी0 डी0 सिंह, अवर अभियन्ता का

स्थानान्तरण किया गया जो कि इनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों को देखते हुए दिनांक 30-4-86 तक स्थगित है ।

परिषद् में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत निरीक्षक परतावल, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायत की जांच

90—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत निरीक्षक परतावल जनपद गोरखपुर (श्री पाण्डेय) के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रश्नकर्ता द्वारा एक पत्र गत माह शासन को देकर खुली जांच की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या यह जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

प्रश्नकर्ता का दिनांक 25-9-85 का पत्र इस संबंध में प्राप्त हुआ । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को त्वरित जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

गोरखपुर में कुल संग्रह मांग तथा कार्यरत अमीन

91—डा0 अच्युतानन्द तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 गोरखपुर में कुल संग्रह मांग क्या थी और उसके लिए कितने अमीन स्थायी रूप से कार्यरत थे ? वर्तमान समय 15-11-85 को कुल संग्रह मांग क्या है और बढ़ी हुई मांग को देखते हुए क्या अमीन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कितने अमीन बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

गोरखपुर जनपद में वर्ष 1976 में कुल संग्रह मांग रु0 4,11,38,993.00 की वसूली के लिए 204 स्थायी अमीन कार्यरत थे ।

15-11-85 को कुल संग्रह मांग रु0 5,89,59,466.00 की वसूली हेतु 306 स्थायी एवं पूर्णवर्ष कालिक अमीन कार्यरत थे ।

अमीन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक बदायूं में कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति

92—श्री सईदुज्जमा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक बदायूं में कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची यू0 पी0 कोआपरेटिव एक्ट 1965 के संशोधित विनियम 26 के अन्तर्गत बनाकर प्रकाशित की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कर्मचारियों की पदोन्नति किस आधार पर की जा रही है ? क्या यह सही है कतिपय कर्मचारियों की पदोन्नति कर उनका अनुमोदन संस्थागत सेवा मंडल द्वारा किया गया ? यदि हां, तो इसका आधार क्या था ? क्या सरकार सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी एवं अनियमित ढंग से प्रोन्नत हुए कर्मचारियों की पदावनति तत्काल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं, संशोधित विनियम 26 के लागू होने के पूर्व विनियम संख्या 26 में तत्प्रभावी व्यवस्था के अन्तर्गत बनी वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नतियां की गई हैं । विनियम संख्या 26 के अंतर्गत बनी वरिष्ठता सूची एवं बैंक से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रोन्नति हेतु कर्मचारियों का चयन सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा किया गया ।

बैंक के दो कार्चारियों सर्वश्री प्रभातकुमार अग्रवाल एवं रमेश चन्द्र शर्मा ने बैंक द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची एवं उसके आधार पर किये गये पदोन्नति संबंधी आदेश को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक याचिका प्रस्तुत की है । मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण इस संबंध में कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही उठेगा ।

तकनीकी अधिकारी एवं प्रसार अधिकारी की नियुक्ति तथा अलग कैडर बनाने का विचार

93—सईदुज्जमा—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1978 में जिन तकनीकी अधिकारी एवं प्रसार अधिकारी को नियुक्ति किसान सेवा सहकारी समितियों में की गई थी उनका कोई कैडर बनाने का विचार सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वेद प्रकाश शर्मा सहकारी निरीक्षक वर्ग-2, जनपद गाजियाबाद को अनुमन्य पेन्शन

94—श्री सईदुज्जमा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वेद प्रकाश शर्मा, सहकारी निरीक्षक वर्ग-2, जनपद गाजियाबाद से 31-7-85 को 33 वर्षों की सहकारी सेवा करने के पश्चात् सेवा-निवृत्त हुए है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन्हें स्थायी नहीं किया गया और न ही उन्हें पेंशन की सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां । श्री वेद प्रकाश शर्मा, सहकारी पर्यवेक्षक के पद से सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 के पद पर तदर्थ/अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे । सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 के पद पर नियमित नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है । । अन्य तदर्थ/अस्थायी रूप से कार्यरत सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 के साथ श्री शर्मा का मामला भी लोक सेवा आयोग को दिनांक 19-11-84 को भेजा जा चुका है, जिस पर आयोग का अनुमोदन प्रतीक्षित है । चूंकि सहकारी पर्यवेक्षक का पद राजकीय सेवा का नहीं है और श्री शर्मा राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर अभी तक स्थायी नहीं है, अतः उन्हें पेंशन आदि सेवानिवृत्तिक लाभ अभी अनुमन्य नहीं है । शासन द्वारा सहकारी पर्यवेक्षक के पद से तदर्थ रूप से सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 के पद पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं का विनियमितीकरण उ0 प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के अधीन किये जाने का निर्णय ले लिया गया है, जिसके अधीन श्री वेद प्रकाश शर्मा की सेवाओं को विनियमित करने की कार्यवाही की जा रही है । उनके स्थायी होने पर उन्हें पेंशन आदि की सुविधा अनुमन्य हो सकेगी ।

तहसील मोहनलालगंज के ग्राम हुलास खेड़ा में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त मकानों हेतु गृह अनुदान

95—श्री सरदार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित तहसील मोहनलालगंज के ग्राम हुलास खेड़ा में 1985 में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान में सरकार द्वारा जो गृह अनुदान हरिजनों को दिया गया उसमें से लेखपाल एवं ग्राम प्रधान

द्वारा 50/- रुपये प्रति अनुदान प्राप्त कर्त्ता से लिया गया एवं जिन हरिजन परिवारों को गृह अनुदान दिया जाना था नहीं दिया गया ? अगर नहीं दिया गया तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

लखनऊ स्थित तहसील मोहनलालगंज के ग्राम हुलास खेड़ा में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त मकानों के संबंध में गृह अनुदान जो हरिजनों को वितरित किया गया, उनमें से किसी भी हरिजन से लेखपाल व प्रधान द्वारा रुपये 50/- प्रति अनुदानकर्ता से नहीं लिया गया । जो हरिजन पात्रता की सूची में पाये गये थे, उन्हें ही गृह अनुदान दिया गया ।

96—श्री मलिक मो0 कमाल युसुफ—

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

97—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

गढ़वाल जोन के मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता श्री प्रकाश पाण्डे के भ्रष्ट आचरण के संबंध में पत्र

98—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री के0 आर0 कश्यप प्रान्तीय मंत्री, उ0 प्र0 बिजली कर्मचारी संघ का शिकायती पत्र दि0 16-11-85 जो गढ़वाल जोन के मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता श्री प्रकाश पाण्डे के भ्रष्ट आचरण के संबंध में है माननीय मुख्य मंत्री जी तथा अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं और इस मामले में किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई तथा जांच में क्या पाया गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति रखना, घटिया किस्म के नट बोल्ट तथा मनीला रोप की खरीदारी करना आदि मुख्य शिकायतें हैं । मामले की जांच राज्य विद्युत परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा की जा रही है ।

99—श्री विजय सिंह राणा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में ग्राम नरीपुरा और सोहल्ला के विद्युतीकरण के आदेश कब किये गये थे ? क्या इन गांवों का विद्युतीकरण पूरा हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

आगरा जनपद के ग्राम नरीपुरा व सोहल्ला (जो कि नगर महापालिका की सीमा में है) के विद्युतीकरण के आदेश फरवरी, 1984 में हुये थे । इनमें से ग्राम नरीपुरा का विद्युतीकरण नवम्बर, 1985 में किया जा चुका है तथा ग्राम सोहल्ला के विद्युतीकरण हेतु प्रशासक, नगर महापालिका, आगरा द्वारा धनाभाव के कारण असमर्थता व्यक्त की गयी थी, जिस कारण उसका विद्युतीकरण नहीं किया जा सका ।

ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य

100—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 85-86 में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है और कितने ग्रामों में विद्युतीकरण करना शेष है और कितने ग्रामों में विद्युतीकरण हो चुका है ? शेष ग्रामों में विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्ष 1985-86 में 4600 ग्रामों का विद्युतीकरण का लक्ष्य है, जिसमें से

जनवरी, 1986 तक 2835 ग्रामों का विद्युतीकरण शेष था तथा 1765 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । इन अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण इसी वर्ष में होने की आशा है ।

101—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

[5वें शुक्रवार में अंता प्र0 सं0 119 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित]

जनपद हरदोई में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए गृह अनुदान

102—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों के दौरान क्षतिग्रस्त घरों के सिलसिले में गृह अनुदान के मद में जनपद हरदोई के लिए कुल कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया था ? एवं क्या इस धनराशि का आवंटन समुचित रूप से किया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । जनपद हरदोई में धन आवंटन समुचित रूप से किया गया है । क्षतिग्रस्त मकानों के लिये गृह अनुदान की मद में 1,56,00,000 रु0 की धनराशि का आवंटन चालू वित्तीय वर्ष (1985-86) में उपलब्ध है जिसके विपरीत 12,80,400 रु0 की धनराशि वितरित की जा चुकी है ।

103—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[6वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

प्रगति आश्रम, हाईस्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में श्री मान्धाता सिंह एम0 एल0 सी0 के पत्र पर कृत कार्यवाही

104—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति द्वारा संचालित प्रगति आश्रम, हाईस्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में श्री मान्धाता सिंह, एम0 एल0 सी0 के पत्र दिनांक 9-1-85, 12-3-85, 19-3-85, 17-4-85 तथा धनीराम सिंह नेगी एम0 एल0 सी0 के पत्र दिनांक 10-4-85 सचिव, वित्त उ0 प्र0 शासन को फोटो प्रतियों सहित प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों में किन-किन प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है और सरकार द्वारा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग में दिनांक 9-1-85 के पत्र को छोड़ कर शेष चारों पत्र प्राप्त हुये हैं ।

श्री मान्धाता सिंह के पत्र दिनांक 12-3-85 में निम्नलिखित प्रमुख बातों का उल्लेख है :—

(1) संस्था की आडिट रिपोर्ट में रु0 21,000 के सामान की कमी पाई गयी । इस सम्बन्ध में संस्था ने आडिट पार्टी को बताया था कि उक्त सामान चोरी चला गया था और उसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई थी । एफ0 आई0आर0 में चोरी गये समान की सूची नहीं दी गयी है ।

(2) संस्था के अध्यक्ष ने एक पत्र 10-4-85 को श्री आर0डी0 शर्मा, लेखाकार को लिखा था कि कृपया मुझे एक रसीद 31 मार्च, के पहले की भेज दें जिसमें 2500/- रुपये डोनेशन मैंने दिया है । इसे इनकम टैक्स में जमा करना है । यह रकम खाते में चढ़ा लीजिये । रु0 1,000 खादी कमीशन भेजना जरूरी है ।

(3) निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण के आदेश के बावजूद समस्त

सामग्री नया बाजार, उपभोक्ता सहकारी संघ, गांधी आश्रम तथा हथकरघा निगम से न खरीद कर ऊंचे दर पर सर्वश्री रामा एजूकेशनल ट्रेडर्स तथा सर्वश्री प्रेम कुमार ब्रदर्स से क्रय किया गया ।

(4) वर्ष 1984 में नवीन निर्माण कार्य हेतु रु0 15,000/- का अनुदान सरकार से प्राप्त हुआ था । आडिट रिपोर्ट में निर्माण लागत रु0 11,000 आंकी गयी । रु0 4,000/- का गबन किया गया ।

शेष बिन्दु 5 से 17 तक श्री मान्धाता सिंह के सभी आरोप आडिट रिपोर्ट पर आधारित हैं । विद्युत बिलों का भुगतान शासकीय अनुदान से किया जाता है परन्तु तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से रु0 17 प्रतिमास तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से रु0 11 प्रतिमास वसूल किया जाता है जिसका कोई लेखा नहीं रखा जाता । श्री वी0 एम0 नायर लेखाकार की सेवायें इस आधार पर समाप्त कर दी गयी थी कि उनका चयन सक्षम चयन समिति द्वारा नहीं किया गया, जबकि इसी प्रकार चयनित राजेश कुमार शर्मा को सेवा में बनाये रखा गया है । निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण द्वारा प्रगति आश्रम हाईस्कूल, बालागंज, लखनऊ के प्रधानाचार्य तथा प्रभारी अधीक्षक के मध्य कार्य का विभाजन किया गया था परन्तु नियम विरुद्ध डबल ड्यूटी भत्ते का भुगतान श्री0 आर0 पी0 सिंह, प्रधानाचार्य को किया गया ।

प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन देकर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था योग्य अभ्यर्थियों को तिरस्कृत करके श्री आर0 पी0 सिंह, प्रधानाचार्य का चयन गलत ढंग से किया गया जबकि यह तृतीय श्रेणी के स्नातक हैं । निदेशक ने श्री सिंह को 1-8-1982 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया किन्तु अध्यक्ष ने उन्हें 1-8-81 से उक्त वेतनमान दिया है ।

श्री बी0 एम0 नायर के अवशेष देयों के भुगतान पर जाली हस्ताक्षर करके रुपया हजम कर लिया गया । श्री बृजेन्द्र सिंह, स्टोर कीपर बी0 ए0 पास नहीं हैं । बी0 ए0 की डिग्री फर्जी होने के आधार पर उनकी सेवायें समाप्त कर देनी चाहिये । आडिट आपत्ति के बावजूद बृजेन्द्र सिंह को 9 वर्ष की सेवा अवधि पर चयन वेतनमान दे दिया गया जो अनियमित है । द्वितीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान निदेशक के आदेश प्राप्त किये बिना ही दे दिये गये हैं और कुछ धनराशि नकद तथा कुछ राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में न देकर सम्पूर्ण धनराशि नकद भुगतान कर दी गयी है । अवशेष धनराशि निदेशालय से प्राप्त कर लेने के बावजूद अध्यापकों/कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया है । टी0 वी0 सेट बिना निदेशक की अनुमति के क्रय किया गया है ।

पत्र दिनांक 19-3-1985 में मुख्य रूप से उपरोक्त आरोप संख्या-3 दोहराया गया है तथा यह आरोप लगाये गये हैं कि श्री आर0 सी0 मिश्र को निदेशक की अनुमति प्राप्त किये बगैर 36 की आयु पर अध्यापक नियुक्त किया गया तथा श्री पाण्डे, अध्यापक से ज्येष्ठ बना दिया गया एवं श्री राम मोहन सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति अनियमित है क्योंकि वह कक्षा 5 भी उत्तीर्ण नहीं है ।

पत्र दिनांक 17-4-1985 वर्ष 1969 में परिपूर्णानन्द वर्मा, हरसहाय जगदम्बा सहायक हाईस्कूल के प्रबन्धक के रूप में लम्बी धनराशि के गबन के मामले में स्पेशल जज एण्टी करप्सन के न्यायायल में अभियुक्त थे । इस वाद में श्री वर्मा जी जमानत पर छूटे हुए हैं । खादी तथा ग्रामोद्योग बम्बई का

रु0 41,360.72 पैसे श्री वर्माजी पर संस्था के अध्यक्ष की हैसियत से बकाया है और उक्त आयोग के निदेशक ने धनराशि की वसूली हेतु कलेक्टर लखनऊ से अनुरोध किया है । विद्यालय के छात्रों को गन्दा भोजन दिया जाता है जिसके फलस्वरूप विषाक्त भोजन से एक छात्र की मृत्यु हो गयी थी और अनेक छात्र गम्भीर रूप से बीमार हो गये थे । शेष आरोप पिछले पत्रों की पुनरावृत्ति है ।

श्री धनीराम सिंह नेगी के पत्र दिनांक 10-4-85 मुख्यतया श्रीमती माधुरी पाण्डे को सेवा में वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है ।

वित्तीय एवं प्रशासकीय अनियमितताओं के कारण संस्था के प्रबन्धाधिकरण को भंग करके 9-8-1985 को प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति एक वर्ष के लिये कर दी गयी है । श्रीमती माधुरी पाण्डे को सेवा में वापस ले लिया गया है ।

ललितपुर जनपद के बार विकास खण्ड में केवड़ा बाग की कथित कटाई

105—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के बार विकास खण्ड में प्रसिद्ध केवड़ा बाग को उजाड़ा जा रहा है और उसे काट कर खेती की जाने लगी है ? यदि हां, तो उसे रोकने तथा इस केवड़े के विकास के लिए एवं इसको क्षति होने से रोकने के लिए शासन कदम उठा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी जनपद को हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा दी गयी धनराशि

106—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जनपद के हरिजन एव समाज कल्याण विभाग को वित्तीय वर्ष 82-83, 83-84, 84-85 व 85-86 में कितना धन किस-किस मद में दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा झांसी जनपद को वित्तीय वर्ष 1982-83 83-84, 84-85 व 85-86 में हरिजन कल्याण की मद में क्रमशः रु0 1,15,32 979 रु0 1,14,11,918 रु0 1,25,93,605 तथा रु0 1,00,02,447 एवं समाज कल्याण की मद में रु0 9,59,157 रु0 14,02800 रु0 20,28,546 तथा रु0 53,35,510 दिया गया ।

अधीक्षण अभियन्ता, भण्डार क्रय मण्डल तथा मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी जांच समिति की संस्तुति पर कार्यवाही और वनस्पति उद्योगों को विद्युत परिषद् द्वारा दिए गये कोयले का भुगतान तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

107—श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् की जांच समिति ने अध्यक्ष उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को अपने पत्र संख्या-646 कान0 10/ई0 सी0 (10)-76, दिनांक 3-4-79 के द्वारा सूचित किया था कि अधीक्षण अभियन्ता स्टोर प्रोक्योरमेन्ट मंडल, लखनऊ द्वारा जारी किये गये आदेश सं0-844-एस0 पी0 (टी) वी0/सी0 ई0 एच0 663/72, कलकत्ता स्टोर्स दिनांक 23-8-72 के प्राविधानों का पालन करते हुए परिषद् के विभिन्न खंडों द्वारा रु0 78869-16 पै0 भुगतान करते हुए बैंकों

से खरीदी संबंधी प्रपत्र एवं बिल्टो छुड़ाया था और सामान आज तक भी परिषद् को प्राप्त नहीं हुआ है, परिषद् ने एक दूसरे आदेश संख्या 3040/जी0 एस0 पी0/एस0 ई0 वी0 दिनांक 16-5-1974 के द्वारा मेसर्स केशव वनस्पति एवं मेसर्स नारायण वनस्पति को कर्ज पर 181.05 एम0 टी0 कोयला तालकटोरा पावर हाउस से दिलाया, जिसका मूल्य रु0 17896-79 पै0 था और आज तक परिषद् को यह धनराशि वापस प्राप्त नहीं हुई ? यदि हां, तो संबंधित आदेशों को जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो परिषद् क्यों मौन है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । परिषद् की जांच समिति ने अपने पत्र दिनांक 3-4-79 में यह इंगित किया था कि अधीक्षण अभियन्ता भण्डार क्रय मण्डल, लखनऊ तथा मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने पर विचार किया जाय, परन्तु परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि इन्होंने संबंधित खण्डाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये थे कि जब तक उन्हें अधीक्षण अभियन्ता, भण्डार क्रय मण्डल, लखनऊ से इस आशय की सूचना न मिले कि फर्म ने जमानत की धनराशि जमा कर दी है तब तक फर्म को भुगतान न किया जाय किन्तु खण्डाधिकारियों द्वारा इनका पालन नहीं किया गया और बिना माल प्राप्त किये ही फर्म को रु0 78,869.16 का भुगतान हो गया । इस स्थिति में अधीक्षण अभियन्ता, भण्डार क्रय मण्डल एवं मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं था । यह भी सत्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के आदेश सं0 3040/जी0 एस0 पी0/एस0 ई0बी0, दिनांक 16-5-1974 एवं सं0 4084--जी एस पी/एस ई बी-9, दिनांक 21-5-1974 के अन्तर्गत मेसर्स केशव वनस्पति लखनऊ एवं मेसर्स नारायण वेजीटेबल प्रोडक्ट्स, सीतापुर को क्रमशः 150.00 मी0 टन एवं 31.05 मी0 टन कोयला लखनऊ स्थित तालकटोरा पावर हाउस से मई-जून, 1974 में दिलाया गया था तथा इस संबंध में प्रस्तुत क्रमशः रु0 26,284.86 एवं रु0 5,440.97 (कुल धनराशि रु0 31,725.83) के बिलों का भुगतान परिषद् को प्राप्त नहीं हुआ है ।

मई, 1974 में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रेलवे द्वारा केवल स्टील प्लाट एवं पावर हाउस को कोयले का आवटन किए जाने पर प्रदेश की वनस्पति फैक्ट्रियों को जनहित में चलाते रहने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के आग्रह पर राज्य विद्युत परिषद् द्वारा पांच विभिन्न फैक्ट्रियों के लिए कुल 3221.03 मी0 टन कोयला उपलब्ध कराया गया था । इनमें से तीन फैक्ट्रियों को उपलब्ध कराये गये कुल 3039.98 मी0 टन कोयले का या तो भुगतान कर दिया गया अथवा कोयला परिषद् को वापिस कर दिया गया । मैसर्स केशव वनस्पति, लखनऊ एवं मैसर्स नारायण वेजीटेबुल प्रोडक्ट्स, सीतापुर ने निरन्तर प्रयासों के बावजूद उनको दिया गया कोयला वापिस नहीं किया तथा न ही उसकी कीमत का भुगतान किया । तत्पश्चात् यह दोनों फैक्ट्री बन्द हो गयी तथा बिक गयी । परिषद् द्वारा विभिन्न वनस्पति फैक्ट्रियों को आपातकाल में जन-हित में तथा शासन के विशेष आग्रह पर ही कोयला दिया गया था तथा इस स्थिति में यह आदेश नहीं था कि इनमें से कोई फैक्ट्री बन्द होकर बिक भी जायेगी जबकि प्रश्नगत दोनों फैक्ट्रियों को कोयला देने की संस्तुति शासन के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा की गयी थी । अतः इस सम्बन्ध में परिषद् अथवा परिषद् के किसी अधिकारी विशेष को प्रश्नगत आदेशों को जारी करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

108—श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि परिषद् की जानकारी में अब तक ऐसे कितने मामले आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

यह प्रश्न पूर्णतया सामान्य प्रकृति का है इसमें किसी विशिष्ट मामले को इंगित नहीं किया गया वैसे जो भी मामले जानकारी में आते हैं उनमें समुचित कार्यवाही की जाती है ।

109—श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे मामलों में खंडीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही अपेक्षित होती रही और परिषद् एवं शक्ति भवन स्तर के अधिकारियों पर किसी प्रकार की कार्यवाही वांछित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं । विभिन्न जांच इकाइयों अर्थात् राज्य सतर्कता परिषद् सतर्कता एवं संप्रेक्षा आदि द्वारा जो भी मामले जानकारी में लाये जाते हैं उनमें जांच के फलस्वरूप अंतर्ग्रस्त पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है चाहे वे किसी भी स्तर के हों ।

बस्ती जिले के गांवों में बिजली उपलब्ध कराने की कथित योजना

110—कर्नल केशरी सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में बस्ती जिले में कितने ऐसे गांव हैं जहां बिजली के खम्भे लगाये जा चुके हैं एवं तार भी लग चुका है किन्तु उन्हें अभी बिजली नहीं दी जा रही है ? क्या ऐसे गांवों को बिजली उपलब्ध कराने की कोई समयबद्ध योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

बस्ती जिले में इस प्रकार का कोई गांव नहीं है । अस्तु अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

जिला हरदोई की कतिपय गांव सभाओं के ग्राम प्रधानों के विरुद्ध की गई शिकायतें व कार्यवाही

111—श्री हरिशंकर तिवारी—
'बिलग्रामी'—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान गांव सभा, जल्पीपुर, करनपुर, मतिनी, सगैंचामऊ, ब्लाक साण्डी व अतर्छा बुजुर्ग ब्लाक बिलग्राम, जिला हरदोई के विरुद्ध पद के दुरुपयोग व अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही कितने समय से चल रही है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

1—प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत गांव सभाओं के ग्राम प्रधानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :

1—गांव सभा जल्पीपुर

ग्राम प्रधान के विरुद्ध दिनांक 30-10-84 को प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, बिलग्राम की जांच आख्या दिनांक 26-7-85 के आधार पर परगनाधिकारी, बिलग्राम द्वारा ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है । ग्राम प्रधान का स्पष्टीकरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

ग्राम सभा करनपुर मतिनी

ग्राम प्रधान के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध न होने के कारण परगनाधिकारी, बिलग्राम द्वारा दिनांक 1-1-86 को कार्यवाही समाप्त कर दी गई ।

ग्राम सभा सगंचामऊ

ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्राप्त दो शिकायती पत्रों दिनांक क्रमशः 17-8-84 तथा 22-8-84 की जांचोपरान्त तहसीलदार, बिलग्राम की आख्या दिनांक 26-7-85 के आधार पर ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस परगनाधिकारी, बिलग्राम द्वारा जारी किया जा चुका है ।

ग्राम सभा अतर्छा बुजुर्ग

ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र दिनांक 31-12-82 के आधार पर दिनांक 27-10-83 को परगनाधिकारी, बिलग्राम द्वारा ग्राम प्रधान को दिए गए आरोप-पत्र के उपरांत दोनों पक्षों को सुनने के समय प्रकाश में आये कतिपय तथ्यों की जांच तहसीलदार, बिलग्राम द्वारा पुनः कराई गई । तहसीलदार बिलग्राम की जांच आख्या दिनांक 17-12-85 के आधार पर मामले की सुनवाई परगनाधिकारी, बिलग्राम के न्यायालय में नियत है जिसके उपरांत अन्तिम आदेश पारित किये जायेंगे ।

जनपद आजमगढ़ के मऊनाथ भंजन में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

112—श्री इकबाल अहमद—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के मऊनाथ भंजन के विद्युत वितरण खण्ड के अंतर्गत कोपागंज तथा परदहां ब्लाक में कुल आर0 ए0 सी0 योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिये किन-किन हरिजन बस्तियों को प्रस्तावित किया गया था और किन-किन बस्तियों में विद्युतीकरण किया गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद आजमगढ़ के मऊनाथ भंजन के विद्युत वितरण खण्ड के अंतर्गत कोपागंज एवं परदहां ब्लाक में आर0 ई0 सी0 योजना नहीं है । लघुत एस0 पी0 ए0 की योजना चालू है, जिसके अन्तर्गत हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

ग्राम सगंचामऊ, जिला हरदोई में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को धन वापस किये जाने का आदेश

113—श्री हरिशंकर तिवारी 'बिलग्रामी'—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सगंचामऊ, ब्लाक साण्डी, तह0 बिलग्राम, जिला हरदोई का भू-आवंटन का प्रस्ताव दि0 15-10-84 को परगनाधिकारी, बिलग्राम द्वारा निरस्त करके अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का धन वापस किये जाने का निर्देश दिया गया ? यदि हां, तो धन कब वापस किया गया और आवंटन किस तिथि को किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को धन वापस किये जाने के आदेश परगनाधिकारी बिलग्राम द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं किन्तु प्रधान द्वारा उनका अनुपालन नहीं किया गया है । गांव सभा की कृषि योग्य भूमि को पात्र व्यक्तियों में आवंटित किये जाने का प्रस्ताव भी प्रधान द्वारा पारित नहीं किया गया है । प्रधान को आरोप-पत्र देकर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बक्शा के कतिपय ग्रामों में विद्युत लाइन काट दिये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

114—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बख्शा के ग्राम बख्शा, मैरोपुर, चपरमऊ एवं सुजियामऊ की विद्युत लाइन अकारण बिना पूर्व सूचना के दिनांक 18-9-85 को काट दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? इस संबंध में एक शिकायती-पत्र श्री रफीकुमार द्वारा दिनांक 16-10-85 को जिलाधिकारी जौनपुर तथा

दिनांक 26-10-85 को अधीक्षण अभियन्ता, राज्य विद्युत परिषद्, जौनपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

ग्राम भैरोपुर चपरेमऊ एवं सुजियामऊ क्षेत्र की विद्युत् लाइन को अनाधिकृत रूप से मल्हानी फीडर से खोलकर नौपेड़वा फीडर से जोड़ लिया था । इस बात की जानकारी होने पर दिनांक 18-9-85 को नौपेड़वा फीडर से उक्त जोड़ी गयी अनाधिकृत लाइन को काट कर पूर्ववत् मल्हानी फीडर से जोड़ दिया गया ।

प्रश्न में उल्लिखित पत्रों के फलस्वरूप उपरोक्त गांव की लाईन को 33/11 के0 वी0 बदलापुर के नौपेड़वा फीडर से चालू कर दिया गया एवं इस समय भी चालू है ।

उन्नाव जनपद में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से पीड़ित लोगों को सहायता का तहसीलवार वितरण

115—श्री मनोहर लाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से इस वर्ष पीड़ित लोगों को क्षेत्रवार कितनी राहत प्रदान की गई ? क्या यह सच है कि जहां जरूरत थी वहां राहत कार्य नहीं हुआ ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उन्नाव जनपद में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से वर्ष 1985 में पीड़ित लोगों को तहसीलवार प्रदान की गई राहत का विवरण संलग्न है । इसके अलावा निम्नलिखित आवंटन और किये गये हैं :

तहसील	गृह अनुदान हेतु रुपया	प्रति मृतक 3700 रु0 की दर से देना सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से रु0 सहायता
1	2	3
1—उन्नाव	8,00,000	46,566
2—हसनगंज	12,00,000	22,832
3—पुरवा	12,00,000	39,166
4—सफीपुर	8,00,000	69,849
योग ..	40,00,000	1,78,413

जी नहीं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 154 पर)

क्षेत्र की विद्युत् लाइन को अनाधिकृत

वाराणसी में आवंटित आराजी पर श्री सत्यदेव यादव द्वारा अनाधिकृत निर्माण को रोकने के आदेश

116—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव प्रेमराजपुर, ग्राम सभा जमुआ, परगना भदोही, त0 ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के आराजी नं0 45/1-45/2 व 44/10 को क्रमशः जानकी, गंगरू, बलिकरन मुसहर वनवासी को आवंटित किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त आवंटित आराजी पर सत्यदेव यादव जबरदस्ती घर बना रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त व्यक्तियों ने परगनाधिकारी ज्ञानपुर, वारा-

णसी को 23-9-85 को प्रार्थना-पत्र दिया था और परगनाधीश ने थानाध्यक्ष चौरी को निर्माण रोकने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ? क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मुसहरों ने प्रार्थना-पत्र दिया था कि सत्यदेव यादव मकान बना रहे हैं उस पर स्थगन आदेश भी 19-9-85 को किया गया है तब भी उसका मकान बन रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त जमीन मुसहरों के कब्जे में रहने का आदेश देगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जानकी तथा मंगरू को गाटा संख्या-45 में तथा बलिकरन को गाटा संख्या-44 में कृषि हेतु भूमि का आवंटन किया गया है किन्तु आराजी नं0-45 पर श्री सत्यदेव यादव ने घर बना लिया है । दिनांक 23-8-85 को आवंटियों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर परगनाधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष चौरी को अनाधिकृत निर्माण के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक थाना चौरी की पुलिस द्वारा समय से कार्यवाही न करने के कारण मकान का निर्माण हो गया किन्तु उससे लगे बरामदे का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और उसे रोक दिया गया है । दिनांक 19-9-85 का स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है । इस सम्बन्ध में जांच करा कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड बनकटा में स्वीकृत विद्युत सब स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव

117—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया के विकास खण्ड बनकटा में स्वीकृत विद्युत सब स्टेशन निर्माण के लिये प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 17-8-85 को मंत्री जी को पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । इस विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण वर्ष 1986-87 में प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

ग्राम भौगैतापुर, जिला हरदोई के प्रधान द्वारा भूमि को आवंटित करने से इंकार कर देने के विरुद्ध कृत कार्यवाही

118—श्री हरिशंकर तिवारी 'बिलग्रामी'—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम भौगैतापुर, तह0 बिलग्राम, जिला हरदोई के प्रधान ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने से इंकार कर दिया तथा गांव सभा की भूमि पर स्वयं कब्जा किए हैं । इस सम्बन्ध में भू0 लेख निरीक्षक ने तत्कालीन तहसीलदार बिलग्राम को भू0 प्र0 सं0 भंग करके भूमि आवंटित करने की संस्तुति की ? यदि हां, तो भूमि कब आवंटित की गई व प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधान ने दिनांक 29-5-84 को आहूत की गयी भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक में गांव सभा की भूमि को आवंटित करने से इन्कार कर दिया । क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार सिंह तथा उनके भाइयों के विरुद्ध तहसीलदार के न्यायालय में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई किन्तु उनकी आपत्ति पर कार्यवाही समाप्त कर दी गई, जिसके विरुद्ध ग्राम सभा/राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरदोई के न्यायालय में विचाराधीन है ।

इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि भूलेख निरीक्षक न तत्कालीन तहसीलदार बिलग्राम को भूमि प्रबन्धक समिति भंग करके भूमि को आवंटित किये जाने की संस्तुति की थी । भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक जो दिनांक 14-1-1986 को सम्पन्न हुई, में 195 पात्र व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि को आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके अनुमोदन हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम बरावां, जनपद बाराबंकी में भूमि संख्या 130 का कृषि कार्य हेतु दिया गया पट्टा

119—श्री गजराज सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1985 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0-2 के उत्तर के संदर्भ में क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि भूमि प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव दिनांक 23-10-1975 द्वारा भूमि सं0 130 में जिस अंश का पट्टा किया गया था उस अंश पर कुल कितने पेड़ हैं ? क्या यह सही है कि सभी पेड़ भूमि प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के दिनांक से पहले के लगे हुए हैं ? यदि हां, तो सार्वजनिक बाग पट्टा दिये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

भूमि प्रबन्धक समिति बरांवा के प्रस्ताव दिनांक 23-10-1975 द्वारा भूमि सं0-130 के जिस अंश का पट्टा किया गया था उस पर कोई वृक्ष स्थित नहीं है । अतः अन्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कलेक्टर एवं दीवानी परिसर, देवरिया में बरसाती जलभराव को दूर किये जाने सम्बन्धी पत्र

120—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें संस्थापक एवं महा सचेतक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा शाखा, उ0 प्र0 लखनऊ का पत्र दिनांक 5-7-85 को जिसमें कलेक्ट्रेट एवं दीवानी परिसर देवरिया में बरसाती जल भराव से प्रायः प्रतिवर्ष समस्त कार्य कलाप हफ्तों ठप्प पड़ जाने की स्थिति से बचाने हेतु सूचित किया गया है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो लोक महत्व में वांछित मांग के प्रति कृत कार्यवाही से मंत्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

कलेक्ट्रेट एवं दीवानी परिसर में जहां-जहां आवश्यकता थी छाई गिरवा कर जल भराव दूर करने का प्रबन्ध कर लिया गया था ।

उन्नाव जनपद में बाढ़ क्षेत्र राहत कैम्पों में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

121—श्री मनोहर लाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में बाढ़ क्षेत्र राहत कैम्प में इस वर्ष कितने कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया है ? क्या यह सच है कि जिन लोगों को ड्यूटी नहीं दी गई उनको भी दण्ड दिया गया ? क्या मुख्य मंत्री जी ड्यूटी पर तैनात लोगों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद उन्नाव में विभिन्न बाढ़ क्षेत्र राहत कैम्पों में कार्यरत तहसील उन्नाव के 7 तथा तहसील हसनगंज के 4 लेखपालों को मुअत्तल किया गया था जिनमें से क्रमशः 6 व 3 को बहाल किया जा चुका है । उसके अलावा तहसील सदर के पर्यवेक्षक कानूनगो श्री वीरेन्द्र कुमार को राहत कार्यों में उदासीनता बरतने, तहसील हसनगंज के संग्रह चपरासी श्री सियाराम को बाढ़ नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने तथा तहसील सफीपुर में गृह अनुदान वितरण में गम्भीर अनियमितताओं के कारण श्री मन मोहन कुमार नायब तहसीलदार को निलम्बित किया गया है ।

जी नहीं ।

चूंकि सूची लम्बी है, अतः माननीय

सदस्य मेरे कार्यालय कक्ष में पूर्व सूचना देकर सूची देख सकते हैं ।

122—श्री राज किशोर सिंह—

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

ग्राम नाकाही, तहसील नौगढ़, बस्ती के पट्टेदारों की भूमि पर नाजायज कब्जा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें 7 सूचनाएं स्वीकार की गई हैं । जिनकी सूचनाएं स्वीकार की गई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—श्रीमती कमला साहनी, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री भोपाल सिंह, श्री सुरेन्द्र नाथ वर्मा, श्री भगौती सिंह, श्री भगवती सिंह विशारद तथा श्री विजय सिंह राणा ।

*श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान बस्ती जनपद के तहसील नौगढ़, ग्राम नाकाही के पट्टेदारों की समस्या की तरफ आकर्षित करता चाहती हूं । ग्राम प्रधान द्वारा उक्त ग्राम के 92 गरीब एवं भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा किया गया किन्तु परगनाधिकारी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त अभी तक कब्जा नहीं मिल सका । कुछ लोगों को कब्जा गिला भी था तो उन्हें भी नाजायज कब्जा करने वालों ने मार कर भगा दिया तथा फसल को हाथी से रौंदवा दिया और जमीन पर पुनः कब्जा कर लिया । इस घटना की सूचना थाने एवं परगनाधिकारी को दी गई किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण गरीबों में भय एवं असन्तोष व्याप्त है । इस लोक महत्व के प्रश्न पर तुरन्त उचित कार्यवाही करने की कृपा करें ।

जनपद देवरिया में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के अवशेष वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

महोदय, देवरिया जनपद में हरिजन समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित 28 आवर्तक प्राइमरी हरिजन पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों का विगत 4 माह से वेतन का भुगतान अनुदान के अभाव में नहीं हो रहा है जिससे लगभग 150 अध्यापक तथा उनका परिवार भीषण मंहगाई में भुखमरी का शिकार हो रहा है । हरिजन समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की अदूरदर्शिता और निकम्मेपन के कारण अध्यापकों में असन्तोष और क्षोभ व्याप्त है और उनमें आन्दोलन की आशंका है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाकर, आपके माध्यम से, शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए, उनके वेतन भुगतान के लिये आवश्यक अनुदान आवंटित कर धनराशि भेजे जाने की मांग करता हूं ।

बरनावा, मेरठ में कृष्णा व हिन्डन नदियों पर जगह-जगह पर बांध बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र बरनावा जनपद मेरठ के चौगावां के अन्तर्गत 40 गांव आते हैं । इन गांवों के पश्चिम किनारे से कृष्णा नदी भू-स्तर से गहराई में बहती है, दूसरी ओर पूरब दिशा में हिन्डन नदी भू-स्तर से गहराई में बहती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, जिसकी वजह से भू-जल स्तर 80 फीट तक पहुंच गया है । लगातार प्रति वर्ष भू-जल स्तर 4-5 फीट नीचे चला जाता है जिसके कारण पेयजल की समस्या तो उत्पन्न हो ही गई है और यही नहीं विद्युत ट्यूबवेल भी लगातार 4 या 5 घंटे चलने के बाद पानी छोड़ देते हैं । क्षेत्र अकाल की स्थिति में पहुंच गया है । अगर इसके लिये शासन द्वारा कोई निराकरण न किया गया तो क्षेत्र में कुछ समय बाद न तो कोई फसल ही पैदा होगी और पीने के पानी से लोग तड़प-तड़प कर मरने लगेंगे ।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि चौगावां क्षेत्र में इन नदियों पर जगह-जगह बांध बनाकर पानी को रोकने की व्यवस्था शीघ्र की जाय ताकि भू-जलस्तर ऊपर आ सके ।

ब्लाक नरैनी, बांदा के ग्रामीण अंचलों में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, बांदा जनपद के नरैनी ब्लाक के गांवों में भीषण पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है । बदौसा, लूक, धौरही, मऊ, टिटिहरा तथा फतेहगंज के क्षेत्र में लोग गन्दे नालों तथा छोटी दूषित गन्दी नदियों का पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं, जिससे भयंकर महामारी फैलने की आशंका उत्पन्न हो गई है । इस क्षेत्र में, कुयें में काफी गहरे पानी होने के कारण कुयें सूख रहे हैं ।

अत: मैं अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या को सदन के संज्ञान मे लाकर फतेहगंज क्षेत्र, बदौसा तथा लूक, धौरही आदि गांवों में तुरन्त पीने के पानी की व्यवस्था तथा पानी की टंकिया बनवाकर पानी की सप्लाई की मांग करता हूं ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ में इन्दिरानगर विस्तार योजना द्वारा किसानों की अधिगृहीत भूमि पर कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ ने लखनऊ मे इन्दिरानगर विस्तार योजना के अंतर्गत ग्राम इस्माइलगंज, कमता, पानीगांव तकरोई, अमराई गांव, चांदन आदि गांवों के हजारों किसानों की हजारों एकड़ जमीन अधिगृहीत करने हेतु दो वर्ष पहले नोटिस दिया था । किसानो पर नोटिस के जरिए यह पाबन्दी लगायी गयी है कि वह अपनी जमीन न बेच सकते हैं, न उस पर लगे पेड़ काट सकते हैं और न उसकी मिट्टी आदि खोद सकते हैं । न तो सरकार वह जमीन अधिगृहीत करने के सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही कर रही है, न तो वह जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कर रही है । इससे हजारों किसानों में भीषण रोष व क्षोभ व्याप्त है और किसी दिन स्थिति विस्फोटक हो सकती है ।

अस्तु आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं कि या तो इस जमीन को अधिग्रहण से मुक्त किया जाय या अधिगृहीत करने के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जाय ।

भगवन्त नगर, उन्नाव में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा सिंचाई की नाजायज वसूली किये जाने के संबंध में नियम **301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, उन्नाव जनपद के भगवंत नगर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विकास खण्ड बीघापुर, सुमेरपुर एवं पुरवा में सिंचाई विभाग के मींचपालों द्वारा खरीफ की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फसल की सींच के पर्चे किसानों को नहीं दिये गये हैं, जिसके कारण उन्हें कोई आपत्ति करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है । परिणामस्वरूप इनके ऊपर अनधिकृत सिंचाई बांध कर वसूली हेतु भेज दिया गया है, जो अब वसूली की जा रही है, जिससे कृषकों में घोर असंतोष है ।

मैं इस तथ्य को सदन के सज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि वह खरीफ के सिंचाई की वसूली रोक कर उसकी जांच करावें और जो सही सिंचाई हो, वह कृषकों से वसूल की जाय ।

आगरा नगर के निकटवर्ती गांवों के पालतू पशुओं द्वारा किसानों की फसलों को क्षति पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आपके माध्यम से लोकमहत्व के एक अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सदन एवं शासन का ध्यान ले जाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा नगर के आस-पास बसे गांव में नगर के घोसियों की पालतू गायें इतनी चुश्त और चालाक हो गयी है कि घोसी इन्हें शाम को दूध दुह-लेने के बाद खुला छोड़ देते हैं और तब यह गायें टोली की टोली बनाकर गांवों की ओर निकल जाती है और रातभर में गांव के गरीब किसानों के खेतों को खाकर, सुबह दूध निकालने के समय तक घर वापस लौट आती हैं । इस समस्या से मुख्यत: प्रभावित गांव कोटकी, बगीची, सेवलजाट, ननाब्राहमण मोहल्ला, उखर्रा, कौलक्खा नगलाकली आदि, इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन को तथा इस सदन में बरा-बर मामले को उठाया जाता रहा है । किन्तु इस समस्या का कोई समाधान आज तक नहीं हो सका है । किसानों की खेती प्रतिवर्ष बरबाद हो रही है ।

कृपया शासन को निर्दिष्ट करें कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए त्वरित कार्यवाही करें ।

दिनांक 20-2-86 के स्थगित प्रश्नों को दिनांक 27-2-86 को सायंकाल लिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है माननीय सूर्य प्रताप शाही जी की ।। क्या इस पर आप कहना चाहेंगे ?

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कल जो कार्यवाही अपराह्न में हुई आइ-टम नं0 18 पर, स्वास्थ्य विभाग के प्रश्न लगाये थे, उसके बारे में जो व्यवस्था है बताना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था तो नियम 31 में दी हुई हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, दूसरे माननीय सदस्यों को सूचना नहीं मिल सकी कि उनके प्रश्न निर्धारित किये जा रहे हैं जिसकी वजह से कई माननीय सदस्यों, प्रश्न पूछने का जो उनको अधिकार है उससे वह वंचित रह गये हैं, प्रक्रिया नियमा-वली में यह दिया हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, इस पर व्यवस्था दी हुई है । क्या संसदीय कार्य मंत्री जो कुछ कहना चाहेंगे ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, नियम 31 में दिया हुआ है जिसे आपने बता दिया है । लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक पुराना निर्णय मुझको मिला है अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ दूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, ज्ञान वृद्धि होगी ।

श्री हुकुम सिंह—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पीठ से दिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन है 1952 से दिसम्बर 67 तक । इसमें मान्यवर पृष्ठ 215 में दिया है प्रश्नों का समय बढ़ाये जाने के लिए नियम में परिवर्तन करना आवश्यक है । 21 अक्तूबर, 1955 को श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने प्रश्नों का समय 15-20 मिनट बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया तो श्री अध्यक्ष ने निर्णय दिया कि यह नियम का सवाल है, इसलिये नियमों में परिवर्तन करना होगा और प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सूर्य प्रताप शाही ने जो प्रश्न उपस्थित किया, तो वह नियम 31 के अंतर्गत जहां लिखा है कि प्रश्नों का समय 11 से 12.20 तक रहेगा, वहीं लिखा है कि यदि अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश न करें । तो अध्यक्ष यदि कभी चाहते हैं तो निर्देश कर सकते हैं ।

जहां तक उनका कहना है कि माननीय सदस्यों को पता नहीं चला, तो उस दिन 20 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी ने इसी पीठ से घोषणा किया था कि आज के स्थगित प्रश्नों को 27 को लिया जायेगा, तो यह सवाल कि पता नहीं था, पैदा नहीं होता है ।

पिछले सत्र में श्री शाही जी को ध्यान होगा और यदि नहीं ध्यान है तो मैं बता दूं कि 25 जुलाई, 1985 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर प्रश्न स्थगित किये गये थे और इसी तरह से सवाल शाम को लिये गये थे ।

श्री शाही जी, सोचिए कि उस दिन स्वास्थ्य मंत्री के 61 प्रश्न तो अतारांकित थे और 12 तारांकित थे और यदि यह 27 तारीख को जोड़ दिए जाते तो माननीय सदस्यों के ही जो प्रश्न लगे थे वह रह जाते और यह और आ जाते । इसको ध्यान में रखते हुए शाम को करा दिया, वरना उस दिन लगा देते तो कुछ का जवाब अनुत्तरित रह जाता । इसलिये जो माननीय सदस्य कल थे उनको उत्तर मिला और जो नहीं थे उनको नहीं मिला । इसलिए औचित्य का, आपका प्रश्न मैं स्वीकार नहीं करता हूं ।

प्रेषित श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल द्वारा धन्यवाद

श्री उपाध्यक्ष—

दिनांक 6 फरवरी, 1986 को विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय का जवाब लौट कर आ गया है जिसको मैं पढ़ रहा हूं :

26 फरवरी, 1986

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपके अर्धशासकीय पत्र संख्या 1585/वि0 स0/संसदीय/21(सं0)-86, दिनांक 25 फरवरी, 1986 के लिये धन्यवाद ।

आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा ।

भवदीय

(ह0) मोहम्मद उस्मान आरिफ ।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री एलेविन की टीम तथा नेता विरोधी दल एलेविन की टीम के बीच होने वाले क्रिकेट मैच की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों को एक सूचना दे रहा हूं । कल एक मैच क्रिकेट का बाबू के0 डी0 सिंह स्टेडियम, लखनऊ, में होने जा रहा है, जिसमें एक टीम चीफ मिनिस्टर एलेविन की होगी और दूसरी टीम लीडर आफ अपोजीशन एलेविन की होगी । तो यह मैच कल सुबह 8 बजे दोनों टीमों का स्टेडियम में होगा । निवेदन है कि वहां 8 बजे सुबह आप लोग पहुंचे । अध्यक्ष जी इसके अम्पायर होंगे ।

श्री विजय सिंह राणा—

मैच क्या यहीं होगा ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

स्टेडियम में है । यहां बन्द कर दिया है, यहां कोई मैच नहीं होगा । तो संसदीय कार्य मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वह अच्छा मैच होगा और अच्छे प्लेयर्स खेलेंगे , कल ही तो है, आप वहां की जरा अच्छी व्यवस्था करा दें और जरा चाय वगैरह की प्राब्लम हल हो जानी चाहिए ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

वह बहुत अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

बहुत धन्यवाद ।

श्री किरनपाल सिंह—

वहां पर भारी भीड़ देखने के लिए आएगी, उसका भी ध्यान रखकर आप इंतजाम करायें ।

एक सदस्य—

लन्च भी

श्री उपाध्यक्ष—

भीड़ तो होगी, ठीक है । (व्यवधान) लंच की बात आप हाउस के बाद कर लीजियेगा ।

लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल में प्रयोग किये जाने वाले दूषित ग्लूकोज से अनेकों लोगों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

मान्यवर, लखनऊ मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल से संबंधित अस्पतालों मे ..

श्री पूरन सिंह माहरा—

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग सहमत हों तो पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री लोकपति त्रिपाठी—

[10 हजार पाउचेज 10 प्रतिशत डेक्स्ट्रोज (ग्लूकोज) 21-1-1986 को प्राप्त हुआ, 21-1-1986 से 23-1-1986 तक 1180 पाउचेज अस्पताल के विभिन्न वार्डों में दिये गये । 25-1-1986 को इसमें से एक पाउच जिसकी बैच संख्या 04385 है, में फंगस दिखाई पड़ा, यह सूचना प्राप्त होते ही समस्त प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, अपर निदेशक/सयुक्त निदेशक, समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज उत्तर प्रदेश को इस बैच की खरीदी गई पाउचेज को अग्रिम आदेशों तक प्रयोग में लाने से रोक दिया गया । श्रीमन् यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 लखनऊ को भी इस विषय में सूचना दे गई थी और उन्होंने भी इस बैच को

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पाउचेज के प्रयोग के विषय में अधीक्षक गांधी स्मारक मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ तथा अधीक्षक, यू0 एच0 एम0 हास्पिटल, कानपुर की इस बैच के पाउचेज प्रयोग में न लाने के लिए लिख दिया गया ।

औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ को इस बैच के नमूनों को एकत्र कर जांच एवं विश्लेषण हेतु अवगत करा दिया गया था । गांधी मेमोरियल चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक ने भी इस बैच के पाउचेज के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया था और यह भी आदेश दिए थे कि इस बैच के जो भी पाउचेज वार्ड में नहीं लाये जा सके हैं उनको उस अस्पताल के केन्द्रीय औषधि भण्डार में वापस कर दिया जाये । वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक ने बताया है कि इस बैच की 340 पाउचेज में से केवल 80 ही बांटे गये थे और जिनका प्रयोग वार्ड में हुआ था । विश्लेषण के पश्चात ही इनका प्रयोग आरम्भ किया जायेगा ।

बाकी बचे हुए पाउचेज को, जो 20-1-1986 को प्राप्त हुए थे उनका परीक्षण लखनऊ मेडिकल कालेज के अधिकारियों तथा श्रीमन्त यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 के अधिकारियों द्वारा किया गया और कोई पाउच में देखने पर किसी प्रकार का मिश्रण नहीं पाया गया । कुछ पाउचेज इनमें से प्रोफेसर के0 एन0 धवन फार्माकालोजी विभाग को पायोजैनिक तथा कल्चर परीक्षण के लिए भेज दिया गया था और उन्होंने जानवरों पर प्रयोग करने के बाद इन पाउचेज को पायोजैनिक नहीं पाया । गांधी मेमोरियल चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया कि 20-1-1986 को आपूर्ति की गई केवल एक पाउचेज में फंगस स्पष्ट दिखाई दिया ।

कोई अधिकृत सूचना वार्डों से नहीं प्राप्त हुई है कि इस बैच के दूसरे पाउचेज के प्रयोग के उपरान्त किसी की दशा गम्भीर हुई हो अथवा किसी मरीज की मृत्यु हुई हो । वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, गांधी मेमोरियल अस्पताल ने सूचित किया कि बड़ी संख्या में मरीजों को जिन्हें ये ट्रांसफयूजन द्रव्य दिया गया था वह सामान्य हैं ।

मृतकों की संख्या 4-2-1986 से लेकर 20-2-1986 तक, जब तक श्रीमन्त यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 द्वारा निर्मित डेक्स्ट्रोज का प्रयोग नहीं किया गया था, वह 6 से 15 प्रतिदिन थी । दिनांक 20-1-1986 से लेकर 26-1-1986 तक मृतकों की संख्या जब श्रीमन्त यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 के पाउचेज प्रयोग किये गये निम्नवत थी :—

21-1-1986	4
22-1-1986	14
23-1-1986	16
24-1-1986	10
25-1-1986	7
26-1-1986	5

और जब श्रीमन्त यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 के डेक्स्ट्रोज का प्रयोग बन्द कर दिया गया था अर्थात् 27-1-1986 को मृतकों की संख्या 15 थी । इस प्रकार मेडिकल कालेज के गांधी मेमोरियल चिकित्सालय में श्रीमन्त यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 द्वारा आपूर्ति किये गये 10 प्रतिशत डेक्स्ट्रोज से किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं हुआ ।

यह उल्लेखनीय है कि किसी भी बोतल अथवा पाउच में किसी कारण छेद हो जाने से उसमें फंगस उग सकता है । इस प्रकार का छेद यातायात व भण्डार में

भी हो सकता है । चूंकि पूरे बैच के एक ही पाउच में फंगस पाया गया है अतः इसमें उत्पादन संबंधी कमी की बहुत कम गुंजाइश है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि डाक्टरों को यह भी आदेश है कि यदि किसी बोतल अथवा पाउच में फंगस या कोई अन्य कमी दिखायी दे तो उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । यह आदेश पुनः दोहरा दिये गये हैं । अतः फंगस युक्त किसी पाउच अथवा बोतल के प्रयोग की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि यह कमी बाहर से आसानी से दिखाई देती है ।

अतः यह गलत है कि के० जी० मेडिकल कालेज में बड़ी संख्या में फंगस युक्त बोतलें या पाउच उपलब्ध हैं । केवल एक ही पाउच सामने आया है । यह भी गलत है कि इस कालिज में इस कारण कोई मौतें हुई हों या हजारों मरीजों की हालत खराब हो । एक भी मरीज को इस प्रकार का कोई कुप्रभाव नहीं हुआ है ।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

वक्तव्य के पेज दो पर लिखा है "केवल एक पाउच में फंगस स्पष्ट दिखाई दिया ।" और उसके आगे चौथे पैराग्राफ के अन्त में लिखा है कि "चूंकि पूरे बैच के एक ही पाउच में फंगस पाया गया है अतः इसमें उत्पादन संबंधी कमी की बहुत कम गुंजाइश है" तो इस सन्दर्भ में, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इसे सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे कि उत्पादन में कमी की वजह से तो यह नहीं है ? इस बारे में मंत्री जी ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है तो क्या वह इस बात की वैज्ञानिकों द्वारा या किसी एक्सपर्ट टीम से जांच कराने की कृपा करेंगे कि जो उत्पादन है उसमें तो कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से यह पाया गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, ग्लूकोज उत्पादन में कोई कमी नहीं है । यू० पी० डी० पी० एल० से जो हुआ है, 10 हजार पैक किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में भेजे गये थे, उसमें से मात्र एक में फंगस रहा । फंगस होने के कई कारण हो सकते हैं । किसी भी प्रकार से ग्लूकोज में हवा चली गई तो फंगस होने का खतरा रहता है । उसका प्लास्टिक पैक होता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उसमें कहीं कोई छोटा सुराख रहा हो, जिससे बह गया है । तो सारी की सारी लाट को बदलकर उनको दूसरा पहुंचा दिया गया है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मैंने वक्तव्य पढ़ा है । इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि यू० पी० डी० पी० एल० में यह ग्लूकोज के जो पाउचेज बनते हैं, जिसके चेयरमैन आपके स्वास्थ्य सचिव हैं और क्रेता की हैसियत से वही खरीदते भी हैं, आपने यू० पी० डी० पी० एल० के जरिये इसकी जांच भी कराई थी, यह कहां तक ठीक है? तो क्रेता और विक्रेता दोनों हैसियत में एक ही अधिकारी थे, काम करते हैं, इसको रोकने और इसकी जांच किसी बाहर की एजेन्सी से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

यू० पी० डी० पी० एल०, उत्तर प्रदेश शासन और आई० डी० पी० एल० इनका पैसा उसमें लगा हुआ है । स्वास्थ्य सचिव इसका चेयरमैन होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर, आई० डी० पी० एल० से आता है । स्वास्थ्य सचिव क्रेता नहीं है, न विक्रेता है । स्वास्थ्य सचिव की हैसियत एक प्रतिनिधि की है । इसमें वित्त विभाग भी है, नियोजन विभाग भी है । यह उद्योग की एक

बनी बनायी परंपरा है जिसके अंतर्गत यह है ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, यह जो ग्लूकोज कांड हुआ तो यह डेक्सट्रोज बहुत महत्वपूर्ण दवा है । मैं जानना चाहता हूं कि यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 ने जो इसकी आपूर्ति की तो इसका बैच नंबर क्या है और कितनी मात्रा में इसको मैन्यूफैक्चर किया है ? दूसरी बात यह है कि बोतल पर निर्देश लिखा रहता है तो ग्लूकोज चढ़ाने के पहले उसको देख लेना चाहिये । मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करें कि उसमें फिनोलिक ग्रुप कितने परसेन्ट था ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मैं दवा विक्रेता नहीं हूं ।

श्री गोपाल दास यादव—

आपको इसकी जानकारी होनी चाहिये । मैं यहां पर एक मैन्यू-फैक्चरिंग केमिस्ट हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

दवा बनाने की जानकारी मंत्री जी को होनी की जरूरत नहीं है, विभाग को जानकारी होनी चाहिये ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, बैच नंबर बता दें ? मंत्री, जी, यह लोगों के जीवन मरण का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप आसन ग्रहण करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने तीन सवाल किये हैं । एक सवाल के बारे में आप कहते हैं कि उसकी जानकारी मंत्री जी को नहीं हो सकती । तो बाकी जो दो सवाल है, पहला यह कि बैच नंबर क्या है ? दूसरा यह कि उसको इस्तेमाल करने के पहले बोतल देख लेनी चाहिये तो इनका जवाब दिलवाइये । तीन सवालों में से आप दो का जवाब दिलवाइये ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, उसका बैच नम्बर 04385 था । मैंने पहले ही बता दिया कि 10 हजार पैक गये थे जिसमें एक में फंगस थी ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, फिनोलिक ग्रुप का परसेन्टेज क्या था ?

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं . . .

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं संरक्षण चाहूंगा । जवाब नहीं आया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

बाद में जवाब दिलवा दूंगा, मैंने किरन पाल जी को बुला लिया है ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के उत्तर के पेज 2 पर लिखा है कि किसी भी बोतल अथवा पाउच में किसी कारण से छेद हो जाने से उसमें फंगस आ सकता है । इस प्रकार का छेद यातायात व भण्डार में भी हो सकता है । तो यह जवाब इमैजिनेशन पर दिया है। स्वास्थ्य का मामला गम्भीर है आपको जवाब देना चाहिये था कि किस कारण से फंगस था ? मैं जानना चाहूंगा कि यह फंगस यातायात में हुआ या भण्डार में रखने के कारण हुआ ? क्या आपने इसकी जांच करायी कि इसके प्रीपरेशन में कमी थी, इस कारण

फंगस हुआ ? इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, जहां तक निर्माण का प्रश्न है उसमें कोई कमी नहीं है । मैंने इसके पूर्व आपसे अनुरोध किया था कि जो पैक है वह पोलीपैक है, हो सकता है कि उसमें किसी प्रकार से वायु प्रवेश कर गयी हो । उसमें कोई सुराख हो सकता है, जिससे फंगस हुआ ।

श्री किरन पाल सिंह—

"हो सकता है," नहीं मान्यवर, ठीक जवाब दिलवाइये । आप इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरा उत्तरदायित्व आप पर है । पूरे विभाग की सारी जानकारी आपके पास आती है । इस पर आप यह कह रहे हैं कि यह हो सकता है, वह हो सकता है, यह उत्तर नहीं सही है । मान्यवर, स्पष्ट उत्तर दिलवाइये कि किस कारण फंगस हुआ ? "हो सकता है", इसका कोई मतलब नहीं है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, जहां पर इसका निर्माण होता है, उसमें कोई दोष नहीं था । जहां रखा गया, वहां कोई दोष नहीं था और जहां गया और जैसे गया उसमें कोई दोष नहीं पाया गया । उन 10 हजार पैक में से सिर्फ एक पैक में किसी भी तरह से हवा के चले जाने से उसमें फंगस आया । इस फंगस के आने के तीन कारण हो सकते हैं । एक तो उसमें किसी प्रकार से जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वायु, प्रयुक्त हुई हो, दूसरा यह हो सकता है कि पैक किसी तरह से क्रैक हो गया हो, तीसरा, या तो पैक खराब हो । चूंकि ग्लूकोज में जब वायु जायेगी तो फंगस अवश्य पैदा होगा ।

हम लोग एक जमाने में जब छात्र थे और स्काउट में थे तो उस समय फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती थी और उसमें बताया जाता था कि ग्लूकोज क्या चीज होती है ? वरना मैं कोई डाक्टर नहीं हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर के पृष्ठ 2 पर लिखा है कि 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक इतनी-इतनी मौतें हुईं, तो श्रीमन्, जो मौतें हुयीं, क्या उन सब की जांच कराई गयी और उनका परीक्षण हुआ और यदि परीक्षण हुआ तो उसकी क्या रिपोर्ट है और यदि परीक्षण नहीं किया गया तो उसके क्या कारण है ? और दूसरे आपने अपने उत्तर में लिखा है कि जब यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 का प्रयोग किया गया, तब इतनी-इतनी मौतें हुयीं, तो इससे साफ स्पष्ट है कि मौतें जो हुयीं हैं, उसमें एक रीजन ग्लूकोज की खराबी थी ।

एक सदस्य—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, इसी पृष्ठ में आगे यह भी लिखा हुआ है कि जो मृत्यु हुई है, वह मृत्यु यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 ग्लूकोज पहुंचने के पूर्व हुई है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से बड़ी विनम्रता से यह जानना चाहता हूं ।

(श्री गोपाल दास यादव के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

यादव जी, आप अपना सवाल पहले भी बना नहीं पाये थे, अब आप कृपया बैठ जाइये । (व्यवधान)

एक सदस्य—

माननीय मंत्री जी तथ्यों को छिपा रहे हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस गम्भीर मामले की सूचना उन्हें कैसे प्राप्त हुई ? अस्पताल के अधीक्षक द्वारा, या किसी आपके अधिकारी द्वारा अथवा जूनियर डाक्टरों की तरफ से कोई शिकायती-पत्र आपको मिला कि फंगस युक्त ग्लूकोज के इस्तेमाल से लोगों की मृत्यु हो रही है, या जिस दिन यह ग्लूकोज इस्तेमाल हुआ, उसी दिन ज्यादा मौतें हुयीं या सिज रोज यह ग्लूकोज कम इस्तेमाल हुआ, उस दिन कम मौतें हुयीं ? इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा शिकायती-पत्र आपको प्राप्त हुआ या नहीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, मुझे पहली सूचना समाचार-पत्रों से मिली, उसी दिन इस पर जांच स्थापित कर दी गयी । इसके बारे में मेरे पास किसी रेजीडेन्ट डाक्टर से सूचना नहीं आई । यह सूचना मेरे पास अखबारों से आई । के0 जी0 मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल, ज्येष्ठ चिकित्साधिकारी, फार्माकोलाजी डिपार्टमेन्ट के हेड डाक्टर धवन से जांच करा ली गयी और जिस दिन यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 की सप्लाई गयी, और उससे जिन लोगों को भी ग्लूकोज चढ़ाया गया, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, सब सामान्य रहे । जो चिकित्सालयों के इंचार्ज होते हैं, उनको यह निर्देश है कि ग्लूकोज चढ़ाने से पहले, ग्लूकोज स्लाइन को देख लिया जाय कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, प्रश्न गम्भीर है, इसका अंदाजा आपको हो रहा होगा । मान्यवर मेरा निवेदन आपसे भी है, अभी आपने एक जुमला यह भी कहा कि मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इस सन्दर्भ में नहीं कहा । मैं कोशिश कर रहा हूं जवाब दिलाने की ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरी जिम्मेदारी है कि हम आपके माध्यम से सवाल करें और सरकार उसका जवाब दे और अगर मान्यवर, सरकार जवाब देने में सक्षम नहीं है, तो आप जवाब दिलवायें । मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो डाक्टर होते हैं, उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि ग्लूकोज चढ़ाने से पहले वह उसे देख लिया करें कि उस बोतल के चढ़ाने से लोगों के मरने की शंका नहीं है । मान्यवर, डाक्टर ने उस बोतल को बिना देखे हुए ग्लूकोस चढ़ा दिया, जिससे बहुत से लोग मर गये, तो मान्यवर, उस डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही की गयी कि नहीं ? यदि कार्यवाही की गयी, तो क्या और नहीं की गयी, तो क्यों ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के पेज नं0 2 पर तीसरे पैराग्राफ की आखिरी लाइन में कहा है कि—"पूरे बैच के एक ही पाउच में फंगस पाया गया है ।" इसी के लास्ट पैराग्राफ में कहा है कि—"अतः यह गलत है कि के0 जी0 मेडिकल कालेज में बड़ी संख्या में फंगस युक्त बोतलें या पाउच उपलब्ध है ।" मान्यवर, माननीय मंत्री ने अपने एक ही जवाब में तीन उत्तर दिये हैं । एक तरफ तो कहा है कि फंगस पाया गया,

दूसरी तरफ फंगस दिखा ही नहीं रहे हैं और तीसरे बात उन्होंने कह दिया कि कोई मृत्यु नहीं हुई । तो मान्यवर ये तीनों उत्तर अलग-अलग हैं, इनमें से कौन सी बात सही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, तीनों बातें सही हैं । मान्यवर, 30-1-86 को यह यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 का ग्लूकोज गया, उसका प्रयोग प्रारम्भ हुआ । उसका जब पैक गया, तो समाचार-पत्रों में समाचार निकला कि बोतल में फंगस पाये जाने से कई लोगों की मृत्यु हो गयी । मान्यवर, जब जांच कराई गयी, तो यह पाया गया कि यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 के ग्लूकोज चढ़ाने से किसी की मृत्यु नहीं हुई । एक में फंगस पाया गया, जिसे बदल दिया गया । तीसरा प्रदेश में ग्लूकोज यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 को जाता है, अगर कोई सूचना आयेगी कि किसी चिकित्सक द्वारा या किसी कर्मचारी द्वारा फंगस वाला ग्लूकोज चढ़ाया गया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी के उत्तर से संबंधित जानना चाहूंगा कि डाक्टरों को यह भी आदेश दिये गये हैं कि पाउच में फंगस दिखाई देने पर उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये । मान्यवर, मेडिकल स्टोर से ग्लूकोज की बोतल इश्यू होती है । ग्लूकोज डाक्टर नहीं चढ़ाता है, उसको वार्ड नर्स चढ़ाती है, तो वार्ड नर्स को इश्यू करने के पूर्व मेडिकल आफिसर को इसको चेक कर लेना चाहिये । क्योंकि डाक्टर तो आदेश देकर चले जाते हैं, तो इश्यू करने के पूर्व मेडिकल अफसर इसको देखें, इसका जिम्मेदार उसे बनाना चाहिये ।

(डा0 बंगाली सिंह ग्लूकोज की एक बोतल बार-बार सदन में दिखाते रहे)

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, जहां मैन्यूफैक्चरिंग इसको होती है, वहां इसे चेक किया जाता है । सी0 एम0 एस0 को भेजा जाता है तो चेक किया जाता है अस्पतालों में जाता है तो चेक होता है, अगर इसमें कोई खराबी निकलती है तो उसको बदल दिया जाता है ।

दिनांक 7-2-86 को पूछे गये तारांकित प्रश्न 6 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संबंध में राज्य मंत्री राजस्व द्वारा शोधन वक्तव्य

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 7-2-1986 को श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 6 के संबंध में श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्य विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि, "मान्यवर, मुख्य रूप से जिन किसानों को हानि हुई है उनमें किन-किन जिलों में कितने किसानों को यह धनराशि आवंटित की गयी है ?" मेरी जानकारी है कि अभी तक इस दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को आगरा, मथुरा, एटा और मैनपुरी में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है, क्या यह सही है ?

2—उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "जहां तक आगरा का संबंध है उसके लिये भी 2 लाख 3 हजार रुपये की धनराशि दी गयी । एटा का भी सन्दर्भ दिया गया है, लेकिन चूंकि एटा बाढ़ से प्रभावित नहीं था और चूंकि जनवरी में सूचना आई और उससे पहले जो सूचना प्राप्त हो गयी उसी के बारे में भारत सरकार से धनराशि मांगी गई थी । इसी तरह से मैनपुरी में

पांच लाख 71 हजार, इटावा में 6 लाख 23 हजार रुपये की धनराशि दी गयी है । यह धनराशि दैवी आपदाओं की क्षतिपूर्ति के लिए पहले से ही उपलब्ध करा दी गई थी ।''

3—उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है : ''जहां तक आगरा का संबंध है उसके लिये भी 12 लाख 30 हजार रुपये की धनराशि दी गई । एटा का भी सन्दर्भ दिया गया है लेकिन चूकि एटा बाढ़ से प्रभावित नहीं था और जनवरी में सूचना आई और उससे पहले जो सूचना प्राप्त हो गयी उसी के बारे में भारत सरकार से धनराशि मांगी गई थी । इसी तरह से मैनपुरी में 12 लाख 10 हजार, इटावा में 10 लाख 40 हजार रुपये की धनराशि दी गयी है । यह धनराशि दैवी आपदाओं की क्षति पूर्व के लिए पहले से ही उपलब्ध करा दी गयी थी ।''

4—मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ....पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आपने घोषणा की कि सत्तापक्ष और विरोध पक्ष के बीच में क्रिकेट का मैच होगा, तो मान्यवर, माननीय नेता सदन जिस समय पढ़ रहे थे, उस समय क्रिकेट का प्रचलन नहीं था न वह क्रिकेट खेलना ही जानते हैं । इसी तरह से जब नेता विरोधी दल पढ़ रहे थे उस समय भी क्रिकेट का प्रचलन नहीं था, उस समय तो कुश्ती का चलन था ।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या नेता सदन और नेता विरोधी दल की कुश्ती कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप तय कर लीजिये ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अंतर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । 1—श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की तथा 2—भी इसी सम्बन्ध में श्री राम नरेश एवं श्री शारदा प्रताप की और 3—इसी संबंध में श्री सत्य पाल सिंह की माध्यमिक शिक्षकों द्वारा अनशन के संबंध में है, 4—सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की भदोही बूलेन्स लि0, बनारस में भ्रष्टाचार की है, 5—श्री गौरी शंकर भइया, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, की कृषि उप निदेशक द्वारा भ्रष्टाचार की है, 6—श्री मुहम्मद आजम खां, श्री मो0 मसूद खां, श्री शफीकुर्रहमान वर्क, श्री बुन्यिाद हुसैन अंसारी, श्री अब्दुल वहीद कुरेशी, श्री फसीउर्रहमान, श्री रिजवानुल हक, श्री अमीर आलम खां, श्री फजलुल बारी तथा श्री मोहम्मद अकिल की 24/25-2-86 रात्रि में पुलिस द्वारा विधायकों की गिरफ्तारी की है, 7—श्री किरन पाल सिंह, श्री विजय सिंह राणा तथा श्री राम सरन की बुलन्दशहर में चेचक का प्रकोप की है, 8—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की बांदा में पेयजल संकट की है, 9—श्रीसूर्य प्रताप शाही की आजमगढ़ में एक व्यक्ति का अपहरण, 10—प्रधान प्रभुदयाल, श्री रिछपाल सिंह बंसल की मेरठ में सभ्रान्त नागरिकों को पुलिस द्वारा परेशान करने के संबंध में है, 11—श्री अशोक बाजपेयी की प्रदेश में विचाराधीन कैदियों के बारे में है. 12—श्री हृदय नरायन दीक्षित की उन्नाव में बन विभाग द्वारा हरिजनों की जमीन पर कब्जा के सम्बन्ध में है, 13—श्री कौशिक रमाशंकर की मुरादाबाद तथा गाजियाबाद जनपदों में सीमा विवाद के संबंध में है । यह सूचनायें प्राप्त हुई हैं । माध्यमिक शिक्षकों के बारे में जो सूचना है उस पर एक दल का एक आदमी बोले ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं आपके माध्यम से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । पूरे प्रदेश में 500 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके शिक्षक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने के लिये 10 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं । इनमें से दो की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक है, उनको जान को खतरा उत्पन्न हो गया है । 1974 में असहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों से सरकार ने एक समझौता किया था कि हर साल 250 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लायेंगे । लेकिन आज तक मान्यवर, 1974 के समझौते का पालन इस सरकार ने नहीं किया । इसी प्रकार सन् 1985 में शिक्षक संघ के लोगों ने धरना दिया, अनशन किया तो उस समय शिक्षा मंत्री श्री सिब्ते रजी ने आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष 200 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लायेंगे । उनके आश्वासन पर अनशन तोड़ा गया । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक उन विद्यालयों को अनुदान सूची पर नहीं लाया गया । उन विद्यालयों के शिक्षकों को 30 और 40 रुपया तनख्वाह मिल रही है । मैं पूछना चाहताहूं इस भीषण महंगाई में 30—40 रुपये में किसी परिवार का पालन-पोषण कैसे हो सकता है ? 500 विद्यालयों के 30 हजार शिक्षक, कर्मचारी और उनके परिवार के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं । उनके सामने भीषण भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है । उल्टे शासन ने प्रदेश सेक्टर की योजना से इस अनुदान वाले मामलों को अल्प धनराशि वाले जिला सेक्टर योजना में कर दिया है । जिससे एक बिल्कुल और भी असंभव हो गया है कि जहां थोड़े से धन का प्राविधान है वहां पर इन विद्यायलयों को अनदान सूची पर कैसे लाया जा सकता है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष इसी हाउस में तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण के मामले को लेकर बार-बार चर्चा की मांग भी मेरे द्वारा की गयी थी, उनके नियुक्त रहने की मांग की गयी थी परन्तु सरकार मुकर गयी । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के 30 हजार परिवारों को भुखमरी से बचाने के लिये इस पर दो घंटे की चर्चा अवश्य करावें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, संयोग से माननीय मुख्य मंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं और यह पूरे प्रदेश के विद्यालयों का मामला है । पांच सौ ऐसे विद्यालय हैं जिनको अंशदान सूची पर नहीं लिया गया है । इससे गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है । तात्कालिक स्थिति यह है कि जो लोग अनशन पर बैठे हैं उनमें से दो की हालत गम्भीर है । इसके साथ-साथ इन्होंने यह भी आदेश कर दिया कि अब यह डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा स्वीकृत होगी । आप स्वयं परिचित हैं कि डी0 आर0 डी0 ए0 में फण्ड की कभी चल रही है । माननीय विधायक-गण सड़क, पुल, अस्पताल, इन सब चीजों में पैसा देने के लिये इसको पर्याप्त नहीं पा रहे हैं । सरकार ने गड़बड़ी यह कर दी है कि इसको भी डी0 आर0 डी0 ए0 में भेज दिया है। वहां धन नहीं है तो विद्यालयों को कहां से मिलेगा । दूसरे यह समझौता हुआ था कि क्रम से, सीनियारिटी से इसको किया जायगा । डी0 आर0 डी0 ए0 में जाने से वहां इसकी सीनियारिटी तो देखी नहीं जायगी । इसको पूरे प्रदेश में असंतोष व्याप्त है । प्रदेश के 30 हजार शिक्षकों और एक लाख परिवारों की जीविका इससे प्रभावित है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि या तो मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, वह स्पष्ट कह दें कि उनको अंशदान सूची में लिया जायगा, कम से कम 200 विद्यालय अवश्य

लिये जायेंगे । यदि नहीं तो आप सदन का काम रोक कर, इस पर दो घंटे की चर्चा करावें ।

श्री राम नरेश—

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, प्रदेश के लिये और विशेष रूप से शिक्षा जगत के लिये । माननीय नेता सदन भी यहां पर मौजूद हैं आैर सन् 1974 से यह मामला चल रहा है । वर्ष 1977 में हम लोगों ने ध्यान दिया था और बहुत सी सुविधायें मानी थी, लेकिन उसके बाद से प्रतीत होता है कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया जिससे असहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षक असंतुष्ट हैं । कई बार सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया, वर्ष 1974 में भी दिया गया, वर्ष 1985 में शिक्षा मन्त्री जी ने भी दिया, लेकिन उसके बाद यह सरकार अपने आश्वासन पर नहीं टिक रही है । सरकार उस आश्वासन को पूरा नहीं करती है तो उनके पास दूसरा रास्ता क्या है ? मान्यवर, पिछले 10 दिनों से लोग आमरण अनशन कर रहे हैं और 3-4 की हालत चिंतनीय है । इससे 20 हजार ऐसे शिक्षकों का सवाल जुड़ा हुआ है, उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है, इसलिये मैं आपके माध्यम से नेता सदन से चाहता हूं कि इस मामले पर सदन में आश्वासन दें और जो आश्वासन दें उस पर कार्यवाही की जाय ।

*श्री सत्य पाल सिंह—

मान्यवर, यह विषय जहां 20 हजार अध्यापकों का है, वहीं उन विद्यालयों के कर्मचारीगण का भी सवाल है । जो अध्यापक आमरण अनशन पर बैठे हैं, इससे उन विद्यालयों के विद्यार्थीगण भी परेशान हो रहे हैं । वर्ष 1974 में जो समझौता हुआ था तो यह तय किया गया था कि वरीयता क्रम के अनुसार दिया जायगा । लेकिन उन्होंने तो वरीयता का मापदण्ड ही बदल दिया । नगरपालिकाएं जिसको चाहती हैं सहायता सूची में लेती हैं, जिसको नहीं चाहती, नहीं लेती हैं । दस दिन हो चुके हैं । उनको जो जायज मांगे हैं, उनको स्वीकार करें या फिर सदन का काम रोक कर इस विषय पर दो घंटे चर्चा करावें ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकम सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय 421 ऐसे विद्यालय हैं जो अनुदान सूची में नहीं हैं । वर्ष 1984-85 के बाद से यह सम्भव नहीं हो सका है कि किसी विद्यालय को अनुदान सूची में लिया जा सके । हां, कंटीजेंसी रेज करके सात बालिका विद्यालय अनुदान सूची में लिये गये हैं इस वर्ष । मान्यवर, एक विद्यालय को अनुदान सूची में लाने पर 11 हजार रु0 मासिक का व्यय होता है । मान्यवर, आप देखें 421 विद्यालय हैं, अगर समस्त को ले लिया जाय, तो साढ़े पांच करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार बढ़ने की संभावना है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि जो भावनायें आपकी हैं, वही हमारी भी हैं । लेकिन, आप देखें अगर अनुदान सूची में ले तो साढ़े पांच करोड़ का व्यय भार बढ़ने जा रहा है । मान्यवर, स्कूल कालेज आदि को इम्पलायमेंट आदि पर पहले सोचना होता है । मान्यवर, सरकार एक शिक्षा प्रणाली चला रही है । आज एक नया विद्यालय खुल जाय कल वह विवश करे कि अनुदान सूची में ले लिया जाय, तो यह कहां तक संभव है । मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि जो वित्तीय स्थिति है, उसको देखते हुए यह संभव नहीं है कि समस्त विद्यालय अनुदान सूची में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिये जा सकें । मेरा सम्मानित सदस्यों से आग्रह है कि वे स्कूल कालेज के प्रबन्धकों को और अध्यापकों को समझायें कि वे स्कूल चलीये और भूख हड़ताल आदि न करें । मान्यवर, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि नियम 56 के अन्तर्गत यह मामला नहीं आता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, शासन की ओर से जो उत्तर आया है, उसमें हम लोग सन्तुष्ट नहीं हैं । आप इसे चर्चा के लिये स्वीकार कर लें । आप अपना क्या निर्णय दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, आज विकास के काम के लिये हमें धन की आवश्यकता है । एक तरफ मांग आती है कि कोई टैक्स न लगायें । अगर यह डिमांड मान ली जाय, तो इसमें शासन पर व्यय भार आयेगा । पैसा आयेगा कहां से ? मेरा विरोधी दल के सदस्यों से यह कहना है कि उन्हें यह सोचना चाहिये कि पैसा कहां से आयेगा ? आप लोग सदन में बैठे हैं आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप देखें कि धन कहां से आयेगा ? मान्यवर, डिमांड कर देना तो आसान है, लेकिन उसके लिये धन की आवश्यकता होगी । सरकार की इस समय वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि इस पूरी डिमांड को मान लिया जाय ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह सरकार शिक्षा विरोधी है । जनहित में, मैं और मेरा दल इस सदन का बहिष्कार करता हूं इस समय । (कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये) ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैं भी शासन की नीति के विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री सत्यपाल सिंह भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, 10 हजार लोगों का इसमें प्रश्न अन्तर्निहित है । केवल पैसे के बहाने लोगों की जान से खिलवाड़ किये जाने की नीति के विरोध में, और माननीय मुख्य मंत्री के कथन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी इस समय सदन का बहिष्कार करती है ।

(श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम नरेश—

मान्यवर, नेता सदन ने अभी यह कहा कि हमारे सामने वित्तीय संसाधनों की कमी है, कठिनाई है, सरकार चलाना है, प्रदेश चलाना है, बात सही है । लेकिन, उसके साथ-साथ मान्यवर, शिक्षा भी अपने में महत्वपूर्ण है । मान्यवर, अगर बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो प्रदेश का विकास कैसे आगे होगा । चाहिये यह कि जो सारी फिजूलखर्ची है, जो इस सरकार के द्वारा हो रही है, जो बड़ी-बड़ी दावतें बड़े-बड़े होटलों में होती है, उसको बन्द कर दें, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आज असंतोष दिखाई पड़ता है, वह समाप्त हो सकता है । मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समता पार्टी भी सदन का बहिष्कार करती है ।

(श्री राम नरेश व श्री शारदा प्रताप भी सदन त्याग कर चले गये)

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह का नाम पुकारा जाने एवं उनके सदन में न होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह इस समय सदन में नहीं हैं । अब मैं श्री गौरी शंकर भइया को उनकी सूचना के संबंध में बुला रहा हूं । श्री गौरी शंकर भइया संक्षेप में अपनी बात कहेंगे और केवल ग्राह्यता पर ही बोलेंगे ।

*श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मैंने जो नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी है, उसके संबंध में जो कुछ भी और तथ्य उपलब्ध थे, वह मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिये हैं । मान्यवर, इस सूचना की गम्भीरता को इसी से आंका जा सकता है कि कई माननीय सदस्यों ने कई बार शासन को इस बाबत लिखा है । श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने इनके विरुद्ध 8-9-84 को लिखा, श्री सुखपाल पाण्डे, विधायक ने 23-5-85 को लिखा । श्री कुशल-पाल सिंह आदि 15 विधायकों ने 28-8-85 को गम्भीर शिकायती-पत्र शासन को लिखा । श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी आदि 12 विधायकों ने 23-12-85 को गंभीर शिकायती-पत्र शासन को लिखते हुए जांच की मांग की । मान्यवर, होना तो यह चाहिये था कि इन शिकायती-पत्रों पर गंभीरतापूर्वक जांच होती और इस मामले को रफा-दफा करने की कोशिश न की जाती । मान्यवर, हो यह रहा है कि एक बार अधिकारी की जांच बिठायी जाती है । वह यह रिपोर्ट देता है कि अमुक अधिकारी भ्रष्ट है, चोर है । फिर उसके बाद दूसरे अधिकारी की जांच बिठायी जाती है उसको खिला पिलाकर यह रिपोर्ट दिलायी जाती है कि संबंधित अधिकारी पाक-साफ है कर्तव्यनिष्ठ है । मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी को चिट्ठी लिखी जाती है उनसे मिलकर शिकायत की जाती है, तो होना तो यह चाहिये था कि संबंधित अधिकारी का वर्तमान जगह से स्थानान्तरण होता या निलम्बन होता लेकिन स्थिति यह है कि उस अधिकारी के कार्य भार बढ़ते ही जा रहे हैं । मान्यवर, उस अधिकारी का और माननीय मंत्री जी का क्या समझौता है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा मंत्री जी इस बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य ग्राह्यता पर ही बोलें आरोप किसी पर न लगायें ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, जिस भ्रष्ट अधिकारी की हम चर्चा करना चाहते हैं, उसके भाई सत्तारूढ़ दल के एम0 एल0 ए0 हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे ग्राह्यता पर ही बोलें। "उनके भाई एम0 एल0 ए0", यह सब कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, उक्त अधिकारी ने अपने कार्य-काल में तमाम अनियमित कार्य किये हैं, उनमें से कुछ मैं उदाहरण स्वरूप पेश कर रहा हूं । इन्होंने अपनी नियुक्ति के बाद 65 हजार रुपये का ट्रैक्टर खरीदा । लखनऊ में बीबीपुर में 20 बीघा जमीन पत्नी के नाम खरीदी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरठ के शास्त्रीनगर में लगभग 10 लाख रुपये का मकान पत्नी के नाम बनाया । लखनऊ में अलीगंज में प्लाट लेकर उस पर दो मंजिला मकान अपने लड़के के नाम बनाया । मान्यवर, 22-23 आरोप हैं, जो इन्होंने किये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आरोप जो आपने लगाये हैं, वे सभी थोड़े ही आप पढ़ेंगे ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, कृषि निदेशक ने इस मामले की जांच की । माननीय कृषि मंत्री ने विधान परिषद् में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि कुछ अनियमित नियुक्तियां हुई हैं, इस व्यक्ति के अनियमित काम किये हैं इसकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की जायेगी ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, कार्य-स्थगन में वही विषय आते हैं जो अविलम्बनीय लोक महत्व के हों । यह 15 साल पुराना विषय है। मान्यवर, सदन का समय बरबाद किया जा रहा है । कल भी इस बात को लेकर प्रदर्शन किया गया । मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव है कि नहीं । माननीय सदस्य ग्राह्यता पर तो बोल नहीं रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गौरी शंकर भइया आप ग्राह्यता पर ही बोलें । किसी पर आरोप न लगायें ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, 23-12-85 को 11-12 विधायकों ने शिकायत की कि इसकी जांच की जानी चाहिये । उन्होंने कहा था कि एक टी0 एण्ड वी0 योजना में लखनऊ मण्डल के लिये संयुक्त कृषि निदेशक का पद सृजित किया गया । अगर उस पर नियुक्ति होती तो यह अधिकारी छोटा पड़ जाता ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

माननीय मंत्री जी ने उस भ्रष्ट अधिकारी का ट्रांसफर न करके, वह पद ही इलाहाबाद मंडल में ट्रांसफर कर दिया है । माननीय विधायकों ने जो शिकायती-पत्र दिया था, उसकी जांच की जानी चाहिये थी लेकिन ऐसा न करके उस भ्रष्ट अधिकारी को बढ़ावा दिया जा रहा है । इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आप इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर सरकार का वक्तव्य दिलवायें और चर्चा के लिए इसे मंजूर करें ताकि जो तथ्य मैंने भ्रष्टाचार आपके सामने रखे हैं, वे सदन के समक्ष आ सकें ।

*कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं गौरी शंकर भइया का बहुत ही आभारी हूं कि वह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत चिंतित हैं । मैं समझता हूं कि वह तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं रखते । माननीय विधायक का जो शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ और विभिन्न माननीय सदस्यों के जो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं, उस पर जांच के लिए हमने कृषि विभाग का जो अपराध अनुसंधान विभाग है, उसे सौंप दिया है । सारी जांच इस सेल को दे दी गई है । इसमें कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है और न ही तथ्यों को छिपाने का प्रश्न उठता है । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 15 विधायकों का जो शिकायती-पत्र आया था, अगस्त, 1985 में उन्हीं विधायकों ने फरवरी में यह लिखकर दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कि वे शिकायतें गलत थी । उनके नाम इस प्रकार हैं । सर्वश्री यदुनाथ सिंह, राम चन्द्र बख्श सिंह, रिछपाल सिंह बंसल, मूलचन्द, कनक सिंह, हरेन्द्र सिंह, बंगाली सिंह, सरदार सिंह और श्री विजय सिंह राणा ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, श्री जनार्दन प्रसाद भोभा ने 8-9-1985 को पत्र दिया था, जिसे उन्होंने वापस नहीं लिया, श्री सुखपाल पाण्डे जी ने 23-5-1985 को पत्र दिया था, उन्होंने भी वापस नहीं लिया, 15 विधायकों ने जो पत्र दिया था, उसे भी वापस नहीं लिया गया । पता नहीं माननीय मंत्री जी किस तरह से पढ़ रहे हैं । जिन विधायकों ने लिखकर दिया था, उसमें किसी ने वापस नहीं लिया है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य यदि कोई बात सदन के समक्ष रखते हैं तो सारी स्थिति जनता के समक्ष आनी चाहिये पहले तो कुछ लोगों ने शिकायती-पत्र भेजा, फिर अपना शिकायती-पत्र वापस ले लिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आप जांच तो कर ही रहे हैं । फिर इसमें झगड़ा किस बात का रह गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं तो उन 15 विधायकों के बारे में कह रहा था, जिन्होंने पहले शिकायती पत्र भेजा था । माननीय विधायक के शिकायती-पत्र पर तो कृषि विभाग का जो सी0 आइ0 डी0 सेन है, उससे जांच कराई जा रही है । किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को प्रोटेक्शन देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है । यह जो हमारी मौजूदा सरकार है, पूरी तरह से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहती है । लेकिन जो लोग दो तरह की शिकायतें करते हैं, एक तरफ शिकायत करते हैं दूसरी तरफ वापस ले लेते हैं, यह बात भी अच्छी नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जिन विधायकों ने शिकायत वापस ले ली, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन विधायकों की शिकायतों की जांच करा रहे हैं, उनके नाम बता दें ? और शिकायतें क्या हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

एक तो श्री वीरेन्द्र सिंह की शिकायत पर जांच हो रही है और भी कई विधायक हैं, जिनकी शिकायतों पर जांच हो रही है और जो भी सम्मानित सदस्यों की शिकायत है, उस पर जांच हो रही है । जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसको भी जांच के लिये दिया हुआ है कि उसकी वास्तविकता क्या है ? जहां तक अविलम्बनीयता का सवाल है, ऐसा प्रश्न नहीं है । इस पर तो कई बार प्रश्न हुए हैं, और पूरी तरह से जांच हो रही है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मन्त्री जी ने कहा कि जांच चल रही है, तो क्या स्टेट विजिलेंस से जांच करवा कर अप्रैल में सदन उठ रहा है, उसके पहले सदन को सूचित कर देंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जैसे ही जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी, मैं सदन के समक्ष उसे प्रस्तुत कर दूंगा, अगर जरूरत होगी ।

***श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—**

मान्यवर, 24/25 की रात को तमाम विधायकों को गिरफ्तार किया गया, यह बड़ा गम्भीर मामला है और हुकूमत के लिये इनती बूजदिली निहायत शर्म की बात है । मुलाहिजा फर्माइए कि 2 बजे रात में जब हम गहरी नींद में सो रहे हैं, पुलिस पहुंचती है, जब पुलिस पहुंचो तो लगा माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का इनकाउण्टर बगैरह करा देना चाहते हैं । इतनी पुलिस थी कि लगा कि चम्बल घाटी के किसी बदमाश को पकड़वा रहे हैं । दो बजे रात को गिरफ्तार करने की क्या तुक था ? हमने कहा कि सुबह ले लीजिए, हम लोग भागने वाले नहीं हैं, लेकिन पुलिस ने सामान तक लेने का मौका नहीं दिया और कहा कि अभी चलना है, हम लोग चले गये । हम लोगों को बजाय हजरत-गंज कोतवाली में ले जाने के, वे हमको दूसरी जगह कहीं ले गये जहां कि कोई मुनासिब इन्तजाम नहीं था । उनसे जब हम पानी मांगते थे तो वे कहते थे कि इस समय रात के तीन बजे है, पानी कहां मिलेगा ? मान्यवर, आपको मालूम है कि ठंड के वक्त में, रात में हम लोगों को बस से रवाना कर दिया गया । हमारे एक साथी, माननीय मसूद साहब, वह बेचारे बीमार थे, बलरामपूर अस्पताल से आये थे और आज भी इस समय यहां मौजूद नहीं है शायद अपनी बीमारी के कारण, यहां आने के बाद बलरामपुर अस्पताल वे चले गये है । उन्होंने वहां जाकर जेल के डाक्टर को बूलवाया तो जेल के डाक्टर ने बड़ा अभद्र व्यवहार किया । तमाम कहने के बाद में जिला अस्पताल के डाक्टर ने आकर देखा, वहां पर ।

कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को थाना हजरतगंज में न ले जाकर दूसरी जगह पर ले जाया गया । इससे तमाम अवाम में बेचैनी है, जनता में रोष व्याप्त है कि जब विधायकों के साथ सरकार का ऐसा सलूक है तो फिर बेचारी जनता के साथ कैसा होगा ? गिरफ्तारी की तो कोई बात ही नहीं है लेकिन अगर शर्म समझते हो तो फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन जूल्मत से लड़ना हमारा मामूल रहा है । मान्यवर, इस पर आप चर्चा कराइये कि यह सरकार अगर अपनी इसी में बहादुरी समझती है तो दिन में गिरफ्तार न करा कर रात के अन्धेरे में क्यों गिरफ्तार करती है ?

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, 24/25 की रात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि यह विधायकों का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का इसमें सवाल इससे जुड़ा हुआ है । आज तक यह समझा जाता था कि दारुलशफा में रहने वाले विधायक महफूज है उनकी जान का या माल को कोई खतरा नहीं है । लेकिन 24/25 की रात में 2.00 बजे से लेकर 6.00 बजे तक एक-एक करके विधायकों को उठाया गया । उनको हजरतगंज थाने में ले जाना चाहिये था । वहां न ले जाकर दूसरी जगह जमा किया गया । हमारे पार्टी के एक साथी है अमीर आलम खां, उनका जिक्र मैं इसलिये करना चाहता हूं कि इस वक्त यहां पर मुख्य मंत्री मौजूद है, उन पर तीन महीने पहले कातिलाना हमला हुआ था, फायरिंग की गयी थी जिसकी एफ0 आई0 आर0 307 की लाज हुई है । उन्हें यह खयाल गुजरा कि यह लोग पुलिस वाले नहीं बल्कि बदमाश है जो उन्हें कत्ल कर देना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

चाहते हैं जिसका इजहार उन्होंने खुद मुझसे किया ।

(व्यवधान)

तो मान्यवर, 24 की रात को अन्धेरे में जो कुछ विधायकों के साथ हुआ, अगर सरकार उसे अपनी बहादुरी कहती है तो यह बहादुरी उसी को मुबारक । लेकिन अफसोस यह सरकार सदन में ग्राह्यता की बात को भी नहीं सुन सकती है । मान्यवर, एक भ्रम था कि दारुलशफा में रहने वाले विधायकों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जायगा तो यह भ्रम भी टूट गया । यह गिरफ्तारियां दफा 151, 107 में 116 में की गयी, सी0 आर0 पी0 सी0 के क्या इन ग्रीडपेन्टस है यह कानून और यह कान्स्टीट्यूशन की बहस का मुद्दा है, इस पर कभी बहस होगी । लेकिन एक एसे विधायक को जिस पर कातिलाना हमला हो चुका हो, मुल्जिम खाकी वर्दी पहने लोग गिरफ्तार करने के लिये आ गये । जब इंस्पेक्टर से पूछा गया कि आपके पास क्या आईडेन्टटी कार्ड है तो उसने कहा कि "नहीं" । बस आप फारेन चलिये । इन विधायकों को यह नहीं मालूम कि यह खाकी कपड़े पहने जो आदमी आया है, क्या वाकई यह पुलिस का आदमी है या कोई और, यह भी मालूम नहीं कि यह हम लोगों को कहां लिये जा रहा है, पुलिस लाइन ले जायेगा या कहीं शहर के बाहर ले जाकर इनकाउन्टर कर देगा । बस जीप में बैठा कर, भगाये लिये चला जा रहा है जीप को । तो उन्होंने उस ड्राईवर से कहा कि देखो अगर तुम जीप को 20 कि0 मी0 की रफ्तार से ज्यादा तेज चलाओगे तो मैं जीप से कूद पडूंगा । सरकार का विधायकों के प्रति यह रुख हो जायेगा, कि विधायक को यह भी नहीं पता होगा कि उसे कहां ले जाया जा रहा है या उसका इनकाउन्टर किया जाने वाला है, अगर सरकार की यही बहादुरी है तो यह बहादुरी उसे मुबारक ।

दूसरी बात मैं जेल के मुताल्लिक कहना चाहता हूं कि मोहम्मद मसूद खां साहेब जो पुराने विधायक तो हैं ही लेकिन वे जेल के मंत्री भी रह चुके हैं । जेल मंत्री जो रह चुका है, वह जब जेल के डाक्टर को बुलवाये तो उसकी यह मजाल कि वह उन्हें देखने से इन्कार कर दें । इसके अन्दर एक भावना काम कर रही है क्योंकि जब यह सरकार रात के अन्धेरे में विधायकों के साथ एसा वहशियाना सलूक कर सकती है तो उसने भी अपना फर्ज समझा और उस डाक्टर ने उन्हें देखने के लिये आने से इन्कार कर दिया । यह मामला पूरे प्रदेश की जनता के सामने एक अहम सवाल के दौर पर खड़ा है । मैं चाहूंगा इस पर चर्चा हो और हुकूमत अपना बयान दे और उनको नहीं देखा गया, जिला अस्पताल से डाक्टर बुलाया गया और उसने उनको देखा । मान्यवर, आज एक भ्रम खत्म हुआ है और सरकार ने जिस तरह का व्यवहार किया है वह काबिले मजम्मत है । तो मान्यवर, आप अगर इस पर चर्चा न करायें तो कम से कम वक्तव्य ही दिला दें ।

*श्री काजी कलीमुर्रहमान—

मान्यवर, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं आजमगढ़ में था, मेरे कमरे पर पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार दो बजे तक किया वह बड़ा शर्मनाक था । चन्द्र भान राय और गौतम को पुलिस ने मारा पीटा और कहा कि बताओ कि विधायक जी कहां पर है ? और मान्यवर, जब मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

परसों आ रहा था तो एस0 पी0 ने जिस तरह से गिरफ्तार किया, उस तरह का व्यवहार अगर विधायकों के साथ किया जायेगा, तो ठीक नहीं है । इस सरकार ने प्रदेश में पुलिस शासन कायम कर दिया है विधायकों के साथ भी, अगर इस तरह का व्यवहार किया जायेगा तो कैसे काम चलेगा ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, आप देखें ।

(श्री फजलुल बारी मुंह पर टेप चिपकाये थे तथा हाथ में पोस्टर लिये थे)

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, इस पोस्टर को देखें इसमें लिखा है कि "हाथ में हथकड़ी मुंह पर ताला, लोक तंत्र का सफाया" और इसी के अनुसार यह हाथ में हथकड़ी लगाये हैं और मुंह पर पट्टी लगाये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में पोस्टर नहीं दिखा सकते हैं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, आप मुझे सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को बुला लिया है, आप बैठें ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, आप मुख्य मंत्री जी को सुनने के पहले मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता सदन खड़े हैं, तो आपको मैं कैसे कह सकता हूं । आप पहले उनको सुन लें ।

श्री बीर बहादुर सिंह—

जो माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, यह बात सही नहीं है । जो माननीय सदस्य गिरफ्तार हुए, उनको सम्मान के साथ ले जाया गया, उनको चाय पिलायी गयी और उनका सामान ले जाया गया, उनकी दवा की व्यवस्था की गयी और हर तरह से उनका सम्मान किया गया और जो बात आज कही जा रही है, वह तथ्यों के विपरीत है, तथ्यों से परे है । जो लोग साम्प्रदायिक तनाव पैदा करेंगे, समाज को बिगाड़ेंगे, वह चाहे विधायक ही क्यों न हों, सभी के साथ कानून के अन्तर्गत व्यवहार एक सा होगा । अगर कोई विधायक है, साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाता है, समाज को बिगाड़ता है, तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह बचाये । समाज को बनाने के लिये हमारी जिम्मेदारी है, कैसे सद्भावना बनी रहे, यह हमारी जिम्मेदारी है, जो कुछ किया गया है, वह साम्प्रदायिक तनाव को कम करने के लिये किया गया है और समाज को मिलजुल कर चलाने के लिये किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, आप मेरी एक बात सुन लें ....

श्री उपाध्यक्ष—

जब मुख्य मंत्री जी ने कह दिया, तो उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

यह तो वोट की सियासत है ....।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, आप हमारी बात को सुनियें, हम लोगों को ये बन्द करायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मुझे तो सुनिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर इस तरह से बोलने से समस्या का हल हो रहा हो तो हल कर लें । गिरफ्तारी हो गयी सब छूट गये, गवर्नमेन्ट अपना काम कर रही है, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

राम सरन जी, इन लोगों को बैठाइये, यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । मान्यवर, नेता सदन के बाद किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है । यही होता रहा है, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है । राह्यता पर जब सब माननीय सदस्य बोल लें उसके बाद नेता सदन के बोलने के बाद आपको निर्णय लेना होता है । इसमें किसी को बोलने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

राम सरन जी पूरे विज्ञ हैं, हर बात को जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

मान्यवर, जिस लहजे में मुख्य मंत्री जी ने यहां जबाब दिया है और कहा है, वह लहजा बहुत अच्छा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी ने तो कहा कि कोई असुविधा नहीं हुई है ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, यह लोग मुझे कहने नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको क्या कहना है ?

श्री राम सरन—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने जिस तरीके से अपनी बात कही है वह तरीका अच्छा नहीं है । मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, यह नियमों के अन्दर नहीं है, इनको बैठाइये ।

श्री राम सरन—

नियम मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, जो विधायक हमारे गिरफ्तार हुए हैं . . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

पूरी चर्चा उस दिन हुई, आज हो गयी । अब क्या कहना है ? आप

सुन नहीं रहे हैं, आपको पहले खड़े हो जानी चाहिये था ।

श्री राम सरन—

यह कहीं छिपाने की बात नहीं है जो उनके साथ बीता है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

चर्चा की मांग कर ली और क्या कहना है ?

(व्यवधान)

आप लोग बैठें । शान्त रहें .... (व्यवधान) । पहले इन्हें बिठायें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, जब सारे सदस्यों ने अपनी बात रख दी और नेता सदन बोल चुके तो उसके बाद क्या आवश्यकता है । नियमों से आप भी बंधे हुए हैं और हम भी बंधे हुए हैं ..... (व्यवधान) । उन नियमों के विपरीत कैसे जा सकते हैं ? किस नियम के अन्तर्गत आप बुलवा रहे हैं ?

(घोर व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राम सरन जी, कृपया बैठ जांय । सभी नियमों से ही बोल रहे हैं । सब लोग बैठ जायं ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलते रहने से घोर व्यवधान)

राम सरन जी, आप कृपा करके बैठ जांय । यह मेरा निवेदन है । मैंने अभी निर्णय नहीं दिया है, बाद में निर्णय दूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इधर से भी शान्ति रखें और उधर से भी शान्ति रखें । जब सदन में शान्ति रहेगी, तभी सदन ठीक से चलेगा, अन्यथा कैसे काम चलेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ...

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

ये कैसी व्यवस्था चाहते हैं ? किस नियम में ये बोलना चाहते हैं ?

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

इस तरह से हाउस नहीं चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्यों नहीं चलेगा ? हाउस चलेगा । आप भी शान्त होंगे, और वह भी शांत होंगे । बुनियाद हुसैन अन्सारी जी, आप बैठें । जाहिदी साहब आप भी बैठें ।

(दोनों पक्षों के सदस्य एक साथ बोलते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

कोई चीज नहीं लिखी जायेगी । मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा । वह व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े हैं...। (घोर व्यवधान के मध्य) । ठीक है चलाइये फिर हाउस । बोलते रहिये । बोलिये । इस तरह से काम नहीं चलेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मेरी बात पर पहले आप व्यवस्था दें । आप यह निर्णय दें दें कि जो

बात मैंने उठाई थी उसके निर्णय से पहले आप किस नियम से उन्हें बुलवा रहे हैं । माननीय सदस्य जो विपक्ष के हैं, वे किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था मांग रहे हैं । नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था पर कोई व्यवस्था नहीं उठ सकती .....। (व्यवधान) । जो कार्य-स्थगन का सवाल उठाया गया था उसको सुनने के बाद नेता सदन ने कहा तो फिर ये कौन सी व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वे व्यवस्था नहीं मांग रहे हैं । उस पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं । उसके बारे में वे नहीं कहना चाहते हैं । दूसरी व्यवस्था चाहते हैं । (व्यवधान) मैं क्या करूं ? आपको समझ में तो कुछ नहीं आता ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैं यह चाहता हूं कि कोई भी सम्मानित विधायक....

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर, माननीय सदस्य कैसे बोल रहे हैं ?

श्री लाल प्रताप सिंह—

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सम्मानित विधायक हो या कोई और सब कानून के प्रोवीजंस के अंतर्गत काम करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उस विषय पर अब चर्चा नहीं हो रही है वह मैंने समाप्त कर दिया है । (व्यवधान) मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं उस पर चर्चा नहीं हो रही है, न लिखने दे रहा हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, नियम और कानून से सदन चले । माननीय गुफरान साहब मुझसे ज्यादा योग्य हैं उम्र में भी बड़े हैं । गुस्सा तो हमें आना चाहिये, आपको नहीं । जो भी नियमों की बात उठाई जायेगी उस पर आपको व्यवस्था देनी है । आप जो भी कहेंगे हम उसे मानेंगे । मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपस में बात न करें । (व्यवधान) या फिर सदन आप चला लें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आपने माननीय राम सरन जी को बुलाया मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है कि उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा । मेरा तो केवल इतना निवेदन है कि क्या माननीय मुख्य मंत्री के बोलने के बाद माननीय राम सरन जी बोल सकते हैं या नहीं इस पर सत्ता पक्ष के जो विद्वान सदस्य हैं वे बताने का कष्ट करें कि यह नियमों में कहां लिखा हुआ है माननीय मुख्य मंत्री जी के बोलने के बाद सदन में कोई सदस्य नहीं बोल सकता है ? (व्यवधान) सदन चले तो तरीके से चले । खाली हड़बोंग करने से काम नहीं चलेगा, चाहे हम हों या सत्ता पक्ष के सदस्य हों । अगर आपने कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो उसके बाद हमारा भी कानूनी हक है । मैं शान्तिपूर्वक यह जानना चाहता हूं जब माननीय राम सरन जी ने बोलना शुरू कर दिया तो माननीय गुफरान जाहिदी साहब बता दें कि वह कौन सा नियम है कि माननीय नेता सदन के या माननीय नेता विरोधी दल के बोलने के बाद सदन में कोई सदस्य नहीं बोल सकता है । अगर ऐसा है तो बताने का कष्ट करें वर्ना हल्ला करने से काम नहीं चलेगा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री मुहम्मद आजम खां के खड़े होने पर) आप बैठें ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी विद्वान सदस्यों में से हैं । मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नियम कौन से हैं, परम्परायें कौन सी हैं ? इस संबंध में बताना चाहता हूं कि आपके कक्ष में आधे दर्जन बार माननीय नेताओं की बैठकें हुई जिसमें माननीय राम सरन जी, आप भी उपस्थित थे सब ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि जब कार्य-स्थगन का प्रस्ताव आयेगा तो उस पर ग्राह्यता के बारे में एक सदस्य को सुना जायेगा और अपरिहार्य स्थिति में जितने सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होंगे उनको सुना जायेगा । उनको सुनने के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री, या दूसरे मंत्री या माननीय मुख्य मंत्री जी बोलना चाहेंगे तो सुना जायेगा । तो उस पर एक सहमति हुई थी उसके अनुरूप ही आप माननीय सदस्यों को सुनेंगे । तो इस पर सम्मानित नेता सदन खड़े हुए, सरकार का दृष्टि-कोण जो था वह उन्होंने प्रस्तुत किया उसके बाद आपको निर्णय लेना था कि आप ग्राह्य करेंगे या स्टेटमेन्ट मांगेंगे या चर्चा करायेंगे या निरस्त करेंगे । परम्पराओं के अनुसार यह सदन बंधा हुआ है केवल लिखित नियमों से ही सब काम नहीं होते । मेरा इतना ही निवेदन है कि इस पर चर्चा समाप्त की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने एक बात उठाई (व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

चर्चा करा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके कहने से चर्चा करायेंगे , मेरे विवेक पर है । आप कमेन्ट्री मत करिये (श्री मुहम्मद आजम खां के खड़े होने पर) यह कोई तरीका नहीं है । (व्यवधान) आप सलीका सीखिये थोड़ा । मैं उनके सवाल पर व्यवस्था दे रहा हूं (व्यवधान के मध्य) क्या व्यवस्था भी नहीं देने देंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, आगे बढ़िये ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि वह नियम कहां है जिसके अनुसार नेता सदन के बोलने के बाद और नहीं बोल सकते हैं, (व्यवधान) नियम सब कुछ नहीं होता है (व्यवधान) कार्य-स्थगन प्रस्ताव ग्राह्यता पर सुने जाने हेतु क्रम का निर्धारण नियमों में नहीं है । कि कौन बोलेगा ? लेकिन जिसको अध्यक्ष चाहेंगे उसको वह बुला सकते हैं । किन्तु सामान्य परम्परा है कि जब नेता सदन या नेता विरोधी दल बोल लेते हैं तो समझा जाता है कि चर्चा समाप्त हो गयी परन्तु स्पष्टीकरण के लिये अनुमति दी जा सकती है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह परम्परा कहीं नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो मैंने कहा है यही परम्परा है और नेता सदन बोल चुके हैं । अब मैं इस चर्चा का अन्त करता हूं ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, मैं काम रोको प्रस्ताव के संबंध में बोलना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

बोलें ।

*श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि बुलन्दशहर जनपद में छोटी चेचक जो संक्रामक रोग है उसका प्रकोप भयंकर रूप से बढ़ रहा है। मैं निश्चित जानकारी के अनुसार सूचना सरकार को दे रहा हूं कि कई बच्चे इसके मौत के शिकार हो गये हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कोई कदम छोटी चेचक के रोकने के नहीं उठा रहा है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस रोग पर रोक लगाने के लिये सरकार कोई कदम उठाये।

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, सरकार कहती है कि चेचक का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि आप जानते हैं कि मलेरिया उन्मूलन के संबंध में तमाम बातें कही जा चुकी हैं जबकि सरकार कहती थी कि मलेरिया नहीं रह गया है। सरकार चेचक के संबंध में लगभग 10 वर्षों से कहती है कि चेचक कहीं नहीं रह गयी है और चेचक का एक मरीज बतायें तो एक हजार रुपया इनाम दिया जायेगा। लेकिन छोटी चेचक हमारे यहां आस-पास के क्षेत्रों में फैल रही है और यह संक्रामक रोग है और तुरन्त इसकी रोकथाम नहीं की गयी तो प्रदेश स्तर में यह रोग फैल जायगा। इसलिये श्री किरन पाल सिंह ने जो प्रश्न उठाया है वह ठीक है और मैं भी मांग करता हूं कि इस रोग की रोक के लिये प्रदेश स्तर पर प्रयास किये जांय और इस पर चर्चा करायें।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मेरा भी नाम इसमें है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बुलन्दशहर में ही नहीं बल्कि मेरठ डिवीजन में छोटी चेचक फैल गयी है। इसलिये सरकार से मांग करता हूं कि तुरन्त इस पर कार्यवाही करें और इसकी रोकथाम के लिये उपाय करें।

(श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आपका नियम 301 में आ चुका है, इसलिये आप बैठ जायं।

श्री किरन पाल सिंह और श्री राम सरन की सूचना के विषय पर सरकार स्टेटमेन्ट दे।

श्री कौशिक रमा शंकर ने जो सूचना दी है वह मुरादाबाद-गाजियाबाद जनपद में सीमा विवाद के संबंध में है, इसमें सरकार जांच करा ले।

कार्य स्थगन के रूप में सभी को मैं अस्वीकार करता हूं।

(मद सं0 9 लिये जाने पर)

श्री राम सरन—

जो विधायकों के साथ अन्याय हुआ है, उसके विरोध में मैं सदन का अपने सदस्यों सहित वाक-आउट करता हूं।

(श्री राम सरन के साथ सभी लोकदल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री सूर्यप्रताप शाही—

[* * *]

यह लिखा नहीं जायेगा, इस तरह से

यह लिखा नहीं जाएगा, इस तरह से बोलने से क्या फायदा है। कुछ तो मानोगे ही।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 22—खाद्य तथा रसद विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,59,97,09,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज मुझे कटौती का प्रस्ताव रखना है, मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनका माईक ठीक नहीं है, बिलकुल उससे सुनाई नहीं देता है; वह कृपया ऐसे स्थान से बोलें कि हमें सुनाई दे ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनकी शिकायत बिलकुल ठीक है, माईक से सुनाई नहीं देता है ।

(माईक ठीक होने पर)

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग पर जहां एक ओर यह उत्तरदायित्व है यहां के जनमानस के लिए सस्ती दरों पर जीवन-निर्वाह की तमाम वस्तुओं, खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने का, उसी के साथ-साथ इस विभाग पर यह उत्तरदायित्व है कि प्रदेश में किसी भी चीज की, कमी भी कमी न हो, साथ ही साथ यह भी जिम्मेदारी है कि हमारे उत्पादकों की फसल जब कभी बाजार में आये तो उसकी बर्बादी न हो, उसकी उपज को सस्ते मूल्य पर खरीदा न जाए और वह शोषण से बचाया जा सके तथा हमारे व्यापारी और खासकर हमारे उपभोक्ता व्यापारियों से कम तौल पर चीजें लेने के लिए मजबूर न हों । इस प्रकार से तीन उत्तरदायित्व मुख्य रूप से इस विभाग के ऊपर हैं । किस प्रकार हम यह उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, किन-किन परिस्थितियों में उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जनता के सहयोग से और जन-प्रतिनिधियों के सहयोग से उन्हें निभाया जा रहा है, उसको मैं बहुत संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं ।

मान्यवर, दूसरे महायुद्ध के बाद, जिस वक्त इस देश में खाद्यान्न की कभी महसूस हुई, पेट्रोल की कमी महसूस हुई, अन्य आवश्यक वस्तुएं, जिनका इस्तेमाल हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं उनकी कमी महसूस हुई तो सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि जब तक हम एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हमारे गरीब लोग, ग्रामीण लोग और जो नगर में रहने वाली जनता है उसको हम शोषण से नहीं बचा सकेंगे । उसी कारण इसकी स्थापना की गई । जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अर्थात् सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, उसकी स्थापना की गई । उसका एक छोटा सा अंश इस प्रदेश में अपना कार्य चला रहा है हमारे विभाग के माध्यम से । कोई जिला ऐसा नहीं है 57 जिलों मे, जहां पर हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य न कर रही हो । चाहे चीनी हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो या सस्ता कपड़ा हो, पाम-आयल हो या मिट्टी का तेल हो, यह ऐसी आवश्यक चीजें हैं, जिनकी आवश्यकता हर परिवार में हर रोज समझी जाती है । हमने इस बात की व्यवस्था की कि ग्रामीण अंचलों में, मोहल्लों-मोहल्लों में

सस्ते दर की एक दुकान स्थापित की जाय, जिस पर राशन कार्ड लेकर वहां का उपभोक्ता जा सके और अपनी आवश्यकता की चीजें प्राप्त कर सकें ।

(इस समय 2 बजकर 4 मिनट पर अधिष्ठाता, डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, इस वक्त प्रदेश में करीब 32 हजार ऐसी दुकानें कार्यरत हैं जिसमें से करीब 9 हजार दुकानें शहरी क्षेत्र में हैं और लगभग 22 हजार दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में हैं । इस बात की आवश्यकता अभी भी है कि जितनी सुलभता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चीजें उपलन्ध होनी चाहिये उतनी सुलभता के साथ उपलब्ध नहीं हो पायी हैं । कभी फासला दुकान का ज्यादा हो जाता है, कभी हर गांव में दुकान नहीं हो पाती है । तो कठिनाइयां आती हैं, वहां के रहने वाले दूसरे गांव में जाकर चीनी, गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल लेते हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जाय जिससे कि कम से कम फासले को तय करके इन चीजों को वहां के उपभोक्ता खरीद सकें ।

इसी के साथ-साथ हमारे सामने कठिनाई यह है कि जो व्यक्ति सस्ते गल्ले की दुकान लेता है उसको इकोनामिक वायबिलिटी हो, इसको हमें देखना पड़ता है । अगर उसके साथ इतनी कम यूनिट सम्बद्ध हों कि दुकान का खर्च और यातायात का खर्च ही न निकले तो दुकान को चलाना संभव नहीं होगा । इसलिये प्रयास किया है कि माचिस, टायर, यह जो सात आइटम रखे हैं उनको दुकान पर रखा जाय, ताकि कुछ चीजें दुकान में बढ़ सकें और लोगों के लिए आकर्षण हो जाय और दुकान की इकोनामिक वायाबिलिटी बढ़ जाय । हमारे प्रदेश में इन दुकानों की बढ़ोत्तरी होगी हम यहां के यातायात के साधनों को देखते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों की कठिनाइयों को देखते हुए, वहां इन दुकानों को कुछ समय में पहुंचा देंगे । इस विभाग ने एक चुनौती और स्वीकार की है और हम कई बार अलोचना के पात्र बन चुके हैं । चुनौती यह है कि जब भी गेहूं की फसल आयी बाजार में, तो किसान की लूट आरम्भ हो गयी । व्यापारियों ने किसान की लूट करनी शुरू कर दी और मनमाने ढंग से उन्होंने किसानों का शोषण किया । किसान को भाव मिलने चाहिये 150 रुपये, लेकिन किसान को व्यापारियों ने दिया 100 रुपये क्विंटल । जब किसान को अनाज की आवश्यकता पड़ी तो फिर व्यापारी ने किसान का शोषण किया और जो अनाज उसको मिलना चाहिये 200 रुपये क्विंटल पर उसको उसने दिया 300 रुपये क्विंटल पर दिया । तो खाद्य विभाग ने इस चुनौती को स्वीकार किया और आपके सामने परिणाम है कि 157 रुपये की दर से दाम दिये । केन्द्र सरकार की सहायता से, ग्रामीण अंचलों में और हर जगह अपने-अपने क्रय केन्द्र खोले और जो किसान की लुटाई होने वाली थी उससे किसान को बचाया । मैं यह मानता हूं कि इससे कमियां रही हैं, कमियां आती हैं । कहीं पर किसान को समय पर भुगतान नहीं हो पाया या कभी बोरों की कमी आयी, लेकिन साथ-साथ यह भी देखें कि जो काम वर्ष में हम एक बार करते हैं जिसके लिये हमारे पास पूरे साल काम करने के लिये इफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, केवल दो महीने के लिए हम काम करते हैं, हमारे अधिकारी जितने प्रशिक्षित होने चाहिये उतने नहीं हैं और हम कर्मचारियों को परमानेन्ट नहीं रख सकते तो यह कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन जैसे-जैसे हमारा अनुभव बढ़ेगा और माननीय सदस्यों के जो सुझाव आते हैं उनको देखते हुए हम हमेशा प्रयास करते हैं कि यह कठिनाइयां दूर

हों । अभी धान के सम्बन्ध में शिकायत शुरू हुयी कि धान की खरीद में किसान की लूट हो रही है । हम बाजार में गये, हमने अपने क्रय केन्द्र खोले और क्रय केन्द्रों को खोलकर धान खरीदा उसका परिणाम यह हुआ कि जिसके बारे में माननीय सदस्यगण शिकायत करते थे कि 125 रुपये और 100 रुपये क्विंटल धान नहीं बिक रहा है उसी धान की आपको जानकारी होगी कि किस भाव पर बिका । यह केवल इसलिये संभव हो सका कि हमारा विभाग वहां पर गया और चुनौती को स्वीकार किया और अपना उत्तरदायित्व निभाया ।

मुझे इस बात की जानकारी और आभास है कि और जहां तक हमसे अपेक्षायें किये जाने की बात है, वह इसलिये की जाती है कि हमारा विभाग एक ऐसा विभाग है, जिससे प्रदेश के जन-जन से रोजाना का रिश्ता जुड़ा हुआ है, लेकिन जब कमी किसी चीज की होती है और समय के भीतर हम उस चीज को जुटा नहीं पाते हैं, तो स्वाभाविक है कि यह बातें सामने आयेंगी । मान्यवर, डीजल के मामले में कभी-कभी बहुत सी बातें सामने आती हैं, और इस सम्बन्ध में आलोचनाएं भी हमे सुननी पड़ती हैं । लेकिन इसको हमने नियंत्रण में इसी वजह से लिया है कि इसके वितरण में सुधार हो और कुछ लोग इसे अलग जमा करके न रख सकें और उपभोक्ताओं का शोषण न कर सकें, इसीलिए इसको लिया गया है और यही कारण है कि पिछले 5 वर्षों से इस सिलसिले का एक उदाहरण भी हमारे सामने नहीं आया कि किसी की शिकायतें हमारे पास आयी हों, एक भी मामला ऐसा नहीं आया बल्कि यही नहीं हमारे किसान भाईयों को, उपभोक्ताओं को किसी भी डीजल पम्प से कभी भी निराश होकर लौटना पड़ा हो, ऐसा दृष्टांत भी नहीं मिलेगा । मान्यवर, जहां तक ईंधन का सवाल है, लकड़ी के कम होने या दाम बढ़ने की चुनौती को भी हमारी सरकार ने स्वीकार किया और मिट्टी के तेल को हमने हर जगह उपलब्ध कराया । 90 हजार लीटर की आज हमारी आवश्यकता है, लेकिन हमें 70-75 किली0 ही केन्द्र सरकार से उपलब्ध हो पाता है, यह सही है कि जितनी हमारी आवश्यकता है, उतना हमें नहीं मिल पाता है, फिर भी किसी जगह गावों या शहरों में कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मिली मिट्टी के तेल से वंचित रहने की । हां, इस तरह की शिकायतें अवश्य रही हैं कि समय से नहीं मिल पा रहा है । इसके लिए हमने आदेश निकाले कि जहां-जहां हमारे यह विक्रय केन्द्र हैं, वह एक सूची लगाएं कि कब और कितना उन्होंने कोटा उठाया और कितना सेल हुआ तथा अब क्या स्थिति है ? यह जानकारी हमने हर जगह की रखनी शुरू की । लेकिन यह एक ऐसी चीज है, जिसकी कमी हो ही जाती है और आगे भी रहेगी । लेकिन मान्यवर, फिर भी इसको हम देख रहे हैं कि इसका सही वितरण हो और सभी को मिले ।

मान्यवर, मैंने आपके सामने यह छोटी-बड़ी सारी बातें आपके सामने रखीं, अब मैं आपकी समालोचनाएं सुनने के लिए यहां बैठूंगा और उन समालोचनाओं को सुनने के बाद उनका स्वागत करूंगा और जहां तक इस सम्बन्ध मे मेरे पास साहित्य की बात है, वह इतना है कि अगर इस पर पूरे दिन भी चर्चा करते रहें, तो करते रहेंगे, वह कम नहीं पड़ेगा । और मान्यवर, जिन्होंने हमारे सामने इस सम्बन्ध में कुछ मांगें रखीं, मैं उन्हें यह जानकारी देना चाहूंगा कि हम उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए विशेष तौर पर विचार कर रहे हैं । दूसरे लाइसेंस पर हमें ज्यादा

शिकायतें मिलती हैं कि क्या आप यह बताएंगे कि आज हर चीज पर लाईसेंस लेना पड़ेगा ? इस बारे में हमारा विभाग पूरी गम्भीरता से विचार कर रहा है और बहुत शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जायेगा । इसलिए मान्यवर, मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि हम जन-सामाजिक कार्यों में जुटना चाहते हैं और इसमें जुटे रहने के लिए जहां तक मैं समझता हूं कि आप सभी मा0 सदस्यों का सहयोग हमें सदैव प्राप्त रहेगा, धन्यवाद ।

*श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या 22-खाद्य तथा रसद विभाग के संबंध में प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी को सुना । मा0 मंत्री जी ने अपने विभाग की मुख्य बातों का उल्लेख किया है ।

उन्होंने कहा कि आम आदमी को सस्ते मूल्य पर सामान उपलब्ध करायेंगे और उसी के साथ-साथ सामान की उपलब्धता बनाये रखने और जिन लोगों से हम खरीदते हैं, उनका शोषण न हो पाये, इस बात को देखने की बात कही । मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है, और इसी नाते मैंने अनुदान की धनराशि को घटाकर एक रुपया कर देने की बात कही है । मान्यवर, जिन उद्देश्यों के लिए इन विभागों की स्थापना की गयी है, मूल रूप से इसके तीन उद्देश्य हैं । ये अपने तीनों उद्देश्यों में असफल हो रहे हैं । जहां तक सस्ते मूल्य पर सामान देने की बात है, मान्यवर, जब यह विभाग स्वयं इन चीजों के मूल्य पर नियंत्रण नहीं रखता है और चीजों के दाम बढ़ते रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका परिणाम होगा कि बाजार के भाव ऊंचे भागते जाते हैं । क्या कारण है कि गेहूं का दाम बढ़ गया ? कोई अकाल भी तो नहीं पड़ा है । राशन कार्ड पर गेहूं नियंत्रित मूल्य पर दीजिये । अभी-अभी 18 रु0 कुन्टल आपने कन्ट्रोल रेट का बढ़ा दिया, परिणाम यह हुआ कि बाजार में जो गेहूं 190 में मिलता था, वह गेहूं 225 और 240 तक चला गया । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हम सस्ते मूल्य पर सामान उपलब्ध करायेंगे । लेकिन आपने इधर 18 रु0 कुन्तल गेहूं का दाम बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप बाजारों में गेहूं के दाम बढ़ गये । आप कहां से मूल्य वृद्धि रोकेंगे ? जब आप चुनाव में बड़े-बड़े व्यापारियों से, बड़े-बड़े उद्योगपतियों से पैसा लेंगे, तो आप मूल्य वृद्धि नहीं रोक पायेंगे । आप चाय के दाम नहीं रोक पायेंगे, आप वनस्पति के दाम नहीं रोक पायेंगे । आप कागज के दाम नहीं रोक पायेंगे । जितनी भी उपभोक्ता की वस्तुयें हैं, जो उत्पादक उत्पादन करता है, उनके लिये यह शासन खुली छूट देता है और दाम बढ़ा दिये जाते हैं । इसी के साथ-साथ माननीय मंत्री जी को मैं सात सूत्रीय प्रोग्राम दे रहा हूं कि मंत्री जी इस पर कड़ाई से कार्यवाही करेंगे ।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आज कोई स्टाक लिमिट नहीं है । शासन ने कहा कि गेहूं बहुत हो गया है । व्यापारी ने मनमाने ढंग से गेहूं खरीद कर अपने गोदामों में भर लिया और बाजार खाली हो गया । मैं भी मान्यवर खाद्य मंत्री था । मैंने मान्यवर, 4 जुलाई, 1977 को शपथ लिया था । मैंने आते ही 15 जुलाई, 1977 को आदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पारित कर दिया कि स्टाक लिमिट की कि कोई भी बड़ा व्यापारी इतने से ज्यादा माल गोदाम में नहीं रखेगा । मान्यवर, 15 दिन के अन्दर भाव अपने आप नीचे आ गये । मान्यवर, दूकानों पर माल की उपलब्धि बनाये रखिये । दूकानों पर मूल्य सूची होनी चाहिए । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 32 हजार फेयर प्राइस शाप गांवों में हैं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 1 लाख 25 हजार कुल गांव हैं, इतने गांवों में 32 हजार दुकाने खोलवा देना, ऊंट के मुंह में जीरा के समान है । मान्यवर, इनके माल कहां हैं ? ये खरीद रहे हैं, गोरखपुर में और रख रहे हैं हापुड़ में, खरीद रहे हैं बुलन्दशहर में और रख रहे हैं आजमगढ़ में । इससे मान्यवर, ट्रांसपोरटेशन में विलम्ब लग जाता है । दूकानदार को 5-5, 6-6 दिन तक इधर से उधर दौड़ने में सामान नहीं मिल पाता है । मान्यवर, मैंने कहा कि स्टाक बनाये रखिये । मान्यवर, इनके शासन में मूल्य सूची देखने के संबंध में कोई कड़ाई नहीं हो रही है । मैं बाजार में देखता हूं कि किसी की दूकान पर मूल्य सूची नहीं टांगी गयी है । मान्यवर, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । भाव रोकने के लिए कोई भी प्रबन्ध नहीं किये जा रहे हैं। मान्यवर, मैंने बस्ती के जिलाधिकारी से पूछा कि आपने कभी ट्रेडर्स की मीटिंग बुलाई ? आज 9-10 महीने हो गये, एक दिन भी ट्रेडर्स की मीटिंग नहीं बुलाई गयी । क्या जिलाधिकारियों को शासनादेश नहीं दिये जा सकते हैं

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

कि जो विभिन्न व्यापारों में काम करने वाले व्यापारी हैं उनकी मासिक मीटिंग बुलाई जाये और प्रोत्साहित किया जाये कि बाजार के भाव को न बढ़ने दिया जाये । मान्यवर, सात सूत्री कार्यक्रम लागू कर दिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन सात सूत्री कार्यक्रम में से किसी एक सूत्र को भी लागू नहीं किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से सस्ते मूल्य पर सामान दिलाये जायेंगे ? 18 रुपये प्रति कुन्तल गेहूं के दाम बढ़ाये गये और पांच रुपया किसानों का प्रति कुंतल पर बढ़ा दिया तो यह शोषण किस तरह रोका जा रहा है, यह तो शोषण बढ़ रहा है । मंत्री जी यह आपके हाथ में तो नहीं है, लेकिन आपको इसको ताइद नहीं करना चाहिये था । मंत्री जी आप गलत दिशा में चले गये । पांच रुपया कुंतल किसानों का दाम बढ़ाकर 40 करोड़ रुपया किसानों को देने की बात यह सरकार कर रही है । वहीं दूसरी ओर 15 रुपया बोरी खाद के दाम बढ़ाकर किसानों की जेब से आपने 40 अरब रुपया लिया है । पांच रुपया आपने प्रति कुन्टल गेहूं पर बढ़ाया और कहा 40 करोड़ रुपया किसानों को दे रहे हैं, लेकिन 15 रुपया खाद पर बढ़ाकर आपने 40 अरब रुपया उनसे ले लिया । आप पांच रुपया बढ़ाने के बदले सात रुपया बढ़ा देते । 170 रुपये से 190 रुपये आपने कन्ट्रोल का गेहूं कर दिया, उस पर आप गरीबों को राहत दिलाने की बात करते हैं गरीबों को राहत आप कैसे दिलायेंगे ? आप गरीब की रोटी, दाल, ईंधन सस्ता नहीं कर सकते हैं। गरीब की रोटी महंगी हो गयी । दाल महंगी हो गयी । छः सात रुपये कन्ट्रोल से दाल बिक रही है । पिछले बजट के समय पांच रुपये किलो और 500 रुपये कुन्तल दाल थी । मैं भी यहां था उस समय वासुदेव सिंह जी मंत्री थे, उस समय उन्होंने कहा था, कि दाल के दाम को बढ़ने नहीं दूंगा । आज साढ़े छः रुपये और सात रुपये किलो दाल मिल रही है । 20 परसेन्ट से 40 परसेन्ट तक दाम पिछले बजट में और इस बजट में बढ़े हैं । तो मान्यवर, सामान सस्ते करने की

रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूगा । गांव में आइये जानकारी हो जायेगी । आपको तो बजट के लिए पैसा मंजूर कराना है । मैं गांव की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त सर्वे कमेटी की रिपोर्ट ने कह दिया है कि 24 घंटे में 2500 कैलरीज खानी चाहिये । जबकि आदमी 800 कैलरीज नहीं खा पाता है, यह फीगर चार साल पहले की है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं अगर सात सूत्री कार्यक्रम लागू कर दिया होता चीजों के दाम सस्ते कर दिये होते तो बेहतर होता ।

मान्यवर, पर्वतीय जिलों में आठ जिले आते हैं । जब वर्षा शुरू हो जाती है तो मुश्किल हो जाती है । मई-जून में वर्षा शुरू होती है, तो फरवरी-मार्च तक चाहिये कि गोदामों को भर दिया जाये, चीजों के दाम जिससे ऊंचे न जायें मैंने अपने समय में ऐसा ही किया था । पर्वतीय जिलों में कहीं भी एक भी जिले में चीजों के दाम नहीं बढ़ने दिये, लेकिन मान्यवर, पिछला साल बीत गया इस साल फरवरी का महीना चल रहा है । कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी कि पर्वतीय जिलों की गोदामों को भर दिया जाता, जिससे बरसात में दाम न बढ़ पाते । अब मैं जानना चाहता हूं आप अगर सस्ता सामान दे न पाये, सबको सामान सुलभ न करा पाये, दो जून की रोटी न दे पायें, आपने कहा गेहूं बहुत पैदा हो गया है, कहां गया यह बहुत हो गया तो क्यों नहीं सबको मिलता है ? आज किसानों की खरीदने की कैपेसिटी गिरती जा रही है । काम के बदले अनाज की योजना हमने शुरू किया था, काम करने पर गरीब को अनाज मिल जाता था, खरीद की शक्ति को हमने बढ़ाया था, गरीबों का पेट भर रहा था और आज गोदामों में गल्ला है, खरीदने की शक्ति गिरती जा रही है। खाद्य विभाग सारे उद्देश्यों में निष्फल हो रहा है । आपने 7 सूत्रीय कार्यक्रम दिया है मूल्य रोकने का मैं 7 सूत्रीय कार्यक्रम खरीद योजना लागू करने के लिये दे रहा हूं । जब आप अपने दफ्तर में खरीद का लक्ष्य निर्धारित करें तो 6 चीजों को तय कर लिया कीजिये । जितना खरीदना हो, उसमें कितने बोरे लगेंगे, साथ ही खरीदने में कितना रुपया लगेगा, ढोने के लिये कितने ट्रक की आवश्यकता होगी, चेकिंग कैसे की जायेगी तथा रखने के लिये गोदाम कहां होंगे ? आपने 28.22 लाख टन का लक्ष्य रखा लेकिन बोरे नहीं पहुंच पाये, कितने केन्द्रों पर मैंने देखा कि 6-6 दिन तक खरीद बन्द रहे । बोरे पहुंच गये तो ट्रक नहीं उपलब्ध था और ट्रक भी उपलब्ध हुआ तो पेमेन्ट के लिये रुपया नहीं था और अगर कुल हो गया तो रखने के लिये गोदाम नहीं था। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह मूल्य रोकने के लिये 7 सूत्रीय कार्यक्रम रखा जाय, उसी तरह से खरीदने का लक्ष्य तय करते समय इन चीजों का भी ध्यान रखा जाय । मान्यवर, 250 गांवों पर एक क्रय केन्द्र खोला गया है । धान के क्रय केन्द्र 250 गांव के बीच में एक है । किसानों को 30—40 किलो-मीटर चलना पड़ता है । किसान कैसे क्रय केन्द्र पर पहुंच पाये ? पिछले साल कई लाख टन अनाज खुले मैदान में पड़ा रहा । लखीमपुर, नदी के बेल्ट के किनारे, ललितपुर और आजमगढ़ की हवाई पट्टी पर खुले में अनाज पड़ा रहा । जब आपके पास 6 लाख टन रखने की क्षमता थी तो 22 लाख टन जो अतिरिक्त खरीद की गयी है वह कहां रखा जायेगा । ललितपुर की हवाई पट्टी पर 3 लाख टन गेहूं रखा गया । एक लाख टन गेहूं भीग गया और जब बोरे गिरे तो 100 पशु दब कर मर गये । जब मैंने तत्कालीन खाद्य मंत्री से कहा कि गल्ला खराब हो गया तो श्री वासुदेव सिंह ने कहा वह

मेरा नहीं था, वह तो एफ0 सी0 आई0 का है । यही गेहूं जब रद्दी हो जाता है तो फेयर प्राइस साफ पर देते हैं । ललितपुर हवाई पट्टी पर रखा गया एक कुन्तल गेहूं जब सड़ गया तो उसी में कुछ अच्छा गेहूं मिलाकर आज गरीबों को फेयर प्राइस शाप पर दिया जा रहा है । यह किसानों का भारी शोषण है । आपने गेहूं का दाम 157 से 162 किया । मैं एक ऐसी समिति का सदस्य हूं, किसानों का क्या इनपुट्स लगता है । हमने प्रदेश के विभिन्न स्थानों का दौरा किया है, उसके आधार पर मैं साफ कहना चाहता हूं कि गेहूं और धान का दाम 200 रुपया कुन्तल होना चाहिये । 200 की जगह पर आपने 157 दिया है, यह किसानों का भारी शोषण है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जब भी किसी अनुदान पर बहस होती है तो उससे संबंधित अधिकारी राज्यपाल दीर्घा में या अधिकारी दीर्घा में बैठते हैं और माननीय सदस्यों के विचार से शासन को अवगत कराते हैं । इस समय इतनी गम्भीर बहस हो रही है, लेकिन मालूम होता है कि अपने अधिकारियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है । यहां पर कोई भी विभागीय अधिकारी मौजूद नहीं है । कितनी-गैरजिम्मेदारी और सरलता से इसको लिया जा रहा है, आप इसको देख लें । यह परम्परा की बात है । आप इस पर व्यवस्था दें ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह विषय बड़ी गम्भीरता का है । यहां पर सरकार के दो सम्मानित वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं । मैं खुद बैठा हूं । अधिकारी हैं या नहीं, यह इस समय कोई व्यवस्था नहीं है । अनावश्यक बातों को उठाकर, इस बात को चर्चा का विषय न बनायें ।

श्री अधिष्ठाता—

कुछ अधिकारी लोग बैठे हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, अधिकारी इनको गम्भीरता से नहीं लेते ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, यहां पर कैबिनेट मंत्री रहते तो उनका विभाग पर नियंत्रण होता । यहां पर राज्य मंत्री हैं, इसलिये इनकी कोई इज्जत नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, माननीय मंत्री जी अपने विभाग के लिये जवाबदेह है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, नौकरशाही पर नियंत्रण होना चाहिये । अफसरशाही पर लगाम होनी चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपना ध्यान इधर दें । एक और बात पर मैं, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । वितरण व्यवस्था का इन्होंने उल्लेख किया है, मैं नहीं समझता जो ये कहते हैं कि लोगों को सामान दिया जाता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब किसी के पास राशन कार्ड ही नहीं है, तो सामान किस प्रकार दिया जाता होगा ? मान्यवर आप स्वयं सोचने की कृपा करें । मैं चुनौती पूर्वक कहना चाहूंगा कि 1977 में सभी गांवों में राशन कार्ड बनवाये गये थे और उसके बाद कभी भी राशन कार्ड नहीं बने । जो बने थे, बाढ़ में बह गये या आग में जल गये । तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि राशन कार्ड नहीं है तो किस चीज पर

राशन दिया जाता होगा ? अब एक आदेश किया गया है कि परिवार के सदस्यों की सूची के आधार पर राशन कार्ड बनवा दें । गांवों में परिवार के सदस्यों की जो सूची है वह सन् 1981 की है । सन् 1981 की जनगणना के पहले वह सूची बनाई गयी थी, उसी के आधार पर ही राशन कार्ड बनाया जाता है । तो जिस परिवार में पहले 3-4 सदस्य थे, उसमें अब 7-8 सदस्य हो गये हैं । तो वहां पर वर्तमान स्थिति देखकर राशन कार्ड बनवाये जायं । फिर यह नहीं समझ में आता कि राशन कार्ड बनवाने में दो ढाई रुपया क्यों लिया जा रहा है ? मान्यवर, दुकानों की संख्या बहुत कम है । मंत्री जी ने कहा कि दूकानें ज्यादा बढ़ा देते हैं तो उनका प्राफिट कम हो जायगा । तो यह विभाग दुकानदारों का प्राफिट देखने के लिये नहीं है । यह विभाग गरीबों के लिये सस्ता सामान पहुंचाने के लिये उत्तर-दायी है । दो हजार यूनिट पर एक दुकान खोलने की योजना जो जनता पार्टी की सरकार के काल में बनायी गयी थी, वह लागू की जानी चाहिये । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां पर 2 या 3 आइटम रखते हैं, वहां पर 7 या 8 आइटम रखा दें । मान्यवर, आप देखें एक गांव में दुकान है, 12 गांव उससे सम्बद्ध हैं । अब किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो वह कैसे जायेगा । वह यह भी सोचता है कि इतनी दूर जाये कहीं दुकान बन्द न हो और वापस लौटकर न आना पड़े । और कहीं इसी तरह से वह एक-दो बार वापस लौटकर आता है, तो वह जाना ही बन्द कर देता है । फिर होता यह है कि वह दुकानदार उसे ब्लैक में बेचते हैं । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर दुकान में सत्यापन नहीं होता है । जाली रजिस्टर रखे हुए हैं । आपने अपने डी0 एस0 ओ0 को जीरो बनाकर रख दिया है । कहीं एस0 डी0 एम0 मालिक है, कहीं बी0 डी0 ओ0 मालिक है । मान्यवर, इसलिए मेरा मत है कि खाद्य विभाग को एक स्वतंत्र इकाई रूप दिया जाय प्रदेश स्तर से ब्लाक स्तर तक । मान्यवर, आप देखें यह कहां से खरीदते हैं, कहीं एफ0 सी0 आई0 खरीदता है, कहीं कोआपरेटिव की संस्थायें खरीदती हैं । खरीदने की जो एजेन्सियां हैं, खाद्य विभाग का कोई नियंत्रण उन पर नहीं है । आप बहुत से अध्यादेश पारित कराते हैं । एक अध्यादेश या विधेयक इस आशय का भी ले आयें कि जितनी भी क्रय एजेन्सियां होंगी, वह सीधे खाद्य विभाग के नियंत्रण में काम करेंगी, जो खाद्य विभाग है, वह प्रदेश से ब्लाक स्तर तक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करेगा । जिला पूर्ति अधिकारी संबंधित जिले में खरीदने के लिये और वितरण के लिये जिम्मेदार होगा । आपने सारे पावर तो जिलाधिकारी को दे दिये हैं, उसके पास सिंचाई विभाग की भी पावर है, बिजली विभाग की पावर है, खाद्य विभाग की भी पावर है, डी0 एस0 ओ0 को तो आपने जोरी बना दिया है । इसलिए वितरण व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है । मान्यवर, इसके अति-रिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि नयी दुकानें जो कुछ दी जा रही हैं, एक-एक दुकान पर शहर में 5 हजार रुपये और गांव में 2 हजार रुपये लिये बिना, किसी को दुकान नहीं मिल पा रही है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसको देखा जाय कि इस प्रकार की धांधागर्दी विभाग में न होने पाये ।

इन्हीं शब्दों के साथ, यह कहना चाहूंगा कि जिन 3 चीजों का उल्लेख किया था, वह तीन चीजें इस विभाग की विफल हो रही हैं । इसलिए यह जो 6,59,97,09,000 रुपये की मांग की गयी है और जो मैंने उस पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया है

कि यह धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, वह इसलिए है कि जो भी यह सरकार धन स्वीकृत करा लेगी, वह निरर्थक चला जायेगा और उद्देश्य की पूर्ति और प्राप्ति नहीं हो सकेगी । मान्यवर, मैंने जो यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य तथा रसद विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । माननीय मंत्री जी ने मांग पेश करते समय तथा माननीय हरीश जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए स्वयं बताया कि इस विभाग के कई कार्यकलाप हैं । परन्तु, मैं इसके सभी कार्यकलापों में न जाकर सिर्फ एक कार्यकलाप की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा । जो कृषकों से सीधे संबंधित है । माननीय मंत्री जी ने उसका इतिहास बताया कि वह विभाग किसी उद्देश्य के लिये बनाया गया था, परन्तु आज वह गेहूं धान और किसानों द्वारा उत्पादित अन्य खाद्यान्न की खरीद करता है । सिर्फ उसी विषय के बारे में मैं यहां उल्लेख करूंगा ।

मान्यवर, प्रोग्राम तो इसलिए बनाया गया था, बिचौलियों के माध्यम से जो किसानों का शोषण होता था, वह नहीं होगा । व्यापारी जो खरीदते थे सस्ते दर पर, बाद में उसे बड़े महंगे दाम मिलते थे । लेकिन मान्यवर, बड़े खेद और कष्ट की बात है और मुझे कहना पड़ता है कि किसानों का करोड़ों रुपया खरीद प्रक्रिया के माध्यम से, खरीद केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारी खा जाते हैं । पहले ही किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा उनके उत्पादित खाद्यान्नों का इतना मूल्य नहीं मिल पाता है कि खेती लाभकारी हो और खरीद प्रक्रिया तो किसान की कमर को बिल्कुल ही तोड़ देती है । खरीद प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा निर्णय लेने के बाद सुधार न किया जा सकता हो । हमारे यहां 8 हजार अथवा 9 हजार न्याय पंचायतें हैं और पंजाब और हरियाणा में, जहां खरीद ज्यादा होती है, हर न्याय पंचायत में एक मण्डी स्थल है, जहां पर सारे काश्तकार जमा होते हैं और खरीद की कई एजेन्सियां वहां पर रहती हैं और वे बाध्य हो जाती हैं, जो भाव नियत किया गया है उस पर माल खरीदें । अब आपने एक केन्द्र खोल दिया 10 गांवों या 50 गांवों के लिए । मजबूरन किसानों को लाइन लगानी पड़ती है । फिर यह कह दिया जाता है कि बारे नहीं हैं और भुगतान नहीं है । जब किसान वहां से बाहर निकलता है तो 20-20 रुपये व 30-30 रुपये कम पर, बिचौलिये उनसे खरीद लेते हैं । जबकि नीति यह थी कि बिचौलियों को समाप्त किया जाय । मान्यवर, पहले आपके जो लाइसेन्सी व्यापारी होते थे, उनके ऊपर सरकार का एक अंकुश होता था, यदि वे कुछ गलत काम करते थे तो उनके विरुद्ध 3/7 की कार्यवाही होती थी, लेकिन जब से आपने बिचौलियों को इजाजत दी है तब से किसानों का शोषण बहुत बढ़ गया है मंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा कि बिचौलिए, छोटे मजदूरों के अनाज खरीदने के लिये छोड़े गये हैं । आज गांवों में जितने भी मजदूर हैं वह बड़ी मुश्किल से 2 कुन्तल अनाज मजदूरी से इकट्ठा करते हैं, वह कहां जायेगा खरीद केन्द्र पर बेचने के लिए । वह तो उसके साल भर का खाना भी नहीं है । माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने बिचौलियों के खिलाफ उन्होंने 3/7 की कार्यवाही की है ? धान की पैदावार गेहूं से दुगुनी होती है लेकिन आपने 800 खरीद केन्द्र खोले हैं । एक ब्लाक में केवल एक केन्द्र

आता है । ऐसी स्थिति में धान की खरीद कैसे सम्भव हो सकती थी । आप हर न्याय पंचायत में एक मण्डी स्थल बनायें, जहां पर सब लोग इकट्ठा हों और अपने धान को बेच सकें ।

श्रीमन्, सुझाव के रूप में यह भी कहना चाहता हूं कि खरीद केन्द्रों पर बोरों की व्यवस्था सही की जाय । होता यह है कि सेन्टर का जो इन्चार्ज होता है, वह बोरियों को बिचौलियों में बांट देता है, जो गांव से सीधे गेहूं या धान भर कर आपके खाद्य निगम के गोदामों में पहुंचा देता है । इसलिए बोरों की व्यवस्था केन्द्रों पर ही रखने की कर दी जाय और उन पर मोहर लगी होनी चाहिए और इसके सत्यापन का अधिकारी मजिस्ट्रेटों को सारे विधायकों को और सारे ब्लाक प्रमुखों को होना चाहिए जिनको यह जानकारी हो कि इस केन्द्र पर इतने बोरे हैं ।

दूसरा, सुझाव यह है कि यदि आप मण्डी स्थलों की व्यवस्था नहीं कर सकते है तो जिस प्रकार आप गन्ने के क्रय के लिए करते हैं कि छोटे किसानों का गन्ना सेंटर पर सीजन में पहले क्रय कर लिया जाता है, उसी प्रकार धान व गेहूं के जो काश्तकार हैं, उनको परची बांट दी जाय और छोटे किसानों की उपज को पहले सेन्टर पर ले लिया जाय चाहे दो अथवा तीन चक्र में आप उसे लें, जैसा आप उचित समझें इसके साथ मुझे यह भी मालूम है कि विभाग कहेगा कि सुझाव अव्यावहारिक है, लेकिन आज से 16 साल पहले जब सरकार को जरूरत थी गेंहू की, लेवी लगाने गये थे, तब यह लागू किया गया था । हर किसान को पर्ची बांटी गयी थी, आज नही बांटते । आज काश्तकार को अपना गेंहू बेचना है तो आप कहते है कि अव्यावहारिक है । क्योंकि किसान के हित की बात आ गयी, इसलिये अव्यावहारिक हो गया । सरकार के हित की बात आ गयी तो अव्यावहारिक हो गया । ऐसी व्यवस्था जब तक नहीं करेंगे, उसका शोषण खरीद केन्द्रों पर समाप्त नहीं होगा । उसकी खरीद प्रक्रिया में जो भुगतान की व्यवस्था है, जो क्रय केन्द्र पर भुगतान करता है, अगर उसका बैंक में 50 हजार रु0 जमा है, तो वह डेढ़ लाख रु0 का चेक काट देता है, बैंक का मैनेजर उससे मिल जाता है, जो किसान, मैनेजर अथवा उसके दलाल को पैसा देता है, तब उसका भुगतान होता है । मेरी मांग है कि एक रजिस्टर रखवा दें, बैंक में भी रखवा दें कि जितना धन उसका बैंक में जमा हो, उतने का ही चेक काटे तथा इस रजिस्टर में चेकों की एंट्री उनके जारी होने की तिथि के क्रम में अंकित रहे । इससे भुगतान स्तर पर उसका शोषण समाप्त हो जायगा । मैं एक और मिसाल देना चाहूंगा यहां पर, कि एक मामला उठा था, एक पीलीभीत से ट्रक पकड़ा गया था, हर बोरे में 20-20 किलो रेत मिला हुआ था, मुकदमा कायम हुआ, हमने कहा कि गोदाम की भी जांच करवा लीजिए । मंत्री ने उत्तर दिया कि चूंकि यह मामला भारत सरकार के गोदाम का है, हम देख नहीं सकते । भारत सरकार के धन का व्यपहरण हो रहा है, तो क्या पुलिस जांच नहीं कर सकती है ? खरीद प्रक्रिया के संबंध में । इन्हीं सुझावों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो खाद्य आपूर्ति और रसद विभाग है, उसकी कोई नीति ही नहीं है । इस समय प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से जो चीज वितरित की जा रही है, उससे भारी असंतोष है । इस समय और जनता पार्टी के राज्य में काफी फर्क रहा है । उस समय लोग राशन कार्ड को भूल चुके थे । आज राशन कार्ड के रहते भी राशन नहीं मिल पा

रहा है । मैं तो यह समझता हूं कि इस समय सरकार अपने स्तर से दो-तीन तरह के दाम का राशन बिकवा रही है और सरकार की कोई राशन की नीति ही नहीं रह गयी है । जो गेहूं चावल और चीनी का दाम तय किया जा रहा है, उसके पीछे कौन सा मानक और आधार है, इसके बारे में सरकार का दिमाग साफ नहीं है । किसान ने जो चीज पैदा की है, उसका लाभकारी मूल्य दिलाया जाय तब भी बात समझ में आती है, लेकिन अगर सरकारी विभाग मुनाफा कमायेंगे, तो सस्ते गल्ले की दुकानों का औचित्य नहीं रह जाता । उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश आया कि चावल के दाम 14 पैसे प्रति किलो के भाव से बढ़ा दिये जायं । यह आदेश पूर्ववर्ती था, जिन्होंने राशन उठा लिया था, उनको भी बकाया देना पड़ेगा । किसान को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से बढ़ाया गया होता, तो नहीं मानते, लेकिन चावल का दाम बढ़ाकर मुनाफा कमाने की बात थी वह मान गये । बड़े-बड़े आढ़तियों को मुनाफा देने की गरज से और अफसरों को कमीशन देने के कारण चावल का दाम बढ़ाया गया । किसान को तो दाम अदा कर दिया गया । जितनी भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, उनमें सब सामान नहीं मिलता है, उनके वितरण का काम भी अस्त-व्यस्त हो चुका है । मान्यवर, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि इस विभाग में एक महत्वपूर्ण विभाग और भी है एसेंसियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जिसमें डीजल, पेट्रोल जिसमें कि बड़े पैमाने पर मिलावट का काम चल रहा है । बड़े-बड़े पेट्रोल के पम्प के मालिक इसमें पकड़े जा रहे हैं जो कि लगभग 80 फीसदी के मिलावट का काम कर रहे हैं । 80 फीसदी डीजल और पेट्रोल में मिलावट हो रही है ।

इसके अतिरिक्त इनका एक विभाग और है जिसे अपमिश्रण विभाग कहते हैं जो कि बड़े पैमाने पर खाद्य की वस्तुओं में मिलावट का काम कर रहा है । अपमिश्रण कानून के अन्तर्गत बड़े-बड़े व्यापारियों को तो कोई नहीं कुछ कहता है, परन्तु छोटे-छोटे व्यापारियों को इसके अन्तर्गत पकड़ा जा रहा है और खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर मिलावट का काम चल रहा है । चाहे हल्दी हो, चाहे दाल हो, चाहे दवा हो चाहे तेल हो, चाहे मसाला हो, सबमें मिलावट का काम हो रहा है ।

हमारे यहां बनारस में चंदासी एक कोयले की मण्डी है । पिछले तीन-चार साल के अन्दर कोल इण्डिया ने कोयले की फ्री सेल पर पाबन्दी लगा दी थी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि करीब 90 करोड़ से ले करके 1 अरब के बीच में फ्री सेल का कोयला बनारस की चंदासी मण्डी से विभिन्न जगहों पर जैसे कि पंजाब, गुजरात, हरियाणा तथा दक्षिणी भारत में, जहां-जहां पर कोयले की कमी है, सब जगह इसके द्वारा कोयला सप्लाई किया जा रहा है । मेरी सरकार से मांग है कि इस संबंध में एक सी0 बी0 आई0 की जांच बैठायी जाय । अगर सरकार इस पर तत्काल रोक नहीं लगाती है तो फिर देश में काले धन को रोका नहीं जा सकता है । 1984-85 के बीच में फ्री सेल का कोयला बन्द कर दिया गया था, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में चंदासी मंडी के द्वारा इसका सेल जारी था । जबकि शासनादेश जारी किया गया था कि फ्री सेल का कोयला न बेचा जाय, लेकिन यहां से बराबर फ्री सेल का कोयला लोग उठाते रहे ।

खाद्य और आपूर्ति विभाग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है । इसके साथ ही मैं हरीश जी द्वारा रखे गये

कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री बद्री प्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से खाद्य रसद मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट की मांगों के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, खाद्य और रसद के अन्तर्गत जो वितरण प्रणाली है उसका सही ढंग से कार्य चल रहा है जो कि प्रशंसनीय है । जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, श्रमिक हैं, गरीब हैं, सबको वहां से उचित दामों में सामान मिल रहा है । गेहूं और धान क्रय केन्द्रों से सही कीमत पर सबको उपलब्ध हो जाता है ।

इसके साथ ही साथ खाने की जो साधारण चीजें हैं, वह तो सबको सुलभ हैं ही, परन्तु साथ ही साथ मिट्टी का तेल, शक्कर, डीजल और सीमेन्ट यह सब भी हरिजन और कमजोर वर्ग के लोगों को भलीभांति मिल जाती है ।

साथ ही साथ मेरा क्षेत्र हसनगंज जिला उन्नाव है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरा क्षेत्र ऐसा है कि उसमें सई नदी और बसहा झील है । जो दुकानें खोली गयी हैं, वह बहुत दूर-दूर पड़ जाती हैं और रास्ते में पानी भर जाता है और नावों से गरीब किसान और हरिजन 2-2 रुपये देकर जाते हैं तो इस बारे में मेरा सुझाव है कि दुकानें नदी और झील के बीच में खोली जायें और इस ढंग से खोली जायें कि लोग आसानी से वहां तक पहुंच सकें, और समय न बरबाद हो । दुकानें ऐसे स्थान पर हैं कि लोगों को चार कोस 6 कोस जाना पड़ता है, तो गांव के लोगों को सही फायदा नहीं मिल पाता है । जो क्रय केन्द्र खोले जाते हैं, वह समय से नहीं खोले जाते हैं । जब तक क्रय केन्द्र खोले जाते हैं, तब तक किसान अपना धान और गेहूं बिचौलियों के हाथ बेच देता है और उसको सही कीमत और सही लाभ नहीं मिल पाता है । साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी केन्द्र बनाये जायं वह इस ढंग से बनाये जायं जिससे कि किसान अपना सामान सही टाइम पर और सही हालत में पहुंचा सकें । हमारी जो तमाम दुकानें खोली गयी हैं, राशन कार्ड जो बनाये गये हैं, उनमें बहुत गड़बड़ी है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सही राशन कार्ड हैं वह उनको मिलें और जो गड़बड़ी है, उसको दूर कर दिया जाये । मान्यवर, मिट्टी का तेल लेने के लिये लोगों को कम से कम हर गांव सभा में खोली जायें । मिट्टी का तेल लेने के लिए लोगों को 3-4 कोस तक जाना पड़ता है और लोग जब लेने जाते हैं तो कभी-कभी मिल भी नहीं पाता है, तो वह तो मरा । हर गांव में कर दो और ऐसा न हो सके तो एक मील पर कर दो । मान्यवर, सीमेंट बाज-वक्त ऐसा होता है कि भरी बोरी नहीं मिलती है, खाली मिलती है, तो उसका नुकसान होता है, तो इन बातों को आपके सामने रखा और इन शब्दों के साथ माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री श्रीप्रकाश—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री हरीश द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के बारे में कहना चाहता हूं की जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर जो खरीद फरोख्त किसानों के गल्ले की होती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, सही माने में सरकार की जो मंशा और नीयत है, उसके तहत काम नहीं होता है । किसान जब गल्ला बाजार में मजबूरन ले आता है तब सरकारी दुकानें खोली जाती हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने धान की खरीद के बारे में कहा, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अपने तहसील हेडक्वार्टर पर धान की खरीद का केन्द्र खोलने की बात जिला अधिकारी से की और सम्बन्धित अधिकारियों से की, लेकिन हमारे यहां पर धान की खरीद का कोई केन्द्र नहीं खोला गया । हमारे विपक्ष के कई भाइयों ने चर्चा की थी कि धान के केन्द्र व्यापक पैमाने पर नहीं खोले गये, उसके कारण किसानों को मजबूरन धान 80 पैसे के भाव से बेचना पड़ा और उसको व्यापारियों ने कम दाम पर खरीदा और उस धान को बाद में क्रय केन्द्र पर अधिक दामों पर बेच दिया । मान्यवर, सरकार की मंशा जरूर है कि गरीबों तक लाभ पहुंचाया जाये, लेकिन वह पहुंच नहीं पाता है । सरकारी अधिकारी और बिचौलिये गरीब लोगों के शोषण का काम करते हैं । मान्यवर, जो मिट्टी के तेल का परमिट या लाइसेंस पेट्रोल पम्प के प्रबन्धकों को या मालिकों को दिया जाता है, तो वह लोग व्यापक पैमाने पर उसकी मिलावट करते हैं, पेट्रोल और डीजल में उसका प्रयोग किया जाता है और गांव स्तर पर जितना कोटा फिक्स है, उतना गांव स्तर पर नहीं पहुंच पाता है ।

मान्यवर, इस प्रकार मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह से जो कोटेदार हैं, जो पेट्रोल पम्प गांव में मिट्टी के तेल के वितरण का कार्य करते हैं, सरकार इस पर निगाह रखे और यह ध्यान रखे कि जो उनका कोटा है, गांव स्तर पर बंट रहा है, या केवल मिलावट के काम आ रहा है । मैंने देखा है कि जो भी गरीब किसानों को सरकारी दुकानें एलाट हुई हैं उनको सही माने में मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हो पाता । हमारे पूंछने पर पता लगा कि जो सप्लाई आफिसर है, उसने कोटा काट लिया है या उनको जो मंशा होती है, जो दुकानदार उनको ज्यादा पैसा देते हैं फी ड्रम के हिसाब से, जैसा उन्होंने बताया है कि 20 रुपये इंस्पेक्टर लेता है फी ड्रम और जो कोटा बाहर से आता है उसमें इंस्पेक्टर भी देते-लेते रहते हैं । तो इसमें जो ब्लैक करने वाले दुकानदार हैं वह ज्यादा पैसा देकर ले लेते हैं । इस प्रकार से जो बड़े-बड़े व्यापारी या दुकानदार कस्बों या तहसीलों के हैं वह अपनी दुकानों पर एलाट करा लेते हैं और उसका सही मायने में वितरण गांव स्तर पर नहीं हो पाता जिससे हमारा किसान अछूता रह जाता है ।

इसी तरह से गेहूं के मूल्य का निर्धारण राष्ट्रीय माध्यम से होता है लेकिन अमेरिका वगैरह में यह देखने में आया है कि वहां पर गेहूं का निर्धारण मूल्य जितना होता है उतना ही सरकार अपनी तरफ से सब्सीडी भी देती है लेकिन हमारे यहां की सरकार की व्यवस्था है कि यह प्रोत्साहन मूल्य के रूप में हमें देती है । हमारे गेहूं के उत्पादन में जो लागत आती है, वह उत्पादन का मूल्य भी, सरकार हमें नहीं दे पाती है और बिचौलियों के माध्यम से सरे आम किसान लूटा जा रहा है और उस पर सरकार का कोई भी नियंत्रण देखने में नहीं आ रहा है ।

इसी प्रकार मैं चावल के विषय में बताना चाहता हूं । चावल का जो हाल गांवों में है, हम लोग कास्तकार हैं, हम लोग अपने चावल को अपने यहां रखे हुए हैं, बाजार में बेचना चाहते हैं । जो चावल हमें बाजार में 3-4 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है वही चावल अगर हम गांवों में बेचना

चाहते है तो उसको व्यापारी 180 रुपया या 200 रुपये से ज्यादा देने को तैयार नहीं है । जो बाजारों में 300, 350 या 400 रुपये में चावल लखनऊ के अन्दर या बनारस के अन्दर बिक रहा है तो इस तरह से जो कास्तकार चावल को बेचना चाहते है उसके लिए कोई व्यवस्था तहसील स्तर पर नहीं है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आज कास्तकार जो गांव देहात से अपने चावल को बेचना चाहता है उसके लिए कोई क्रय केन्द्र की व्यवस्था आप अपने स्तर से कर सकते है, तो करें ।इन्हीं शब्दों के साथ मैं हरीश जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन् इतने विशाल प्रदेश में इतने सुचारू ढंग से चलने वाली खाद्य वितरण व्यवस्था, ऐसी प्रणाली है, जो यह चल रही है, वास्तव में इसके लिए सरकार प्रशंसा की पात्र है । श्रीमन्, जैसे ही गेहूं के दाम बढ़े सरकार ने गोदामों से गेहूं लेकर दिया, जिससे जो गेहूं 250 रुपये में पहुंच गया था वह फिर 200 रुपये में आ गया ।

जो अभी हरीश जी ने 12 गांवों में एक दुकान की बात कही तो अगर 32 हजार दुकानों को सवा लाख गांवों में भाग दें तो चार गांवों में एक दुकान का औसत पड़ता है । मैं समझता हूं कि उनको भाग देने में कहीं गलती रह गई होगी । नये कार्ड भी छापे गये है जिनको गांवों में वितरित किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि काफी गांवों में ये कार्ड बंट भी चुके है और जो गांव शेष है उनमें भी बंट जायेंगे ।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा । सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वास्तव में इस वितरण प्रणाली के जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिला पूर्ति अधिकारी है, उनको वाकई में डिफेक्ट बना रखा है और परगनाधिकारी को उसका सारा अधिकार दिया गया है जिससे वितरण व्यवस्था में खामियां आ गई है । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि लाईसेंस की स्वीकृति और वितरण की जिम्मेदारी जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपी जाय और अगर परगनाधिकारी के ऊपर ही रखी जाती है तो तहसील स्तर पर ऐसी सलाहकार समितियों का गठन किया जाय जिसके माध्यम से सारी वितरण प्रणाली पर निगाह रखी जा सके । अभी बहुत से प्रार्थना-पत्र नई दुकानों के सम्बन्ध में पेंडिंग पड़े हुए है । इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आज ही यह निर्णय लें और घोषणा करें तथा समस्त जिलाधिकारियों को सूचित कर दिया जाय कि जिला सलाहकार समितियां और तहसील सलाहकार समितियों का गठन कर दिया गया है । उनके सामने सारे पेंडिंग मामले रख दिये जायं, उन्हीं से लाइसेंस की स्वीकृति कराई जाय जिससे आज जो भ्रष्टाचार के मामले हमारे सामने आ रहे है, जन प्रतिनिधियों के सामने रखकर उनमें कमी लाई जा सके ।

इसके साथ ही साथ श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग में एक खाद्य प्रकोष्ठ है जो आपके खाद्य विभाग के विभिन्न प्रकरणों की जांच करता है, बहुत सी जांच पेंडिंग पड़ी हुई है । आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देखें कि उन खाद्य प्रकोष्ठों के द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उनमें से कितनी जांच रिपोर्टों के ऊपर कार्म्मवाही की गई है । जिन पर कार्यवाही नहीं की गई है, उनको जांच रिपोर्ट देखने के बाद उनके ऊपर कार्यबाही की जाय ।

शहरों तथा पर्वतीय अंचलों में प्रति यूनिट एक किलो चीनी और गांव वालों को पाव भर चीनी देने की बात कही गई है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि क्या गांवों के लोग डाइविटिक माने गये हैं जिससे उनको प्रति यूनिट ढाई सौ ग्राम चीनी देने की बात कही गई है । इसलिये मेरा निवेदन है कि समान वितरण की प्रक्रिया अपनाई जाय । उसमें किसी प्रकार का भेद-भाव न अपनाया जाय । मैं सुझाव देना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है । यद्यपि उसमें केन्द्रीय सरकार के सहयोग की आवश्यकता है । वह है सीमेंट, मिट्टी का तेल और डीजल के मूल्यों के सम्बन्ध में । पहले मैं सीमेंट के बारे में बताना चाहता हूं । सीमेंट के मामले में दोहरी नीति अपनाई गई है । मैं समझता हूं कि इसके पीछे जो उद्देश्य रखा गया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ । कंट्रोल में सीमेंट 35/40 रुपये प्रति बोरी मिल रहा है, इसलिये इस दोहरी कीमत की नीति के सम्बन्ध में आप केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करके इसे समाप्त करें और सीमेंट को डी-कंट्रोल करें । कंट्रोल नहीं रहेगा तो कंज्यूमर्स को सहूलियत होगी और सरकार भी दिक्कतों से बच पायेगी ।

दूसरी बात मैं डीजल और मिट्टी के तेल के बारे में कहना चाहता हूं । मिट्टी के तेल और डीजल की कीमतों में फर्क है और इसके कारण ही मिलावट होती है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि दोनों की एक ही कीमत कर दी जाय और मिट्टी का तेल डी-कंट्रोल कर दिया जाय जिससे जो छोटे-छोटे प्रचून के दुकानदार भी मिट्टी का तेल रख सकें और छोटी डिब्बी वाले मजदूर भी तेल भरवा सकते हैं ।

डीजल के लाईसेन्स की जो प्रणाली है उसमें भी कठिनाइयां हैं उसमें एस0 डी0 एम0 जांच करता है, वह डी0 एस0 ओ0 को लिखता है, फिर डी0 एम0 के पास जाता है । इस तरह लाईसेन्स की प्रक्रिया को लचीला बनाया जाय । सीधे डी0 एम0 को इसका लाईसेन्स बनाने का अधिकार दिया जाय । खुदरा व्यापारियों को लाईसेन्स दिया जाय जिससे प्रतिस्पर्द्धा आपस में हो और उसमें जो अच्छा होगा वह कंपीटिशन में टिकेगा और जो अच्छा नहीं होगा वह बाजार से बाहर हो जायेगा ।

इसके साथ ही साथ एक बात और है कि कंट्रोल की दुकानों का मार्जिन आफ प्राफिट बहुत कम है । इसके व्यावहारिक पहलू को भी देखना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप विराजें ।

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान—

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं कोयले के सम्बन्ध में । उत्तर प्रदेश में कोयले की 150 रेक की प्रतिमाह जरूरत है जिसके अगेंस्ट सिर्फ 16 रेक एलाट होता है, वह भी आता है या नहीं, कहा नहीं जा सकता है । जब तक स्लैक कोल भट्टे वालों को नहीं देंगे तब तक ईंट सस्ती नहीं हो सकती । अगर कोयले की पूर्ति ठीक हो जाय तो जो ईंट आज सौ रुपये हजार मिलती है वह 3 सौ रुपये हो जायेगी । इससे करोड़ों रुपये सरकारी बजट के बचेंगे और जो गृह निर्माण कार्य करते हैं उनको सस्ता ईंटा मिलेगा

सिर्फ रेक की सप्लाई करने की बात है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें ।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, यह खाद्य और रसद विभाग आज जमाखोरी, मुनाफाखोरी, काला-बाजारी और मिलावट का पर्यायवाची बन गया है। जिस चीज को आप लें, सीमेन्ट में मिलावट, वनस्पति में मिलावट, डीजल में मिलावट और मिट्टी के तेल में भी मिलावट होती है । मैं डीजल और पेट्रोल के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं । जिन लोगों को डीजल और पेट्रोल के लाइसेंस मिले हैं उनको मिट्टी के तेल का लाइसेंस न दिया जाय । होता क्या है कि मिट्टी के तेल की मिलावट डीजल और पेट्रोल में लोग करते हैं जिनके पास डीजल पेट्रोल और मिट्टी के तेल का लाइसेंस होता है उनको हेराफेरी करने में आसानी हो जाती है उसको खरीद कर मिलावट करने की जरूरत नहीं पड़ती है । मेरा सुझाव है कि पेट्रोल के लाइसेंस धारकों को मिट्टी के तेल का लाइसेंस न दें । साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश के सभी पेट्रोल पम्पों में पेट्रोल मिलावट किया हुआ मिलता है, लेकिन आज तक इस सरकार ने या इस विभाग ने कोई छापा या जांच इनकी नहीं की ताकि मिलावट लोग न कर सकें । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि आप इस विभाग में एक छापामार दल का गठन करें जो प्रदेश के तमाम पेट्रोल पम्पों पर छापा मार कर उनकी जांच करे ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह प्रणाली गांवों में अच्छी तरह से लागू नहीं हो पायी है । मान्यवर, आवश्यक वस्तुयें जैसे चीनी या मिट्टी के तेल केवल कोटेदारों और सप्लाई इंस्पेक्टरों के बीच में गोल माल होकर खत्म हो जाता है और देहात के लोगों को नहीं मिल पाता है । मेरा निवेदन है कि इसके लिए जो ग्राम प्रधान या जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो कोटेदारों के खिलाफ या इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत होती है तो उस पर तुरन्त उच्च अधिकारियों को भेज कर जांच की जाय और फौरन निरस्त किया जाय । कोटा देते समय वहां के प्रधान की संस्तुति अवश्य हो तभी किसी को कोटा दिया जाय और उस कोटेदार का पिछला इतिहास भी देखा जाय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको पहले कोटा मिला था और निरस्त हुआ है और अब ऐसा तो नहीं है उसके परिवार वाले उसको ले रहे हैं । इन तमाम चीजों की जांच करने के बाद कोटा दिया जाय । (लालबत्ती होने पर) अभी तो शुरू किया है ।

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट और हैं ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

शहरों में, महीने में, कार्ड धारकों को 10 लीटर तेल देते हैं लेकिन देहाती क्षेत्र में आप केवल 5 लीटर तेल देते हैं जब कि वहां बिजली की कमी के कारण तेल की ज्यादा आवश्यकता होती है । इसलिए मिट्टी का तेल शहर और देहात में बराबर दिया जाय ।

मान्यवर, धान क्रय करने के संबंध में मेरा सुझाव है कि प्रत्येक न्याय पंचायत (ग्राम) में धान के क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था करें और दूसरे विभागों एवं एजेन्सियों द्वारा खरीद न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर, इसलिए एक अलग मशीनरी का गठन करें जो ग्राम पंचायत स्तर पर अनाज का क्रय करें ।

मान्यवर, जो सचल जनता स्टोर की बात कही गयी है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि यह स्टोर शहरों और ब्लाकों में ही सीमित न करके देहातों में भी यह जनता सचल स्टोर चलाये जायं जिसमें सभी आवश्यक वस्तुयें, दवायें और कन्ट्रोल का कपड़ा देहातों में पहुंचाया जाय ।

मान्यवर, मंत्री जी ने बजट पुस्तिका में कहा है कि धान उत्पादन के व्यापक क्षेत्र में चावल मिल हम लगाने जा रहे है, तो मेरी मांग है कि बांदा जनपद में नरैनी धान उत्पादन का व्यापक क्षेत्र है इसलिए अतर्रा में एक चावल मिल लगाने का प्राविधान किया जाये ।

श्रीमती पुष्पा सिंघल—

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया और मैं इस बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

मान्यवर, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मंत्री जी ने एक ऐसा क्रांतिकारी बजट हमारे सामने रखा है जिससे सारा देश और प्रदेश लाभान्वित हो सकता है । मान्यवर, अभी माननीय सदस्य श्री हरीश जी ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए अपनी जनता पार्टी के बारे में बहुत कुछ बातें यहां कहीं । तो उनकी ढाई साल की सरकार जो हमारे प्रदेश में सत्ता में आयी तो उसने जनता को गुमराह करने और लालच देने के लिए उन भंडारों को खोला जो कि कांग्रेस सरकार ने दैविक आपत्तियों और विदेशी हमलों का सामना करने के लिये रखा था । उन्होंने सोचा था कि जनता को गुमराह करके, लालच देकर हम सरकार को चला लेंगे, लेकिन वह गलत था, उसका परिणाम हुआ कि 28 महीने तक यह देते रहे और उसके बाद वह सरकार समाप्त हो गयी ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि खाद्य से संबंधित दो कानून बनाये गये है—एक फूड एडल्टरेशन एक्ट और दूसरा एसेन्सियल कमोडिटी एक्ट, इनमें जो चालान किये जाते है उनको करने के लिये जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर रखे गये है, उनको कानून का ज्ञान नहीं होता है । चूंकि यह टेक्निकल एक्ट है, इसलिये गलती बहुत जल्दी हो जाती है जिससे मुकदमें सारे छूट जाते है । इसलिए मेरा सुझाव है कि इन पदों पर उन वकीलों की नियुक्ति की जाय जिनको कानून का अच्छा ज्ञान हो या फिर इन इंस्पेक्टरों के लिये कानून की डिग्री लेना अनिवार्य कर दिया जाय ।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जब कभी बजट का समय आता है तो व्यापारी लोग सोचने लगते है कि बजट में जरूर चीजों के दाम ज्यादा होंगे और इससे वह चीजों की होल्डिंग करते है और फलतः उनकी कमी हो जाती है जिससे जनता को परेशानी होती है। इसलिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि मार्केटिंग इंस्पेक्टरों को निर्देश दिये जायं कि जब बजट पास होने वाला हो तो उससे पहले सभी व्यापारियों के गोदामों की चेकिंग करते रहें जिससे व्यापारी होल्डिंग न कर सकें और जनता को परेशानी न हो ।

मान्यवर, दुकानों के आवंटन के संबंध में मेरा सुझाव है कि चूंकि एक ही परिवार में 2-3 दुकानें आवंटित हो जाती है इसलिए सुझाव है कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है उनसे दुकानों का आवंटन करते समय राय ली जाया करे और मालूम किया जाय कि क्यों इस तरीके से उन लोगों को ब्लैक मार्केटिंग का और होल्डिंग का अच्छा

मौका मिल जाता है ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

एक यह भी बात देखने में आई है कि जब महिलायें सस्ते गल्ले की दुकानों पर सामान लेने जाती हैं, तो उनको सुबह से शाम तक गोद में बच्चे को लेकर खड़े रहना पड़ता है और जब दुकान खुलती है तो मालूम पड़ता है कि दुकान पर कोई चीज हो नहीं है । तो मैं निवेदन करती हूं कि दुकानों पर महिलाओं के लिए एक अलग से काउन्टर बनाया जाय, जिससे महिलाओं को आसानी से खाद्य सामग्री मिलती रहे । इसके साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, यह खाद्य विभाग ऐसा विभाग है, जो सारे प्रदेश के लिए कानून व्यवस्था और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है । इस विभाग का जो मूल काम था, उसने उनको छोड़ दिया है । पूरे प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली आज ठप्प हो गयी है, जबसे इन्होंने उसको तीन स्तरीय व्यवस्था की है । कुछ काम तो यह सीधे करते हैं, कुछ परगना अधिकारियों के माध्यम से कराते हैं और कुछ सस्ते गल्ले की दुकानों को सहकारी समितियों के माध्यम से चलवाते हैं और मैं तो कहूंगा कि यही अधिकांश बुराई की जड़ है । इसका एक कारण यह है कि सहकारी समितियों के सचिवों के भय से यह विभाग बराबर आतंकित रहता है । जो लोग सामान लेकर जाते हैं वह रास्ते में ही बिक जाता है या ब्लैक हो जाता है वह दुकानों तक पहुंच ही नहीं पाता है । जांच कराने की बात होती है तो इनके सचिवों में हिम्मत नहीं है कि वह उनको पकड़ सकें । क्योंकि सभी सचिव और सेल्समैन इनके ही दल के लोग हैं और इसी वजह से यह वितरण नहीं हो पा रहा है । मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इस कटौती के प्रस्ताव को रखा है वह भूतपूर्व खाद्य मंत्री रहे हैं और उन्होंने अपने समय में खाद्य मंत्री की हैसियत से जो प्रस्ताव किये थे, काम किये थे, वह हमारे लिए गर्व की बात है कि उसके कारण से उत्तर प्रदेश के लोगों ने सस्ते गल्ले की दुकानों को भूल जाने का काम किया था । उस शासनकाल में कभी उन्हें इस बात की जरूरत नहीं पड़ी कि राशन कार्ड लेकर वह दुकानों पर जायं और चीजों के लिए लम्बी-लम्बी लाइनें लगायें । उनके राशन कार्ड उस जमाने में गायब हो गये । इसलिए गायब हो गये कि उस समय में नगर और ग्राम के हर नागरिक को हर राशन की वस्तु आसानी से और फ्री सेल में बाजार में काफी मात्रा में मिल रही थी और साथ ही बाजार में राशन से सस्ती भी मिल रही थी । उन्हें कभी किसी चीज के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है । जनता पार्टी के जमाने में जब सारा सामान उपलब्ध हो गया तो लोगों के राशन कार्ड गायब हो गये । जब से यह आये हैं, चीजों का अभाव आया है, चीजों का अभाव पैदा हो गया है, तो मजबूर होकर लोग राशन की दुकानों पर जाने लगे हैं और राशन कार्ड के अभाव में उनको राशन, चीनी नहीं मिल पा रही है । पिछले वर्ष यह बात इसी सदन में उठी थी और हमने आग्रह किया था कि इनके सरकारी प्रेस कार्डों को गांव तक नहीं भेजते हैं, उन्होंने जिला स्तर पर और तहसीलों में कार्ड भेजने का कार्य नहीं किया है, जिससे उस ग्रामीण आदमी को मिट्टी का तेल देखने के लिए भी नहीं मिल पाता है । इनका मिट्टी का तेल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसी को मिलता तो है नहीं केवल कभी-कभी देखने को मिल जाता है, किन्तु राशन कार्ड न होने के कारण वह उसे देखने भर को भी नहीं मिल पाता है । दूसरी बात यह है कि जन-स्वास्थ्य को खतरा पैदा करने का काम आपने शुरू कर दिया है । आपके इंस्पेक्टर को इस बात की चिंता नहीं रहती है कि जो कारखाने हैं, जहां से असल में मिलावट होती है, वहां का वह निरीक्षण करें । उसे वहां देखने की फुरसत नहीं है । वे शहर और गांव के छोटे-छोटे दुकानदारों को परेशान करते हैं और बड़ी दुकानों से तो उन्होंने माहवारी बांध रखा है । मेरे क्षेत्र में एक दाल की दुकान से उनका 120 रुपया माहवारी बंधा हुआ है ।

यह आज हालत है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जन स्वास्थ्य के लिये खुद एक खतरा पैदा कर रहे हैं । आप ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिससे कि लोगों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर न जाना पड़े और वह दुकानें अपने आप समाप्त हो जायं । आप सामान मंगवायें, मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ायें । देवरिया की चीनी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही बांटें । मैं देखता हूं कि देवरिया की चीनी आप गाजियाबाद में बांटते हैं और मेरठ की चीनी देवरिया में बांटते हैं । तो यह चीनी के कैरेज में जो पैसा खर्च होता है वह फिजूलखर्च होता है । यह किसका पैसा है, यह जनता का पैसा है जिसकी फिजूलखर्ची की जाती है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि न्याय पंचायत स्तर पर स्थायी क्रय केन्द्रों की स्थापना होनी चाहिये । कभी सहकारिता के माध्यम से, कभी पी0 सी0 एफ0 के माध्यम से, कभी आवश्यक वस्तु निगम के माध्यम से आप खरीददारी करते हैं । तो आपकी यह जो यूनिट है इसको आपको अलग करना चाहिये और धान की खरीद, गेहूं की खरीद और तिलहन की खरीद, इन स्थायी केन्द्रों के माध्यम से करायें । यह जो मिली-जुली व्यवस्था है उससे आपने विभाग में अराजकता कायम किया है इसको आप दूर करें । आपने जिला स्तर पर खाद्य सलाहकार समितियां कायम की हैं लेकिन उसमें सारे अधिकार अधिकारियों को दे दिये हैं और उनकी समीक्षा जन प्रतिनिधि नहीं कर सकते हैं । तो जिला खाद्य सलाहकार समितियों की समीक्षा से हम विधायकों तथा जन प्रतिनिधियों को वंचित किया गया है । मैं आग्रह करूंगा कि इनकी समीक्षा के लिये जन प्रतिनिधियों को अधिकार दें । ताकि जन वितरण प्रणाली को सुचारु रूप से चलाया जा सके । इन शब्दों के साथ, मैं माननीय हरिश्चन्द्र जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री गजराज सिंह—

परम आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया । मान्यवर, माननीय सदस्य हरीश जी अभी कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे थे। माननीय हरीश जी ने अपने 1977 से 1980 के उस समय को बिल्कुल नहीं याद किया जिस समय किसानों को 24-24 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ता था तब उनको डीजल मिल पाता था । हमारी सरकार के समय में 1 घंटा भी किसानों को इन्तजार नहीं करना पड़ता है और उनको आसानी से डीजल मिल जाता है । (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, इसी तरह से उस जमाने में गरीबों को अपनी बिटिया की शादी के लिये चीनी नहीं मिलती थी और वह 10-11 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी खरीदते थे लेकिन आज हमारी सरकार द्वारा, माननीय राजीव गांधी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके

द्वारा बाजार में सस्ते दामों पर चीनी बिक रहा है । पहले मिट्टी के तेल के लिये 6-6 घंटे लाइन लगानी पड़ती थी लेकिन आज बाजार में तेल आसानी से मिल रहा है । यह आप भी जानते हैं कि इस सम्मानित सदन के अन्दर बैठे हुए जो सदस्य हैं वह इंसान हैं, भगवान तो नहीं हैं, उनसे भूल हो सकती है । मुझे इस संबंध में कहना है कि यदि विरोध करना है तो संसदीय भाषा के रूप में करें । माननीय हरीश जी ने जो बातें रखीं तो उनमें कोई खास बात नहीं है उनको तो विरोध ही विरोध करना था । मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । सिर्फ कुछ बातों की ओर आपके माध्यम से संकेत करना चाहता हूं । सस्ते गल्ले की दुकानों के लिये जो कमीशन दिया जाता है, वह बहुत कम है । अगर इसमें बढ़ोत्तरी की जाय तो मैं समझता हूं कि जो लोग इनको चला रहे हैं वह चोरी नहीं करेंगे । इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ 33,213 छापे मारे गये और 1,504 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । 2,417 दुकानों को निलंबित किया गया और 2280 लाइसेन्स निरस्त किये गये । 6 करोड़ रुपये की आवश्यक वस्तुयें चोर बाजारी में बेचते हुए पकड़ी गयीं ।

मान्यवर, नियंत्रित वस्तु गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों को आसानी से उचित मात्रा में मिलता रहे इसके लिए हमारी सरकार ने माननीय सांसदों, विधायकों व जिलापूर्ति अधिकारियों तक को अधिकार दिये हैं, जिससे वह देख-रेख कर सकें । इसके साथ-साथ मान्यवर, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । आज मिट्टी का तेल जो हमारी राशन की दुकानों पर दिया जाता है, वह दुकानें ठीक समय पर नहीं खुलती है साथ ही जो दुकानें हमारे गांवों में हैं, वह पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हैं, दूसरे गांवों में राशन कार्डों का व्यवस्था भी सही नहीं है और मान्यवर, जो दुकानें सस्ते गल्ले की हैं, मैं समझता हूं कि उसके अंदर आज बहुत ही सुधार की आवश्यकता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारे शहर हापुड़ के अन्दर लगभग 12 सस्ते गल्ले की दुकानें लगभग 1 वर्ष से निलंबित हैं, मैंने भी इसके लिए प्रयास किया परन्तु आज तक वह दुकानें खुल नहीं पायीं । इसलिए उन दुकानों के खुलवाने की शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था की जाय, साथ ही अच्छा होगा यदि इनके मामले के निस्तारण की जो कमेटियां मण्डलायुक्त के साथ जिला स्तर पर बनी हुई हैं, वह जिलाधिकारी और परगना अधिकारी के स्तर पर बना दी जायं तो शायद इन दुकानों की देख-रेख अच्छी तरह से हो सके । अन्त में मान्यवर, मैं माननीय हरीश जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं और माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका स्वागत करता हूं ।

*श्री मनोहर लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय हरीश जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और यह डिब्बा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बड़ा ही खबसूरत है, मान्यवर, पान पराग का यह छोटा डिब्बा है ।

श्री अधिष्ठाता—

फिर इसको हमारे पास जल्दी से भिजवा दीजिये (हंसी) ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मेरे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं ।

एक सदस्य—

यह आबकारी विभाग में आता है, इसको खाद्य में न प्रस्तुत करिये ।

(हंसी)

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, यह पान पराग मसाला इतना हानिकारक है, इससे कैंसर की बीमारी पैदा होती है और लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है । यह बात स्वयं सरकार भी अच्छी तरह से जानती है, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं है कि इस पर छापा डलवा सके । (शोर) मान्यवर, अगर उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कुछ भी दम है तो इस पर छापा डलवायें । मैं इसको आपके पास भेज रहा हूं, इसकी जांच करवाई जाय । यह अब आपकी प्रापर्टी हो गयी, इसकी जांच करवाइये । (शोर)

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य एक जादूगर की तरह इस डिब्बे का प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या यह प्रदर्शन यहां हो सकता है ? इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, यह जादू नहीं एक हकीकत है । इसके इस्तेमाल करने वालों में 100 में से 40 आदमियों को अवश्य बीमारी हो जाती है । पहले मान्यवर, केन्द्र सरकार ने इसके प्रचार पर टी0 वी0 व अन्य चीजों द्वारा पाबंदी लगायी थी । लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ मंत्रियों व अधिकारियों के यहां डिब्बे भेज दिये जाते हैं, फिर इसके प्रचार को बुलवा दिया गया । मान्यवर, इसमें इतना रद्दी मैटीरियल होता है, इसलिए मेरा आरोप है कि इसको पहले एकदम से रोककर इसकी जांच करवाई जाये, अगर सरकार में कुछ भी दम है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह इसका परीक्षण करवा लें ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि गुड़ और खाण्डसारी पर प्रतिबंध पहले लगा और मान्यवर, 24 दिन के अंदर ही वह हटा लिया गया, क्यों हटा लिया गया, पैसे से सौदेबाजी हो गयी ? मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक के फैसले हो गये और इस प्रतिबंध के खिलाफ बड़े-बड़े चीनी मालिकों ने करोड़ों रुपये पार्टी को चंदे के रूप में दिया और मैं जानना चाहता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री जी ने इसमें कितना रुपया लिया ? कितना हिस्सा मिला ? नहीं मालूम, मुख्य मंत्री जी के यहां पहुंच गया रुपया, इसलिये 24 दिन के अंदर आदेश बदल गये । राजीव गांधी की सरकार के बारे में हमारे एक मित्र कह रहे थे "राजीव गांधी का देखो यह खेल, खा गये शक्कर, पी गये तेल ।" डीजल में तो मिलावट, पेट्रोल में तो मिलावट, हर चीज में मिलावट । यह सरकार जो बैठी हुई है, उसमें भी मिलावट । मान्यवर यह नकली सरकार है, सरकार नकली न होती तो यह सरकार कन्ट्रोल तोड़ देती । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने कन्ट्रोल खत्म कर दिया था और उस समय शक्कर ठेलों पर लादकर प्लास्टिक के जूतों से बदली जाती थी ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, ये लोग जनता पार्टी के नाम से चिढ़ने लगते हैं । मान्यवर, हकीकत को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, अब देखिये, कानपुर के अन्दर कोयला काण्ड बहुत जबरदस्त हुआ था । उसमें ए0 डी0 एम0 जो थे, उनका ट्रांसफर हुआ, उसके बाद दो-दो ए0 डी0 एम0 बैठे. ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या कर देंगे । लेकिन जब ऊपर से अधिकारियों की डांट पड़ी उसके बाद सारा मामला टांय-टांय फिस । इसको माननीय मंत्री जी जानते हैं । चंदौसी के बारे में, जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा वह तो था ही, लेकिन कानपुर के बारे में टांय-टांय फिस हो गया । वह कम खिलाड़ी नहीं थे । उसने रुपया भिजवा दिया, सब कुछ खत्म हो गया । माननीय खाद्य मंत्री ऐसे मालूम हो रहे थे कि वह बहुत कुछ करेंगे । लेकिन केन्द्र के मंत्री की डांट पड़ी और मुख्य मंत्री की डांट पड़ी तो चुप हो गये । कोयला काण्ड के बारे में इनकी तो कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं पड़ी ।

मान्यवर, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, वे ही सब राशन की दुकानें लिये हुए हैं और जब चुनाव होता है तो वही लोग रुपया खर्च करते हैं । सारी राशन की दुकानें कांग्रेस के वर्करों के पास हैं । आप इसकी जांच करवा लीजिये । इसलिए ये कंट्रोल की राशन की दुकानों को नहीं तोड़ेंगे । कोयले की दलाली करेंगे, तो उसमें हाथ भी काला हो रहा है, मुंह भी काला हो रहा है, लेकिन कोई परवाह नहीं । जैसे गड्ढे में गिरते हैं, बिजली कड़कती है, समझते हैं फोटो उतर रही है । अधिष्ठाता महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि राशन की दुकानों पर जो चोरी हो रही है, साढ़े तीन रु0 लीटर मिट्टी का तेल बेचा जा रहा है । दिलीप कुमार दीक्षित, कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, लखनऊ में ही हैं, वे कहते हैं कि हम सरेआम साढ़े तीन रु0 लीटर मिट्टी का तेल बेचते हैं । मान्यवर, गैस सिलेन्डर की होम डिलीवरी के लिये साढ़े तीन रु0 लिया जाता है लेकिन होम डिलीवरी गैस के सिलेण्डर की होती नहीं है । इसके अतिरिक्त गैस निकाल ली जाती है कोई नियंत्रण नहीं है । होम डिलीवरी के लिये पैसे लिये जाते हैं लेकिन व्यावहारिक रूप में वह होता नहीं है । मान्यवर, पान पराग का जो डिब्बा मैंने आपके पास भेजा है वह सदन की सम्पत्ति है, उसकी आप जांच करायें ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त ।

श्री मनोहर लाल—

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कटौती का प्रस्ताव, जो माननीय हरीश जी ने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की पूरी तरह से खिलाफत करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

यह डिब्बा तो आपने अधिष्ठाता के लिए भेजा है । यह सदन की संपत्ति नहीं है ।

श्री श्रीनाथ सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे खाद्य विभाग के इस क्रांतिकारी बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने आपको नहीं, वाराणसी के माननीय सदस्य, श्रीनाथ सिंह जी को बुलाया है ।

श्री श्रीनाथ सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । माननीय खाद्य मंत्री जी ने उन उद्देश्यों की सारी कल्पना की है जो खाद्य विभाग की बहबूदी के लिए हैं । जनता को सारा सामान उपलब्ध हो, इसका ध्यान रखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह विभाग दिनोंदिन अपने कार्य में प्रगति ला रहा है । लेकिन फिर भी कमियों का अम्बार लगा हुआ है, इसको अपनी चुस्ती के लिए सोचना चाहिये । मान्यवर, जब किसानों के पास गल्ला होता है, जब फसल के दिन होते हैं, तो क्रय केन्द्र खोले जाते हैं । जब क्रय केन्द्र खुलते हैं तो शिकायतें मिलती हैं, बोरे नहीं हैं, यह नहीं है, वह नहीं है । इसमें होता यह है कि बनिया उसको खरीद लेता है और फिर उनसे गल्ला समर्थन मूल्य पर ले लिया जाता है । किसानों से गल्ला, यह समर्थन मूल्य पर नहीं लेते हैं । इसी तरह मान्यवर, दुकानों का आवंटन होता है । सलाहकार समिति हम लोगों की है । मान्यवर, एस0 डी0 एम0 और खाद्य विभाग की मिलीभगत से एक व्यक्ति को कई दुकानें आवंटित कर दी जाती है । मैं कहना चाहूंगा कि व्यापार से संबंध रखने वाला व्यक्ति किसी दल का हो, वह अपने स्वार्थों के लिए काम करता है । बनारस में ए0 डी0 एम0 आपूर्ति ने एक आदमी का डीजल पम्प मिट्टी का तेल मिलाने के आरोप में पकड़ा । उसके बाद उसे आगरा में जांच के लिए भेजा गया । परन्तु खाद्य विभाग के लोगों ने पैसा लेकर दफ्तर से पकड़े गये तेल के स्थान पर दूसरा सैम्पल जांच के लिये भेज दिया । इस पर ध्यान देने की जरूरत है ।

श्री अधिष्ठाता—

आगरा में किस प्रकार की जांच के लिए गया ?

श्री श्रीनाथ सिंह—

वह डीजल ठीक नहीं था इसलिए जांच के लिए गया था । मान्यवर, डीजल में मिलावट के कारण किसानों के ट्रैक्टरों की नीलामी कर दी जाती है । बहुत से लोग जीप रखते हैं । डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट से उनकी जीप खराब हो जाती है, बसेज खराब हो जाती है, लेकिन वह किसी डीजल पम्प पर चले जायें, वहां निश्चित रूप से 25 प्रतिशत मिलावट होती है । किसी भी डीजल पम्प पर चले जाइये 100 लीटर में 90 लीटर ही डीजल निकलेगा 95 लीटर नहीं निकलेगा । मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं । वहां मसाले का काम होता है । उसमें काली मिर्च की जगह पपीते का बीज डाल देते हैं । पता नहीं विभाग के इन्स-पेक्टर क्या कर रहे हैं ? शासन पक्ष का होने के नाते मुझे नहीं कहना चाहिये, लेकिन यह सब चीजें जीवन की जरूरी चीजों में आती हैं । सभी को इसकी आवश्यकता होती है । मान्यवर, देहरादून चावल जो विदेशों में जाता है जिस ग्रेड का जाना चाहिये, कभी-कभी उस ग्रेड का नहीं होता है और विदेशों से शिकायत मिलती है । माननीय खाद्य मंत्री जी सूझबूझ के आदमी हैं, अपने विभाग पर नियंत्रण रखें । इसकी बहबूदी के लिये, इसकी भलाई के लिये, मानव मात्र की भलाई के लिए यह विभाग है । उत्तर प्रदेश में जितने रहने वाले लोग हैं, रोजमर्रा की चीजों से इसका संबंध है । जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पता चलता है कि लोगों को मिट्टी का तेल उचित मूल्य पर नहीं मिल पा रहा है । गांव में कौन विभाग से लड़ने जाये । मिट्टी के तेल की आवश्यकता गरीब आदमी को होती है । सिलेन्डर में कम गैस देते हैं तो इसको तो मिडिल क्लास बर्दाश्त कर लेता है । बरसात के दिनों में

जब मिट्टी के तेल की अत्यन्त आवश्यकता होती है उस समय इसका जरूर अभाव हो जाता है । मिट्टी के तेल की दुकानें इतनी दूर है कि एक आदमी की जिसकी 10 रुपये दिन भर की मजदूरी है, तेल लेने में इतना समय लग जाता है कि 10 रुपये का उसका नुकसान होता है । ऐसी परिस्थिति में मेरा निवेदन है कि मिट्टी के तेल की उपलब्धता पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये । मान्यवर, आवश्यक वस्तु निगम के चेयरमैन चले गये । अब सरकारी मुहकमें में विभाग आया है । इसको देखना है कि किस तरह से यह अपने क्रियाकलाप को चुस्ती से करता है । मान्यवर, अच्छा होगा कि जितनी जीवन की जरूरीयात की चीजें हैं, उनको सबको आवश्यक वस्तु निगम को दे दें और उन पर नियंत्रण रखें । मान्यवर, वाराणसी में चंदौसी के बारे में बात हुई । किन्हीं कारणों से वहां की इण्डस्ट्री का लाइसेन्स रोक दिया गया है । मान्यवर, करोड़ों रुपये रोज का वहां का व्यापार है । शासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये । चंदौसी में बहुत बड़ा धन लगा है, किस तरह वहां सुधार होगा, इस पर शासन को विचार करना चाहिये । 80 करोड़ के घाटे की ओर विपक्ष का ध्यान बहुत जाता है । जहां एक करोड़ रुपये का ट्रान्जेक्शन रोज का है, वहां के बारे में शासन को विशेष ध्यान देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन कर रहा हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, इस बजट को पेश करने वाले मंत्री जी जितने खूबसूरत हैं, उतना ही इनका बजट बदसूरत और इनका विभाग उतना ही बदबू देने वाला है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वितरण व्यवस्था सही ढंग से लागू करना है, तो इसको ईमानदारी से लागू करना पड़ेगा और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों को मिलकर विचार करना होगा । नहीं तो यह वितरण व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है । किसी भी समाजवादी सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वितरण व्यवस्था सहकारी संस्थाओं के माध्यम से हो । लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश और प्रदेश में और खासकर उत्तर प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो वितरण व्यवस्था है वह भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है । उसका एक मात्र कारण यह है कि खाद्य विभाग पर तो इनकी कोई पकड़ नहीं है और जिनको वितरण करने के लिये जिम्मेदारी दी गयी है, उसमें अधिकांशत: भ्रष्टाचार के प्रतिबिम्बित लोग ही रखे गये हैं । मैं आपके माध्यम से दूसरी बात कहना चाहता हूं कि किसानों की उपज का सही मूल्य मिले इसके लिये सरकार समय-समय पर समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है । धान की खरीद के लिये, गेहूं की खरीद के लिये, आलू की खरीद के लिये केन्द्र खोलने की घोषणा करती है । परन्तु इन केन्द्रों को देखने से पता लगता है कि कहीं बोरे के अभाव में खरीद नहीं हो पा रही है तो कहीं गेहूं और चावल में मिलावट के नाम पर न खरीदने की छूट दी जाती है । सरकारी विभाग की ओर से लोगों को निर्देशित किया गया है धान की खरीद कम की जाय, ऐसा कई क्रय केन्द्रों पर किसानों से लोगों ने कहा । तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने में यह सरकार बिल्कुल विफल रही है । आप जानते हैं कि खाद्य विभाग का सामान्य जनजीवन से निकट का संबंध है । हर चीज

खाने वाला खाद्य विभाग से संबंधित है और उसमें इतनी मिलावट है कि ये लोग रोक नहीं पाते हैं । इसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है तो पूंजीपतियों से पैसा लेकर चुनाव लड़ने का काम करती है और वे अपने इन्ट्रेस्ट में पूंजीपतियों को लाभ कमाने के लिए मिलावट करते हैं । उसको रोकने में सरकार असमर्थ रही है और यह इसलिए पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने वाली है । इसलिये किसानों और गरीबों के स्वास्थ्य पर मिलावट के कारण बुरा असर पड़ रहा है । चौथी बात, मान्यवर, इस समय तो पूरे प्रदेश में गरीब लोगों के घरों में चूल्हा जलना अब लगभग बन्द सा होने जा रहा है । मान्यवर, इन्होंने खाना बनाने की गैस मंहगी कर दी है, मिट्टी का तेल मंहगा कर दिया है, कोयला मंहगा कर दिया है और लकड़ी के दाम बढ़ा दिये हैं । आपने जो कार्य प्रगति निदर्शनी बंटवायी है उसमें जलाने वाले कोयले की आपूर्ति की बात कही है कि जलाने वाले कोयले की पूर्ति रेलवे के वैगनों से किया जायेगा । मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जलाने वाला कोयला लाने के लिये क्या इनको बैगन मिल पाता है क्योंकि, वैगन पहले विद्युत बनाने के लिये दिया जाता है, उसके बाद उद्योगों के लिये दिया जाता है, उसके बाद नम्बर आता है जलाने वाले कोयले का । उसकी आपूर्ति के लिये इनको वैगन नहीं मिलता है । फिर देहातों में गरीब लोगों को जलाने वाली लकड़ी काटने को आपने प्रतिबंधित कर दिया है । किसानों के जो अपने पेड़ हैं, उनको भी काटने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । अगर जलाने के लिये कोई किसान या आदमी अपने खेत से कोई लकड़ी काटता है तो थानेदार उसे पकड़ कर जेल ले जाता है और उसको खाना बनाने की जगह जेल का खाना-खाना पड़ता है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिये क्या सरकार के पास कोई व्यवस्था बन्द है क्योंकि एक दिन एक स्थगन प्रस्ताव के रूप में मैंने रखा था कि सबसे निचली बात मिट्टी के तेल की होती है, जिसका कोई महत्व नहीं है । उसका दाम भी 6 रुपये, 7 रुपये , 8 रुपये प्रति लीटर हो गया है । वह भी मिल नहीं रहा है । बलिया जनपद में तेल की वितरण व्यवस्था बन्द है, क्योंकि एक दिन एक स्टैंडिंग कमेटी में श्री शारदा नन्द अंचल ने आरोप लगाया था कि तेल के वितरण में धांधली हो रही है । तो बलिया जनपद में सचिवों को निर्देश दिये गये कि तेल न उठावें और न बांटें । इस तरह से बलिया जनपद में ए0 आर0 ओ0 ने कहा तेल वितरण हो ही नहीं रहा है । इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या हालत है आपके प्रदेश में तेल की वितरण व्यवस्था की ? आप तो दिल वाले हैं और हिम्मत हो तो इसी सचिवालय के बगल में प्रतिभा टाकीज में दिलवाला सिनेमा लगा हुआ है, आप जा करके देखें । उसमें राशन की दुकान और सत्ता पक्ष के एम0 पी0 का पूरा रोल इसी सम्बन्ध में दिया गया है । यह महसूस हो गया कि आपके विभाग की क्या हालत इस प्रदेश में है ?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री हीरा सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हूं । मान्यवर, यह विभाग अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में वह सारी प्रक्रिया, वह सारी बातें बतायीं कि किस तरह

से जनता को राहत पहुंचायी जा सकती है । मान्यवर, खाद्य जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है । इसको हम विभिन्न माध्यम के द्वारा इसकी महत्ता को महसूस करते हैं । मान्यवर, शासन में आज तक ऐसी कभी दुर्व्यवस्था नहीं रही जैसी कि जनता पार्टी शासन में हुई थी । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे विपक्ष के साथियों ने बड़े जोर से यह बात कही कि जनता पार्टी के शासन में यह-यह कदम उठाये गये, सस्ते दर पर खाद्यान्न खुले रूप से उपलब्ध था, राशन कार्ड बेकार हो गये । मैं यह बताना चाहता हूं कि वे इस बात को भूल गये कि जो कांग्रेस शासन की विदेशी मुद्रा जमा थी, करोड़ों रुपये का सोना जमा किया हुआ था, करोड़ों टन गल्ला जमा था, वह इन्होंने ढाई वर्ष में सब बराबर कर दिया । यह कहते हैं कि यह इनकी देन थी, मान्यवर, इन्होंने उस ढाई वर्ष के शासनकाल में देश को कंगाल कर दिया, आर्थिक ढांचे को झझकोर कर रख दिया । श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और उनके नेतृत्व की सरकार ने जो देश में सोना जमा किया था, विदेशी मुद्रा जमा की थी, खाद्यान्न जमा किया था, वह इन्होंने ढाई वर्ष के अल्प समय में लुटा दिया था ।

मान्यवर, हमारे खाद्य मंत्री जी ने खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये, राहत पहुंचाने के लिये प्रयास किया है इस बजट में, लेकिन विरोध पक्ष के सम्मानित सदस्य ने इसको समझने का प्रयास नहीं किया । मान्यवर, विरोध पक्ष का एक काम है किसान के पास गये और कह दिया कि उपज का अधिक मूल्य मिलना चाहिये दूसरी ओर शहर में चीजे सस्ती होनी चाहिये, कर्मचारियों को कहेंगे कि वेतन बढ़ना चाहिये और दूसरी तरफ कहेंगे कि मंहगाई हो रही है । कभी आर्थिक संतुलन का काम किया होता, तो भी उचित होता । देश की आर्थिक स्थिति और बजट किस प्रकार बनाया जाता है, उसको समझने का कभी इन्होंने प्रयास नहीं किया । मान्यवर, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने जनपद के संबंध में रखना चाहता हूं । मान्यवर, गढ़वाल मण्डल से मेरा देहरादून जिला संबंधित है । मान्यवर, वहां पर पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में गोदामों का अभाव है । मैदानी जिलों में तो यह चीजें आसानी से रखी जाती हैं ।

मान्यवर, मेरा यह अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्र में, विभिन्न जनपदों में, ब्लाक स्तर पर जब तक गोदाम नहीं बनवायेंगे, तब तक पूरी सुविधा पिछड़े और जनजाति के लोगों को नहीं दी जा सकती, जो हमारी शासन की नीति है । मान्यवर, हमारे जनपद में बहुत से मामले ऐसे भी देखने में आये हैं कि लेवी का सीमेन्ट और नान-लेवी सीमेन्ट एक ही व्यक्ति अथवा एक ही फर्म के कर्मियों को परमिट दिया गया है जो उसका बड़ी मात्रा में दुरुपयोग कर रहे हैं । इन चीजों पर नियंत्रण होना चाहिये । मान्यवर, इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में जो चीनी या गल्ले की दुकानें हैं, ए0 आर0 उनको नियंत्रित नहीं कर पाते हैं । डी0 एस0 ओ0 को अधिकार नहीं है कि वे सहकारी क्षेत्र की इन दुकानों पर कोई अनियमितता पाये जाने पर उनका चालान कर सकें, क्योंकि उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है । इस व्यवस्था को सुचारु-रूप से चलाने के लिये यह सुझाव है कि डी0 एस0 ओ0 को अधिकार दिये जायं, जिसमें वे सहकारी समितियों का, जिसके माध्यम से खाद्यान्न वितरण आदि का कार्य होता है, किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उनका चालान कर सकें और मुकदमा कायम कर सकें । मान्यवर, मेरे जनपद की एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि हमारे

यहां शहर में आठ सौ ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति आवंटन है, जबकि अन्य शहरों में एक किलो चीनी का आवंटन हो रहा है । यह एक वर्ष से कम चीनी आवंटित हो रही है । मेरा अनुरोध है कि अन्य जगहों की भांति हमारे यहां भी कार्डधारकों को 800 ग्राम के बजाय एक किलो चीनी की व्यवस्था हो । इन्हीं शब्दों के साथ जो बजट के पक्ष में आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री औसान सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने खाद्य विभाग के बजट के विरोध में तथा श्री हरीश जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । यह खाद्य विभाग प्रदेश के करोड़ों-करोड़ जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है । क्या अच्छा होता, खाद्य मंत्री जी जितना खुशबूदार सेन्ट लगाते हैं, उतना ही खुशबूदार बजट पेश करते । लेकिन जितना खुशबूदार ये सेन्ट लगाते हैं, उतना ही बदबूदार इन्होंने बजट पेश किया है । आज प्रदेश में जनजीवन की हालत गिरती जा रही है । कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं । जनता शासन की ये बात करते हैं । आप भी उस समय कुर्सी पर बैठे थे । आपको स्मरण होगा कि 2·30 रुपये प्रति किलो शक्कर मिलती थी, कहीं लाइन नहीं लगानी पड़ती थी, रुपये 1·10 प्रति लीटर मिट्टी का तेल मिलता था, कहीं भी लाइन नहीं लगानी पड़ती थी, रु0 1·70 प्रति लीटर डीजल मिलता था, कहीं लाइन नहीं लगानी पड़ती थी जबकि उस समय भयंकर सूखा पड़ा था । किसी भी खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने नहीं पाये थे । आज आप सब लोग देख रहे हैं । अभी हमारे एक मिल रहा है, लेकिन वह भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

माननीय, अब आप मिलावट को देख लीजिये । आज ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जिसमें मिलावट न हो । मिट्टी के तेल, डीजल के तेल और पेट्रोल आदि सभी चीजों में मिलावट हो रही है । हल्दी में सुरखी और धनिये में घोड़े की लीद मिली होती है । आपके जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं और सीनेटरी इन्सपेक्टर हैं, वे बड़े-बड़े व्यापारियों से माहवारी पैसा बांध लेते हैं और चालान उन छोटे-छोटे लोगों का करते हैं, जो 10—20 रुपये की चीज लेकर फुटपाथ पर बैठे होते हैं ।

माननीय, धान की खरीद में आज किस प्रकार लूट हो रही है । इस सम्बन्ध में जितना भी कहा जाय, वह बहुत थोड़ा है । खाद्य राज्य मंत्री जी हमारे क्षेत्र में गये थे । मैं उनसे मिला था । डिप्टी आर0 एम0 ओ0 ने स्वीकार भी किया कि जो राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र हैं, उन सब पर ताला पड़ा हुआ है । एक दाने की भी खरीद नहीं हुई है । जब किसान धान लेकर क्रय केन्द्र पर जाता है तो यह कह दिया जाता है कि इसमें काला दाना है, हरा दाना है और यह गीला है । जब वह मिल मालिक के पास पहुंचता है तो वही धान खरीद लिया जाता है और सारी गुड़ निर्दिष्ट समाप्त हो जाती है । जब उसका चावल बन जाता है तो गवर्नमेन्ट जो 40 परसेन्ट खरीद करती है, वह चावल टूटा हुआ लेती है, जिसे हमारे यहां मवेशी भी नहीं खाते हैं । तब इनकी सारी गुडनिर्दिष्ट समाप्त हो जाती है और वही टूटा चावल हमें पुनः राशन की दूकानों पर ऊंचे दामों में खाने को दिया जाता है ।

कारण यह कि मिल मालिकों से 500 रु0 गाड़ी एस0 एम0 आई0 का

बंधा हुआ है, उसमें एस0 एम0 आई0 से लेकर यह जो सफेद हाथी लाबी में बैठे हैं, इनकी जेबों में जाता है और उधर बैठे लोगों तक आता है, इसलिए सब आंख बन्द करके गरीब किसान का शोषण करते हैं । अगर किसान को बिचौलियों के शोषण से बचाना है तो इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा ।

मेरा सुझाव है कि अगर सरकार चाहती है कि वितरण व्यवस्था में सुधार हो, तो क्रय केन्द्रों पर शोषण बन्द होना चाहिये । गांवों में जो धान कूटने की मशीनें लगी हुई हैं, जिनसे गरीबों को रोजगार मिलता है, उन सारी मशीनों पर से सभी प्रकार के प्रतिबन्ध समाप्त किये जायं ।

एक अन्य सुझाव यह है कि भविष्य में जितनी भी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायं, उसमें वरीयता शिक्षित बेरोजगारों को मिलनी चाहिये, क्योंकि सरकार बेरोजगारी समाप्त करने के लिए कृत संकल्प भी है ।

एक सुझाव है कि चिउरा बनाने के कारखाने जो देहातों में लगे हुए हैं, उन पर से भी सारे प्रतिबन्ध समाप्त होने चाहिये, इससे गांव के बेकारों को काम मिलेगा ।

क्रय-केन्द्रों पर किसान का शोषण बचाना चाहते हैं तो बोरा, पैसा, ढुलाई और गोदामों की व्यवस्था समय से पूर्व होनी चाहिये ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय हरीश जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का विरोध करता हूं ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

हमारी सरकार और भारत सरकार ने खाद्य के मामले में अपने देश को आत्म-निर्भर बनाया है । 1980 में जब हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बागडोर संभाली तो इस प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार की चीज विरासत के रूप में मिली थी । मैं विपक्ष को आंकड़ों के अनुसार बताना चाहता हूं । हमारे विरोध पक्ष के लोग जो इतनी जोर से बोल रहे थे, तो झूठ को जोर से बोलने से वह सच नहीं हो जाता और सच को धीरे से कहने से वह झूठ नहीं हो जाता । विरोध पक्ष के लोग बजट में चर्चा के अवसर को वैसे ही रस्म निभा रहे हैं जैसे दीवाली में लोग अपने दीवालियेपन को निभाते हैं । इतना साफ-सुथरा बजट है खाद्य विभाग का, विरोध पक्ष के लोग 80—85, नियम 301 और नियम 56 के कार्य-स्थगन के तमाम प्रस्ताव ले आये, जो कार्यवाही में भरे पड़े हैं । माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अपने अल्प काल में भ्रष्टाचार को व खाद्य समस्या को बल दिया और घटाकर इतना कम कर दिया कि उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी आये और फिर श्रीपति मिश्र जी आये और आज वीर बहादुर सिंह जी मुख्य मंत्री हैं, अब तक साफ-सुथरा और पास है ।

इसमें एक भी आप नियम 301 की सूचना को दिखा दें, एक भी कार्य-स्थगन के प्रस्ताव को दिखा दें तो हम इधर के सारे लोग आपकी बात का समर्थन कर देंगे । जिलापूर्ति कार्यालयों के बारे में जो बातें कही गयीं कि कोटा और परमिट दिया जाता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब जिला पूर्ति कार्यालय में कोटा और परमिट का कोई झगड़ा नहीं है, आप केवल यहां बैठकर सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

जहां तक विरोधी पक्ष के लोगों ने एक बात यह कही कि शासन पक्ष के लोगों के पास कोटा और परमिट है, तो मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में मंझनपुर में जो टाउन एरिया है वहां पर सारे कोटा और परमिट विरोधी पक्ष के लोगों के पास है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे खाद्य मंत्री ने हमारे मुख्य मंत्री के नेतृत्व में खाद्य विभाग को आइने की तरह चमका दिया है । लेकिन इसके बावजूद भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम जहां पर कोई समस्या है उसका समाधान जरूर होना चाहिये। खाद्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो परिगणित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको भी आप कोयला, सीमेन्ट का ठेका देने की कृपा करें क्योंकि उनको किसी किस्म का कोटा नहीं मिल पाता है । इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, खाद्य और रसद विभाग तो अपना नोटों के बण्डल से पेट भर लेता है । लेकिन गरीब जनता को चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता है । उनको कोई भी सामान ठीक ढंग से नहीं मिल पाता है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को देखें और उसकी समीक्षा करें और फिर आपका मंत्रि-मण्डल उस पर विचार करे और आप अपनी नीति को देखें कि कभी आप इसे कोआपरेटिव को दे देते हैं और कभी इसे व्यापारियों के द्वारा चलवाते हैं । आपका खाद्य और रसद विभाग पूरा भ्रष्टाचार में डूब रहा है । अभी जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि लोगों को जरूरत भर का मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी पूरी व्यवस्था को देखें और उसमें सुधार लायें जिससे कि जनसाधारण के जीवन में उपयोग आने वाली आवश्यक वस्तुयें जनता को मिल सकें । यहां केवल चावल, गेहूं, चीनी, तेल के मिलने का ही प्रश्न नहीं है, इसमें आपको जीवन की रक्षा हेतु दवाइयों, वनस्पति घी, कपड़ा सभी कुछ दिया जाना चाहिये, तभी आपकी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की प्रणाली का कार्यक्रम ठीक माना जायेगा ।

इसके अलावा एक बात और है कि आपकी खाद्य सलाहकार समिति की मीटिंग कभी नहीं होती है । पिछले सेशन में केवल एक मीटिंग हुई थी, लेकिन उसकी भी पूरी रिपोर्ट नहीं आयी । देहातों में राशनकार्ड नाम की कोई चीज कतई नहीं है, इसलिए वहां पर लोग बिना राशनकार्ड के कोई सामान नहीं ले पाते हैं । क्रय केन्द्रों पर भी भ्रष्टाचार व्याप्त है । आप बोरा बिचौलियों को दे देते हैं और वे उसमें रद्दी-सद्दी सामान भर कर दे देते हैं और सामान की इन्ट्री हो जाती है । इसके बावजूद हर बोरे से दो-दो किलो सामान निकाल लिया जाता है । इस तरह से लाखों-लाख रुपया काले धन के रूप में कमाया जा रहा है । खाद्य और रसद विभाग के कर्मचारी तथा अधिकारी माला-माल हो रहे हैं । मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी का उसमें कितना हिस्सा है । इसमें भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है । आपके पास न तो भंडार है और न गोदाम है । मान्यवर, मैं बनारस से लखनऊ आ रहा था, प्रतापगढ़ में सैकड़ों कुन्तल गेहूं सड़ रहा था और उससे बदबू आ रही थी । आपने कोई गोदाम नहीं बनाया है, आपके पास गोदाम नहीं है । पानी

में रख दिया और प्लास्टिक की चादर ओढ़ा दिया और सारा सड़ा दिया। हजारों कुन्तल गेहू बरबाद कर रहे हैं और आप गोदाम नहीं बना पायें हैं

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, यह बिल्कुल कागजी है। आप जितनों को पकड़ते हैं, सभी को छोड़ देते हैं। आपने यह नहीं बताया कि कितनों को पकड़ा और कितनों को सजा दी गयी, मैं जानना चाहता हूं कि आपने इन आंकड़ों को क्यों नहीं पेश किया है? जिलाधिकारी से मिल कर गड़बड़ घोटाला करते हैं, बनारस के बारे में शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा। वहां के चन्दहासी के कोयले के व्यापारियों के सारे लाइसेन्स रद्द कर दिये गये हैं और जो हजारों लोगों का काम चलता था, वह बन्द हो गया है। मैं कुकिंग गैस के बारे में कहना चाहता हूं, इसमें चोर बाजारी हो रही है। सप्लाई आफिस में मनमाने ढंग से नम्बर दिया जाता है जो पैसा दे देता है, उसको नम्बर मिल जाता है जो नहीं देता है उसको नहीं मिल पाता है। सप्लाई विभाग के पास मकानों का भी मामला है, जो मकानों का एलाटमेंट किया जाता है, उसमें बड़ी धांधली की जाती है। जिनको आवश्यकता होती है, उनको एलाटमेन्ट नहीं होता और जिनको आवश्यकता नहीं होती है, उनको एलाटमेन्ट हो जाता है। खाद्य तथा रसद विभाग बिल्कुल तमाशा बन गया है और जनता को लटने का जरिया बन गया है। हरीश जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और उस पर बल देता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो खाने-पीने का बजट प्रस्तुत किया है उसका विरोध करता हूं।

*श्री बाबू सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया मान्यवर, मैं काफी समय से ध्यानपूर्वक अपने उस तरफ के साथियों की बातें सुन रहा था, तो मुझे आश्चर्य हो रहा था। मान्यवर, उन्होंने बताया कि मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है और खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि इनके नेता शिवाम्भु पी गये, डीजल डकार गये, पी गये और आज मुकाबला करते हैं हमारी सरकार का। आपने उस समय देखा होगा कि आगरे का जो एक बाजरा काण्ड हुआ था, उसकी चर्चा सारे देश और प्रदेश में हुई। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस समय कौन खाद्य मंत्री था? उस घटना को कौन नहीं जानता है? अनेकों घटनायें हुई हैं और बराबरी करते हैं हमारी सरकार की। तो इसके साथ ही साथ आपको सुझाव दूंगा कि आज हमारी सरकार के द्वारा खाद्य पदार्थों की, मिट्टी के तेल की और डीजल की कमी नहीं है, जो चीज चाहें ले लें, बाजार में कमी नहीं है।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, आलोचना करिये लेकिन कोई तर्क प्रस्तुत करिये और ऐसा तर्क प्रस्तुत करिये कि जिससे हम उसको मानें और आपका स्वागत करें। लेकिन सिवाय इसके कि कोई सामान नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, अरे भाई क्यों नहीं मिलता? अरे मीलों लम्बी लैकरों की लाइन थी कहीं डीजल, मिट्टी का तेल नहीं मिला। सारे प्रदेश की जनता जानती है बड़ा अफसोस है। मान्यवर, मैं इसके साथ-साथ सुझाव भी देना चाहता हूं मैंने यह अपेक्षा की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, उम्मीद की है कि अपने खाद्य मंत्री जी से कि किसानों को वह अच्छा भाव दिलाने का प्रयत्न तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ-साथ उनके द्वारा जो क्रय केन्द्र में सुधार की बात है वह अच्छी होनी चाहिए । मिलावट की बात आई है, कुछ इस तरह होना चाहिए कि मिलावट न हो इसी तरह से खाद्य पदार्थ के वितरण में सुधार की बात है । इन्हीं दो-तीन बातों पर मंत्री जी ध्यान दें । हमें आशा है कि सारा प्रबन्ध सरकार द्वारा बहुत अच्छा किया जायेगा और सारे प्रदेश की जनता इस बात के लिए खुशी मना रही है और आप भी वाह-वाह करेंगे ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाह रहा हूं कि क्या आप लिस्ट पर बाउण्ड है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, मुख्य सचेतक श्री राम सरन जी ने जो लिस्ट भेजी है उसी के मुताबिक बुलवा रहा हूं ।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, मुझे तो नेता सदन और माननीय राजीव गांधी की बुद्धि पर तरस आ रहा है कि अरब में डीजल के दाम घट रहे हैं, मिट्टी के तेल के दाम घट रहे हैं और वे डीजल और मिट्टी के तेल के दाम बढ़ा रहे हैं । मान्यवर, हमारे हुकुम सिंह जी बैठे हैं एक हजार लोगों को मैं ढूंढने निकलूं जो सत्य से परे हों और अगर हुकुम सिंह जी पहले मिल जाय तो समझो कि एक हजार लोग मिल गये । यह कांग्रेस आई एक प्राइवेट लि0 फर्म है जिसमें चोर बदमाश घुसे हुए हैं और जो चौधरी चरन सिंह का दल है उसमें अच्छे और भले आदमी रहना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, ये कांग्रेस आई के पदाधिकारी, माननीय भूतपूर्व सांसद और विधायक ये सब कोटा परमिट का कार्य कर रहे हैं, सीमेन्ट की एजेन्सी इनके पास, मिट्टी के तेल की, डीजल की एजेन्सी इनके पास हैं । जितने भी कोटा परमिट के काम है वह यही सब लोग कर रहे हैं । यह मेरी निश्चित जानकारी है अगर नेता सदन इसे सुन रहे हों और इसे गलत मानते हों तो आकर इसका खण्डन करें और इसकी जांच करके जितने कांग्रेस आई के पदाधिकारी, सांसद और विधायक कोटा लिये हों उनको निरस्त कर दें। मान्यवर, दूसरा सुझाव है कि इनका कोटा निरस्त कर, शिक्षित बेरोजगारी कोटे के अन्तर्गत जो आ रहे हों, एक आदेश चीफ मिनिस्टर यह भी कर दें कि उनको हर चीज का कोटा दिया जायेगा । अगर उनकी नीयत साफ है तो एक आदेश मुख्य मंत्री लिखित कर दें कि उनको कोटा परमिट दिया जायेगा । लेकिन यह ऐसा नहीं करेंगे यह तो पहले लुटवायेंगे और फिर चन्दा लेंगे । इनका मन साफ नहीं है । इनके नेता का मन साफ नहीं है । जिसकी सूरत ही खराब है उनको चीफ मिनिस्टर राजीव गांधी ने बना दिया है । जब वे सिंचाई मंत्री थे तब इनके खिलाफ कितने आरोप थे । आज नेता सदन हैं, मुख्य मंत्री हैं । जितने लोगों को नेता सदन ने बरखास्त किया है उनसे पैसा लेकर फिर से बहाल करते हैं । इसकी भी आप जांच करा लें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप खाद्य विभाग पर प्रकाश डालें ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, यह जो खाद्य और रसद की योजना चल रही है उनके द्वारा यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार बिचौलियों को पैदा कर रही है जो कि किसानों का शोषण कर रहे हैं । मेरा सुझाव है कि इन बिचौलियों को समाप्त करके सीधे गल्ला किसानो से खरीदें । तभी इसमें सुधार हो सकता है । अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसान का गल्ला क्रय केन्द्रों पर नहीं खरीदा जायेगा । जो क्रय केन्द्र खोले जाते हैं उनमें जितने पदाधिकारी हैं वे भ्रष्टाचार करते हैं और बिचौलियों के माध्यम से बड़े व्यापारियों से लेकर क्रय केन्द्रों पर देते हैं । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इस पर गम्भीरता से विचार करें और इसको देख लें । यह घोषणा आप चीफ मिनिस्टर से जरूर करा दें । बेरोजगार योजना के अन्तर्गत उनको लाइसेन्स कोटा परमिट दिये जायं और जितने कांग्रेस के लोगों को लाइसेन्स परमिट कोटा दिये गये हैं उनको तुरन्त लिखित आदेश करके निरस्त किया जाय । लेकिन आप कांग्रेस के लोगों को ब्लैक और चोर-बाजारी करने से नहीं रोक सकते हैं । मैं तमाम उदाहरण इस सम्बन्ध में दे दूं कि कांग्रेस के लोग चोर बाजारी करते हैं । तमाम घटनायें हुई हैं । यह तभी रुकेंगी जब एक भी लाइसेन्स कांग्रेस के लोगों के पास न रहे । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, हमारी सरकार ने इस विभाग में बहुत विकास का काम किया है जनता पार्टी की सरकार ने गेहूं, चावल, चीनी, किरासिन तेल जिसे हमारी पार्टी की सरकार ने 1977-78 में इकट्ठा किया था, एकदम सब लुटा दिया । मान्यवर एक कहावत याद आती है—

"राम की चिड़िया, राम का खेत,
खा लो चिड़ियों, भर-भर पेट ।"

यह इतने खुशी में उछल गये कि यहां देश-प्रदेश में इतना बड़ा भयंकर सूखा पड़ा कि हमारी सारी खाद्य व्यवस्था नष्ट हो गयी । इन्होंने बहाना किया कि किरासिन का तेल सूखे में पड़ने से उड़ गया और हम लोगों को डेढ़-डेढ़ सौ आदमियों की संख्या की लाइन में खड़ा होना पड़ता था । लेकिन हमारी भारत सरकार ने और हमारी उत्तर प्रदेश की जनप्रिय सरकार ने वितरण एवं सप्लाई की आज जो व्यवस्था की है, वह बहुत ही सराहनीय है, जनजीवन को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है । हर एक-डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर सस्ते गल्ले की दुकानें उपलब्ध कराई हैं । मैं इनकी कहानी क्या कहूं । मन में राम बगल में छूरी की इनकी कहानी है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हर जिलाधिकारी को हमारे खाद्य मंत्री जी ने और हमारी सरकार के सचिव ने आदेश दिये हैं कि 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में और 30 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में किरासिन तेल भेजा जाय । ऐसी व्यवस्था की गयी है कि ब्लाक और तहसील स्तर पर इसके लिये जनता स्टोर खोल दिये जायं और जनता की सुख-सुविधा के लिये सरकार ने सराहनीय काम किये हैं । गेहूं, चावल, चीनी, सीमेन्ट की सप्लाई के आंकड़े हर माह और हर जिले के बजट के बारे में भेजे जाते हैं । मेरा सुझाव है कि माननीय खाद्य मंत्री जी ने हर जनपद में बराबर निर्धारित रूप से गल्ले और सीमेन्ट का एलाटमेन्ट बढ़ा दिया है । सन् 1984-85 में इस विभाग द्वारा बाट माप नियंत्रक विभाग ने लगभग 40 हजार मामले पकड़े हैं जो कि लक्ष्य से 146 प्रतिशत अधिक है ।

यह एक कीर्तिमान है । 1986-87 में 150 प्रतिशत लाभ की आशा है ।

मान्यवर, हमारी सरकार और भारत सरकार ने पट्रोल पम्प, डीजल, किरासीन तेल की दुकानों के एलाटमेन्ट के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का आरक्षण देने के लिए नियम बनाया है और निभा रहा है । मुझे आशा है कि सरकार इस आरक्षण के कोटे को पूरा करेगी और बढ़ाने की कार्यवाही कर रही है । उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम की दुकानें (डिपो) हर जिले में खोलने का सरकार ने प्रबन्ध किया है जिससे कर्मचारियों और अधिकारी भाइयों को सस्ता सामान उपलब्ध हो रहा है । मुनाफाखोरी करने वाले और जमाखोरी करने वाले आज कुछ लोग हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है मेरे क्षेत्र में, अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जो वहां पर सचिव है तथा वह दुकान किये भी है जो जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनका काम यही है कि मोटर-साइकिल और स्कूटर में घूम कर वितरण प्रणाली को खराब करते हैं । गल्ला जनता को नहीं दे पाते हैं । उनको निलम्बित किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप विराजें ।

श्री हरदेव—

एक मिनट में समाप्त करता हूं । आवश्यक वस्तु निगम को सुदृढ़ किया जाय जिससे वितरण प्रणाली ठीक से चल सके । कुछ जिलों में जिला पूर्ति अधिकारियों को 24 जीपें दी गयी है वितरण व्यवस्था को ठीक करने के लिए इसलिए मेरी मांग है कि 34 और जिलों में भी जीपें दी जायं । भारतीय खाद्य निगम में रखते समय गल्ला रखने वाले किसानों से 200 रु0 या 300 रु0 परेशान कर लिया जा रहा है उसे रखा जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप विराजिये (व्यवधान) अब कोई चीज नहीं लिखी जायेगी ।

श्री हरदेव—

[× × ×]

श्री मूल चन्द—

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपका आभारी हूं कि कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मेरी समझ में एक बात नहीं आती है—

"जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद
गुलिस्तां करने को,

अब हर डाल पर उल्लू बैठा है अंजाम
गुलिस्तां क्या होगा ?"

आज इनकी कांग्रेस में 90 प्रतिशत लोग कांग्रेसी है ही नहीं । मात्र कांग्रेस के नाम पर यह दुनियां को धोखा दे रहे हैं । गरीबों के नाम पर कोटा देते हैं । मैं कोटा मंत्री से चाहूंगा कि वह गांव की हालत को देखें जिन गरीबों को राहत देने के लिए इन्होंने कोटा की दुकानें खोली है क्या वहां आपकी नजर जाती है ? आपका सप्लाई इंसपेक्टर जिसको इन्क्वायरी के लिए कहते हो वह कोटा होल्डर से मिल कर सारा चावल चीनी और तेल रास्ते में बेच कर खा जाता है । गरीब को यह मिलता कहां है जब गरीब दुकानदार के पास जाता है तो उसे ठुकरा दिया जाता है । एक

नोट—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

न्याय पंचायत में 5 गांव, 7 गांव होते हैं उसमें आप चीनी देते हैं पांच क्विंटल या 6 क्विंटल और उसे कोटा होल्डर बीच में ही बेच देता है और फर्जी इंट्री कर देता है । जब कोई शिकायत करता है तो कहता है कि भाई क्या करें 18 बोरी चीनी मिलती तो सब को बांट देता । क्या करूं, इतनी मिली किस-किस को बांटता । तो आपकी चीज गरीब को नहीं मिलती है । सब चीनी चावल ब्लैक में चली जाती है । अच्छा यह होगा कि आप इस कोटे को ही समाप्त कर दें । इससे फायदा किस को है जो गांव का बड़ा आदमी है या फिर अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । इससे गरीबों को दिक्कत हो रही है । अगर सही तरीके से कांग्रेस के उद्देश्य को मानते हैं और गरीब की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, तो इसे ठीक से चलायें । मगर होता है कि नकाब लगाकर कांग्रेस के नाम पर घर में घुसकर डाका डाल रहे हैं, इसलिए यह कोटा की दुकानें समाप्त की जायं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती का समर्थन और प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे जो मूल चन्द जी तो उन्होंने उनको उल्लू कहा तो वह उल्लू नहीं हैं, इसलिये इसको कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता—

यदि माननीय सदस्य ने किसी माननीय सदस्य को उल्लू कहा है तो उसको निकलवा देंगे ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, इधर से हटाकर उधर बढ़वा दें ।

(हंसी)

श्री अमिताभ लबानिया—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि गेहूं क्रय केन्द्रों में, अगले महीने से गेहूं क्रय प्रारम्भ होगा, सुदूर गांवों से किसान गेहूं लेकर आते हैं क्रय केन्द्रों पर तो वहां देखा गया है कि किसानों एवं उनके बैलों के लिये पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए मंत्री जी से आग्रह है कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों के लिए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायें जिससे उनको कठिनाई न हो । मान्यवर, कभी-कभी गेहूं क्रय केन्द्र इतने कम खोले जाते हैं कि वहां तैनात कर्मचारी व इन्सपेक्टर गेहूं क्रय करने से मना कर देते हैं और तब किसान गेहूं लेकर कहां जाये ? इसलिये मेरा सुझावा है कि गेहूं क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाये ताकि वहां अधिक गेहूं खरीदा जा सके ।

मान्यवर, जहां तक फर्जी राशनकार्डों का सवाल है तो गांवों में कहीं-कहीं फर्जी राशन कार्ड बहुत मिलते हैं जिस पर अंकुश और प्रतिबन्ध लगाना चाहिए और उन कर्मचारियों के खिलाफ जिसके मार्गदर्शन में यह गलत कार्य होता है, कार्यवाही होनी चाहिये ।

मान्यवर, यह भी देखा गया है कि जितनी दुकानों का आवंटन होता है उसमें काफी अनियमितताएं बरती जाती हैं । जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाता है जिसमें प्रतिनिधियों का कोई भी सहयोग नहीं लिया जाता है जिसके कारण दुकानों का आवंटन उनके ऊपर ही निर्भर होता है जिससे भ्रष्टाचार का जन्म होता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि दुकानों के आवंटन में जन-प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाये ताकि अच्छे, पढ़े-लिखे और बेरोजगार लोगों को दुकानें आवंटित की जा सकें और उनका लाभ उठा सकें । कभी-कभी राशन कार्ड धारक को एक मोहल्ले से

दूसरे मोहल्ले में दुकान आवंटित होने के कारण सामान लेने जाना पड़ता है जिससे उसे कठिनाई उठानी पड़ती है, इसलिए सुझाव है कि राशनकार्ड धारक को अपने मोहल्ले में ही दुकान से मिट्टी का तेल, चीनी एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं लेने का प्राविधान होना चाहिए ।

मान्यवर, आगरे में इस समय 10—15 दिन पहले दो गैस एजेन्सियों ने अपनी दुकानें बन्द कर रखी है, जिससे वहां कुकिंग गैस की गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है । ऐसी स्थिति में मंत्री जी से चाहूंगा कि आगरे में मिट्टी के तेल की आपूर्ति बढ़ा दें जिससे कुकिंग गैस जो उपलब्ध नहीं हो रही है, वह मिट्टी के तेल से काम चला सकें ।

मान्यवर, जहां तक मोटे कपड़े का सवाल है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिया जाता है उसमें मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि पिछले कई महीनों से मोटा कपड़ा इन दुकानों के माध्यम से वितरित नहीं हुआ है ।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इस स्थिति में जहां कि कपड़े अब तक गरीब जनता को नहीं पहुंचे है, उसकी उचित व्यवस्था करें और कड़े निर्देश दें । इसके साथ मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । (धन्यवाद)

श्री धनराज यादव—

मान्यवर, खाद्य एवं आपूर्ति जैसे महत्व-पूर्ण . . .

श्री देव कुमार यादव—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो वर्तमान दलीय स्थिति है, उसमें जो छोटे दल का है, उसको भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए । कटौती के प्रस्ताव में भी मेरा नाम है, मुझको अवसर मिलना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—

आप देर से आये हैं, आपके दल के एक सदस्य को मैंने बुलवा दिया है, वह अब चले गये हैं ।

श्री देव कुमार यादव—

जिस ढंग से आप बुलवा रहे हैं, उससे तो हमारा समाप्त हो जायेगा । मैं आल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी (डांगे ग्रुप) का अकेला सदस्य हूं । मैंने कटौती का प्रस्ताव भी दिया है, मुझे समय मिलना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं संख्या के आधार पर बुलवाऊंगा जो विरोधी दल के लोग हैं । आपके एक सदस्य को मैंने बुलवा दिया है ।

श्री देव कुमार यादव—

मैं अपने दल का अकेला सदस्य हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, मैं समझ रहा था कि आप सी0 पी0 आई0 से संबंधित हैं । आप बैठिये, विराजिये ।

श्री धनराज यादव—

मान्यवर, मैं चन्द मिनटों में माननीय हरिश्चन्द्र जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में जो दो प्रणालियां हैं—कन्ट्रोल और डिकन्ट्रोल (फ्रीसेल) है जो ब्लैक धंधा है, उसको फ्रीसेल कहकर सफेद करने का सरकार की तरफ से प्रयत्न किया जाता है । वास्तव में इसमें भ्रष्टाचार की इतनी दुर्गन्ध है कि कोई भी कोटा, परमिट बिना रिश्वत के किसी को मिल ही नहीं सकता है । एक भी ईमानदार

और ठीक आदमी आपके विभाग में खोजने से नहीं मिलेगा । इसके लिए आपको रिसर्च करानी पड़ेगी । इतने बड़े विभाग में यदि आपको 10 आदमी भी सही और ईमानदार मिल जायें तो यह बहुत बड़ी बात होगी और मैं तो कहूंगा कि आप ऐसे आदमियों को सम्मानित करना चाहिये । यह बेइमानों और भ्रष्टाचारियों का दोष नहीं है । यह इस प्रणाली का दोष है । जब जनता पार्टी की बात आती है तो सत्तारूढ़ दल के कानों को बहुत पीड़ा पहुंच जाती है । एक प्रयोग हो चुका है 1977 में, आप पार्टी लेबल से हटकर जरा ईमानदारी से सोचें, आप मिट्टी का तेल और चीनी ब्लैक में और कन्ट्रोल रेट पर चला रहे थे, लेकिन जनता शासन में चीनी का कन्ट्रोल खत्म हो गया था, और बाजार में आसानी से उसी दाम में चीनी सर्वसाधारण जनता को सुलभ थी । जब कि आज पुनः दोहरी व्यवस्था (ब्लैक और कन्ट्रोल) चालू कर दी, उस समय 2 रुपये 20 पैसे में चीनी हर जगह मिल जाती थी । आपकी दोहरी प्रणाली के चलते कोटा संस्तुत करने वाले, इंस्पेक्टर, सप्लाई अफसर, एस0 डी0 एम0 सहित प्रदेश के लाखों लोग भ्रष्टाचार में संलग्न हैं । इससे प्रदेश के नागरिकों की नैतिकता में गिरावट आ रही है । आप चीनी एवं मिट्टी के तेल का कन्ट्रोल तोड़ दीजिये सब चीजें जनता को आराम से मिलेगी । नौगढ़ में हमारी पार्टी भा0 जनता पार्टी ने एक प्रदर्शन किया था और यह नारा लगाया था कि कन्ट्रोल से कौन खुशहाल, अफसर नेता और दलाल कंट्रोल से इन लोगों को छोड़कर किसी को सुविधा मिलने वाली नहीं है ।

जहां तक जिला खाद्य सलाहकार समितियों की बात है, पूरे साल भर में एक बार भी इसकी मीटिंग नहीं बुलाई गई । एक बार मीटिंग बुलाई भी गयी तो उसकी सूचना हमको मिली, मीटिंग के बाद मिली तो कम से कम जनप्रतिनिधियों का इसमें शरीक करायें, इससे कुछ तो भ्रष्टाचार की दुर्धन्धि इस विभाग में हम लोग कम कर देगें । मेरे क्षेत्र में 2—2 न्याय पंचायतों की चीनी की दूकान एक ही आदमी एक स्थान पर चलाता है जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री नारायण हरि शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं खाद्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के उत्पादकों को जो भूमिका रही है, उसके कारण सुरक्षित भंडार बढ़ाने में मदद मिली है । आज हमारे सुरक्षित भंडार इतने मजबूत हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को अभाव के समय में, खाद्य सामग्री और उपयोगी चीजों को सुलभ कराने में सहूलियत रही है । मैं मंत्री जी का ध्यान इसी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन सुरक्षित भण्डारों को और अच्छा बनाने के लिए, जिन उत्पादक लोगों ने अपना योगदान दिया है उनको आज उचित मूल्य नहीं मिल रहा है । आपने लेवी मूल्य बढ़ाया भी है लेकिन दूसरी चीजों जैसे, खाद, डीजल और इनपुट्स की कीमतें बढ़ी हैं जिससे आज उनको जो फायदा होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है । मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह चाहूंगा कि ट्रान्सपोर्ट चार्जेज के रूप में 3 रुपये प्रति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्विंटल और बोनस के रूप में 5 रुपये प्रति क्विंटल कुल मिलाकर 8 रुपये प्रति क्विंटल सरकार को किसान को देना चाहिए । केन्द्र सरकार की जो घोषित नीति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को यह सहूलियत देनी चाहिए । मैं यह बताना चाहता हूं कि पहले ट्रांसपोर्ट चार्जेज और बोनस भी दिया गया था । जो आज किसानों में निराशा का वातावरण है उसको दूर करना चाहिये उत्तर प्रदेश सरकार माननीय वीर बहादुर सिंह की सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं, लेकिन एक कदम और उठाना चाहिए और काश्तकारों को सहूलियत देनी चाहिए । इसके लिये मेरी प्रार्थना है कि प्रति क्विंटल 8 रुपये इन दोनों मदों में मूल्य बढ़ाया जाय । बहुत से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की बातों को मैंने सुना और इस पक्ष के लोगों की बातों को भी मैंने सुना । दुकानों के बारे में आरोप-प्रत्यारोप किये गये । मैं समझता हूं कि मंत्री जी यह निर्देश जारी करें कि दुकानों के लिये जितने प्रार्थना-पत्र आयें उसमें जो नार्म्स हैं, बैकवर्ड्स के लिये नार्म्स हैं, अल्पसंख्यकों के लिये नार्म्स हैं, विकलांगों के लिए नार्म्स हैं, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए नार्म्स हैं तो इन सबकी दरख्वास्तों को लेकर लाटरी के जरिये दुकानों को एलाट किया जाय । दुकानों का एलाटमैन्ट बाई-लाटरी होना चाहिये और जनप्रतिनिधि जो उस क्षेत्र के हों उनकी मौजूदगी में होना चाहिए । अगर ऐसा किया जायगा तो जो यह शिकायतें आती हैं कि दुकानों में रुपया लिया जाता है और पक्षपात किया जाता है वह नहीं होंगी । मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो मिट्टी का तेल है अगर उसके दाम बढ़ायेंगे तो जो गरीब हैं उनके घरों में दीपक नहीं जलेगा । सचल दूकानों के जरिये मिट्टी का तेल गांव-गांव हर गरीब के घरों पर जाकर दिया जाय तो जो उनको परेशानी होती है और मिट्टी का तेल उनको नहीं मिल पाता है और उनका समय बर्बाद होता है वह बचेगा । इसलिये मिट्टी का तेल के वितरण के लिए सचल वाहनों की व्यवस्था की जाय और उनसे घर-घर तेल पहुंचाया जाय । अंत में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कोयले में बड़ी धांधली हो रही है । मेरा सुझाव कि जो रैंक या कोयले के डिब्बे आते हैं तो जब रिलीज आर्डर दिया जाय तब परगनाधिकारी को 103/7 लगाने का अधिकार हो । उसका सत्यापन होना चाहिये ताकि जो कोयला आता है उसका पता चले कि वह कहां-कहां आया है । कोयला कारखानों में नहीं जाता है और बाहर ब्लैक हो जाता है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं बहुत थोड़े से शब्दों में अपनी बात को कहूंगा । मैंने दोनों पक्षों को ठीक से सुना है । मान्यवर, आज दोनों ओर की है । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि प्रदेश में दो चीजों की बहुतायत है । एक गेहूं और दूसरे मिट्टी के तेल की और मान्यवर, हकीकत यह है

कि आज इन्हीं दोनों चीजों की शिकायत विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तरफ से आयी है । मान्यवर, हमारा निवेदन है कि अगर इन्हीं दोनों चीजों की उपलब्धता गेहूं और मिट्टी के तेल की कर दी जाय, तो आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इनकी कोई आज कमी नहीं है । गेहूं पर से स्टाकेबिल हटा लिया जाए जो लोग स्टाक करके गोदामों में भर लेते हैं, उसे यदि खुले बाजार में ले आया जाए और दूसरे मिट्टी के तेल के लाईसेंस यदि गांवों में भी शहरों की तरह व्यापकता के आधार पर दे दिये जायं । तो लोग मिट्टी के तेल के दिये जलायें और गेहूं मिल जाये तो उसकी रोटी खायें। मैं मान्यवर, बांसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं । वहां से सम्बन्धित मान्यवर, एक बात है वितरण सम्बन्धी । आप देखें बस्ती जिले का जो दुकानदार है, बांसी डीलर के यहां से माल उठाना पड़ता है और जो सिसवा ब्लाक का है, उसे बस्ती से और बांसी ब्लाक वाले को नौगढ़ से । इस प्रकार मान्यवर, एक दुकानदार को 50-50, 60-60 और 70-70 कि0 मी0 की दूरी से माल दिया जाता है, उसमें मान्यवर, फिर होता क्या है ट्रांसपोर्ट की दिक्कत की वजह से ज्यादातर दुकानदार अपना माल वहीं पर ब्लैक करके चला जाता है और जो बहुत ज्यादा ईमानदार है तो वह थोड़ा बहुत लाया और दो चार दिन में सब खत्म कर दिया, फिर जनता में इसको लेकर परेशानी उठानी पड़ती है । अगर इन दुकादारों को वहीं करीब के डीलर से माल मिल जाय तो इससे व्याप्त सारी गड़बड़ियां जो ब्लैक आदि की है, वह समाप्त हो जायंगी, और इनके दामों में बढ़ोत्तरी भी नहीं होगी । दूसरे एक बात की ओर ध्यान और ले जाना चाहता हूं कि जो खाद्य सलाहकार समितियां बनी हैं, जिसमें सांसद से लेकर जिले के अन्य अधिकारी सदस्य होते हैं, इसमें अगर जन प्रतिनिधियों को भी शामिल कर लिया जाए तो दुकानों के आवंटन का काम भी ठीक से होगा । साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी तक आप आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित जो सेवा नियमावली है, उसे अंतिम रूप नहीं दे पा रहे हैं, जबकि शायद मार्च की 5 या 7 तारीख को इन्टरविव्यू होने जा रहा है । मैंने कहा उसको रोक दीजिए पहले अपनी सेवा नियमावली बनवा लीजिए वरना बहुत से मामले धांधली व अन्य गड़बड़ियों के खड़े हो जायेंगे और फिर बाद में उसमें कुछ नहीं हो पायेगा । एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दी जा रही हैं । आजकल बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, इस पर सरकार कुछ भत्ता वगैरह देने पर भी विचार कर रही है । तो जिन 5 तरह के लोगों को आप दुकाने देते हैं, उसमें एक बेरोजगार युवक को दुकानों का लाइसेंस देने के लिए बढ़ा लीजिये । दूसरे एक बात और है कि धनकुट्टी पर आपने लाइसेन्स लगा दिया है इससे छोटे किसानों को बड़ी परेशानी हो गयी है, उनके पास अपनी छोटी-छोटी धान कूटने की मशीनें हैं, वह अपना काम उसी से कर रहे हैं, यदि आप अपने इस लाइसेन्स को हटा लें तो उनको सहूलियत हो जायेगी । दूसरे राशन कार्ड अधिकतर गांव वालों के नहीं बन पा रहे हैं, उसने आवेदन-पत्र डी0 एम0 को दिया, डी0 एम0 ने एस0 डी0 एम0 को और एस0 डी0 एम0 ने लेखपाल को, इस तरह

बीमारी होती किसको है और काम किससे लिया जाता है । इसलिए यदि खाद्य विभाग स्वत: राशन काड बनाने का काम करे तो इससे लोगों को अधिक सुविधा होगी । दूसरे सीमेण्ट व्यवस्था के बारे में भी शासन से कहना चाहूंगा कि जो आपको कंट्रोल रेट का सीमेन्ट है, वह भी खुले बाजार को सीमेण्ट के साथ बिकती है ब्लैक पर, इस घपले को भी रोकने की व्यवस्था की जाए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए, एक बात और याद आ गयी कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय नारायण दत्त तिवारी और माननीय वीर बहादुर सिंह और एक मुख्य मंत्री से पहले किसी का नाम लिया कि इन तीनों माननीय मुख्य मंत्रियों के समय में, एक भी 301, नियम 56 या एक भी प्रस्ताव किसी चीज की कमी का आया हो या किसी किस्म की शिकायत आयी हो तो, सत्ता पक्ष आपके कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी, एसे ही कुछ कहा । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मैंने स्वयं इसी सदन में, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के काल में नियम 301 के अन्तर्गत खाद्य विभाग की वितरण व्यवस्था के संबंध में प्रश्न उठाया था, जिसका उत्तर माननीय हुकुम सिंह ने दिया है । मैं उत्तर से पूछना चाहता हूं, यह रिपोर्टिंग निकलवा कर देख लीजिए । कहा गया चैलेन्ज करके कि कोई भी शिकायत उठाई गयी हो, तो कटौती के प्रस्ताव को सत्ता पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जायगा । इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि हमारे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय हरीश जी और दूसरे सम्मानित सदस्यों ने जहां आलोचना समालोचना की, वहां पर अच्छे सुझाव भी दिये गये। उन सुझावों को कार्य रूप देना जहां तक सम्भव होगा, उसको हम देखेंगे । माननीय हरीश जी ने बहुत दार्शनिक ढंग से अपने पूर्व अनुभव के आधार पर अपनी बात कही । उनका कहना था कि 2500 कैलोरीज की आवश्यकता होती है, वहां पर 1800 कैलोरीज मिल रहा है । मान्यवर, हम चावल, तेल, गेहूं दे रहे हैं । इसके अलावा कैलोरीज कहां पूरी नहीं हो पाती है, तो यह कमी खाद्य विभाग की नहीं है, यह खाने की कमी होगी । मान्यवर, कभी इतनी अच्छी सम्पन्नता खाद्य सामग्री के बारे में इस प्रदेश में नहीं रही । आज कोई रुकावट किसी कार्ड होल्डर को ऐसी नहीं है यह जितना चाहे गेहूं क्रय कर लें । आप एक किलो ले लें, एक क्विंटल ले लें, एक टन आप ले लें, कोई रुकावट नहीं है । यह विभाग तो केवल एक समर्थन के रूप में फील्ड में आता है, बाकी दूकानें तो चल ही रही हैं, जो आप जैसे सम्पन्न व्यक्तियों के लिए हैं । जो गरीब लोग हैं, उनके लिए हम मैदान में उतरे हैं । कुछ राशन की दूकानों के बारे में शिकायतें आईं । मान्यवर, जो विभाग जन कल्याण से जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ शिकायतें आवेंगी । मैंने आदेश दिया है कि प्रार्थना-पत्र देने के बाद 10 दिन के अन्दर राशन कार्ड उपलब्ध हो जाने चाहिए । यदि किसी विधायक के क्षेत्र में कोई व्यक्ति, उनके वहां पर जाने पर कोई शिकायत इस बारे में करता है, तो वह शिकायत मुझे देंगे और उस पर कार्यवाही की जायगी ।

मान्यवर, यह विभाग मामूली नहीं है । हमारा रोम-रोम इस काम के करने में लगा हुआ है । आप देखें, प्रति माह 50 हजार मीट्रिक टन चावल 50 हजार मीट्रिक टन चीनी, 45 हजार मीट्रिक टन गेहूं हम प्रदेश में विभिन्न अंचलों को उपलब्ध कराते हैं । यह तो वितरण प्रणाली की बात हुई । 21 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा इस साल हमने गेहूं की खरीद किया यह कीर्तिमान है । आज मुझे कहते हुए गर्व है कि इस विभाग के माध्यम से इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं को, क्रय की

गयी कि उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर है ।

मान्यवर, धान क्रय करने की हमारी कोई नीति नहीं है, लेकिन जब विरावट आई, तो हम मैदान में आ गये और 97 हजार मीट्रिक टन धान विभाग ने खरीदा इसके अलावा मान्यवर, लेवी का चावल है, 7.15 लाख मीट्रिक टन हमने क्रय किया । साढ़े छः लाख टन सेन्ट्रल पूल में दिया लेकिन तब हमें कठिनाई हुई । 7 लाख 15 हजार के करीब क्रय किया और दिया, साढ़े छः लाख । आज हमारी दिक्कत यह है कि एक लाख जो बचा, उसको हम कहां रखें ? तो जो इस विभाग में जाएगा, उसको कठिनाई आएगी । मान्यवर, हमारे पास भण्डारण की कुल उपलब्धता लगभग साढ़े चार लाख मीट्रिक टन की है और आवश्यकता लगभग 24 लाख मीट्रिक टन की है, इसलिए अब हमने ऐसा किया है कि सातवीं पंच वर्षीय योजना में एक-एक गोदाम, जिसकी क्षमता पांच हजार लाख मीट्रिक टन की होगी उपलब्ध कराए जायेंगे । ताकि जनपद का माल दूसरी जगह न भेजा जा सके ।

डीजल के बारे में कहा गया, तो मैं दुबारा कहना चाहूंगा कि आज जिस स्थिति में हम बैठे हुए हैं, उस स्थिति में किसी भी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है । कुकिंग गैस का कितने लोग इस्तेमाल करते हैं और कितने को उपलब्ध हो पाती है, यह तो अलग चीज है । आप रोजमर्रा की चीजों को ले लीजिए, जैसे दाल है चीनी है सस्ता कपड़ा है तो वह उपलब्ध रहता है । जहां तक ग्रामीण अंचलों की बात है जहां पांच सौ की आबादी है वहां इतनी दुकानें खोलना व्यावहारिक नहीं है । इसके दो दृष्टिकोण आते हैं । इन दुकानों को हम रोजगार देने का माध्यम बनायें, इन दुकानों के माध्यम से वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कर सकें । ताकि गांव के लोगों को सामान उपलब्ध कराया जा सके । इसमें हमने दो चीजें रखी हैं । निजी दुकान और सहकारिता पूल । हमने सहकारी को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कुछ शिकायतें हमारे सामने आईं । उन शिकायतों को देखते हुए हमने अपनी नीति को अन्तिम रूप देने के लिए दुबारा निर्णय लिया । चूंकि सहकारिता सही काम नहीं कर पा रही है, इसलिए इसको स्थानीय स्तर पर लेने का निर्णय लिया, स्थानीय स्तर पर दुकान खोल सकते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । जो मार्गदर्शन आपने दिया है, मैं चाहूंगा कि आप आगे भी देते रहेंगे और हम लाभान्वित होते रहेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

हरीश जी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र, 'हरीश जी'—

नहीं, मैं अपने प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22—खाद्य तथा रसद विभाग के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22—खाद्य तथा रसद विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,59,97,09,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के अंतर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । उनमें से पहली सूचना श्री राजकिशोर सिंह तथा श्री कौशिक रमा-

शंकर की टिहरी में सर्वदलीय आन्दोलन से गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में हैं स्वीकार की गई । शेष अस्वीकार ।

जनपद बाराबंकी के राजकीय दीक्षा विद्यालय के हाई स्कूल परीक्षा केन्द्र 1985-86 में सम्मिलित 140 परीक्षार्थियों को अनुपस्थित दिखला कर अनुत्तीर्ण कर दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अंतर्गत वक्तव्य

परिवहन मंत्री (डा0 संजय सिंह)—

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1985 .

श्री अधिष्ठाता—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय । (सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 संजय सिंह—

[माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1985 में आयोजित हाईस्कूल (व्यक्तिगत) परीक्षा के अवसर पर पंजीकरण केन्द्र संख्या 524—राजकीय दीक्षा विद्यालय, गनेशपुर, बाराबंकी से माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में कुल 148 आवेदन-पत्र परीक्षार्थियों से प्राप्त हुए थे । इन परीक्षार्थियों के विवरण कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित नामावली में सम्मिलित नहीं किये जा सके और इन्हें पृथक् से अनुक्रमांक अनुदानित कर इनकी परीक्षा की व्यवस्था की गयी ।

2—प्रश्नगत 148 परीक्षार्थियों में से 112 बालक परीक्षार्थियों का लिखित परीक्षा केन्द्र यूनियन इण्टर कालेज, रामनगर, बाराबंकी तथा अवशिष्ट 36 बालिकाओं का लिखित परीक्षा केन्द्र राजकीय दीक्षा विद्यालय, गनेशपुर, बाराबंकी निर्धारित किया गया था ।

3—परीक्षाफल घोषणा की तिथि अर्थात 15 अगस्त, 1985 को परीक्षा केन्द्र राजकीय दीक्षा विद्यालय, गनेशपुर, बाराबंकी से पंजीकृत परीक्षार्थियों के परीक्षाफल की स्थिति निम्नवत् थी :

1—पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या	— 148
2—ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या जो सम्पूर्ण परीक्षा में अनुपस्थित रहे	— 21
3—परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	— 127
4—परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित परीक्षार्थियों की संख्या	— 6
5—परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित परीक्षार्थियों की संख्या	— 32
6—ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या जिनके परीक्षाफल विभिन्न प्रश्न-पत्रों के उनके प्राप्तांकों के उपलब्ध न होने से अपूर्ण रहे ।	— 86
7—ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या जो अनुचित साधन प्रयोग के उत्तरदायी पाये गये	— 3

4—उपर्युक्त आधार पर प्रश्नगत परीक्षार्थियों के परीक्षाफल राजकीय दीक्षा विद्यालय गनेशपुर, बाराबंकी को जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी के माध्यम से 22 अगस्त, 1985 को ही भेज दिए गये थे ।

5—उन 86 परीक्षार्थियों के अनुक्रमांकों के सामान्य रूप में अनुदानित न किये जा सकने के कारण उनके एवार्ड ब्लैंक मुद्रित नहीं हुए जिससे परीक्षकों ने उक्त परीक्षार्थियों के कतिपय विषयों/प्रश्न-पत्रों के अंक फार्म सी-सी 16 में अंकित नहीं किये । संबंधित परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की भी खोज की गयी किन्तु उनमें से कतिपय प्रश्न-पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के उपलब्ध न हो सकने के कारण परीक्षाफल पूर्ण नहीं किये जा सके । लिखित परीक्षा केन्द्रों से अनु-

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

परिस्थिति के विवरणों के उपलब्ध न होने के कारण इन परीक्षार्थियों को आनुपातिक अंक भी प्रदान नहीं किये जा सके ।

6—उपर्युक्त परीक्षार्थियों में से 14 परीक्षार्थियों ने संबंधित परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित होने के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये, जिनके आधार पर नियमानुसार आनुपातिक अंक देकर तथा उनके परीक्षाफलों को पूर्ण कर उन्हें 29 नवंबर, 1985 को संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से पंजीकरण केन्द्र को भेज दिया गया । अवशिष्ट 72 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल पूर्ण न किये जा सके, क्योंकि संबंधित परीक्षार्थियों से अथवा उनके पंजीकरण केन्द्र से उनके उपस्थिति से संबंधित कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी और इस कारण उन्हें अनुपस्थित मानते हुए संबंधित परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण समझा गया ।

7—मा0 विधान सभा सदस्य से सूचना के प्राप्त होने पर इन परीक्षार्थियों के संबंध में उपस्थिति के विवरण संबंधित केन्द्रों से विशेष वाहक द्वारा 22 फरवरी, 1986 को प्राप्त किये गये, जिससे यह स्थिति स्पष्ट हुई कि सभी परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुए थे । फलस्वरूप पूर्ण में अनुपस्थित समझे गये 56 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल पूर्ण कर 22 फरवरी, 1986 को जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी के माध्यम से संबंधित पंजीकरण केन्द्र को विशेष वाहक द्वारा उपलब्ध कराये जा चुके हैं ।

8—अब केवल 16 परीक्षार्थी ही ऐसे हैं जिनसे संबंधित सूचना के उपलब्ध न हो सकने के कारण उनके परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किये जा सके हैं । इन परीक्षार्थियों से संगत विवरण विभिन्न स्रोतों प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र/संकलन केन्द्र/मूल्यांकन केन्द्र से एकत्रित कर उनके परीक्षाफलों को घोषित करने की कार्यवाही प्रगति में है ।

9—संक्षेप में राजकीय दीक्षा विद्यालय गनेशपुर, बाराबंकी से पंजीकृत उन 148 परीक्षार्थियों, जिनके आवेदन-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में प्राप्त हुए थे, से संबंधित स्थिति सम्प्रति निम्नवत् है :

1—पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या	— 148
2—सम्पूर्ण परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या	— 21
3—परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	— 127
4—परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित परीक्षार्थियों की संख्या	— 58
5—परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित परीक्षार्थियों की संख्या	50
6—अनुचित साधन प्रयोग के प्रकरण जिनमें परीक्षार्थियों के परीक्षाफल निरस्त किय गये	— 3
7—उन परीक्षार्थियों की संख्या जिनके परीक्षाफल अपूर्ण होने के कारण घोषित नहीं किये जा सके हैं, जिनके संगत विवरणों की विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया जा रहा है ।]	— 16

श्री फरीद महफूज किदवई—

जो परीक्षार्थी थे मान्यवर, उनका नतीजा आज तक नहीं निकला । जब मैंने सूचना दी तो मंत्री जी ने रिजल्ट आउट कर दिया । मान्यवर, जिन लोगों ने पैसा दिया उनका रिजल्ट निकाल दिया गया और जिन्होंने पैसा नहीं दिया उन विद्यार्थियों को अनुपस्थित दिखाकर रिजल्ट रोक दिया गया और फेल दिखा दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न करें ।

श्री फरीद महफूज किदवई—

जिनका इसमें दोष था, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

डा0 संजय सिंह—

इसमें 4 अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की गई । श्री अनन्त राम अग्रवाल, तत्कालीन उप सचिव, गोपनीय -3 विभाग, शिक्षा परिषद् इलाहाबाद को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है । श्री के0 पी0 अग्रवाल, अधीक्षक, ग्रेड-2 गोपनीय-3 अनुभाग को निलम्बित कर दिया गया है । श्री राजमणि पाण्डेय, संबंधित सहायक, गोपनीय अनुभाग-3 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है । श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय सम्बन्धित सहायक को चेतावनी दी गई है ।

श्री विजय सिंह राणा—

4 अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्यवाही किया । मैं जानना चाहता हूं कि यदि जांच पूरी हो गई तो आरोप क्या सिद्ध हुए और अधूरी है तो प्रथम दृष्टया कौन-कौन से आरोप साबित हुए ?

डा0 संजय सिंह—

इसकी विस्तृत जानकारी राणा साहब को करा दी जायेगी ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, 16 विद्यार्थियों के परीक्षाफल अभी रुके हैं, वह कब तक आ जायेंगे ?

डा0 संजय सिंह—

मान्यवर, जल्द ही हो जायगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लड़के पास हो गये हैं, उनका साल बेकार हो गया, तो क्या इस बात का आश्वासन देंगे कि उन लड़कों का दाखिला करा दिया जायगा ?

डा0 संजय सिंह—

मान्यवर, प्रयास किया जायगा ।

श्री गया प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मंत्रीजी ने सब बातें कह दीं लेकिन जो छात्र फेल हो गये, उनके पास रिजल्ट नहीं आया । लेकिन जब जो परीक्षा होने वाली है, उसमें वह फार्म भरने से वंचित हो गये हैं ? क्या ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे जिससे वे अगली परीक्षा में बैठ सकें ?

डा0 संजय सिंह—

मान्यवर, यह सारा जो स्टेटमेन्ट दिया है, जिसके तहत यह सारी व्यवस्थाएं की गयी हैं और जिसकी वजह से अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित किया गया है । लेकिन जो हो चुका है, उसके बाद इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है ।

श्री फरीद महफूज किदवई—

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र का मामला है । मेरे क्षेत्र के वे छात्र पूछेंगे कि मंत्रीजी ने क्या कहा ? तो क्या कोई ऐसी संभावना है कि उनको एडमिशन मिल जाएगा ?

श्री अधिष्ठाता—

कह तो दिया कि प्रयास करेंगे ।

गन्ना किसानों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में चर्चा

*श्री राम सरन—

मान्यवर, मेरे सामने मुश्किल यह हो गयी है कि शायद रिछारिया जी जवाब देंगे और उनका साथ गन्ने से बिल्कुल दूर है और उनका साथ गन्ने से बिल्कुल राज नहीं है । लेकिन, जो गन्ने की बात जानते थे, वह यहां से चले गये । मान्यवर, इस साल गन्ने के किसानों की जिस तरह लूट हुई है, पहले मिल मालिक द्वारा, फिर क्रेशर वालों द्वारा और फिर इस साल सरकार खुद, गन्ने के किसानों की लूट कर रही है । गन्ना प्रदेश के किसानों की मुख्य फसल है । यह कैश क्राप है । गन्ने का किसान उससे जीविका चलाता है । पहले चीनी विदेशों में जाती थी, अब इनकी नीतियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के कारण बाहर नहीं जाती है । गन्ने का किसान अपने गन्ने को तीन जगह भेजता है । गन्ना मिल को देता है, खाण्डसारी यूनिटों को देता है, गुड़ बनवाता है और बाकी बुवाई में इस्तेमाल करता है । सरकार की तीन किस्म और चार किस्म की मिलें चलती हैं । एक सहकारी क्षेत्र में मिल है, एक निगम की मिलें हैं, कुछ निजी क्षेत्र में मिलें हैं और कुछ रिसीवरशिप की मिलें हैं । तो निजी क्षेत्र को छोड़कर बाकी इनके अधीन हैं । सहकारी क्षेत्र की इनके अधीन हैं, निगम की इनके अधीन हैं और रिसीवरशिप की इनके अधीन हैं ।

मान्यवर, पिछले साल पश्चिमी जिले के किसानों को 22 रुपये दिया गया और पूर्वी क्षेत्र के किसानों को 21 रुपया दिया गया, एक क्विंटल के लिये । इस साल 24 रुपया पश्चिम में और 23 रुपया पूर्व में दिया गया। और मान्यवर, पिछले साल, लोकपति त्रिपाठी जी बैठे हैं और इनकी हैसियत प्रदेश के मंत्रिमण्डल में मुख्य मंत्री के बराबर हम मानते हैं । यह कभी भी हो सकते हैं । यह ध्यानपूर्वक सुनें । पिछले साल जब मिलों से हम लोगों को 22 रु0 मिलता था, शुरू से 22 मिला, आखिर तक 22 रु0 मिला । खांडसारी और कोल्हू 8-9 रु0 से शुरू हुए, आखिर में 15-16 रु0 चले गये । इस साल श्रीमन्, जो मिलें हैं, उनका रेट 22 से बढ़कर 24 आया है और खांडसारी और गुड़ वाले जो आखिर तक पिछले साल 16 रु0 तक गये, पिछले महीनों से 32 रु0 पर चल रहे हैं । मान्यवर, आप देखें । पिछले साल किसानों को जो देते थे 16 रु0 अब दे रहे हैं 32 रु0 और जो सरकार 22 रु0 दे रही थी, अब मात्र 2 रु0 बढ़ाकर 24 रु0 दिला रही है । मान्यवर, इसमें किसी भी अर्थ शास्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं है आप किसी भी साधारण नागरिक से पूछ लीजिए, यही कहेगा कि किसान के साथ ज्यादती कर रहे हैं । मान्यवर, आप देखें खांडसारी और गुड़ वाले को 32 रु0 खांडसारी यूनिट्स देना शुरू कर हैं और यह जो 24 रु0 दिला रहे हैं फिर भी घाटे में जा रहे हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जब 32 रु0 खांडसारी यूनिट्स देना शुरू करा दिया तो प्रदेश के किसानों ने तो हड़ताल कर दी । तो, इन्होंने पहले एक आदेश निकाला 4-1-86, उसके अंतर्गत गुड़ और खांडसारी पर पाबंदी लगा दी ।

जब मंत्रिमण्डल के लोग और विधायक लोग अपने-अपने क्षेत्रों में गये, जो गन्ना क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, पब्लिक ने उनके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया । माननीय हुकुम सिंह जी इस वक्त यहां नहीं हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब वे क्षेत्र में गये तो जो दुर्गति हुई, वे ही जानते हैं । बरार साहब बैठे हुए हैं, गन्ना क्षेत्र से चुनकर आते हैं, बता सकते हैं कि क्या गति हुई । मान्यवर, फिर मजबूरन वह आर्डर इनको 26-1-86 को वापस लेना पड़ा । वह वापस लिया, उसी दौरान में जो प्राइवेट मिल मालिक हैं, जो निजी क्षेत्र की मिलों के मालिक हैं, उन्होंने 4 रुपये बढ़ा दिये फिर इन्होंने केन कमिश्नर के माध्यम से 30-1-86 को आर्डर निकाला यह मेरे पास मौजूद है जितने भी डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर हैं उनके द्वारा सबको चेतावनी दी कि सुनिश्चित करो कि कोई भी मिल जो दाम तय है उससे ज्यादा न दे सके । मान्यवर, आप देखें यह जो घटनाक्रम है वह दर्शाता कि किसान को मजबूर किया जाता रहा कि मिलों को ही गन्ना दें । मान्यवर, एसेम्बली आई हो हल्ला हुआ काम रोको प्रस्ताव आया । एक दिन मुख्यमंत्री जी भी बोले मा0 हुकम सिंह जी भी बोले थे मान्यवर, उसके बाद स्थिति यह हुई कि चाहे टेलीफोन पर आर्डर गया या क्या हुआ, जो प्राइवेट मिलों के क्रय केन्द्र थे, उन्होंने उससे कांटे छीन लिये और सहकारी मिलों के क्रय केन्द्रों से गन्ना संबद्ध

किया गया। मान्यवर, शामली में किया गया और कई जगह ऐसा हुआ। फिर पब्लिक की लाचारी हुई, उन्होंने इनके कपड़े फाड़े, फिर आर्डर वापस लिये। श्रीमन्, यह है किसानों की स्थिति।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि एक क्विंटल गन्ने से 10 किलो चीनी निकल जाती है। माननीय बरार जी, अगर इससे सहमत हों तो वह धनराशि रिछारिया साहब को समझा दें।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

एक क्विंटल गन्ने से 10 किलो चीनी निकलती है। खोई, शीरा और मैली इन सबको लगाकर ये एक क्विंटल से साढ़े चौवन रुपए लेते हैं, जबकि इनका खर्चा आता है केवल 31.50 रुपये। एक क्विंटल पर मिल मालिक को 23 रुपए बचता है। पिछले साल भी खांड-सारी और क्रेशर वाले 16 रुपए क्विंटल हमको दे रहे थे, जबकि इस साल 32 रुपए दे रहे हैं। 16 रुपये ज्यादा दे रहे हैं लेकिन ये 2 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा दे रहे हैं। इस प्रकार आप पब्लिक को कब तक धोखा देते रहोगे ? चीनी की कमी है और किसानों को आप दाम देना नहीं चाहते तो फिर किसान आने वाले वर्ष में गन्ना क्यों पैदा करेगा और आप चीनी कहां से बना पायेंगे ?

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो निजी क्षेत्र की मिलें हैं, वे आज भी ज्यादा दाम देना चाहती हैं। केन कमिश्नर भी आपके यहां बैठे हैं, और आप लोग भी यहां बैठे हैं। मैं चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं कि आज सहकारी क्षेत्र की मिलें और निगम की मिलें भी ज्यादा पैसा देना चाहती हैं, लेकिन वे कहते हैं कि सरकार हमसे कहे तो सही। हम आज ही 10 रुपये ज्यादा देने को तैयार हैं। वे 36 रुपए और 40 रुपए प्रति क्विंटल देने को तैयार हैं। हमारे सीनियर मिनिस्टर श्री लोकपति त्रिपाठी जी यहां पर बैठे हैं। उनको प्रदेश के हर क्षेत्र में ज्ञान होना चाहिए। वह इस पर ध्यान दें। मैं कहना चाहता हूं कि आप किसानों को ज्यादा दाम दें। आपकी तारीफ ही होगी। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय रिछारिया जी से भी निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को समझाइये कि कल ही जाकर एलान करें, केन कमिश्नर को बुला लें, अगर केन कमिश्नर मेरी बात से डिफर कर जायं तो मेरा कान पकड़ लेंगे। गन्ना किसानों को राहत दीजिए, यह परम धर्म है। गन्ने के किसानों की आस्था इस सरकार में नहीं रही है।

श्री अधिष्ठाता—

मा0 रिछारिया जी, क्या वे संक्षिप्त उत्तर अभी देंगे या बाद में एक साथ देंगे ?

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, बाद में एक साथ उत्तर दूंगा।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। चर्चा का तरीका तो यही है कि पहले चर्चा रखने वाला रखेगा, मंत्री जबाब दे लेंगे, तब आगे चलेगा, तरीका तो यही है। इसलिए पहले माननीय मंत्री जी को बुलवा दें। पहले मंत्री जी बोल लेंगे तो अन्य साथियों को सुविधा हो जाएगी।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

अभी दो रोज पहले कानपुर पर चर्चा हुई थी, तो बहस कराकर क्लोजिंग अंत में करा दी गयी थी।

श्री अधिष्ठाता—

मा0 मंत्री जी अंत में बोल लेंगे, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की स्थिति के बारे में चर्चा सदन में हो रही है । मैं भी अपने विचार आपके माध्यम से सदन और शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । इस वर्ष के पहली दफा ऐसा निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया था जो ऐतिहासिक था और अभी तक किसी कृषि उत्पाद की कीमत बुआई से पहले घोषित नहीं हुई थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने पहले ही अगले साल के गन्ना मूल्य की घोषणा कर दी थी । यह ऐसा काम था कि अगर यहां

(इस समय 5 बज कर 27 मिनट पर उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

पर भी सही तरीके से निर्णय करते कि क्या करना है तो आने वाले वर्षों में चीनी का संकट टल सकता था, लेकिन गलत बातें शासन को बतायी गईं गलत सलाह दी गयी । जिसकी वजह से गन्ने के काश्तकार जहां एक ओर परेशान हो रहे हैं कि जो मूल्य मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला, वहीं दूसरी ओर आने वाले वर्षों में यह समस्या रहेगी कि जो चीनी की उपलब्धता होनी चाहिए वह नहीं होगी । शासन का काम आने वाले समय में भी चीनी की उपलब्धता बढ़ाने का है और मिलें ठीक से चलाने से भी शासन सम्बन्धित है । मैंने जो बात रखी उस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जहां तक मूल्य का प्रश्न था 24 रु0 क्विंटल परामर्शित मूल्य शासन ने रखा था । हम तो यह समझते आये थे कि यह तो कम से कम मूल्य था, जो कि किसान को मिलना ही चाहिये था । अगर कभी किसी चीज की कमी होती है और उसका भाव बढ़ जाता है, मिलें भी अधिक पैसा देना चाहती थीं तो सबका फायदा था, लेकिन खेद है कि शासन के ही लोग ऐसा पत्र लिख रहे हैं । मंत्री जी के विभाग से गन्ना आयुक्त लिखते हैं कि, मैं उनका पत्र पढ़ रहा हूं और इसकी प्रतिलिपि मैं भी पास भी भिजवा रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है कि "आप इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें कि आपके अधीनस्थ समस्त चीनी मिलों द्वारा शासन द्वारा परामर्शित गन्ना मूल्य दर के अनुसार ही गन्ना मूल्य भुगतान किया जाय तथा इस मूल्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बढ़ोत्तरी न की जाय ।"

बड़े खेद की बात है कि इस वर्ष तो गन्ना किसानों को हानि हुई ही है और आगे आने वाले वर्षों में भी उपभोक्ता को नुकसान होगा, अभी तो उसको नुकसान हुआ ही है । श्रीमन् प्रश्न इस बात का था कि यदि कोई चीनी मिल अपने यहां गन्ना उपलब्धता के आधार पर अधिक मूल्य यदि देना चाहती है, तो इनको क्या कठिनाई है ? ऐसी ही खांडसारी पर प्रतिबन्ध लगाया गया, पर खुशी है कि शासन ने यदि भूल वश कोई गलत कदम उठा लिया था सबके कहने पर, इधर के सदस्यों के कहने पर तो उसे कुछ दिनों के बाद रिवाइज भी कर दिया । इसीलिये मैं कहता हूं कि अभी भी समय है अधिक मूल्यों के मिलने पर अधिक गन्ने की सप्लाई हो जायेगी, नहीं तो लाखों लोगों के भुखमरी से मरने का प्रश्न सामने आ जायेगा ।

श्रीमन्, जिन फैक्ट्रियों ने खुद देना चाहा, उसको हम रोक देते हैं । एक तरफ तो आप कहते हैं कि चीनी मिल मालिक लोगों को एक्सप्लाएड करते हैं, लेकिन जब वे देना चाहते हैं तो शासन उनको देने नहीं देता है । इसी सदन में श्रीमन्, एक समय पर बड़ी गम्भीरता से, कई साल पहले जब प्रश्न आया निजी चीनी मिलों का कि वे लोग परेशान करते हैं, तो फिर इसे कोआपरेटिव सेक्टर को और राज्य सेक्टर को दे दिया और आज इसी सदन में बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वे चीनी मिलें जो कोआपरेटिव सेक्टर की और राज्य सेक्टर की थीं, उन्होंने अपनी अकुशलता के कारण और अपनी अक्षमता के कारण उपभोक्ताओं के गले के साथ पत्थर की तरह बांध दिया है

और अब यह मिलें शोषण का कारण बन गयी हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो आदेश होते हैं, उसे आप देखें और स्वयं सुनिश्चित करें । नहीं तो आने वाले सालों के बारे में क्या होगा ? यह आपको सोचना चाहिये । यदि यह दाम बढ़ गये होते तो 200 से 300 परसेन्ट तक बुवाइ हो गयी होती । मैं शासन को बतलाना चाहता हूं कि इसका परिणाम सरकार को अगले साल भी भुगतना पड़ेगा । पिछले साल भारत सरकार के पास बहुत विदेशी मुद्रा जमा थी । बीस लाख टन चीनी ही इम्पोर्ट हुई थी, परन्तु आने वाले वर्षों में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने घोषित किया है कि तेल और चीनी को वे इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं । इससे उपभोक्ता परेशान होगा । चीनी मिल वाले पूरा दाम नहीं देंगे तो काश्तकार जिसको कि गन्ने का पूरा मूल्य नहीं मिलेगा, वह क्यों गन्ना बोयेगा ? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा गलत राय शासन को कभी नहीं मिली होगी ।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि चर्चा के बाद जब वे अपना उत्तर दें तो सदन में केवल आश्वासन ही न दें बल्कि एक निर्देश सर्कुलेट करावें कि जो 24 रु0 रखे जाने का निर्देश सर्कुलेट हुआ है, उसे निरस्त समझा जाये और जो चीनी मिलें अधिक से अधिक गन्ना मूल्य दे सकती हैं, वह किसानों को दें ।

श्रीमती सरोज वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि जो मुख्य मंत्री जी ने गन्ने के बारे में वक्तव्य दिया था, वह अर्थहीन है । हमने मांग की थी कि गन्ना किसानों को अपने गन्ने का उचित मूल्य मिल सके और उसी मूल्य पर वे चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई कर सकें । लेकिन मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह वही पुरानी बातों को दोहरा कर कागज को रंग दिया है वही पुरानी बातों को दुहराया है, भार्गव फारमूला को दुहराया है । शुगरकेन (कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 के अनुसार फारमूला को दुहराया है । शुगरकेन न्यूनतम गन्ना मूल्य के अलावा अतिरिक्त गन्ना मूल्य दिये जाने का जो प्राविधान किया गया है, उसे भार्गव फार्मूला की संज्ञा दी गयी है । इसके अनुसार चीनी रिकवरी से सम्बद्ध न्यूनतम गन्ना मूल्य के भुगतान के पश्चात् वर्ष के अंत में चीनी मिलों को, खुली बिक्री की चीनी पर प्राप्त अतिरिक्त चीनी मूल्य का 50 प्रतिशत किसानों को अतिरिक्त गन्ना मूल्य के रूप में देय होता है । मैं जानना चाहती हूं कि क्या अभी तक आपने भार्गव फार्मूला इस्तेमाल किया है, किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया है, किस चीनी मिल ने इसको लागू किया है ? सारे किसानों को और गांव के लोगों को धोखा दिया जाता रहा है । भार्गव फार्मूला तो कभी लागू नहीं किया, परन्तु किसानों को गन्ना खरीदते समय जो पर्ची दी जाती है, उस पर लिख दिया जाता है कि दो रुपया जो बढ़ाया गया है, वह भार्गव फार्मूला का है । वास्तव में वह भी नहीं दिया जा रहा है । निजी चीनी मिलें ढुलाई भाड़ा केवल डेढ़ रुपया काटती हैं, तो माननीय मंत्री जी यह बतायें कि वह किस तरह से कहते हैं कि किसानों को भार्गव फार्मूले के अनुसार रुपया दिया जा रहा है । जो दो रुपया बढ़ा दिया है, वह भी किसानों को नहीं मिल पाया है । भारत सरकार का आदेश है कि 32 पैसे से ज्यादा ढुलाई भाड़ा न काटा जाये, तो इस प्रकार से किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है, उसको कौन भरेगा । आपने अपनी मिलों को आदेश दिया है कि 50 पैसे से ज्यादा न काटें, लेकिन जिन मिलों ने डेढ़ रुपया काटा है, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? आपने सरकारी और सहकारी चीनी मिलों को इस प्रकार से लाखों रुपए

का नुकसान पहुंचाया है । आज सरकार ने आदेश दिया है कि 50 पैसे से ज्यादा ढुलाई भाड़ा न काटा जाय और 18 पैसा ज्यादा लिया जा रहा है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक दूसरी बात कहा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष गन्ने की पेराई ज्यादा हुई है और ज्यादा चीनी मिली है और दूसरी ओर यह कह दिया कि गुड़ खांडसारी इकाइयों के अधिक मूल्य देने के कारण गन्ने का काफी व्यावर्तन हो रहा है। जिसके कारण इन मिलों को पर्याप्त गन्ने की आपूर्ति नहीं हो पा रही है । अगर व्यावर्तन होता तो चीनी कैसे अधिक बनती । सरकार को अच्छी तरह से मालूम है कि जितना क्षेत्र में गन्ना उपलब्ध होता है, उसका 30 प्रतिशत गन्ना चीनी मिलें भी उठा पाती हैं, बाकी 70 प्रतिशत में खाण्डसारी इकाइयां हैं और 60 प्रतिशत में से कुछ का गुड़ बन जाता है या और किसी तरह से इस्तेमाल होता है । यह झूठ बात है कि खाण्डसारी इकाइयां ज्यादा पैसा देती हैं, इसलिये चीनी मिलों को गन्ना नहीं मिल पाता है । जो आदमी माल पैदा करता है, वह अपनी चीज को ज्यादा मूल्य पर बेचना चाहता है, लेकिन किसान मारा गया । मान्यवर, पश्चिमी क्षेत्र में हड़ताल हुई तो 30 रुपये और 35 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से दाम दिया । मान्यवर, राम सरन दास और इरार जी ने कहा कि गन्ना आयुक्त ने जिलाधिकारियों और जिला गन्ना अधिकारियों को एक गोपनीय पत्र भेजा कि निजी चीनी मिलों को रोका जाये और वह बढ़ा हुआ मूल्य न पायें और जो आरक्षित क्षेत्र था निजी चीनी मिलों का, वह उनसे छीन लिया गया और जब चीनी मिल मालिकों से बात हो गयी तो चार दिन के बाद उसको वापस कर दिया । क्या समझौता हुआ, यह समझदार आदमी को समझाने की जरूरत नहीं है । जब निजी क्षेत्र की चीनी मिलें भी इतना पैसा देकर प्राफिट में रहती हैं, लाभ कमाती हैं तो क्या कारण है कि सरकारी मिलें और सहकारी मिलें वह पैसा नहीं देती हैं और घाटे में चलती हैं ? यह आपकी प्रशासनिक अक्षमता है, यह आपकी शिथिलता है, आपका भ्रष्टाचार है इसके अलावा और कोई कारण नहीं है । मान्यवर, किसानों का भी बहुत नुकसान होता है । उनका क्रय केन्द्र पर जो गन्ना लिया जाता है तो उसमें मेरा सुझाव है कि उनको उनकी पर्ची पर उसी समय पैसा दिया जाना चाहिए । लेकिन होता यह है कि सहकारी समितियों द्वारा किसानों को पर्ची का पैसा उस समय नहीं दिया जाता है । गरीबों को इससे बहुत असुविधा होती है और आर्थिक हानि होती है । वह वहां जाता है भ्रष्टाचार का मारा तो जब तक पैसा नहीं देता है, उसको पैसा नहीं मिलता ।

एक बात और कहना चाहती हूं अगर आपकी यह नीयत है तो पश्चिमी किसानों को गन्ना किसानों को सुविधा दें । यह ऐसा उद्योग है जिससे प्रदेश का ही नहीं देश का बहुत लाभ होता है । एक तो पाइरिला ने उसको मारा और दूसरे आपने उसको लूटा । तो जो क्रैश क्राप कहलाती थी पश्चिमी प्रदेश की आगे आने वाले वर्षों में किसानों को बरबाद करने वाली फसल कहलाने लगेगी और पश्चिमी प्रदेश का किसान गन्ना बोना छोड़ देगा । तब आपकी समझ में आयेगा ।

*श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, जनवरी के महीने में गन्ना पैदा करने वाले लोगों ने हड़ताल की थी कि उनको गन्ने का समुचित मूल्य मिले, लाभकर मूल्य मिले । इसके बदले में ऐसा लगा जैसे कि यह सरकार किसानों के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार कर रही है । जब इन्होंने देखा कि क्रेशर वाले लोग गन्ना ज्यादा दाम पर ले रहे हैं और यह गन्ना किसान उनको दे रहे हैं तो उन्होंने उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर पाबन्दी लगा दी । पाबन्दी लगने से ऐसा लगा कि जैसे यह लोग कोई लड़ाई लड़ रहे हों शत्रु से और वह इस तेजी से लड़ना चाहते हों, जिससे वह सफल न हो । मान्यवर, मन से इन्होंने कुछ किया होता, और गन्ने का ठीक से दाम दिलवाते । तो ऐसा तो इन्होंने कुछ किया नहीं केवल शत्रुओं जैसा व्यवहार किया किसानों के साथ ।

मान्यवर किसानों के पास अपना तो कुछ है नहीं गन्ने का दाम जो देना होता है, वह सरकार तय करती है और उसकी जरूरत की जो चीजें हैं, उसके लिए वह बाजार जाता है और उसका दाम सेठ तय करता है । ऐसा लगता है कि किसानों के साथ सरकार कोई ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहती है, जिससे कोई हमदर्दी होती । मुझे ऐसा पता चला कि मिल मालिक किसानों को ज्यादा दाम देना चाहते थे और शुरू भी कर दिया था लेकिन इस सरकार ने उन्हें मजबूर कर दिया और कहते हैं कि हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं गन्ने का । लेकिन यह मजबूर कर रहे हैं कि इससे ज्यादा दाम किसानों को न दिया जाय । इससे मान लिया कि हम अक्षम हैं किसी भी हालत में हम उनके सामने लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं । जिस तरह से चीट किया गया, जो इन लोगों ने किया, वह बहुत शर्मनाक है और ऐसा शत्रु के साथ ही कोई करता है । अगर कोई स्पेसिफिक मूल्य किसानों को दिया जायेगा तो उसका स्तर ऊंचा हो सकता है । यह सब न होने की वजह से किसानों में इस कदर बेचैनी है, बहुत लम्बे वक्त तक मैं नहीं समझ पाया इस असंतुलन को कि यहां 24 देंगे और पूर्व में देंगे 23 रुपया । तो यह फर्क क्यों है ? पूरे प्रदेश में एक ही नीति क्यों नहीं रखते हैं । इनको रखनी चाहिए पूर्व और पश्चिम में । इस तरह का अन्तर करने से कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री रिछपाल सिंह बंसल—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र खेकड़ा बागपत की तरफ दिलाना चाहता हूं । मेरा निश्चित जानकारी है कि किसानों को उनके गन्ने का उचित मूल्य न दिये जाने के कारण बागपत की गन्ना फैक्टरी 1-2-86 से बन्द पड़ी है और उसमें कार्यरत मजदूरों को बिना कार्य किये हुए 15 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है । जब कि इस फैक्टरी पर 71 लाख रुपये किसानों का पहले से ही बकाया है । यदि यह सरकार किसानों को उनके गन्ने का उचित मूल्य दे देती तो बेकार में मजदूरों को पैसा न देना पड़ता । मान्यवर, यह कोआपरेटिव की मिल है और सरकार का भी इसमें शेयर है । सरकार को हानि उठानी पड़ रही है । मैंने पहले भी इस संबंध में सरकार से मांग की थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ने की फसल नष्ट हो रही है, उसमें पाइरिला लग गया है । लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई और अन्त में माननीय हुकुम सिंह जी ने इसी सदन में यह बताया था कि सरकारी अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं । मैंने आंकड़े भी दिये थे कि पश्चिम में सारी फसल नष्ट हो गई है । उसमें पाइरिला लग गया है । मैं यह मांग कर रहा हूं कि सरकारी अधिकारी इनको गुमराह कर रहे हैं कि कोई फैक्टरी बन्द नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय कार्य राज्य मंत्री बैठे हुए हैं । वे भी गन्ना किसान हैं आपको क्या परेशानी है ?

*श्री कनक सिंह—

मान्यवर, गन्ने की पैदावार के हिसाब से गन्ने का जो दाम है उसको आप देखें । जो हमारे निजी काश्तकार के आंकड़े हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैंने स्वयं तैयार किये हैं । प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार जो खर्च आता है, वह है 4 हजार रुपये और प्रति एकड़ प्राप्त होता है 5320 रुपये । मान्यवर, कास्ट आफ प्राडक्शन गन्ने पर दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और सरकार मूल्य देने से कतरा रही है या जानबूझकर वह मूल्य नहीं देना चाहती है । इस वजह से कि किसान के पास पैसा होगा तो बाहर आएगा और बाहर आयेगा तो फिर उनका सामना कर सकेगा और उनकी टांग पकड़ कर नीचे फेंक देगा । जब तक वह रोजी-रोटी में लगा रहेगा तब तक इनका राज है और जिस दिन वह सम्पन्न हो जायेगा उस दिन आपकी सरकार नहीं होगी, आपका शासन नहीं होगा । मैं आपको याद दिला दूं । सन् 1982-83 में चीनी की लेवी का रेट 3 रुपये 30 पैसे था और गन्ने का रेट 21 रुपये 50 पैसे था । 10 क्विंटल गन्ने में एक क्विंटल चीनी बनती है । सन् 85 में 4 रुपए 80 पैसे लेवी की चीनी का रेट था और गन्ने का रेट 22 रुपये क्विंटल था जिसे आपने 24 रुपया किया यानी दो रुपया बढ़ाया । जब 10 क्विंटल गन्ने में एक क्विंटल चीनी बनी तो 1 क्विंटल में दो साल में आपने डेढ़ सौ रुपया बढ़ा दिया । उसी हिसाब से गन्ने पर प्रति क्विंटल 15 रुपया बढ़ना चाहिए था आपने दो ढाई रुपया बढ़ाया । इस तरह से किसानों के अधिकारों का और हितों का आप हनन कर रहे हैं । उनको उनके गन्ने का उचित मूल्य आप नहीं दे रहे हैं । यह सर्वविदित है ।

अभी जो हड़ताल हुई है । किसान क्षुब्ध था । हड़ताल के आहवान मात्र पर 10 दिन तक गन्ना मिल में नहीं आया और आपने गन्ना अधिकारियों को दंडित किया, गुड़ पर पाबन्दी लगा दी ताकि किसान गन्ना न दे सके और हड़ताल फेल हो जाय । इन्होंने एस0 डी0 एम्स0 को भेजा । जिन्होंने खांडसारी यूनिटों पर जाकर कहा कि तुम्हारा लाइसेन्स हम जब्त कर देंगे । इसके बावजूद भी 25, 28 और 30 रुपये में गन्ना खांडसारी इकाइयों ने खरीदा है । तो मान्यवर, सरकार की नीति किसान विरोधी नीति है । यह किसान को किसी भी कीमत पर सही मूल्य नहीं देना चाहते हैं । मैं आपका ध्यान खाद वितरण में धांधली की तरफ दिलाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें । दो-दो मिनट सबको मिल जाय । चर्चा एक घण्टे की है इसलिए आप बैठें ।

प्रधान प्रभु दयाल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ने की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया । मैं उन बातों की ओर नहीं जाऊंगा जो कही जा चुकी हैं । मान्यवर, यह कोआपरेटिव मिल और सरकारी मिल हमारी भलाई के लिए लगाई गयी थी ताकि प्राइवेट मिल हमें कम दाम न दें लेकिन यह मिलें हमारे लिए उल्टी साबित हो गयी । मुझे एक कहावत याद आ रही है एक घुड़सवार रास्ते में जा रहा था एक मजदूर वहां पर काम कर रहा था तो उस घुड़सवार को देख कर उसका मन ललचाया और कहने लगा, हे ईश्वर, कभी हमें भी सवारी करने का अवसर मिलेगा तो जब वह प्रार्थना कर रहा था कि पास से ही एक घुड़सवार निकला । इत्तफाक से वह घोड़ा नहीं घोड़ी थी, जो गाभिन थी । कुछ दूर चलने के बाद उसका बच्चा हो गया तो उसने मजदूर को आवाज लगाई । अरे भाई सुनो, मजदूर ने कहा क्या बात है तो उसने कहा कि एक काम है इस बच्चे को कंधे पर रख लो उसने उठा लिया । तो मजदूर कहने लगा ईश्वर तूने सवारी तो दे दी लेकिन मेरे ऊपर चढ़ने के लिए दी है । तो यही बातें

इन मिलों से हमारे लिये हो गयी है । यह हमारे लिये उल्टी साबित हो गयी है ।

मान्यवर, जिस वक्त गन्ना किसानों ने हड़ताल की तो मिल मालिकों से हमारी बात हुई । उन्होंने कहा कि चार रुपया हम ज्यादा दे देंगे, अगर सरकार हमें आज्ञा दे दे लेकिन सरकार ने आदेश बिलकुल नहीं दिया । जब गन्ना किसानों ने नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि एक क्विंटल पर पौने चार किलो यूरिया देंगे । शुरू में कुछ दिन यही चला लेकिन फिर इनका डंडा ऊपर से हुआ तो वह बन्द कर दिया । फिर चार रुपया देने लगे, अब फिर यूरिया दिया जा रहा है । लेकिन इस 28 ता0 तक यह किया कि चुपके से यूरिया ले लो और दिन में डाले गन्ने की पर्ची शाम को ले लेना । तो इनके गन्ना अधिकारी ने छापा मारा और वह पैसा देना और यूरिया देना भी बन्द करा दिया । आगे क्या बताऊं यह सरकार बेकार है इतना ही काफी है । तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । वैसे तो पहाड़ में गन्ना नहीं होता है लेकिन मुझे एक कथनी याद आ गई । एक बहुत गरीब किसान था । उसको न खेती थी और न कोई दुकान थी । वह बहुत परेशान रहता था तो वह एक महात्मा के पास गया और अपनी कहानी बताई तो महात्मा ने कहा, मैं तो खुद ही मांग कर खाता हूं तुम्हारा क्या भला कर सकता हूं । किसान ने कहा कि आप भगवान के सभी है, मेरा भला कर दें । उसने कहा किसी बड़े की सेवा करो तो तुम्हारा भला होगा । वह गरीब बड़े आत्मा की खोज में निकला तो सभी उसको बराबर के दिखाई दिये कोई बड़ा नहीं मिला लेकिन एक हाथी उसको दिखाई दिया । उसने कहा यही बड़ा है, इसी की सेवा करूं । तो उसने उसे हाथी की सेवा करनी शुरू कर दी । हाथी ने कहा मैं तुम्हारा क्या भला कर सकता हूं । मैं तो जानवर हूं । लेकिन वह न माना । उसने कहा, मुझे महात्मा ने कहा है कि बड़े की सेवा करो । तो उस हाथी ने कहा कि देखो मैं पागल हो जाऊंगा और कंट्रोल में नहीं रहूंगा । आप राजा के पास जाना और कहना कि इसे मैं कंट्रोल कर सकता हूं । फिर हाथी पागल हो गया और उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया । बड़े-बड़े नेता उसको ठीक करने पहुंचे लेकिन हाथी कन्ट्रोल में नहीं आया । फिर किसान राजा के पास पहुंचा और कहा कि मैं इसे शान्त कर सकता हूं उसने ऐसा ही किया तो राजा ने कहा तू तो दुबला-पतला आदमी है इसको कैसे कन्ट्रोल करेगा लेकिन उसने कहा, नहीं मैं इसे कन्ट्रोल कर लूंगा । तो राजा ने कहा ठीक है । किसान हाथी के पास गया और कहा मैं आ गया हूं तो वह कन्ट्रोल में हो गया और वह शान्त हो गया । और सब लोग शांत हो गये, राजा ने उसको अपना वारिस बना दिया । तो यह कहानी याद आयी तो बताया । मान्यवर, हमारे यहां गन्ना तो नहीं होता है लेकिन यह हाथी, यह जनता, यह किसान और यह शुगर लाबी कौन है, इसका भगवान ही मालिक है ।

जय हिन्द ।

श्री धनराज यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों की जो आज दुर्दशा है और उसके संबंध में जो श्री रामसरन और सत्ता पक्ष के श्री जयदीप सिंह बरार ने विस्तार से कहा है, वह गौर करने लायक है । किसानों की आज दुर्दशा सरकार की अपनी लापरवाही के कारण है जिसका दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है । यह गन्ना पैदा करने वाला देश, आज बाहर से चीनी मंगा कर खा रहा है । यह सरकार के लिये शर्म की बात है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में मिल मालिकों ने तीन मिलें बंद कर दी

जौनपुर में शाहगंज, बस्ती में वाल्टरगंज को एवं खलीलाबाद की मिलें बन्द कर दी गयी हैं । वाल्टरगंज में जनता ने आंदोलन किया और अगुवाई की, तो सरकार की पुलिस लाठियों से मार खाई मुझे मारा और तमाम जनता को पीटा । गांधीवादी तरीके के जन आंदोलन के भय से सरकार ने मान लिया कि मिल चलवायेंगे और इसके लिए सरकार ने पैसा भी दे दिया लेकिन सरकार के हाथ कमजोर है । जिससे वह पूंजीपतियों को अपनी पटरी पर नहीं ला सकी, यानी मिल नहीं चलवायी । सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वाल्टरगंज और खलीलाबाद की मिलें 15 लाख रुपये देने के बावजूद नहीं चलवा पा रही हैं । मुख्य मंत्री इस समय सदन में नहीं हैं, पूंजीपतियों के सामने उनकी वीरता और बहादुरी काम नहीं कर रही है, उनके सामने घुटने टेक दिये हैं । मान्यवर, आप मुख्य मंत्री को सलाह दें कि इन मिलों को वह चलवायें और किसानों की दुर्दशा को बचायें अन्यथा किसान गन्ना बोना बन्द कर देंगे तो सरकार को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा । धन्यवाद ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, जैसा हमारे साथी श्री धनराज यादव ने बताया कि इनकी अदूरदर्शिता और इनकी गलत नीतियों के कारण एवं चुनाव में चन्दा लेने के कारण नारंग परिवार से राजीव गांधी की दोस्ती के कारण वाल्टरगंज और खलीलाबाद की चीनी मिलें बन्द हो गयीं । देवरिया और बैतालपुर की फैक्टरियां, थापर की दोस्ती के कारण, जो कस्टोडियन के अंतर्गत थीं और भारत सरकार ने डिनोटिफाइड किया था । वह दिसम्बर से, आज तक यह निश्चय नहीं हो रहा है कि इनको सरकार चलायेगी या मिल मालिक चलायेंगे । जिसकी वजह से देवरिया और बैतालपुर फैक्टरी के क्षेत्र को गन्ने की पर्चियां कटना बन्द हो गया है और वह फैक्टरियां इंडेन्ट नहीं कर रही हैं । इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरह की घटनायें बस्ती और जौनपुर में हुई, वैसी स्थिति देवरिया और बेतालपुर में न पैदा करें । इसके साथ ही इन फैक्टरियों से सम्पर्क स्थापित करें और गन्ना आयुक्त से कहें कि इन दोनों फैक्टरियों को चलाने की व्यवस्था करें और मिल मालिक मजदूरों का 3-3 महीने का जो वेतन बकाया है और गन्ना किसानों का जो पैसा बकाया है, उसका भुगतान करें । मान्यवर, यही हालत पूरे प्रदेश की है जो आपकी लचर नीति और चंदा लेकर चीनी का दाम बढ़ाने का काम है उससे यह हालत पैदा हुई है ।

मान्यवर, आप देखें कि पिछली सरकार ने 13.50 रुपये, 14.50 रुपये 19 रुपये और 21 रुपये दिये ।

उसके बावजूद गन्ने के दाम में, प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी मूल्य वृद्धि न देना इनकी नीतियों को स्पष्ट करता है । यदि आपने गन्ना किसानों का दाम नहीं बढ़ाया है, तो आपको सदन में इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि जो आज लेवी का मूल्य है और जो खुले बाजार में मूल्य है, उसके बीच का जो अन्तर है, इसको आगे के दिनों में जब खुले बाजार में बढ़ना शुरू हो जायेंगे, तो आप नियंत्रित करके इसे खुले बाजार में दाम रखेंगे । एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी कि मिल मालिकों को कहीं भी इस बात के लिए बाध्य नहीं किया गया है कि वह अपने दाम अधिक न दें, लेकिन आज माननीय साथी बरार जी ने बताया है कि केन कमिश्नर के उसके विपरीत आदेश दिये गये हैं, जो पूंजीपतियों के साथ इनकी बढ़ती हुई साजिश की एक मिसाल है । वह प्रदेश के लिए और गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

चिन्ता की बात है । मंत्री जी इस बात का आश्वासन दें गन्ना किसानों को कि यदि खांडसारी मिलें उनको बढ़ाया दाम देने को तैयार हैं तो वह उनको मिलना चाहिए और उसमें किसी तरफ से कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिए ।

अब एक बात मैं सट्टे की नीति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । किसानों का गन्ना इनकी सट्टे की नीति के कारण आज तबाह हो गया है आज उसके कारण आधे से अधिक गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है । यह तीन साल के आधार पर, पड़ताल करके जो पर्ची देते हैं, वह नीति किसी प्रकार ठीक नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें । और लोग भी बोलना चाहते हैं और मैं सबको दो-दो मिनट का समय दे रहा हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

तो इस सट्टे की नीति को आप समाप्त करें । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं ।

*श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस इतने महत्वपूर्ण उद्योग पर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था निर्भर है उसकी ओर समुचित ध्यान सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है । उससे चार वर्षों में 20 लाख टन से घटकर इतना हो गया है । इस प्रकार चीनी उद्योग आज संकट में पड़ गया है । हमारे प्रदेश के गन्ना किसानों की दुर्गति हो रही है । मान्यवर, जब खांडसारी इकाई 31 रुपये का मूल्य दे सकता है और निजी क्षेत्र की चीनी मिलें 28 रुपये का मूल्य दे सकती हैं तो सहकारी क्षेत्र की मिलों को 28 रुपये का रेट देने में क्या कठिनाई है, क्यों नहीं दे सकती है ? आज सहकारी क्षेत्र में 25-30 प्रतिशत गन्ना खेतों में सड़ रहा है और चीनी मिलें बन्द होने जा रही हैं या बन्द हो गयी हैं । लोहाना फैक्ट्री दो महीने चली है और वहां पर 13 हजार क्विंटल गन्ना इस अवधि में खरीदी गया है और उसके चलने में 80 हजार रुपया खर्च होता है । यह 13 हजार क्विंटल पर ही 80 हजार किसानों को दे दें तो वह फैक्ट्री बन्द होने की नौबत नहीं आएगी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त कर दें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आप उचित भाव देकर उसके गन्ने की व्यवस्था करें ।

*श्री गया प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं ज्यादा समय न लेकर आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूंगा । मान्यवर, यह सरकार वक्तव्य देती है कि हम किसानों के हित में बहुत से काम कर रहे हैं लेकिन जब गन्ने के मामले में फैसले का वक्त आता है तो बहुत समय तक मीटिंग करते हैं और बाद में जो फैसला करते हैं तो उससे किसान को कोई लाभ नहीं होता है । इटावा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार को बड़ा शौक है उद्घाटन करने का । पिछले एक मंत्री थे, उन्होंने एक मिल का उद्घाटन कर दिया और ऊसर में उद्घाटन कर दिया, जहां पर दर असल गन्ना पैदा ही नहीं होता है । आज दिन तक पता नहीं है कि वह मिल कहां है । हजारों रुपये उद्घाटन में खर्च कर दिये गये और मिल का पता नहीं है । तो मेरा निवेदन है कि यह सरकर जो कहे उसे करे, यह मेरा सुझाव है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो सरकार यहां पर बैठी है, उस पर बड़ा तरस आता है । मान्यवर, हम जो अच्छी शकर पैदा करते हैं, उसको यह सरकार विदेश भेज देती है और वहां से चुकन्दर की रद्दी शकर मंगाकर हम लोगों को खिलाती है । इससे ज्यादा शर्म और गैरत की क्या बात हो सकती है ? अच्छी शकर कम रेट पर यह सरकार बाहर भेजती है और रद्दी शकर बाहर से मंगाकर हमें खिलाती है । मेरी निश्चित जानकारी है कि पूरे प्रदेश में जो क्रय केन्द्र गन्ना खरीद के लिये खोले जाते हैं, उसमें कम तौला जाता है । 40 क्विंटल गन्ना लेकर जाइये तो 35 क्विंटल लिखा जाता है । इस तरह से किसान का गला काटा जाता है । सब जगह कम तौला जाता है तो इसमें सुधार कराइये । आपके जो ठेकेदार और कर्मचारी हैं वह मिलकर 50 क्विंटल को 40 क्विंटल लिखते हैं और 10 क्विंटल का पैसा दोनों अलग से खा जाते हैं । इसमें सुधार की आवश्यकता है, यह मेरा निवेदन है ।

श्री औसान सिंह—

माननीय, उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि गन्ना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये समय दिया । मान्यवर, सरकार की गलत नीतियों के कारण, गलत नियोजन के कारण जितनी दुर्दशा गन्ना किसानों की हो रही है वह किसी से छिपी नहीं है । अगर सरकार ने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना जो किसानों का है वह खेतों में जलाया जायगा । मैं एक मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वह किसानों का एक एक गन्ना खरीदेंगे । आप इसके बारे में सदन में आश्वासन दें । जो गन्ने का मूल्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और जो गन्ने का मूल्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, उसमें असंतुलन है । तो दोनों जगह एक रेट होना चाहिये । दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जितनी भी गन्ना मिलें हैं, वह कम तौलती है । मेरी चुनौती है कि आप केन कमिश्नर से देवरिया जिले की जांच करा के किसी भी मिल में पूरी तौल नहीं होती है । गन्ना किसानों को 7-8 दिन तक अपनी गाड़ी लेकर पड़े रहना पड़ता है । मिलों के सामने इतने दिन किसान पड़े रहते हैं । जिसका नतीजा यह होता है कि उनके गन्ने का वजन कम हो जाता है और किसान का भारी नुकसान होता है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि वह आश्वासन दें कि 24 घंटे के अंदर किसानों का जो गन्ना है वह मिल पर तौल लिया जायगा । इसके आलावा जो किसानों का करोड़ों रुपया गन्ना मिलों पर बाकी है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है । मंत्री जी आश्वासन दें कि एक एक किसान के गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया जायगा ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो गन्ने पर आज निजी मिलों में कुछ पैसा लगभग .04 रु0 जो अतिरिक्त और अप्रत्यक्ष रूप से देना प्रारम्भ किया था, उसके ऊपर माननीय सदस्यों ने चर्चा की । आज श्रीमन्, बड़ी खुशी की बात है कि जिन माननीय सदस्य ने इसकी ओपनिंग की, उन्होंने पिछले सत्र में गन्ने के बजट की की थी तो मैंने उन पर यह आरोप लगाया था कि माननीय सदस्य बिना अध्ययन के बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्होंने काफी अध्ययन करके बड़े तर्क-पूर्ण ढंग से अपनी बातें कहीं हैं। वहीं माननीय धनराज जी ने कहा कि शासन को शर्म आनी चाहिये कि शकर विदेशों से मंगाकर खिलाई जा रही है। जबकि श्रीमन् आप देखिये वर्ष 1979-80 में जो कुल हमारा (उ0 प्र0) चीनी का उत्पादन था वह 997 हजार टन था। यह 82-83 में बढ़कर 2035 हजार टन हुआ। इससे मालूम हुआ श्रीमन् कि लगभग ढ़ाई गुना उत्पादन चीनी का हमारा उत्पादन बढ़ा लेकिन इस विषय में माननीय धनराज जी, राणा जी और सरन साहब से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को यहां चाहिये जो आबादी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं और आज चीनी का जो उत्पादन है (शोर)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री(श्री हुकुम सिंह)—

यह लोग अपनी अपनी मिलों को आबादी बढ़ा रहे हैं (हंसी)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, शुरू चर्चा में माननीय आयुक्त द्वारा एक पत्र जो लिखा गया था, वह आज चर्चा का विषय रहा। श्रीमन्, जो एक्ट है तो उसमें न्यूनतम मूल्य निर्धारित है, लेकिन उस एक्ट में उसकी जो भी सीमा निर्धारित होती है, वह सीमा उसमें निर्धारित नहीं है उसमें यह शिथिलता है, लेकिन उसके बाद शासन जो नीति तय करती है और उस नीति के अनुसार उसका दर अर्थात आंशिक मूल्य तय करती है, ताकि किसानों को उनकी कीमत से कम कीमत न मिले, तो नीति का पालन हुआ। इस स्थिति में श्रीमन् आप देखिये यदि विगत उत्पादन को, तो वह बढ़ा और यदि यह नीति न होती तो निजी चीनी मिलें यदि कम रेट पर गन्ने खरीदनें लगें, जैसा पहले सन् 1966-67 से पहले हुआ करता था कि चीनी मिलें मनमाने सौदे करती थी। तब यह देखा गया कि गन्ने का उत्पादन करने वाले किसान को उसकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है, तभी फिर यह आंशिक मूल्य तय किया गया। इसलिये कि कास्ट आफ प्रोडक्शन से नीचे गन्ने की कीमत न जाने पाये। श्रीमन्, एक पत्र और था एक कमिश्नर का, जिसका उल्लेख न तो बराबर साहब ने किया और न ही माननीय दास जी ने बल्कि यह कहा कि कुछ निजी चीनी मिलों से सरकार द्वारा बाहरी क्रय केन्द्रों पर 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी और माननीय सदस्या, सरोज जी बोल रही थीं, उन्होंने कहा कि कुछ चीनी मिलें हैं जो 1.50 पै0 की कटौती कर रही हैं। इसके लिए कमिश्नर ने एक पत्र लिखा और जो एक्ट 32 पैसे का है, उसी एक्ट के अनुसार यह जो मूल्य है उसी दूसरे का है, उसका उल्लेख नहीं किया गया है।

श्रीमन् इन सारी बातों का खुलासा जो मैं कहना चाहता था वह यह कि जो नीति तय होती है, उसका पालन हो, तो इसके लिए कुछ चीजें प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक हो जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब यह स्थिति क्रियेट हुई, तो वहां की जो मिलें थीं, वहां गन्ने की जो रिकवरी थी, कम होने लगी। गन्ना कम आने लगा। वहां पर राणा जी के नेतृत्व में एक आन्दोलन भी चलाया गया था। वह चाहते थे कि किसी भी मिल में गन्ना न पहुंचे। लेकिन, उसके बावजूद भी गन्ना ज्यादा आया और चीनी भी ज्यादा बनी। अब देखिये श्रीमन्, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 फरवरी, 1986 तक 3103.45 हजार टन गन्ना पेरा गया। यहां पर पिछले वर्ष 3564.83 हजार टन पेरा गया था। मध्य क्षेत्र में पिछले वर्ष 3901.17 हजार टन पेरा गया था,

जो बढ़कर 4228·87 हजार टन गन्ने की पेराई हुई । इससे देखिये श्रीमन्, इसमें कितनी बढ़ोत्तरी हुई । पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष 2,286·67 हजार टन गन्ने की पेराई हुई थी, 7 फरवरी तक । वहीं 2,728·49 हजार टन इस वर्ष 7 फरवरी तक हुई है । तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह जो इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादा पैसा देना शुरू किया था उसकी वजह से वह मिलें प्रभावित होना शुरू हो गयीं थीं । मान्यवर, सहकारी मिलें और अन्य मिलों में एकरूपता तो लानी ही होगी, उसमें प्रशासनिक कदम उठाये जा सकते है ।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मंत्री जी ने एक्ट का हवाला दिया और यह कहा कि उसमें गन्ने का मिनिमम प्राइस देने का प्राविधान है । क्या उसमें अधिकतम मूल्य देने का प्राविधान नहीं है ? माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो यह बात की, इस बात को सुनकर ऐसा लगा कि जैसे पूरा रामायण सुनने के बाद यह पूछा जाय कि राम राक्षस थे कि रावण । मैंने अपनी पूरी स्पीच इसी पर दी है । शायद माननीय सदस्य का ध्यान उस समय कहीं और था । तो श्रीमन्, यह कहना कि किसानों के साथ, किसानों के हित में यह शासन नहीं सोंच रहा है, यह जो आपने कहा वह सही नही है । अब चूंकि आपकी यह मजबूरी है । आपकी आपके नेताओं की तरफ से यह डायरेक्शन मिला है कि आपको हर समय यही कहना है । हमारी मजबूरी केवल एक है । हमको एक्ट के अन्तर्गत और नीतियों के अन्तर्गत उद्देश्यपूर्ण कार्य करना होता है । हम यह नहीं कर सकते है कि जैसे आप ही के एक नेता यह कहा करते थे कि इजराइल को हम मान्यता देंगे । इत्तफाक से जब वह इस स्थिति में आये और उनसे लोगों ने कहा कि अब आप इजराइल को मान्यता दिलवायें तो उन्होंने कहा कि उस समय मैं विपक्ष में था, इसलिए वह बात कह गया था ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, यह क्या विदेश नीति पर चर्चा हो रही है कि गन्ना नीति पर ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

यह उदाहरण की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो उदाहरण दे रहे है ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री की चतुराई है यह गन्ना क्षेत्र से आते है । अगर यह सारी बातें कह देते तो इन्हें गन्ना क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाता । इसलिये इन्होंने दूसरे मंत्री को खड़ा कर दिया कि यह जबाब दें ।

(हंसी)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, मैं उदाहरण दे रहा था । उसमें भी टोका तो शाही जी ने । जब शाही जी बोल कुछ और रहे थे जब कि चर्चा गन्ना प्राइज एक्सट्रा देने की बात की हो रही थी । तो

मान्यवर, मैं कह रहा था जब वह उस स्थिति में आए तो उनसे पूंछा गया कि इजराइल को मान्यता कब दे रहे हैं तो वह बोले कभी नहीं उनसे पूछा । आप तो कहते थे, तब वह बोले कि तब तो मैं विरोध पक्ष में था, तो विरोध पक्ष में रहकर कुछ कह देना ठीक नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैंने किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा की है, गन्ना व्यवस्था के तमाम असंतोष को उजागर किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त करें ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, अन्त में केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकारी कारखाना कोई सब्जी की दुकान नहीं है, कि सब्जी के भाव एकदम से बढ़ा दिए । इसकी एक नीति होती है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 28-2-86 में यह संस्तुति की है कि सदन के उपवेशन दिनांक 1 मार्च, 1986, 15 मार्च, 1986 तथा 22 मार्च 1986 को नियम-51, नियम-56 तथा नियम 301 की सूचनायें न ली जाएं तथा अतरौली (अलीगढ़) पुलिस फायरिंग के संबंध में श्री कल्यान सिंह की सूचना पर दिनांक 6 मार्च, 1986 को चर्चा रखी जाए ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री(श्री हुकुम सिंह)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष ने आज सदन में दी है, से सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने अभी सदन को दी है, से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 22 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
28 फरवरी, 1986

प्रदेश पत्र

मत्थी "क"

(देखिए नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त ता0प्र0 संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ . . . 8. . पर)

क्रम-संख्या	बकायेदार का नाम	बकाया 31-12-85 को		वसूली के लिए की गई कार्यवाही
1	2	3		4
1	मै0 हिन्डालको	(क)	54.51 लाख	नाईट रेगुलेशन कोयला अधि- भार आबकारी शुल्क लोड फैक्टर के ऊपर लेट पेमेन्ट सरचार्ज	1-- (क) एवं (ख) पंच निर्णय के अधीन है ।
		(ख)	0.63 लाख	नाईट रेगुलेशन	2-- (ग), (च) एवं (ङ) में की वसूली के लिये विद्युत विच्छेदित की नोटिस दी गई थी जिस पर मैसर्स हिन्डालकों ने प्रतिवेदन किया था । मामला आपसी विचार-विमर्श से तय होना है ।
		(ग)	501.00 लाख	दरों के पुनरीक्षण के कारण	
		(घ)	141.00 लाख	विद्युत शुल्क	
		(ङ)	5.00 लाख	रेनु सागर विद्युत गृह के शट-डाउन की अवधि में विद्युत	3-- (च), (छ) एवं (ज) में मैसर्स हिन्डालको ने प्रतिवेदन दिया है । मामला परिषद् के विचाराधीन है ।
		(च)	1.63 लाख	आपूर्ति के लिए मुख्य विद्युत आपूर्ति से आंशिक लेने के कारण ।	

1	2	3	4
		(छ) 34.00 लाख न्यूनतम उपभोग गारन्टी के कारण ।	
		(ज) 21.00 लाख माह अगस्त, 85 के बिलों में कटौती के कारण ।	
		758.77 लाख	
2	कनोरिया केमीकल्स	636.95 लाख	यह राशि पावर कट विद्युत शुल्क व विद्युत दरों में पुनरीक्षण के कारण ही विवादास्पद है एवं न्यायालय में लम्बित है । मिल के प्रबन्ध का अधिग्रहण एन0टी0सी0 द्वारा किया जा चुका है जो बकाये है वह एन0टी0सी0 द्वारा मिल के प्रबन्ध के अधिग्रहण के पहले के समय के है । बकाये की ऐक्ट 99 के अनुसार बकायों की अदायगी स्थगित कर दी गई है जो कि प्रबन्ध के अधिग्रहण के नियमानुसार कलेक्टर कानपुर को सेक्शन 5 की नोटिस भेजी जा चुकी है । क्लेम कमिशनर की नियुक्ति के उपरान्त ही दावे किये जायेंगे ।
3	स्वदेशी काटन मिल, कानपुर	124.30 लाख	उपभोक्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में पांच रिट दायर की थी उसमें से तीन परिषद के पक्ष में निर्णीत हुई है इसलिए धारा–5 के अन्तर्गत 39.19 लाख की वसूली कलेक्टर कानपुर को भेजी गयी है । बाकी धनराशि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित की गयी है । मामले को हल करने के प्रयास किये जा रहे है ।
4	स्टील इन्डस्ट्रीज, कानपुर	45.98 लाख	

5	मैनेजर रिफाइनरी प्रोजेक्ट मथुरा	63.58 लाख	पावर कट के उल्लंघन के जुर्माने का बकाया है। राशि विवादास्पद है।
6	मैसर्समोदी कन्सालिडेटेड	38.66 लाख	आरबिट्रेशन में केस चल रहा है। केस के कारण कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती जब तक न्यायालय से फैसला न सुनाया जाय।
7	मैसर्स मोदी स्टील (ए)	37.87 लाख	माह जनवरी में हाई कोर्ट, इलाहाबाद से केस विद्युत् बोर्ड के पक्ष में तय हुआ जिससे जनवरी 1986 में उपभोक्ता ने भुगतान कर दिया है।
	(बी)	21.95 लाख	
8	जे0के0रेयान, कानपुर	18.85 लाख	धारा–5 के अन्तर्गत वसूली कलेक्टर कानपुर को भेजी गयी है लेकिन उपभोक्ता ने न्यायालय से सम्पत्ति के कुड़की के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। 7.62 लाख 16 अगस्त 1985 को भुगतान किया जा चुका है और रु0 5.29 लाख की जमानत की धनराशि को बकायों के विरुद्ध समायोजित कर लिया गया है।
9	मै0मोदीपान (नागलोन)	39.51 लाख	इसका भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था। जनवरी, 1986 में केस विद्युत् बोर्ड के पक्ष में तय हुआ। उपभोक्ता ने जनवरी, 1986 में भुगतान कर दिया।
10	कानपुर स्टील	44.02 लाख	विद्युत् बकायों के भुगतान न होने के कारण अनुबन्ध निरस्त किया गया है। परिषद् ने विवादों को जो कि उपभोक्ता ने 10 अक्तूबर, 1974 के एग्रीमेन्ट के सम्बन्ध में उठाये

1	2	3	4
			हैं उसके लिये न्यायाधीश श्री गोपीनाथ, इलाहाबाद को सोल आरबीट्रेटर नियुक्त किया है । उपभोक्ता ने एक और आरबीट्रेटर की नियुक्त कराने के सिविल कोट कानपुर में एक मुकदमा दायर किया है । उसमें न्यायाधीश श्री गोपीनाथ के समक्ष आरबीट्रेशन कार्यवाही को रोकने के लिये एक प्रार्थना पत्र भी दिया है । सिविल न्यायालय ने कार्यवाही को रोक दिया था जो कि 14 जुलाई, 1985 को निरस्त कर दिया गया उपभोक्ता ने एक आरबीट्रेटर को अपने आप नियक्त कर लिया था और परिषद ने दिनांक 30 अक्तूबर 1985 के पत्र द्वारा इस आरबीट्रटर की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता० प्र० सं० 79 का उत्तर पीछे पृष्ठ ——51——पर)

क्रम-संख्या	फैक्ट्री का नाम	उत्पादन का लक्ष्य (संख्या में)			वास्तविक उत्पादन (संख्या में)			उत्पादन व्यय (अधिष्ठान व्यय रु० में) को छोड़कर		
		1983-84	1984-85	1985-86	1983-84	1984-85	1985-86 अब तक	1983-84	1984-85	1985-86 (अब तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सरोजनीनगर (लखनऊ) ..	8400	8400	10000	1178	4922	1594	2,93,797.51	14,03,518.20	2,88,664.02
2	नैनी (इलाहाबाद)	8400	8400	8400	3139	4312	3836	4,27,323.51	6,92,557.11	8,03,737.26
3	साहुपुरी (वाराणसी)	8400	8400	8400	84	1735	1074	12,830.29	1,16,496.58	1,63,800.91
4	बरहुआ (गोरखपुर)	5000	5000	5000	728	4120	2380	75,207.89	6,58,764.91	5,12,805.24
5	रुड़की	..	700	..	..	448	1650	..	4,72,925.69	6,72,233.47
6	आगरा	..	4200	..	..	780	975	..	2,61,044.09	1,32,317.84

नत्थी "ग"

(देखिए अता० प्र० सं० 115 का उत्तर पीछे पृष्ठ---63-पर)

जनपद उन्नाव में वर्ष 1985 की बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में वितरित सहायता का तहसीलवार वितरण

वितरित की गई सामग्री की मात्रा व मूल्य

क्रमांक	सामग्री	तहसील उन्नाव	तहसील हसनगंज	तहसील पुरवा	तहसील सफीपुर	मात्रा का कुल योग	मात्रा का मूल्य रुपये में
		मात्रा किलो	मात्रा किलो	मात्रा किलो	मात्रा किलो		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गेहूं	83,750 किलो	1,04,920 किलो	2,56,000 कि०	1,00,000 कि०	5,44,670 कि०	10,01,390.00
2	चना	43 ,,	..	2,500 ,,	..	2,543 ,,	13,390.75
3	मिटटी का तेल	1,293 ली०	12,992 ली०	22,270 ली०	3,429 ली०	39,984 ली०	90,892.55
4	नमक	2,424 किलो	12,992 कि०	25,200 कि०	3,072 कि०	43,688 कि०	19,070-770
5	माचिस पीस	6,392 पीस	12,992 पीस	25,200 पीस	6,?64 पीस	50,948 पीस	8,861.05
6	मोमबत्ती	..	..	252 ,,	..	252 ,,	502.00
7	आटा	..	25,000 कि०	..	..	25,000 कि०	62,500.00
8	पूड़ी	180 कि०	..	..	..	180 ,,	1,470.00
9	लाई	15 ,,	..	..	..	15 ,,	75.00
10	कम्बल	..	..	..	50 पीस	50 पीस	2,800.00
11	धोती	225 पीस	..	..	100 पीस	325 ,,	5,45?.76
	उक्त का मूल्य	1,61,847.40	3,11,965.20	5.38,122.00	1.94,471.20	..	12,06,405.80
2	नकद वितरित अहेतुक सहायता:—						
		240.00 रुपया	रु०	रु०	6,000.00 रु०	..	6,240.00

3---मृतक परिवारों को वितरित अनुग्रह सहायता धनराशि :

	तहसील उन्नाव	तहसील हसनगंज	तहसील पुरवा	तहसील सफीपुर	कुल योग
	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
कुल मृतक ..	14	9	12	21	56
कुल मृतक परिवार	11	7	9	16	43
वितरित धनराशि	11,000	7,000	9,000	16,000	43,000 रु0

4---2617रु0 प्रति मृतक की दर से प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से किया गया वितरण:

2 मृतकों हेतु	4 मृतकों हेतु	2 मृतकों हेतु	3 मृतकों हेतु	
5,234	10,468	5,234	7,851	28,787 रु0

5---वितरित गृह अनुदान धनराशि रु0 में :

3,00,000	4,20,000	4,00,000	2,82,000	14,02,000 रु0

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ ----पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
6—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर एवं अक्टूबर, 1985 की भीषण एवं लगातार मुसलाधार वर्षा से प्रदेश के कितने जिलों में काश्तकारों को बाजरा, ज्वार, उर्द, मूंग, कार्तिकी अरहर आदि का नुकसान हुआ, उसका क्षेत्रफल कितना रहा ? क्या सरकार ऐसे बरबाद किसानों को क्षतिपूर्ति हेतु कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो वह क्या है ?	6—प्रश्नगत भीषण एवम् लगातार मुसलाधार वर्षा व बाढ़ तथा भू-स्खलन आदि से प्रदेश के कुल 55 जिलों की खरीफ की फसल का 24,19,323 हेक्टर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ । राहत कार्यों हेतु कुल 31.75 करोड़ रुपयों का आवंटन दैवीय आपदा बजट से समस्त जनपदों को किया गया है । तकावी ऋण देने हेतु 135 लाख रुपये की धनराशि भी अवमुक्त की जा चुकी है । 50 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्रों की मालगुजारी की छूट के प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा नियमानुसार यथासमय विचार किया जायेगा ।

बल्देव सिंह आर्य,
राजस्व मंत्री ।